लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]

[खंड 47 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 28]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक —23, शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1970/20 अग्रहायण, 1892 (शक)
No.—23, Friday December 11, 1970/Agrahayana 20, 1892 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
661. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कोटा	India's Quota in IMF	1—4
663. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् लोगों द्वारा विदेशी बैंकों में धन जमा कराना	Diversion of Deposits to the Foreign Banks after Nationalisation of Banks	4—5
664. भारत स्थित विदेशी बैंकों द्वारा जमा खाते की राशियां बढ़ाने का प्रयास	Mobilising of Deposits by Foreign Banks in India	5—7
668. अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियों पर मार्गीय सुविधा प्रभार का लगाया जाना	Levy of enroute facility charges International Airlines	7—8
669. उड़ीसा के कोणर्क मन्दिर की जीर्णावस्था	Deterioration of Konarak Temple in Orissa	8—10
671. कूच बिहार हवाई अड्डे का स्थायी स्टेशन के रूप में घोषित किया जाना	Declaration of Cooch Bihar Airport as Permanent Station	10—11
672. हावड़ा बांध घाट मार्ग पर कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी की ट्राम सेवा का बन्द किया जाना	Withdrawl of Tram Services from Howrah Bandhaghat Service of the Calcutta Tramways Company	11—12

---

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था .

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
674. उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Uttar Pradesh	12—15
681. ब्रिटेन द्वारा भारतीय कपड़े का आयात	Import of Indian Textiles by U. K.	16
682. कलकत्ता में आने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists to Calcutta	16—17
687. शोलापुर तक विमान सेवा का विस्तार	Extension of Air Services to Sholapur	17—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.		
662. भारतीय रिजर्व बैंक के सुचारू कार्यकरण के सम्बन्ध में प्रशासन सुधार आयोग का सुझाव	A. R. Cs. Suggestion regarding smooth running of Reserve Bank of India	19
665. पर्यटन उद्योग के विकास के लिए भारत को जापानी सहायता	Japanese assistance to India for the Development of Tourist Industry	19
666. वार्षिक योजना के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to States under Annual Plan	19—20
667. यूनेस्को द्वारा वास्तुशिल्प स्मारकों का सर्वेक्षण	Architecutral Monuments surveyed by UNESCO	20—22
670. विदेशों से नक्शों के आयात पर रोक	Ban on Import of Maps from Foreign Countries	22—23
673. बेल्जियम से ऋण	Loan from Belgium	23
675. एक इशियन क्लियरिंग यूनियन तथा एक एशियन रिजर्व बैंक की स्थापना	Establishment of an Asian Clearing Union and an Asian Reserve Bank	24
676. राष्ट्रीयकृत बैंकों के वित्तीय लेखे	Financial Accounts of Nationalised Banks	24—25
677. इंडियन एयर लाइन्स के लिए बोइंग 737 जेट विमान	Boeing 737 Jets for Indian Airlines	25

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
678. अजन्ता के भित्ति चित्रों और एलौरा की मूर्तियों का परिरक्षण	Preservation of Ajanta Frescoes and Ellora Sculptures	25—26
679. परीक्षा पद्धति में सुधार	Reforms in Examination System	26
680. कोचीन शिपयार्ड का निर्माण	Construction of Cochin Shipyard	26—27
683. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से राष्ट्रीय राजपथों का सुधार	Improvement of National Highways with the Assistance of International Development Association	27
684. कर वापसी सप्ताह	Tax Refund Week	27—29
685. भारत में तस्करी	Smuggling in India	29—30
686. कपाडिया ब्रादर्स के बैंकर्स	Bankers of Kapadia Brothers	30—31
688. भारत में विदेशी पूंजी का विनियोजन	Foreign capital investment in India	31—32
689. तमिल न जानने वाले लोगों को तमिल सिखाने के लिए भाषा शिक्षक रिकार्ड	Production of Linguaphone records for teaching Tamil Language to Non-Tamilians	32
690. मैसर्स विपिन इंडस्ट्रीज के विरुद्ध की गई शिकायतों के सम्बन्ध में जाँच	Investigations into Complaints against M/s Bipin Industries	32
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
4174. नासिक में मिग कारखाने के समीप बम्बई आगरा सड़क का मार्ग परिवर्तन	Diversion of Bombay Agra Road near MIG Factory, Nasik	32—33
4176. भारत पर विश्व बैंक की रिपोर्ट	World Bank's Report on India	33
4177. नगर तथा ग्राम आयोजन के के बारे में भारतीय नगर आयोजक संस्थान द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी	Seminar of Town and Country Planning Organised by the Institute of Town planners, India	34
4178. इन्डियन एयरलाइन्स के सदस्यों द्वारा अमृतसर में बिकास सामग्री की तस्करी	Smuggling of Luxury Goods at Amritsar by Members of Indian Airlines	34—35

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4179. राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक धन निकाला जाना	Overdrafts by States	35
4180. वित्त मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी द्वारा कथित जातिगत भेदभावपूर्ण व्यवहार	Alleged Practising of Caste Discrimination by Hindi Officer in the Ministry of Finance	35—36
4181. गैर सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा विमान परिवहन सुविधाओं का विस्तार	Extension of Air Transport Facilities by Private Operators	36
4182. पाकिस्तानी छात्रों को दिये गये वीजा	Visas Granted to Pakistan Students	36—37
4183. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये धन की वसूली	Recovery of Advances made by Nationalised Banks	37
4184. नई दिल्ली स्थित अशोका होटल लिमिटेड में मजूरी बोर्ड के एवार्ड की क्रियान्विति	Implementation of Wage Board Award in Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	37—38
4185. सम्पत्ति कर के निर्धारण के लिए अचल सम्पति का मूल्यांकन	Valuation of Immovable Property for purpose of Wealth Tax	38
4186 दमदम हवाई अड्डे पर तस्करी के सामान का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Goods at Dum Dum Airport	38—39
4187. पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों की शिकायतें	Grievances of University and College Teachers in West Bengal	39
4188. जादवपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलना	Renaiming Jadavpur University	39—40
4189. आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में अपील	Appeals on Income Tax Assessment	40—41
4190. मैसर्ज फेडडर्स लायइर्सेस कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली पर उत्पादन शुल्क का लगाया जाना	Levy of Excise Duty on M/s Fedders Lloyds Corpn (P) Ltd., New Delhi	41

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4191. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद	National Council of Educational Research and Training	41—42
4192. अलकनन्दा, अमरनाथ तथा सोमनाथ की दुर्घटनाओं में तीर्थ यात्रियों को हुई जन तथा धन की हानि	Loss of Life and Property of Pilgrims in Tragedies of Alaknanda, Amarnath and Somnath	42
4193. पश्चिम बंगाल में चितरंजन चलता फिरता अस्पताल	Chittaranjan Mobile Hospital in West Bengal	42—43
4194. केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के श्रेणी 3 के स्टेनोग्राफर	Grade III stenographers in C.S.S.S.	43
4195. साम्य अंशों के धारण तथा प्रबन्ध के लिये एक प्रथक व्यवस्था	Separate Machinery to hold and manage Equity Shares	43
4196. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के हितार्थ ऋण नीति	Credit Policy in favour of Small and Middle Class People	43—44
4197. जीवन बीमा, निगम के क्षेत्रीय तथा अन्य कर्मचारियों की मांगें	Demands of field workers and other Employees of LIC	44—45
4198. मैसर्स टर्नर मोरीसन कम्पनी लिमिटेड पर भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Provident Fund Outstanding against M/s Turner Morrison Company Ltd.	45
4199. कलकत्ता में उपरि पुलों का निर्माण	Construction of over bridges in Calcutta	45
4200. मध्य प्रदेश में भिंड और लहार के बीच सिंध पुल का निर्माण	Construction of Sindh Bridge between Bhind and Lahar in Madhya Pradesh	45—46
4201. पूर्व निमाड जिला (मध्य प्रदेश) के छोटे उद्योगपतियों को ऋण	Loans to Small Industrialists of East Nimar District (Madhya Pradesh)	46
4202. अशोका होटल लिमिटेड नई दिल्ली के प्रबन्धकों द्वारा की गई अनियमितताएं	Irregularities committed by the Management of Ashoka Hotel Ltd., New Delhi	46—47

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4203. पश्चिम बंगाल में माध्यामिक स्कूल के अध्यापकों को मंहगाई भत्ते के बकाया का भुगतान	Payment of Arrears of DA to Secondary School Teachers in West Bengal	47
4204. पश्चिम बंगाल के बाढ़ से प्रभावित स्कूलों के छात्रों की फीसों की अदायगी	Payment of Tution Fee to Students of Flood Affected Schools in West Bengal	47
4205. पश्चिम बंगाल में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को समान मंहगाई भत्ता तथा पेंशन देने सम्बन्धी योजना	Unioform D.A. and Pension Schemes for Secondary School Teachers in West Bengal	47—48
4206. उड़ीसा को बाढ़ सम्बन्धी राहत कार्यों के लिए सहायता	Aid to Orissa for Flood Relief Work	48
4208. मणिपुर राज्य परिवहन के कर्मचारियों को लम्बे समय तक निलम्बित किया जाना	Employees of Manipur State Transport kept suspended for a long time	48
4209. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर चलने वाली बसों का रखरखाव	Maintenance of Buses plying on National Highway No. 39	49
4212. मुरादाबाद में व्यापारियों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income Tax by Traders in Moradabad	49
4213. चीनी में उत्पादन शुल्क में कमी	Reduction in Excise Duty on Sugar	49—50
4214. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	Interim relief to Central Government employees	50
4215. भारतीय रुपये का परिचालन	Circulation of Indian Rupee	50
4216. परिचालन में धन	Quantity of money in circulation	51
4217. पटना में गंगा नदी पर सड़क रेल पुल	Road cum rail bridge over river Ganga at Patna	51
4218. नेफा में पुरातत्वीय वस्तुओं का पाया जाना	Archaeological findings in NEFA	51

विषय	SUAJECT	पृष्ठ/PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4219. सरकार द्वारा मुख्य पत्तनों का विकास	Development of major ports by Government	52—53
4220. दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पर्यटन समन्वय कार्यालय	Tourist Co-ordination office in South and South East Asia	53
4221. इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा बुकिंग तथा आरक्षण के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग	Computerisation of bookings and reservations in Indian Airlines	53—54
4222. पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में विमान सेवाएं	Air Services in the hilly and border areas	54
4223. इन्डियन एयरलाइन्स को विदेशी मार्गों पर विमान सेवाएं चालू करने की अनुमति	Permission to Indian Airlines to operate foreign Routes	54
4224. कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा दी गई सहायता	Aid given by India under Colombo Plan	54—56
4225. पर्यटन पुलिस बल बनाने का प्रस्ताव	Proposal to create Tourist Police Force	56
4226. पुरातन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन	Amendment of Antiquities (Export Control) Act, 1947	56
4227. राजस्थान में सीमा सड़क परियोजनायें	Border Road Projects in Rajasthan	56—57
4228. बिहार में पर्यटन के विकास के लिए योजनाए	Schemes for the Development of Tourism in Bihar	57
4229. समुद्र में दुर्घटनाओं के कारण जहाजों का डूबना	Ships lost due to Casualties in Sea	57—58
4230. विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange	58—59
4231. स्टाक एक्सचेंजों द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Stock Exchanges	59
4232. बम्बई का नगरीयकरण कनेर के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank's assistance for Urbanisation of Bombay	59—60
4233. सेन्ट्रल स्कूल का अनीसाबाद में कंकरबाग (पटना) को ले जाया जाना	Shifting of Central School from Anisabad to Kankarbagh (Patna)	60

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4234.	अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षक संघ सम्मेलन	Conferance of All India Federation of University and College Teachers Organisation	60
4235.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में छात्रवृत्तियां दिया जाना	Grant of scholarships in various cultural fields	61—62
4236.	आयकर के विचाराधीन मामले	Pending cases of Income Tax	62
4237.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का अमरीकी सहायता पर निर्भर होना	Dependence of Indian Institute of Public Administration on U. S. Aid	62
4238.	बालासोर, उड़ीसा में सेन्ट्रल स्कूल	Central School at Balasore, Orissa	62—63
4239.	उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी पर पुल के निर्माण के लिये ऋण	Loan for construction of a bridge over river Subernarekha in Orissa	63
4240.	राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभ की दर में कमी	Decline in rate of profitability of Nationalised Banks	63
4241.	राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Director of National Museum, New Delhi	63—64
4242.	कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए नये वेतनमान	New scales for Calcutta University Teachers	64
4243.	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणामों के घोषित करने का अलग अलग समय	Different timings of announcement of results of Higher Secondary Examination	64—65
4244.	कर ढांचे सम्बन्धित भूतलिंगम प्रतिवेदन	Boothalingam Report on Tax Structure	65—66
245.	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्तियां करने तथा छात्रवृत्तियां देने के मामलों में हरिजनों के साथ कथित भेदभाव	Alleged discrimination by Delhi University against Harijans regarding appointment and grant of Scholarships	66

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4246. इन्डियन एयर लाइन्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की विभिन्न पदों पर नियुक्तियां	Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on various posts in the Indian Airlines	66—67
4247. कूच बिहार हवाई अड्डे पर कार्य कर रहे इंडियन एयरलाइन्स के माल लादने वाले तथा अन्य चौथी श्रेणी के कर्मचारी	Loaders and other class IV employees of Indian Airlines working at the Cooch Behar Airport	67
4248. कूच बिहार हवाई अड्डे के विश्राम कक्ष को सजाने के लिये मंजूर की गई धन राशि	Amount sanctioned for furnishing the lounge of the Cooch Behar Airport	67—68
4249. कलकत्ता में सैन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया के माल गोदाम के माल की जांच पड़ताल	Checking of godown stocks of the Central Bank of India in Calcutta	68
4250. कलकत्ता हवाई अड्डे पर खड़े फोकर फ्रेन्डशिप विमान के इन्जन की दिल्ली में आवरहालिंग	Over hauling of engine of Calcutta based Fokker Friendship aircraft in Delhi	69
4251. भूतपूर्व फ्रांसीसी प्रशासक के चन्द्रनगर निवास स्थान का फ्राँसीसी सांस्कृतिक केन्द्र तथा संग्रहालय में बदला जाना	Conversion of residence of former French Administrator, Chandernagar into a French Cultural Centre and Museum	69—70
4252. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद और नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस को हुई हानि	Loss suffered by Hindi Sahitya Samelan, Allahabad and Nagari Pracharini Sabha, Banaras	70
4253. रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा बैंकों का निपटान	Clearence of Cheques by Reserve Bank of India	70—71
4254. मध्य प्रदेश में होटलों और पर्यटक गृहों की कमी	Shortage of Hotels and Tourist Homes in Madhya Pradesh	71

विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4255. मध्य प्रदेश में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का पृथक सर्किल	Separate Circle of Archaelogical Survey of India in Madhya Pradesh	71
4256. मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Madhya Pradesh	72
4257. मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले में असिरगढ़ और मंडवा में वन्य पशुओं की संख्या में कमी	Decrease in the population of Wild Animals in Asirgarh and Mandwa, East Nimar district, Madhya Pradesh	72
4258. आयकर कार्यालय, बम्बई में पंखों का लगाया जाना	Installation of Fans in the Income Tax Office, Bombay	72
4259. अप्रैल, 1970 में कम्बाटा एयरलाइन्स के हैलीकाप्टर का बम्बई से कुछ दूर समुद्र में गिरकर टूक टूक होना	Crash of Cambata Airlines Helicopter into Sea off Bombay in April, 1970	73
4260. भारत के पर्यटक मानचित्र में कानपुर शहर	Kanpur City on the Tourist Map of India	73
4261. असैनिक विमानों की आवश्यकता	Civilian Aircraft Requirements	73—74
4262. विदेश यात्रा के लिये नियमों को उदार बनाना	Liberalisation of Rules for Travels Abroad	74
4263. वन्य जीवन पर्यटन के लिए विकसित राष्ट्रीय पार्क	National Parks Developed for Wild Life Tourism	74
4264. दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्यमा, शास्त्री, तथा आचार्य पाठ्यक्रमों का शुरू किया जाना	Madhyama, Shastri and Acharya courses in Delhi University	75
4265. भारत में पंचतन्त्र का प्रकाशन	Publication of Panchatantra in India	75
4266. भारत में विदेशों की रुपया निधियां	Rupee Funds held by Foreign Countries in India	75—76
4267. गांधी विद्या मंदिर कालेज, चर्खी दादरी, (हरियाणा) की इमारत का विस्तार	Extension of Building of Gandhi Vidya Mandir college Charkhi Dadri (Haryana)	76

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.			
4268.	लघु उद्योग फैक्टरियों से उत्पादन कर की वसूली	Collection of Excise Duty from Small Scale Industrial Units	76
4269.	परीक्षाओं में गलत तरीके अपनाना और निरक्षकों की सुरक्षा	Malpractices in Examinations and Protection to Invigilators	76—77
4270.	बीमा अधिनियम में संशोधन	Amendment on the Insurance Act	77
4271.	राज्यों को विदेशी महायता	Foreign Aid to States	77—78
4272.	मध्य प्रदेश में स्कूलों के बच्चों को पोष्टिक भोजन	Nutritious Meals to School Children in Madhya Pradesh	78—79
4273.	कपड़े, तम्बाकू और चीनी पर उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री कर लगाना	Imposition of Sales Tax on cloth, tobacco and sugar in place of Excise Duty	79
4274.	भारतीय तथा विदेशी बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर	Rate of Interest charged by Indian and Foreign Banks	79
4276.	वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण का बिनियमन	Regulation of credit given by Financial Institutions	80—81
4277.	राष्ट्रीयकरण के पश्चात् शाखाओं के विस्तार पर खर्च	Expenditure on Branch Expansion after Bank Nationalisation	81
4278.	भारतीय कर संस्थान	Tax Institute of India	81
4279.	राज्यों के परिवहन विभागों के सचिवों का अगरतल्ला में हुआ सम्मेलन	Conference of Seretaries of Transport Departments of States held in Agartala	82
4280.	पश्चिमी बंगाल के कालेजों और स्कूलों के शिक्षकों की विभिन्न मांगों के बारे में विवाद	Dispute regarding different demands of college and School Teachers in West Bengal	82
4281.	पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब डिवीजन में कलकत्ता और डिघा के बीच सम्पर्क मार्ग	Road Link between Calcutta and Digha in Contai Sub-division of West Bengal	82—83
4282.	सर्वे आफ इन्डिया द्वारा पुराने तरीकों का उपयोग	Adoption of absolete methods by Survey of India	83—84
4283.	सर्वे आफ इन्डिया द्वारा नेपाल का मानचित्र बनाना	Mapping of Nepal by Survey of India	84

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4284. यात्री के पेट से सोने के बिस्कुटों का पकड़ा जाना	Seizure of Gold Biscuits from the stomach of Passengers	84—85
4285. एक हरिजन शोधकर्ता को काम दिलाना	Securing job for a Harijan research Scholar	85
4286. ऋण चुकाना	Repayment of debts	86
4287. दिल्ली में छोटे सिक्कों का पिघलाया जाना	Melting of small coins in Delhi	86
4288. विदेशी मुद्रा में बेईमानी	Leakage of foreign Exchange	87
4289. आयकर की वसूली	Recovery of Income Tax	87—88
4290. उत्तर प्रदेश के राय बरेली जिले में विभिन्न बैंकों की शाखाएं	Branches of various banks in Rae Bareli District of U. P.	88
4291. चोरी छिपे लई गई वस्तुओं की बिक्री	Disposal of smuggled articles	88
4292. उत्तर प्रदेश में चित्रकूट स्थल पर यात्रियों के लिये होटल	Hotel for visitors at Chitrakut, U. P.	88—89
4293. मनीपुर में सहायक प्रधानाध्यापकों का वेतनमान	Pay Scales of Asstt. Head Masters in Manipur	89
4294. मनीपुर में गृह विज्ञान के विद्यार्थियों की स्नातकोतर छात्रवृत्ति देना	Post graduate scholarship to Home Science students in Manipur	89—90
4295. आसाम में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर बस सेवा का प्रभावित होना	Bus service affected on National Highway No. 39 in Assam	90
4296. जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में डिघा जिले का विकास कार्यक्रम	Development programme of Digha district Midnapur, West Bengal	90
4298. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन	Change in National Education Policy	90—91
4299. दिल्ली प्रशासन में स्नातकोतर अध्यापकों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित कोटा	Reserved quota for S. C. & S. T. for posts of Post Graduate teachers in Delhi Administration	91—92

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4300.	राज्यों के प्रमुख इंजीनियरों के सम्मेलन में 1961-81 के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय और राज्कीय राजपथों का निर्माण करने की योजना	Plan for construction of National and State Highways for the period 1961-81 chalked out at the Conference of State Chief Engineers	92
4301.	समवाय कार्य विभाग प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की भारतीय समवाय सचिव संस्थानों में नियुक्ति	Appointment of Deputationists of Department of Company Affairs in the Institute of Company Secretaries of India	92—93
4302.	मैसर्स नरूला फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध जांच	Investigations against M/s Narula Finance Pvt. Ltd.	93—94
4303.	गुजरात के निकट पकड़े गये तस्करी व्यापारी	Smugglers apprehended near Gujarat	94
4304.	भाड़े में सामान्य वृद्धि	General Increase in Freight	94—95
4305.	बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstrations by Bank Employees	95
4306.	पश्चिम बंगाल में बिक्री कर अधिकारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Sales Tax Officers in West Bengal	95—96
4307.	वाणिज्यिक टैक्स अधिकारियों के वर्गीकरण को समाप्त करना	Abolition of Gradition among Commercial Tax Officers	96
4308.	राजोरी गार्डन, नई दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय	Public Library in Rajouri Garden, New Delhi	96
4309.	नजफगढ़ रोड और दिल्ली छावनी के मध्य रिंग रोड के भाग का विद्युतीकरण	Electrification of the Portion of the Ring Road between Najafgarh Road and Delhi Cantt.	96—97
4310.	विश्वविद्यालयों द्वारा कोठारी आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वियन	Implementation of Kothari Commission Recommendations by Universities	97
4311.	भारत के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों का नाम तथा उनके स्थापना स्थल	Names and Location of Hotels of International Standards in India	97—98
4312.	दिल्ली में सेन्ट्रल स्कूल	Central Schools in Delhi	98
4313.	दिल्ली के विद्यार्थी खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां	Grant of Scholarships to students players of Delhi	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4314. त्रिपुरा में स्त्री शिक्षा	Female Education in Tripura	99
4315. पश्चिम बंगाल में वयस्क शिक्षा केन्द्र	Adult Education Centres in West Bengal	99—100
4316. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समर्पित छुट्टियों के बदले छुट्टी का वेतन दिया जाना	Payment of levy salary in lieu of surrendered leave to Government Employees	100
4317. मैसूर तथा उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना	Opening of branches of Nationalised Banks in Mysore and Orissa	100—01
4318. राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए ऋण देने की नई नीति	New credit policy for Nationalised Banks	101
4319. रिजर्व बैंक क्रैडिट गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इन्डिया द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र	Applications received by State Bank of India under Reserve Bank Credit Guarantee Scheme	101—03
4320. नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर्ज आफ इन्डिया द्वारा पोतों के कर्मी दल के सदस्यों के रूप में हस्ताक्षर करने से इंकार	Refusal to sign as crew members of ships by National Union of Seafarers of India	102
4321. मंगलौर बन्दरगाह परियोजना का पूरा होना	Completion of Mangalore Harbour Project	102—03
4322. परिचालन में हुण्डी ऋण	Hundi loans in circulation	103
4323. बम्बई के लिए भातसर वतिराना जल परियोजना के संबंध में विश्व बैंक को अभ्यावेदन	Representation to world Bank on Bhatsar/ Vatirana Water Project for Bombay	103—04
4324. प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूल अध्यापक कल्बों को अनुदान	Grants to Primary and Secondary School Teachers' clubs	104
4325. तमिलनाडु में भूमि जल संसाधनों के संवर्द्धन हेतु प्रस्ताव	Proposal for augmenting ground water resources in Tamil Nadu	104—05

अता० प्र० संख्या
U. S, Q.Nos.

4326. तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase mileage of National Highways in Tamil Nadu	105
4327. महालेखापाल कार्यालय, त्रिवेण्द्रम (केरल) के कर्मचारियों की माँगे	Demands of Employees of Accountant General's Office, Trivandrum, Kerala	105—06
4328. महालेखापाल कार्यालय, मद्रास में कर्मचारियों की मांगें	Demands of employees of Accountant General's Office, Madras	106
4329. राष्ट्रीयकृत बैंकिंग संस्थानों में जमा धन	Money deposited in Nationalised Banking Institutions	106—07
4330. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को सीधे दिये जाने वाली ऋण	Direct loans to farmers by Nationalised Banks	107—09
4331. तमिलनाडु में तंजापुर जिले में पंचायत के चुनावों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई धन राशि का प्रयोग	Use of Money advanced by Nationalised Banks for Panchyat Elections in Tanjavur District, Tamil Nadu	109
4332. जीवन बीमा निगम गृह निर्माण के लिए कर्जा	Loan for housing from Life Insurance Corporation	109—10
4333. मैसूर का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign tourist visiting Mysore	110
4334. बेगम शेख अब्दुल्ला के नाम बकाया आय कर	Arrears of Income Tax outstanding against Begum Sheikh Abdullah	110
4335. महाराष्ट्र में कृषि परियोजनों के लिए विश्व बैंक की सहायता	World Bank's Assistance for Agricultural Projects in Maharashtra	110
4336. महालेखापाल, (वाणिज्य, निर्माण तथा विविध) कार्यालय के कर्मचारियों को स्थायी किया जाना	Confirmation of staff of Accountant General (C. W. & M.)	111—12
4337. संसद् की एक दिन की बैठक पर होने वाला व्यय	Expenditure incurred on a day's Sitting of Parliament	112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4338. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने के बारे में मैसूर के मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Chief Minister of Mysore regarding Decision of Central Government to raise Pay Scales of its Employees	112—13
4339. राजस्थान विश्वविद्यालय में परामनोवैज्ञानिक विभाग	Para Pshychological Department of Rajasthan University	113—14
4340. राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of National Fitness Corps Employees	114
4341. राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा आय नीति	National Wealth and Income Policy	115
4342. विनियमय सम्बन्धी दर नीति	Exchange Rate Policy	115
4343. विश्व बैंक द्वारा सहायता देने तथा ऋण चुकाने सम्बन्धी अध्ययन किया जाना	Studies on Aid and debt Servicing by World Bank	116
4344. उत्तर बिहार में विमान सेवा	Air Service in North Bihar	116—17
4345. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिया गया ऋण	Loans given to Public and Private Sector Industries by Nationalised banks	117
4346. मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाना	Conversion of Aligarh Muslims University into Islamic University	117
4347. भारत में विदेशी पर्यटकों के सम्मुख आने वाली बाधाएं	Handicaps faced by Foreign Tourists in India	117—18
4348. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बाहरी छात्रों के पंजीकरण तथा परिक्षायें	Registration and examination of External Students by Delhi University	118
4349. स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये निर्यात सम्बन्धी ऋण	Export credit advanced by State Bank of India	118—19

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
4350	मलाबार तट पर चोरी से लाये गये माल का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods grom Malabar Coast	119—20
4351.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखायें	Persons pecurited to cope with the increased activities of Nationalised Banks	120
4352.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों को दिये गये ऋण तथा सहायता	Loans and assistance given by Nationalised Banks to Small farmer	121—22
4353.	महिलाओं में साक्षरता	Literacy among women	122—23
4354.	नारी शिक्षा	Women's education	123—24
4355.	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी प्राध्यापको के पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointments of persons belonging to Scheduled Castes to Posts of Hindi Lecturers by Delhi University	124
4356.	बैंक आफ इंडिया, लन्दन के विरूद्ध आरोप	Allegations against Bank of India, London	124—25
4357.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में करेंसी नोट गिनने के लिए कलेक्शन चार्ज	Collection charge for counting of currency Notes in Nationalised Banks	125
4358.	राष्ट्रीय बैंकों द्वारा किसानों को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में एक ऋण समन्वय समिति की स्थापना	Setting up of a credit Co-ordination Committee for grant of loans to farmers by Nationalised Banks	125—26
4359.	सलेम में हवाई अड्डा	Aerodrome at Salem	126
4360.	कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी के प्रबन्धको तथा कर्मचारियों के मध्य समझौता	Agreement between management and workers of Calcutta Tramways Company	126—127
4361.	कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Calcutta Tramways Company	127
4362.	वोल्गा रेस्तोरां द्वारा आय को छिपाये जाने के कारण उसके विरूद्ध जांच	Enquiry against concealment of Income by Volga Restaurant	127
4363.	एयर इंडिया और इन्डियन एयरलाईन्स को खाद्य पदार्थों की सप्लाई	Contract for supply of food to Air India and Indian Airlines	128

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4364. मलयेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में इन्डियन ओवरसीस बैंक की शाखायें का बन्द किया जाना	Closing down of Branches of Indian Overseas Bank in Malayasia, Ceylon and Thailand	128
4365. इन्डियन ओवरसीस बैंक के परिवीक्षाधिकारी	Probationary officers of the Indian Overseas Bank	129
4366. कन्नानौर में स्टेडियम बनाने के बारे में ज्ञापन	Memorandum Regarding Construction of a Stadium in Cannanore	130
4367. पोलिटैकनिकों के कार्य का सर्वेक्षण	Survey on the working of Polytechnics	130—31
4368. गोयन्का समाचारपत्र समूह द्वारा ऋण के दुरुपयोग का समाचार	Reported Misuse of loan by Goenka Group of Newspapers	131
4369 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियमकी धारा 7(1) के अन्तर्गत दिये गये निदेश	Directions given under Section 7(1) of Reserve Bank of India Act	131
4370. रिजर्व बैंक के निदेशकों के व्यापार हित	Business Interests of the Directors of the Reserve Bank	132
4371. प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली का समाप्त किया जाना	Abolition of Managing Agency System	132
4372. इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा क्रेडिट वाउचर स्वीकार करना	Acceptance of Credit Vouchers by IAC	132
4373. विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के लेखा परिक्षा कार्य का हस्तांतरण	Transfer of Audit Work of Indian Embassies Abroad	133
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	133
ट्रकों और बसों के टायरों की अत्यधिक कमी	Acute shortage of truck and bus tyres	133—35
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	135
श्री मं० र० कृष्ण	Shri M. R. Krishna	135—36
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation	137
(श्री मोरारजी देसाई)	(Shri Morarji Desai)	137—41

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	papers Laid on the Table	141—43
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	143
विधेयकों पर अनुमति	Assents to Bills	143
उपाध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में	Re. Health of Deputy Speaker	143
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	144
131 वां प्रतिवेदन	Hundred and thirty-first report	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	144
12 वां प्रतिबेदन	Twelth Report	
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को चिकित्सा एवं विक्रय प्रतिनिधियों पर लागू किये जाने के बारे में याचिका	Petition re. Applicability of the Industrial Disputes Act, 1947 to Medical and Sales Representative	144
इडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों के निरन्तर आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Situation created by the agitation of Indian Airlines Pilots	144—47
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (मनीपुर) 1970-71	Demands for Supplementary Grants (Manipur), 1970-71	147
श्री अ० कु० किस्कु के विरूद्ध आरोपों के बारे में	Re. Allegations against Shri A. K. Kisku	147—48
सभा का कार्य	Business of the House	148—49
हिमाचल प्रदेश राज्य विधेयक	State of Himachal Pradesh Bill	150
पुरःस्थापित	Introduced	
पश्चिम बंगाल (हिंसक क्रियाकलाप निवारण) अधिनियम, 1970 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolutions re. West Bengal (Prevention of Violent Activities) Act, 1970 and West Bengal Maintenance of Public Order Act, 1970	150
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Pal choudhury	150
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	151—52

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विधेयक, पुरःस्थापित किये गये	Bills Introduced	
मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते विधेयक, 1970 श्री नारायण दाडेकर का	Salaries and Allowances of Ministers Bill, 1970 by Shri N. Dandeker	152—53
स्टाक एक्सचेंज (शासी निकाय में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व) विधेयक, 1970-श्री जार्ज फरनेन्डीज का	Stock Exchange (Representation of Employees on Governing Body) Bill 1970 by Shri George Fernandes	153
चल चित्र प्रक्षेपक चल चित्रों का प्रदर्शन विधेयक, 1970 श्री जार्ज फरनेन्डीज का	Exhibition of Cinematograph Films Bill, 1970 by Shri George Fernandes	153
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (सप्तम अनुसूची का संशोधन)-श्री ओमप्रकाश त्यागी का	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of the Seventh Schedule) by Shri Om Prakash Tyagi	154
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 174 का संशोधन) - श्री ओम प्रकाश त्यागी का	Constitution (Amndement) Bill, 1970 (Amendment of Article 174) by Shri Om Prakash Tyagi	154
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 348 का संशोधन) - श्री ओम प्रकाश त्यागी का	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Article 348) by Shri Om Prakash Tyagi	154—55
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक 1970 (धारा 2 तथा 15 का संशोधन)-श्री नाथ पाई का	The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of sections 2 and 15) by Shri Nath Pai	155
व्यक्तियों को उपाधियों से विभूषित करना (उत्सादन) विधेयक	Conferment of Decorations on Persons (Abolition) Bill	155
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	155
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	155—56
श्री शम्भु नाथ	Shri Shambhu Nath	156

श्री सरदार अमजद अली	Shri Sardar Amjad Ali	156
श्री राज देव सिंह	Shri Raj Deo Singh	156
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	156—57
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	157—58
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	158
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	158
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	158—61
श्री रंगा	Shri Ranga	161
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	161—62
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	162
श्री श्रीचन्द्र गोयल	Shri ShriChand Goyal	162
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	162—66
श्री जी० भा० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	166—67
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 32 तथा 226 का संशोधन	Constitution (Amendment) Bill, (Amendment of Articles 32 and 226)	168
विचार करने का प्रस्ताव प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Select Committee	168
श्री तेन्नेटी विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	168
आधे घंटे की चर्चा इंडियन टुबैको कम्पनी द्वारा अपनी प्रष्टापित क्षमता से अधिक उत्पादन के बारे में	Half an hour discussion Re. Production of Indian Tobacco Company beyond installed capacity	168
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	168—173
श्री मं० र० कृष्ण	Shri M. R. Krishna	173—174

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1970/20 अग्रहायण, 1892 (शक)
(Friday, December, 11, 1970/Agrahayana 20, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कोटा

* 661. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कोटे में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) दो वर्ष पूर्व की स्थिति की तुलना में, सर्वाधिक कोटा वाले सात राष्ट्रों में भारत का अब कौन सा स्थान है; और

(घ) क्या सर्वाधिक कोटा वाले सात राष्ट्रों में भारत का स्थान अब नीचा हो गया है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने दिसम्बर, 1969 में, कोटों का जो पंचवार्षिक पुनरीक्षण किया था, उसके अनुसार तथा निधि के गवर्नरों के बोर्ड द्वारा 9 फरवरी, 1970 को किये गये निर्णय के आधार पर, भारत अपना कोटा 7500 लाख डालर से बढ़ा कर 9400 लाख डालर कर सकता है । कोटे में की गई इस वृद्धि के सम्बन्ध में हमने अपनी स्वीकृति दे दी है और जैसे ही इस वृद्धि के बराबर की अतिरिक्त रकम की अदायगी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को कर दी जायगी वैसे ही यह कोटा प्रभावी हो जायगा । सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है और आशा है कि बढ़ाया गया कोटा 31 दिसम्बर, 1970 से पहले प्रभावी हो जायगा ।

(ग) और (घ). जब कुछ अन्य देशों के कोटों में वृद्धि हो जायगी, तब सबसे अधिक

कोटे वाले देशों में भारत का स्थान आठवाँ होगा जबकि उसका स्थान अब तक पाचवां था। ऐसा इस कारण हुआ था कि कोटों के पुनरीक्षण के अनुसार, भारत कोटे में 25 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि का पात्र हो गया जबकि कुछ अन्य देश कोटों में, इस प्रकार से 25 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि होने के अतिरिक्त, आर्थिक बातों के आधार पर, जिनमें राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि, व्यापार और विदेशी प्रारक्षित रकमें भी शामिल हैं, विशेष वृद्धियों के पात्र हो गये।

Shri Shiva Chandra Jha : I would like to raise a point of order, before asking supplementary question. My point of order will be over within a minute. After your ruling, on it, we will proceed further. If you permit me only then, I will raise my point of order, otherwise not. I strictly abide by the rules and as long as my name is not there, I do not get up for supplementary question. This is my decision.

Mr. Speaker : Your name will always be there. But it is a convention that point of orders should not be raised during the Question Hour.

Shri Shiva Chandra Jha : But points of orders have been raised during the Question Hour. It was raised by Shri Balraj Madhok. There is no restriction on raising it and that is why I want to do so.

Mr. Speaker : They are forcibly raised. Now the Hon. Member is quoting Shri Balraj Madhok. Afterwards someone else will quote his name and raise a point of order. I will suggest the Hon. Member to take up his point of order during his supplementary question.

Shri Shiva Chandra Jha : My point of order is very relevant.....

Mr. Speaker : If the Hon. Members want to break their own conventions, what can be done ? The Hon. Member may say anything.

Shri Shiva Chandra Jha : The reply given by hon. Minister was heard by this House as well as by the Speaker. Why the hon. Minister could not give the same reply to short notice question ? But the Short Notice Question was disallowed. Three copies of a Short Notice Question are despatched one of which is sent to hon. Minister. Then why Short Notice Question was disallowed ? This reply could have been given to a Short Notice Question also.

Mr. Speaker : The hon. Member may resume his seat. Last time it was decided that if any Minister does not agree for a Short Notice Question, the Speaker can include it in the list of Starred Questions as Question No. 1. That is how this question has been included as Question Number 1 and the Minister is replying to the same. I am at a loss to understand the point of order in it. The hon. Member may ask his question now.

Shri Shiva Chandra Jha : I have not received the statement regarding the Fifth Review Quotas under which the Indian Quota in International Monetary Fund is being increased. I would like to know the basis on which this quota is determined. What are those factors which determine the quota fixed for a country ? What is the position of India in it ? Has it been decreased or increased ? If it has decreased during the last two years, then how does the Minister state that it has increased ? Secondly, what are the factors on the basis of which it is determined ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वैसे तो मैं इसका उत्तर अपने मूल उत्तर में दे चुका हूँ परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्य तथा इस सभा के लाभार्थ उन्हें दोहरा देता हूँ। सर्वप्रथम तो साधारण वृद्धि होती है जो 25 प्रतिशत तक प्रत्येक मामले में की जाती है। जैसा कि मैंने

अपने मूल उत्तर में कहा है, इसके अतिरिक्त विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रीय आयात-निर्यात व्यापार तथा वैदेशिक संसाधनों आदि के आधार पर भी कुछ वृद्धि की जाती है । यह बहुत ही पेचीदा सूत्र है । इसके लिए चार महत्त्वपूर्ण कसौटियों को ध्यान में रखा जाता है । भारत को अपना साधारण 25 प्रतिशत का कोटा तो मिल गया है । परन्तु इन विशेषताओं पर आधारित इसे विशेष वृद्धि नहीं दी गई है । मैं समझता हूँ, मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

Shri Shiva Chandra Jha : The factors which determine the quota have been clarified and we have been benifitted by it. The general quota of 25 percent has been given to India. India's figures of foreign trade and export have declined and there is no increase in National Income during the last two years. Under these circumstances, India had a right to get an increase in her quota, which has not been given to her. The same quota of 25 percent has been given to India, which other countries have also been given. As stated by the hon. Minister India's position has now gone down to eighth from fifth. I would like to know the countries which have superseded India ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह देश जापान, इटली तथा कनाड़ा हैं । यह तीनों देश भारत से आगे बढ़े हैं । परन्तु भारत ही एक मात्र ऐसा देश नहीं है जिसे इस विशेष वृद्धि से वंचित रखा गया हो । इंगलैण्ड के सहित हमारे बहुत से अन्य साथी देश हैं, जिनकी विस्तृत सूची मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ ।

Shri Shiva Chandra Jha : I am simply interested to know about the countries which have superseded India. After U.K., U.S.A., West Germany and France, India was the fifth and now it is the eighth country. Thus which are the three countries which have superseded India ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पहले हमारा पाचवां नम्बर था और अब हमारा आठवां नम्बर है । जो देश हमारे से आगे बढ़ गये हैं, उनका उल्लेख मैं कर ही चुका हूँ और जो देश हमारे साथ है उनका वर्णन करने के लिए मैं तैयार हूँ ।

श्री क० लकप्पा : कोटा निर्धारित करने के लिए कुछ पूर्वापेक्षाओं पर विचार किया जाता है । इसका एक आर्थिक खंड बैंकांक में कार्य कर रहा है जो भारत तथा एशिया के अन्य पिछड़े हुए देशों का सर्वेक्षण करता है । इसमें विभिन्न देशों के अधिकारी कार्य करते हैं । अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि इसके साथ जो हमारे अधिकारी कार्य करते हैं वे हमारी पूर्वापेक्षाएं निश्चित करने और भारत की इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के समक्ष आर्थिक स्थिति की व्याख्या करने में असमर्थ से हैं और इसीलिए भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में वृद्धि करवाने में असमर्थ रहे हैं और यदि हाँ, तो क्या मंत्री महोदय देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिक कोटा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सच्ची बात तो यह है कि मैं उनका प्रश्न ही नहीं समझ पाया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न को मुझे भी समझ नहीं आया । आपकी लम्बी चौड़ी भूमिका में ही आपका प्रश्न लुप्त हो गया है । आपका प्रश्न क्या है ?

श्री क० लकप्पा : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोटा निर्धारित करने के लिए कुछ

पूर्वापेक्षाएं होती है। प्रत्येक देश की आर्थिक आवश्यकताओं, संसाधनों और प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने के लिए उससे सम्बद्ध एक आर्थिक कक्ष होता है। किसी देश का कोटा निर्धारित करने के लिए इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। विभिन्न देशों के अधिकारी इसके साथ कार्य करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के विकास कार्य के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिक कोटा प्राप्त करने के लिए हमारे देश के अधिकारी अपने देश की आर्थिक स्थिति, संसाधनों और प्रति व्यक्ति आय आदि को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अब मैं उनका प्रश्न समझ गया हूं। उन्होंने कहा है कि हमारे अधिकारी आर्थिक खंड के समक्ष अपना मामला ठीक ढंग से प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। मेरे विचार से उनकी यह बात ठीक नहीं है। कोष से सम्बद्ध इस प्रकार के निर्णय कार्यकारी बोर्ड द्वारा किये जाते हैं। हमारे सभी अधिकारी आर्थिक पहलूओं पर विचार करते हैं। यदि कोई दोष है तो वह केवल सूत्र का है। हमने यह मामला कई बार उठाया है ताकि विकासशील देशों को उनका ठीक हिस्सा मिल सके। वह एक अलग बात है। परन्तु जहां तक सरकारी अधिकारियों का सम्बन्ध है वे अपने कर्तव्यपालन में कहीं असफल नहीं हुए हैं।

श्री रा० की० अमीन : मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें साधारण 25 प्रतिशत कोटा मिला है और हम अपने कोटे में विशिष्ट वृद्धि करवाने में असफल रहे हैं। क्या वह समझते हैं कि हमारे कोटों में जो भी वृद्धि हुई है उससे हमारे देश की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी, और यदि नहीं, तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूं कि इस 25 प्रतिशत कोटे से हमारी आवश्यकताऐं पूरी हो जायेंगी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात लोगों द्वारा विदेशी बैंकों में धन जमा कराना

\+

* 663. **श्री दे० अमात** : **श्री केदार नाथ सिंह** :
श्री रवि राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौदह वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् लोगों ने अपना धन विदेशी बैंकों में जमा करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी बैंकों में जमा राशियों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) विदेशी बैंकों में इस प्रकार धन जमा कराने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रकार उन बैंकों में धन जमा कराने को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). 18 जुलाई, 1969 और 13 नवम्बर, 1970 (अर्थात् वह सबसे हाल की तारीख, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं) के बीच की अवधि में भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों में जमा रकमें 483.5 करोड़ रुपये से बढ कर 548.6 करोड़ रुपये हो गई अर्थात् उनमें 13.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इसी अवधि में, चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा रकमें 2625.8 करोड़ रुपये से बढ़ कर 3140.9 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उनमें 515.1 करोड़ रुपये की या लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उक्त 69

सप्ताहों की अवधि में सरकारी क्षेत्र के सारे बैंकों (अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक और इसके 7 सहायक बैंकों तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों) की जमा रकमें 3884.8 करोड़ रुपये से बढ़ कर 4690.4 करोड़ रुपये हो गयीं अर्थात् इनमें 805.6 करोड़ रुपये की अथवा लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अनुसूचित बैंकों की समूची जमा रकमों में विदेशी बैंकों की जमा रकमों का हिस्सा, जो 18-7-69 को 10.4 प्रतिशत था, घट कर 13-11-70 को 9.8 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 83.2 प्रतिशत से बढ़कर 83.8 प्रतिशत हो गया । इसलिये यह कहना सही नहीं होगा कि विदेशी बैंकों में जमा रकमों में जो वृद्धि हुई है उससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों अथवा अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा की रकमों में होने वाली वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

भारत स्थित बिदेशी बैंकों द्वारा जमा खाते की राशियां बढ़ाने का प्रयास

● 64. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कार्य कर रहे ऐसे विदेशी बैंक जो पहले विदेशों से अतिरिक्त धन लाकर भारतीय आसामियों को ऋण के रूप में देते थे वे अब देश में अपनी जमा खातों में राशियां बढ़ा रहे हैं तथा उन्हें देश में स्थित विभिन्न विदेशी आसामियों को ऋण पर दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विदेशी बैंकों के आचरण में मूलभूत परिवर्तन को देखते हुए क्या सरकार उनका राष्ट्रीयकरण करने अथवा उन्हें बन्द किये जाने के औचित्य पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग). विदेशी बैंकों के काम के स्वरूप में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है । वे अपने कामकाज के लिए मुख्यतः भारत में जमा रकमों पर निर्भर रहते है और रिजर्व बैंक ने उनके लिए यह शर्त लगा रखी है कि यदि उनका ऋण जमा अनुपात एक निर्धारित सीमा से बढ़ जाता है तो उन्हें विदेशों से धन मंगवाना पड़ता है । विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की स्थिति पहले कई बार स्पष्ट की जा चुकी है ।

श्री दे० अमात : मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि परिसम्पतियों पर विचार किये बिना ही जिन विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया वे धन जमा कराने तथा लाकर सेवाओं के लिये और विशेष रूप से काला धन तथा अवैध विदेशी मुद्रा आदि के जमा कराने के लिये अधिक लोक प्रिय हो गये हैं ? यदि हां, तो इन बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में धन जमा करने की गति की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

दूसरे क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक अधिक अकुशल बन गये हैं, कर्मचारी अपने ग्राहकों के साथ सद व्यवहार नहीं करते और लोगों को अपने चैक भुनाने के लिए घंटो इन्तजार करना पडता है और इसी लिए अधिक लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों में धन जमा करवाने की अपेक्षा अन्य बैंकों को प्राथमिकता देते है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : प्रथम प्रश्न के लिये मेरा उत्तर है नहीं। यही बात मैंने अपने उत्तर में भी कही है कि यह कहना गलत है कि विदेशी बैंकों में धन जमा करवाने में एकाएक वृद्धि हुई है। यह केवल इसलिए नही हुआ कि अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है या उनकी कार्य कुशलता अधिक है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में कुछ शिकायतें अवश्य हो सकती हैं जिन पर बाद में विचार किया जा सकता है, परन्तु मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की तुलना उचित नहीं है।

Shri Hardayal Devgun : It has been stated by the Hon. Minister that there has been an increase of 65 crores in the deposits of Foreign Banks from 18th July to 13th November. He has further stated that the deposits of country banks have further increased. I would like to know how much money has been deposited by Foreign Companies in these banks and how much money of indigenous companies from indigenous resources has been deposited in Foreign Banks ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अपने उत्तर में यह सूचना पहले ही दे चुका हूँ कि विदेशी बैंकों में जो जमा धन राशि हैं वह मुख्यतः स्थानीय ही होती है।

श्री लोबो प्रभु खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : मैं जरा दूसरे पक्ष के सदस्यों को भी अवसर दे दूं।

श्री एस० एम० जोशी,

Shri S. M. Joshi : It has been stated by the Hon. Minister that the deposits of country banks have increased as compared to the deposits of Foreign Banks. Savings can be divided into two parts. First is that either people can purchase shares or they can keep their savings in the Banks as deposits. I would like to know the share of investment in the increase of deposits as stated by the Minister ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जमा धन राशि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रायः शेयरों के लिए बैंक अग्रिम धन राशि दे देते हैं परन्तु शेयरों का निवेश अन्य संस्था द्वारा किया जाता है।

Shri Tulshidas Jadhav : It has been stated by him that there has been an increase of one crores of rupees in the deposits after the nationalisation of banks. Loans are granted to the people from the same amount. Has the Government made an announcement or issued some orders that with the increase in deposits, grant of loans should also be increased ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हो गया ? यह प्रश्न तो निधियों को विदेशी बैंकों में जमा करवाने के बारे में है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वृद्धि में से स्वभावतः कुछ देना ही पड़ता है। वैसे भी हम जमाराशि को उपेक्षित क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत होंगे कि जब बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम पर चर्चा की जा रही थी तो संसद के प्रगतिशील सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह मांग की थी कि भारतीय एकाधिकारियों द्वारा निधियों को विदेशी बैंकों में जमा करवाने को रोकने के लिए तथा देश के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए

सरकार विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने या न करने के बारे में दृढ़ और अन्तिम निश्चय कर लिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार पहले ही कई बार सदन में स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। और आज मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ। सरकार का विचार इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियों पर 'मार्गीय-सुविधा-प्रभार' का लगाया जाना

*668. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा मार्गों पर स्थिति कुछ देश, उन देशों से मार्गीय-सुविधा प्रभार (एनरूट फैसिलिटी चार्जेज) वसूल करते हैं जिनके विमान उनके राज्य-क्षेत्र से होकर गुजरते हैं;

(ख) क्या भारत भी ऐसी सेवाओं के लिये एनरूट फैसिलिटी चार्जेज ले अथवा दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में लिए जाने अथवा दिये जाने वाले एनरूट फैसिलिटी चार्जेज कितने कितने हैं और क्या हाल ही में हुए एशियाई तथा दक्षिण प्रशान्त देशों के असैनिक उड्डयन के निदेशकों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ऐसे प्रभार नहीं लगाता है। परन्तु एयर-इण्डिया को उन विदेशों के ऊपर से उड़ान करने पर, जिन के द्वारा ऐसे सेवा प्रभार लिये जाते हैं, ऐसे प्रभार अदा करने पड़ते हैं।

(ग) एयर-इंडिया द्वारा जिन देशों के ऊपर से उड़ान की जाती है उनके संबन्ध में अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखी गई है। नवम्बर, 1970 में नई दिल्ली में हुई एशियाई एवं दक्षिण प्रशान्त सागरीय देशों के नागर विमानन के निदेशकों की बैठक में "विमान क्षेत्रों की वित्त-व्यवस्थाओं" के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श हुआ, परन्तु इस बैठक के दौरान मार्ग दिक्चालन सेवा प्रभारों के बारे में विशेष रूप से कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ।

विवरण

एयर-इंडिया द्वारा जिन देशों के ऊपर से उड़ान की जाती है उनके द्वारा ली जाने वाली मार्ग दिक्चालन सेवा प्रभार की प्रति उड़ान प्रभार-दर रुपयों में।

देश	दर प्रति उड़ान (रुपयों में)
	रु०
1	2
1. सीरिया	234.37
2. निकोसिया	70.20
3. टर्की	157.50

1		2
4.	ईराक	509.88
5.	बर्मा	157.50
6.	इथोपिया	990.00
7.	अफगानिस्तान	187.00
		176.50
8.	कैनेडा	208.12
9.	युगोस्लाविया	667.20

श्री सु०कु० तापड़िया : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन ऊपरी उड़ानों पर कर लगाने में कोई पारस्परिकता की पद्धति अपनाई जाती है ? जो सूची दी गई है उससे पता चलता है कि ये हवाई अड्डे अधिकतर मध्य-पूर्वी देशों के हैं और शायद उनकी हवाई उड़ानें और उनकी हवाई सेवाएं भारतीय प्रदेश के ऊपर से उड़ानें नहीं करतीं। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई पारस्परिकता की पद्धति विद्यमान है या कोई ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी है जिसके अनुसार यदि एक देश ऊपरी-उड़ानों पर कर लगाता है तो दूसरा देश भी ऊपरी-उड़ानों के लिए उस देश पर कर लगा सकता है।

डा० कर्ण सिंह : यह आवश्यक नहीं कि कोई पारस्परिकता पद्धति विद्यमान हो। प्रत्येक देश द्वारा यह कर लगाये जाते हैं। ऊपरी-उड़ानों का प्रश्न वास्तव में ऐसा विषय है जो देशों के बीच आपसी निर्णय पर छोड़ा हुआ है। हमारा देश बहुत बड़ा होने के कारण हमारे देश पर से बहुत सी ऊपरी-उड़ानें होती हैं। हमने इस विषय पर विचार किया है और अभी तक हमारा ऐसा विचार रहा है। यह बहुत उपयोगी नहीं भी हो सकता है। दूसरी ओर, इस सम्बन्ध में धन वसूल करना बड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि भारत के ऊपर से उड़ान करने वाली बहुत सी हवाई कम्पनियों के कार्यालय भारत में नहीं हैं। परन्तु, इतना मैं कह सकता हूँ कि यह एक ऐसा विषय है जिस का निरन्तर पुनरावलोकन किया जाता है। जब भी हम ऐसा करना उपयोगी समझें हम तभी ऐसे कदम उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरी प्रार्थना का आज कुछ प्रभाव हुआ है।

उड़ीसा के कोर्णाक मन्दिर की जीर्णावस्था

*669 **श्री स० कुन्दू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा का कोर्णाक मन्दिर तेजी से जीर्ण होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और क्या उसे जीर्ण होने से बचाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। सरकार को कोर्णाक मन्दिर की जीर्णावस्था का पूरा पता है।

(ख) और (ग) . कोर्णाक मन्दिर के परिरक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिए, सरकार ने परिरक्षण के बारे में परामर्श देने , शैल विघटन के कारणों को निर्धारित करने तथा सुधारने के लिए उपाय सुझाने के हेतु 1950 में एक विशेष समिति नियुक्त की थी। जबकि समिति की अधिकांश सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं; रासायनिक परिरक्षण से सम्बन्धित कार्य अभी चल रहा है। इस कार्य को भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए यथासम्भव सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री स० कुन्दू : कोर्णाक मन्दिर न केवल भारत के अपितु संसार भर के सबसे सुन्दर मन्दिरों में से एक हैं। परन्तु बड़ी तेजी से इसकी सुन्दर मूर्तियों की अवस्था में गिरावट आ रही है और वे तबाह हो रही हैं और माननीय मंत्री द्वारा भी यह सब स्वीकार किया गया है परन्तु उत्तर की सबसे दुख जनक बात यह है कि 1950 में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों के भाग का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है और 1970 में भी अभी उन्हें कार्यान्वित किया जाना है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि क्या वे एक दल कोर्णाक भेजेंगे और इन सुन्दर मूर्तियों को जो सम्पूर्णतः विनाश हो रहा है, बचायेंगे और क्या वे 1950 में गठित समिति की सामान्य सिफारिशों तक ही सीमित नहीं रहेंगे और तत्काल एक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और सभी सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित करेंगें ?

श्री भक्त दर्शन : जैसा की मैंने पहले बताया है लगभग सभी सिफारिशों का कार्यान्वयन हो चुका है। केवल एक का कार्यान्वयन बाकी है और वह सिफारिश रासायनिक परिरक्षण के सम्बन्ध में है। वास्तव में मुझे बहुत ही दुख है कि सब प्रयत्नों के बावजूद हमारे पुरात्तत्व रसायन शास्त्री ऐसे किसी रसायनिक घोल को नहीं ढूंढ सके जो लाभदायक सिद्ध हो सके। अब उन्होंने एक चिपचिपे घोल की सिफारिश की है और इसे प्रयोग करने का निर्णय ले लिया गया है। जहां तक दूसरे सुझाव का सम्बन्ध है मैं इस विषय की फिर से जांच करने के लिए तत्काल एक अधिकारी भेजूंगा और तब हम आगे कार्यवाई करेंगे।

श्री स० कुन्दू : माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहूँगा कि .....

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बार यह आवश्यक नहीं कि दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछा जाये। उदाहरण तथा जानकारी पहिले ही पर्याप्त थी तब श्री सु० कु० तापड़िया ने दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

श्री स० कुन्दू : मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। क्या सरकार को इस बात का पता है कि क्या उड़ीसा के कुछ कलाकारों द्वारा निर्मित उसी प्रकार की मूर्तियों को पुरानी मूर्तियों के स्थान पर लगाने की अपेक्षा पुरात्तत्व विभाग उनके स्थानों की पूर्ति केवल शिलाखण्डों से करना चाहता है और यदि हां तो क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि वहां उसी प्रकार की मूर्ति स्थापित की जायेगी ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि पुरात्तत्व विभाग वहां पर सौ-ए-लुमियेर का आयोजन करना चाहता था और उन्होंने पर्यटक विभाग को इसके लिए अनुमति नहीं दी परन्तु स्वयं भी अभी तक उन्होंने यह आयोजन वहां नहीं किया है ? यदि हां, तो इसके अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं और कब तक यह आयोजन किया जायेगा ?

श्री भक्त दर्शन : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबन्ध है यह तो कार्यवाई के लिए सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जीर्णावस्था को रोकने संबंधी प्रश्न से सौं-ए-लुमियेर तक आ पहुँचे हैं।

श्री स० कुन्दू : यह पुरात्तत्व विभाग से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु माननीय सदस्य को मुख्य प्रश्न की सीमा को भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री भक्त दर्शन : प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं। परन्तु हम इसकी जांच करवाएंगे।

कूच बिहार हवाई अड्डे का स्थायी स्टेशन के रूप में घोषित किया जाना

*671. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार हवाई अड्डे को इन्डियन एयरलाइन्स के स्थायी स्टेशन के रूप में घोषित कर दिया गया है और उसकी मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) इन्डियन एयरलाइन्स कूच-बिहार के लिए नियमित विमान सेवाओं का परिचालन कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मेरा प्रश्न तो बहुत सीधा था। मैंने यह जानना चाहा था कि क्या कूच-बिहार हवाई-अड्डे को इण्डियन एयर लाइन्स का स्थायी स्टेशन घोषित किया गया था परन्तु माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि इण्डियन एयर लाइन्स कूच-बिहार के लिए नियमित विमान सेवाओं का परिचालन कर रही है। इससे मुझे एक कहानी याद आती है, किसी मनुष्य को एक वस्तु दिखा कर यह पूछा गया कि वह सिर है या पूंछ और उसने उत्तर दिया कि वह अंग है। मैंने तो यह पूछा था कि क्या कूच-बिहार स्थायी स्टेशन है परन्तु माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि इण्डियन एयर लाइन्स कूच-बिहार के लिए हवाई सेवाओं का परिचालन कर रही है। क्या प्रश्न और माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में कोई संबंध है ? अत: मेरा प्रश्न तो उसी प्रकार है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहूँगा कि क्या कूच-बिहार स्टेशन को इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन का स्थायी स्टेशन माना गया है ?

डा० कर्ण सिंह : हां, जब इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा वहां के लिए हवाई सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है तो इससे सुस्पष्ट है कि यह स्थायी स्टेशन ही होगा। अन्यथा वह परिचालन नहीं कर पायेंगे। मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य दोनों वक्तव्यों में सम्बन्ध स्थापित कर लेंगे। यदि मुख्य उत्तर स्पष्ट नहीं था तो मुझे दुख है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या कोई ऐसे भी हवाई अड्डे हैं जहां से इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन परिचालन तो कर रहा है परन्तु जिन्हें स्थायी स्टेशन नहीं माना जाता ? अब माननीय मंत्री के वक्तव्य के आधार पर मेरा अनुमान है कि क्योंकि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन विमान सेवाओं का परिचालन कर रही है अतः यह

एक स्थायी स्टेशन है। मेरा प्रश्न अब इस प्रकार है। क्या मैं जान सकता हूँ कि जो सुविधाएं स्थायी हवाई अड्डों को प्रदान की जाती है वह सब कूच-बिहार हवाई अड्डे को भी प्रदान की जा रही हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

डा० कर्ण सिंह : मेरे विचार से 'स्थायी' शब्द के सम्बन्ध में कुछ भ्रम है। जहां तक मैं जानता हूँ स्थायी अथवा अस्थायी स्टेशन का कोई प्रश्न नहीं है । यदि वहां पर कोई हवाई अड्डा है तो जब तक वह हवाई अड्डा वहां पर है तब तक वह स्थायी स्टेशन है । विभिन्न हवाई-अड्डों पर दी जा रही सुविधाओं में अन्तर है, किन्हीं स्थानों पर वह अधिक है और किन्हीं स्थानों पर कम हैं। इस समय कूच-बिहार हवाई अड्डे पर एच० एस० 748 अथवा 'फोकर' हवाई जहाजों के उतरने का प्रबन्ध नहीं है इस पर केवल डकोटा जहाज ही उतर सकते हैं। इस पर डी० सी० 3 जहाज उतर रहे हैं और यह हवाई अड्डा इन्हीं सुविधाओं से मुक्त है । यथासमय हम संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कूच-बिहार हवाई अड्डे पर अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन को व रास्ता माल्दा और बलूरहाट के कूच-बिहार के लिए हवाई सेवाओं का परिचालन करने का बारम्बार अनुरोध किया गया है ? यदि हां, क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई निर्णय किया है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य सहित कई व्यक्तियों से हमें समय-समय पर इस सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर विचार किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित मध्यवर्ती स्टेशनों पर अभी न तो जहाज उतरने के प्रबन्ध हो सकते हैं और न ही वहां के लिए अपेक्षित यातायात है। परन्तु हम प्रयत्न कर रहे हैं और इसे ध्यान में रखेंगे। यदि हम इस पूर्वी क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार कर सके तो हम उसके लिए हर संभव उपाय करेंगे।

हावड़ा बांध घाट मार्ग पर कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी की ट्राम सेवा का बन्द किया जाना

* 672. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने, कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी की हावड़ा बांधाघाट ट्राम सेवा को समाप्त करने का निर्णय लेने से पूर्व ट्रामवे मजदूर संघों से परामर्श किया था, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो उन संघों के मत तथा सुझाव क्या थे;

(ग) किस परिस्थितियों में सरकार को उक्त निर्णय करना पड़ा था और पश्चिम बंगाल सरकार तथा ट्रामवे कर्मचारियों के संघों के बीच हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(घ) हावड़ा-बांधाघाट सैक्शन की नवीनतम स्थिति क्या है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस अनुभाग के बन्द हो जाने से जो व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे, क्या सरकार उनको वैकल्पिक रोजगार देने के बारे में विचार कर रही है, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री इकबाल सिंह : हमें इस बात का पता नहीं है कि कितने व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे। उचित समय आने पर आप दूसरे पहलूओं पर विचार किया जायगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार के पास पश्चिम बंगाल के लिए टेलेक्स और सेक्राफोन सुविधा उपलब्ध है। 10 दिन के नोटिस पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसा दृष्टिकोण खेद का विषय है।

क्या सरकार ने कलकत्ता ट्रामवे खरीदने के लिए इनके मालिक ब्रिटिश कम्पनी से बातचीत की है ? यदि हां तो इस समय बातचीत किस स्तर पर है और इसे खरीदने के लिए कितना मूल्य देना होगा।

श्री इकबाल सिंह : इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

* 674. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन तथा भत्ते देने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को, कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी कुल राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : आपको धन्यवाद देता हूँ, यह मेरा अनुपूरक प्रश्न समझिये।

हाल ही में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के बढ़े हुये वेतन तथा मंहगाई भत्तों को पूरा करने के लिए धन राशि व्यय की है ; इस उद्देश्य के लिए आपेक्षित धनराशि का कुछ भाग केन्द्र ने पूरा किया है और उन्होंने 67 करोड़ की धनराशि देने का आश्वासन दिया है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार की 180 करोड़ रुपये की मांग में वे दूसरे उपाय भी सम्मिलित हैं जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश निवासियों को समृद्ध बनाया जा सकता है। इस मांग का सम्बन्ध केवल राज्य कर्मचारियों से ही नहीं है बल्कि अन्य दूसरे लोगों से भी है। इस संबंध में क्या उत्तर प्रदेश सरकार को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह प्रश्न विशेषतया उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध से सम्बद्ध है जिसमें राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए केन्द्र से आर्थिक सहायता की मांग की गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने केन्द्र से कुल 52 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है, जिसमें विशेष रूप से 31 करोड़ रुपये राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने के लिए मांगे गये हैं। वित्त मंत्री के एक उत्तर में मुख्यमंत्री को स्पष्ट कर दिया गया है कि जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों का संबंध है उसका कोई भी दायित्व नहीं है, और यदि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों से वृद्धि करना चाहती है तो उसे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने राज्य में ही संसाधन ढूंढने होंगे अथवा संसाधन जुटाने होंगे। केन्द्र सरकार इस प्रकार की सहायता के लिए किसी भी स्थिति में अपने पर दायित्व लेने के लिये तैयार नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : दुर्भाग्य से राज्य सरकार के पास नासिक प्रिंटिंग प्रेस जैसी कोई सुविधा नहीं है। यह सुविधा केन्द्र को ही उपलब्ध है।

क्या यह सच है कि मुख्यमंत्री कुछ करों को जैसे व्यवसाय कर, जिसके विषय में सभी वर्गों के लोगों ने आपत्ति उठाई है। समाप्त करना चाहते थे, और इस कर समाप्ति के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ धनराशि प्राप्त करने की मांगे की थी। मुख्यमंत्री के पत्र का संदर्भ दिया गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि पत्र में जो अनुरोध किया गया है क्या वह सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों के वेतन बढ़ाने, व्यवसाय कर समाप्त करने और कुछ सीमा तक भूमि से लगान समाप्त करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए किया गया है, यदि यह सच है, तो केन्द्रीय सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में राज्य सरकार द्वारा कर लगाने, न लगाने के मामलों से केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि वे जोत की किसी सीमा पर लगान कम करना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में उन्हें केन्द्र सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें अपने विधान मंडलों से परामर्श करना चाहिए और इस सम्बंध में उन्हें स्वयं ही निर्णय करना है। अतः यह कारण कि उन्हें अपने संसाधन घटाने है, कुछ करों को समाप्त करना है इससे उनका अपना-पक्ष दुर्बल होता है। यदि ऐसे क्षेत्रों के लिए धनराशि की मांग की गई होती जिनके लिये केन्द्र सरकार सहायता प्रदान कर सकती है तो निश्चय ही मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया होता। यह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके लिए उत्तर प्रदेश या अन्य किसी और राज्य को सहायता दी जा सके।

Shri Chandrika Prasad : The HON. Minister has just now said that the increase in salaries and allowances of the State Government employees is the concern of the State Government. This is correct, but in U. P. there are certain special problems like erosion due to floods in Ganges and in Ghaghara, Tubewells are not working due to shortage of power supply. These matters are pending since long. I would like to know whether the Central Government would provide any assistance to Uttar Pradesh regarding the matters above ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न से इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to know from the Hon. Minister whether the Central Government keeps in view the State Government's while effecting an increase in salaries or giving interim relief to the Central Government employees because it provides an impetus to State Government employees also to raise their demands ?

It is only U. P. which has demanded such increase at present, there would be other states also making similar demands in future. What is the remedy the Government has decided to accept ? My second question is whether other States have also made such a demand and whether some sort of assistance has been given to other States, and if so, why not to U. P. ?

Shri Vidya Charan Shukla : The salaries and allowances of State Government employees differ with each other and with those of Central Government employees. If the Central Government makes an increase or decrease in salaries it needs no consaltation with State Governments. If there had been a parity in the scales, then consultations with State Governments would have been necessary. When the scales of Government employees differ between Centre and the State and from state to state, then no consultations with the State Governments are necessary.

As regards the other part, Kerala Government had made such a demand, and the Centre has refused them too.

Shri Ram Sewak Yadav : The question of raising salaries and allowances, irrespective of the fact that it is for the Centre or for the States, is mainly concerned with rise in prices and the Central Government is competant to check them. The Government has not been successful in checking the price rise. When the Government, in view of the rise in prices, increases the allowances of Central Government employees, then why does they shudder in taking the responsibility of increasing salaries and allowances of State Government employees on their demand because of high prices ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, Sir, the question has been represented in another form. This is not the question as to whose responsibility is this ?

Shri Ram Sewak Yadav : My question is that the demand of increase in salaries and allowances arises out of the high prices due to rise in prices,

Shri Vidya Charan Shukla : I am only telling as to who is responsible for meeting the funds. I have said that the responsibility rests with State Governments The question is as to who is responsible for the payment of salaries and allowances ? Who is responsible for high prices ; has not been asked ?...**(interruptions)**

Shri Ram Sewak Yadav : The demand of increase in D. A. arises out of the rise in prices and the State Governments are not responsible for the increase and decrease in the prices.

Shri Vidya Charan Shukla : It may be D. A. or any other allowance, the responsibility in repect thereof will be of the Government to which the employees are serving and the Government will have to dischange its responsibility successfully.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, Sir, why should States suffer for the increase in prices occurred due to the centre ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह कहना ठीक हैं कि इस क्षेत्र की ओर ध्यान देने की जिम्मेदारी राजकोष की है । परन्तु राज्य सरकार के साधन क्योंकि कम होते हैं अतः उत्तर प्रदेश को चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में अन्य राज्यों की अपेक्षा कितनी राशि दी गई है...

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : विकास कार्यों के लिये संसाधन जुटाने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। यदि उनको केन्द्र से अपर्याप्त सहायता नहीं मिली है तो केन्द्र द्वारा सहायता की राशि क्यों नहीं बढ़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मामले में यह भेद भाव क्यों दिया जा रहा है ? चौथी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के लिये जो धन राशि नियत की गई है उससे कहीं अधिक नियत की जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वेतन से सम्बन्धित है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय प्रश्न की संगत को समझ गये होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संगत है कि नहीं इसका निर्णय मुझे करना है। प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिये केन्द्र से आर्थिक सहायता की माँग की है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरा प्रश्न मूल प्रश्न से असंगत नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान राजकोष से सम्बन्धित है और राजकोष को केन्द्र से अधिक सहायता दी जानी चाहिए यह प्रश्न से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी सहिता के कथन का खंडन नही कर सकता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि माननीय सदस्य श्री बनर्जी ने कहा है राज्य सरकार कुछ करों को समाप्त करने पर विचार कर रही है, उन्होंने भूमि की कुछ श्रेणियों पर लगान नही लगाया है तथा लगान की राशि कम कर दी है और इस पर चौथी योजना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य राजस्व की स्थिति को ध्यान में रख कर विचार किया गया है और विभिन्न राज्योंको इस योजना के अन्तर्गत जो सहायता दी गई है वह सर्व विदित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बारे में विशेष बल दिया गया है और विशेषतया उन्हीं भागों के विकास के लिये सहायता दी गई थी। जहां उत्तर प्रदेश के संसाधनों से प्राप्त आपको ध्यान में रखते हुऐ सहायता प्रदान करने का प्रश्न है, केन्द्र उसके लिये कहां तक सहायता प्रदान कर सकता है, इस सबका उत्तर इस प्रश्न के संदर्भ में नही दिया जा सकता है।

Shri Maharaj Singh Bharti : Mr. Speaker. Sir, Is it a fact that the Uttar Pradesh Government has sought central assistance to raise the salaries and allowances of its employees for the reason that their Roadways which were running previously in profit are now going in loss, and their irrigation department whioh was providing a profit of Rs. 5 crores is now running in deficit of Rs. 25 crores ? If so, I think they have committed some technical mistake. Instead of asking to raise salaries and allowances, they should have sought financial assistance to compensate their liquidating resources. Having this position inview. Will the Central Government try to extend financial assistance so that their deficits might be recoupped ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have just now stated that Centre is not responsible to make good the states deficits. The State might have suffered such losses, as the Hon. Member has said but I have got no such information at present. Therefore, I can not positively say anything about such losses. The Hon. Member might be knowing better about it since be hails from Uttar Pradesh.

They had sought central assitance on the plea that their resources are not sufficient to meet this expenditure but we have expressed our inability to meet this requirement.

ब्रिटेन द्वारा भारतीय कपडे का आयात

*681 **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने निकोसिया में राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या ब्रिटेन द्वारा भारतीय कपड़े पर लगाये गये प्रतिबन्धों का प्रश्न सम्मेलन में उठाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में द्विपक्षीय हितों के मामलों पर विशेष रूप से बातचीत नहीं की जाती । फिर भी, बात चीत के दौरान मैंने यह अवश्य बताया था कि विकसित देशों के बाजारों में विकास शील देशों में बने माल को बे रोक-टोक जाने और प्राथमिकता देने की दिशा में प्रगति होने की बजाय हमें ब्रिटेन के बाजार में कपड़े जैसी महत्वपूर्ण वस्तु पर, भेद-भाव पूर्ण तरीके से शुल्क लगाने की धमकी दी गयी है ।

Shri Beni Shankar Sharma : Mr. Speaker, Sir, will the HON. Minister be pleased to state the quantity of the cloth exported to U. K. from India ? The cloth manufactured in India is of two types--one is, manufactured by Mills and the other by handloom industry. I would like to know the quantity of each type of cloth out of the total export made.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न केवल यह था कि क्या ब्रिटेन द्वारा लगायी गई रोक की बात उठायी गई थी ? मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है "नहीं" ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न की सूचना दी जानी चाहिए थी ।

अध्यक्ष महोदय : हां मेरे विचार से इस प्रश्न के लिए सूचना की आवश्यकता है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : What is the quantity of Handloom Cloth out of the total export ?

Mr. Speaker : Please see the question first .

Shri Hukam Chand Kachwai : I know about the question, let me say what I want to say.

Mr. Speaker : You have not seen the question. You, kindly, sit down. If you dont know about it then ask next time.

श्री एस० आर० दामानी खडे हुये—

अध्यक्ष महोदय : बिना संदर्भ के आप क्या पूछना चाहते हैं :

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कलकत्ता में आने वाले विदेशी पर्यटक

*682. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में हाल ही में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कलकत्ता की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में हाल ही के वर्षों में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सरदार अमजद अली : यह अच्छी बात है कि हाल के वर्षों में कलकत्ता आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी नहीं हुई है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी संख्या में वृद्धि हुई है कि नहीं, क्योंकि कलकत्ते में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति का प्रचार समाचार पत्रों में देश में ही नही हुआ है बल्कि विदेशों में भी हुआ है। क्या मंत्री महोदय का यह विचार है कि कलकत्ते में जैसे ही कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी वैसे ही वहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो जायगी।

डा० कर्ण सिंह : मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध है उनके अनुसार वह 1968 में 21,000 पर्यटक आये; 1969 में, 26000। इस वर्ष संख्या में कुछ और वृद्धि हुई है परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलकत्ते की स्थिति पर्यटकों के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। यदि स्थिति में सुधार होता है, तो निश्चय ही कलकत्ते में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने 10 प्रश्न पूरे कर लिये हैं।

शोलापुर तक विमान सेवा का विस्तार

*687 **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे नगरों तक विमान-सेवा का विस्तार करने अथवा नये मार्गों पर विमान सेवा आरम्भ करने के सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति क्या है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए कोई योजना बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि शोलापुर के नागरिकों ने उस नगर को विमान-सेवा से जोड़ने के लिए कई अभ्यावेदन दिये हैं, और यदि हां, तो ये अभ्यावेदन कब से दिये जा रहे हैं ; और

(घ) इस नगर तक विमान सेवा का विस्तार अब तक न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इंडियन

एयरलाइन्स ने सात बोइंग 737 विमानों के लिये आदेश दे दिये हैं और इनका वितरण अप्रैल, 1971 तक पूरा हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेशन ने दस एच० एस०-748 विमानों के आदेश दे दिये हैं, जिनका वितरण 1971 की पिछली छमाही के दौरान प्रारम्भ हो जाने की आशा है। बोइंग विमान प्राप्त हो जाने पर, मुख्य एवं अधिक यातायात वाले क्षेत्रीय मार्गों पर अतिरिक्त धारिता की व्यवस्था की जायेगी; एच० एस०-748 विमानों को क्षेत्रीय मार्गों पर धारित में अभिवृद्धि करने के काम में लाया जायेगा तथा डकोटा सेवाओं के स्थान पर भी इनका प्रयोग प्रारम्भ किया जायेगा। जब कभी संभव होगा नयी सेवाओं पर विचार किया जायेगा।

(ग) शोलापुर को विमान सेवा से जोड़ने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रतिवेदन आते रहे हैं।

(घ) इस तथ्य के अलावा कि शोलापुर में विमान यातायात की संभाव्यता सीमित है, वहां का विमानक्षेत्र इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में उपलब्ध विमानों के परिचालन के लिये उपयुक्त नहीं है।

श्री एस० आर० दामानी : प्रश्न के भाग (क) में यह पूछा गया है कि छोटे नगरों तक विमान सेवा का विस्तार करने अथवा नये मार्गों पर विमान सेवा आरम्भ करने के सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति क्या है" इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। हमारी सरकार की नीति यह है कि उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से छोटे शहरों में उद्योगों की स्थापना की जाय। इसलिए मैंने सोद्देश्य यह बात पूछी है कि छोटे शहरों में वायूयान सेवा उपलब्ध करने के लिए क्या नीति अपनाई गई है। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। उत्तर से यह ... ...

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसका उत्तर चाहते हैं तो अब आप शान्त हो जायें, नही तो मैं प्रश्न काल के समाप्त होने की घोषणा करता हूँ।

डा० कर्ण सिंह : नीति स्पष्ट है, अर्थात् जहां कहीं के लिए विस्तार संभव है और आर्थिक रूप से उचित है और जहां पर सुविधायें उपलब्ध हैं, हम वायुयान सेवाओं का विस्तार करेंगे। अतः वायुयानों की उपलब्धता तथा अन्य सुविधाओं के दृष्टि में रखते हुए हम यह विस्तार करना चाहते हैं

श्री एस० आर० दामानी : गत वर्ष कितनी नई सेवायें आरम्भ की गयीं।

डा० कर्ण सिंह : मुझे यह पता नहीं कि छोटे शहर की परिभाषा क्या है। इतना अवश्य है कि हमने हाल में ही दो या तीन सेवायें आरम्भ की है। और शीघ्र ही गयां तथा ग्वालियर के लिए सेवायें उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने पिछला रिकार्ड तोड़ दिया है। हमने 11 प्रश्न लिए है। हमने प्रश्न सूची लगभग पूरी करली है।

कुछ माननीय सदस्य खडे हुए—

अध्यक्ष महोदय : समय पूरा हो चुका है, अब हम अगली मद पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय रिजर्व बैंक के सुचारु कार्यकरण के सम्बन्ध में प्रशासन सुधार आयोग का सुझाव

668. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन सुधार आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के सुचारु कार्यकरण के लिए कुछ सुझाव दिये हैं; और

(ख) सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . भारतीय रिज़र्व बैंक के काम-काज के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

पर्यटन उद्योग के विकास के लिए भारत को जापानी सहायता

* 665. **श्री अदिचन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समान भारत को भी पर्यटन उद्योग का विकास करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन विकास के किन किन विशिष्ट क्षेत्रों के लिए इस सहायता का प्रस्ताव किया गया है; तथा कितनी सहायता का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव के अधीन हिमालय पहाड़ की ऊँचाई पर एक पर्यटक होटल के निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में कितनी जापानी सहायता का प्रस्ताव किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जापान सरकार द्वारा पर्यटन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में, जोकि जापान में प्रति वर्ष कोलम्बो प्लान के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है, भारत को एक स्थान प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त अपने पर्यटन उद्योग के विकास के लिये हमें जापान से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है, और न ही हमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को इस सम्बन्ध में जापान द्वारा प्रदान की गई सहायता की कोई जानकारी है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वार्षिक योजना के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता

*666. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें वार्षिक योजना की क्रियान्विति के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) . चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों के क्षेत्र की वार्षिक आयोजना के लिये स्वीकृत 1169 करोड़ रुपये के परिव्यय में राज्यों से उनके द्वारा अपने साधनों से 534 करोड़ रुपया जुटाये जाने की अपेक्षा की गयी है और बाकी रकम केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जायगी । इस बात का पता वर्ष के बाद चलेगा कि राज्य आशा के अनुसार पूरी तरह से साधन जुटा सकेंगे या नहीं । इस समय प्रत्येक राज्य के साधनों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है ।

'यूनेस्को' द्वारा वास्तुशिल्प स्मारकों का सर्वेक्षण

*667. **श्री मंगलायुमाडम** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने वास्तुशिल्प स्मारकों का, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) मिशन द्वारा 1966 के पश्चात अध्ययन तथा सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) इस संयुक्त राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा भारत के प्राचीनकाल के अद्वितीय स्मारकों, विशेषत: दक्षिणी क्षेत्र के स्मारकों के नवीकरण के लिये कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) उक्त मिशन द्वारा इस संबंध में किये गये सर्वेक्षणों तथा अन्य कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) एक मन्दिर का अध्ययन और सर्वेक्षण कर लिया गया है और दूसरे का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) तमिल नाडु के दो मन्दिरों के लिए, 12,000 डालर मूल्य के उपस्कर के साथ साथ, तीन विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध की गई है ।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन ने 1967 और 1968 (दो कैलेंडर वर्षों) में श्री रंगनाथ स्वामी मन्दिर श्री रंगम, के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिये सलाह देने के हेतु 12,000 डालर मूल्य के उपस्करों के साथ-साथ, दो विदेशी विशेषज्ञों (एक वस्तुविद पुनरुद्धारक और एक कला इतिहासकार) की सेवाएं लगभग चार मास की कुल अवधि के लिये उपलब्ध की थी । 1970 के दौरान, स० रा० शि० वि० सा० स० ने, श्री रामानाथस्वामी मन्दिर, रामेश्वरम के परिरक्षण और पुनरुद्धार के हेतु सलाह देने के लिये, एक विशेषज्ञ (वास्तुविद) की सेवाएं प्रदान की है । आशा है कि इस मन्दिर के लिये, उक्त संगठन द्वारा एक और विशेषज्ञ तथा 12,000 डालर मूल्य के उपस्करों की व्यवस्था की जाएगी :

श्री रंगम मन्दिर :

श्री रंगम मन्दिर का सर्वेक्षण करने वाले दो विशेषज्ञों में से एक ने, एक सचित्र पुस्तिका तैयार की है जिसे स० रा० शि० वि० सा० स० ने प्रकाशित किया है, जिसमें मन्दिर का विस्तृत विवरण और उसका ऐतिहासिक ब्यौरा तथा इस क्षेत्र के इतिहास की पृष्ठभूमि में शताब्दियों से चले आ रहे इसके प्रशासन और वर्तमान समाज में इसकी सजीव भूमिका दी गई है । दूसरे विशेषज्ञ ने, इसी मन्दिर का सर्वेक्षण किया था और इसके पुनरुद्धार और परिरक्षण के लिये मई, 1969 में ब्यौरेवार प्रस्ताव तैयार किये थे । उसमें स्तम्भों को साफ करने और सीमेंट की ढली टीप तथा दीवारों से अन्य विरुपण हटाने तथा बाहरी प्लास्टर को साफ करने के लिये परिक्षण कार्य किये थे । विशेषज्ञ द्वारा की गई सिफारिशों का संक्षेप अनुबन्ध में दिया गया है ।

रामेश्वर मन्दिर :

रामेश्वर स्थित रामानाथस्वामी मन्दिर पर कार्य कर रहे विशेषज्ञ की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

अब तक किया गया कार्य :

स० रा० शि० वि० सा० स० के विशेषज्ञों द्वारा दिये गये प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुये, वास्तविक पुनरुद्धार कार्य की जिम्मेदारी मन्दिर प्राधिकारियो और राज्य सरकार की है । इनमें से कोई भी मन्दिर, भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के अधीन, संरक्षित स्मारक नहीं है । श्री रंगम मन्दिर सम्बन्धी अब तक किये गये पुनरुद्धार कार्य की रिपोर्ट, तमिलनाडु सरकार से मांगी गई है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री रंगम मन्दिर पर श्री जो० आर० एच० राईट की सिफारिशों का सारांश

1. यह स्पष्ट नहीं है कि प्राचीन स्मारकों के लिये पश्चिमी परिरक्षण और पुनरुद्धार में व्यक्त होने वाले सामयिक विचार और आदर्श दक्षिण भारत के हिन्दू मन्दिरों पर जो कि धर्म के सजीव केन्द्र हैं अनिवार्य रूप से लागू हो सकते हैं ।

2. श्री रंगम स्थित श्री रंगनाथस्वामी का मन्दिर ऐसी एक ही संस्था है । इसका सीमा विस्तार इतना अधिक है कि उसमें एक नगरपालिका है जो धार्मिक प्राधिकारियों के प्रशासनिक नियन्त्रण में नहीं है । जो क्षेत्र धार्मिक केन्द्र के रूप में शेष रह जाता है उसका भी अधिकतर भाग अहिन्दुओं के लिये प्रवेश्य नहीं है ।

3. इस प्रखण्ड में विभिन्न सामाजिक कारणों से, पाश्चात्य संरक्षण तथा पुनरुद्धार की मूलभूत धारणाओं को समान रूप से सम्पूर्ण श्री रंगम मन्दिर क्षेत्र पर लागू नहीं किया जा सकता ।

4. इन विचार और धारणाओं को प्रकीर्ण रूप से श्री रंगम क्षेत्र में इक्के-दुक्के रूप से लागू करने से कोई हितकर परिणाम नहीं निकलेगा , क्योंकि विवरण का वह संतुलन प्राप्त नहीं होगा जो पुनरुद्धार के उन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है जैसा कि अन्य वास्तुकला सम्बन्धी कार्यक्रमों में निहित होता है ।

5. इन परिस्थितियों में, श्री रंगम में संरक्षण तथा पुनरुद्धार का प्रारम्भिक कार्यक्रम,

क्षेत्र की ऐसी ईकाई तक ही सीमित रखने चाहिएं जहां विभिन्न सामाजिक तथा स्थापत्य के तथ्य एक संहत कार्यक्रम के निर्माण में, युक्तिसंगत अवसर सम्मिलित रूप से प्रदान कर सकें, तथा उन (कार्यक्रमों) के परिणाम इस दृष्टिकोण से भी निर्धारित किये जाये कि श्री रंग मन्दिर पर संरक्षण और पुनरुद्धार का पश्चिमी कार्यक्रम भी लागू किया जा सकता है अथवा नहीं।

6. इन प्रश्नों का सबसे अधिक स्पष्ट उत्तर देने वाली इकाई-श्री रंग मंदिर का वह क्षेत्र है जो मन्दिर के पूर्व में स्थित है तथा जिसमें वेलई गांपुर, अश्वारोही मंडुप और सहस्त्र स्तम्भ मंडुप निर्मित है-विशेषकर यदि एक बिशेष 'पर्यटकद्वार' पूर्वी मोट्टई गोपुर के मार्ग में विकसित किया जाय।

यह इकाई है :-

(क) मन्दिर निवासियों के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

(ख) अहिन्दु पर्यटकों के लिये प्रवेश्य है।

(ग) पर्याप्त कलात्मक। ऐतिहासिक रूचि का है।

(घ) बहुत कुछ संरक्षण की स्थिति में है तथा अपेक्षाकृत आधुनिक बाधाओं से मुक्त है।

7. इस इकाई में संरक्षण तथा पुनरुद्धार के लिये आवश्यक उपाय स्पष्ट और सरल हैं, यथा उत्पन्न हो जाने वाली गन्दगी को समाप्त करना (सफेदी, रंग तथा गारा) जो हाल की पिछड़ी पीढ़ियों में प्रयुक्त की गई है।

8. श्री रंगम मन्दिर के संरक्षण तथा पुरुद्धार के प्रारम्भिक कार्यक्रम में इन उपायों को सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा पर्याप्त काल अवधि (यथा 1 से 2 वर्ष) उसको पूरा करने के लिये आवश्यक है।

9. यदि पर्याप्त समय में यह सामान्य कार्यक्रम पूर्ण किया जा सके तो श्री रंगम में संरक्षण तथा पुनरुद्धार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकते हैं। यदि यह सामान्य कार्यक्रम भी पूर्ण नहीं किया जा सकता तो यह स्पष्ट है कि श्रीरंगम के समान सभी व हिन्दू मन्दिरों की समस्या के लिये संरक्षण तथा पुनरुद्धार के पश्चिमी विचार तथा आदर्श प्रतिकूल नहीं है।

10. अंततः यह निर्णय किया जा सकता है कि श्रीरंगम में पश्चिमी संरक्षण तथा पुनरुद्धार को समझौते के रूप में लागू किया जा सकता है जिसमें 'विभाजन' यथा, मौलिक रूप से यह संस्था एक 'मंदिर नगर' था। अब यह एक मंदिर तथा एक नगर हो गया है तथा भविष्य में यह मंदिर, नगर तथा प्राचीन स्मारक- तीन रूपों में विभक्त हो सकता है। श्रीरंगम की समस्या का यह बड़ा ही काल्पनिक समाधान होगा। किन्तु यही एक मात्र व्यवहारिक सम्भावना हो सकती है।

विदेशों से नक्शों के आयात पर रोक

*670. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से नक्शों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा है तथा यह प्रतिबन्ध सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है?

(ख) क्या यह सच है कि इस निर्णय से अच्छे नक्शों का, जो कि अब तक आयात किये जाते रहे हैं, वास्तविक अभाव हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो अच्छे नक्शों की समुचित सप्लाई सुनिश्चत करने तथा अशुद्धियों से मुक्त नक्शों के सम्बन्ध में आयात सम्बन्धी रोक में आंशिक उदारता लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). समुन्द्र तटकर अधिनियम 1878 (1878 का 8की धारा 19)के अधीन, ऐसे नक्शों के आयात पर पाबन्दी है, जो भारत सरकार द्वारा घोषित सीमाओं अथवा देश की प्रादेशिक एकता पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शंका करते हैं। विदेशी राष्ट्रों द्वारा प्रकाशित, ऐसे नक्शों का, जिनमें, किसी भारतीय क्षेत्र को विवादास्पद अथवा चीन में अथवा पाकिस्तान में दिखाया जाता है, दोष निवारक कार्रवाई, जैसे काला कर देना, करने के बाद ही विमोचन किया जाता है। भारत की बाहरी सीमा ठीक-ठीक दिखाने वाले नक्शों के आयात की अनुमति दी जाती है और इसलिये, अच्छे नक्शों की कमी या उनकी प्राप्ति में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती ।

बेल्जियम से ऋण

*673. **श्री देविन्दर सिंह गर्चा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेल्जियम द्वारा भारत को शीघ्र ही एक करोड़ डालर का सप्लायर्स ऋण दिये जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुराने सप्लायर्स ऋण का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) क्या इस ऋण को देते समय बेल्जियम ने कोई शर्तें लगाई है और यदि हां, तो वह शर्त क्या है; और

(घ) क्या बेल्जियम सरकार ने भारत को कुछ समय पश्चात बिना शर्तें की सहायता देने का भी आश्वासन दिया है यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बेल्जियम की सरकार ने निश्चित रूप से ऐसा कोई संकेत नही किया है कि वह 100 लाख डालर का एक नया संभरक ऋण देगी। किन्तु बेल्जियम की सरकार ने एक समय अनौपचारिक तौर पर यह संकेत किया था कि यदि पहले के ऋणों के अन्तर्गत दी जाने वाली रकमें इस्तेमाल कर ली गयी, तो और रकम उपलब्ध कर दी जायगी।

(ख) जी हां, कुल उपलब्ध रकम नियत की जा चुकी है।

(ग) बेल्जियम, केवल पूंजीगत माल आयात करने के लिये संभरक ऋण देता है।

(घ) बेल्जियम से मिलने वाली सहायता को सामान्य रूप से अनाबद्ध करने का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। किन्तु उस देश से, सरकारी तौर पर सरकार को मिलने वाले ऋणों के अन्तर्गत इस समय भी ऋण के एक भाग को ऋणशोधन सम्बन्धी राहत के तौर पर, अनाबद्ध ऋण के रूप में उपलब्ध किये जाने की व्यवस्था है।

एक एशियन क्लियरिंग यूनियन तथा एक एशियन रिजर्व बैंक की स्थापना

* 675. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा सहयोग के द्वारा क्षेत्रीय विकास को सहायता तथा बढ़ावा देने हेतु एक एशियन क्लियरिंग यूनियन तथा एशियन रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए पारदर्शी सिद्धान्त बना लिये गये हैं;

(ख) इस संस्था की स्थापना कहां की जायेगी तथा इसका प्रशासनिक ढांचा क्या होगा और;

(ग) क्या इसमें केवल सदस्य राष्ट्र ही अपना रुपया जमा करेंगे या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां भी इस बैंक की सहायता करेंगी ?

वित्त मंत्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) से (ग). एशिया और दूर पूर्व के आर्थिक आयोग के सदस्य देशों की सरकारों और केन्द्रीय बैंक अधिकारियों की, बैंकांक में 2 से 9 नवम्बर, 1970 तक हुई बैठक में 'एशियाई रिजर्व बैंक' की स्थापना के लिये मार्ग-दर्शक सिद्धांतों का प्रारूप स्वीकार किया गया था। मार्ग-दर्शन सिद्धांतों के इस प्रारूप को, 16 से 19 दिसम्बर तक काबुल में होने वाली एशियाई आर्थिक सहयोग की मंत्री परिषद की बैठक में विचार किये जाने और स्वीकार किये जाने के लिये भेजा जा रहा है। 'एशियाई रिजर्व बैंक' को मान्यता देने की स्थिति तब पैदा होगी, जब एशियाई आर्थिक सहयोग की मंत्री-परिषद मार्ग दर्शक सिद्धांतों को स्वीकार कर लेगी और क्रियान्वयन का कार्यक्रम तैयार कर लेगी।

राष्ट्रीययुक्त बैंकों के वित्तीय लेखे

*676. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में से किसी ने भी अब तक 1969 के अपने वित्तीय लेखे प्रकाशित नहीं किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्ष 1969 की निदेशकों की रिपार्ट और उस वर्ष के लेखों के प्रकाशन में कुछ विलम्ब हुआ है, जिसके कारण ये हैं :

(1) बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1969, उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और इसका स्थान लेने वाले अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी 31 मार्च, 1970 को जाकर प्राप्त हुई थी। यद्यपि इन तदनुरूप 14 नये बैंकों में से प्रत्येक बैंक के लिये अतिरिक्त लेखा-परिक्षक (तत्कालीन मौजूदा लेखा परिक्षकों के अलावा) दिसम्बर 1969 में नियुक्त कर दिये गये थे, तथापि अतिरिक्त लेखा परिक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखा-परीक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित हिदायतें मार्च 1970 के अन्त में जारी की जा सकी थी।

(2) चूंकि 14 भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों के सम्बद्ध उपक्रम 19-7-1969 से तदनुरूप 14 नये बैंकों को अन्तरित और उनमें निहित हो गये थे, इसलिए वर्ष 1969 के लेखे दो पृथक अवधियों के थे अर्थात 1-1-1969 से 18-7-1969 तक की राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि और 19-7-1969 से 31-12-1969 तक की अवधि जब सांविधिक निगम उनके स्वामी थे। इसलिये

यह इसके अलावा, वर्ष 1969 के लेखे, राष्ट्रीकरण के बाद के सर्वप्रथम लेखे थे । जरुरी था कि मार्ग-दर्शक सिद्धांतों को जारी करने से पहले, जोकि अब जारी कर दिये गये हैं, इन बैंकों द्वारा लेखे प्रस्तुत किये जाने में यथासम्भव सीमा तक एकरूपता लाने, लेखों की अवधि (क्या इन कारण का सम्बन्ध राष्ट्रीयकरण के बाद अवधि अर्थात् 19-7-1969 से 31-12-1969 तक की अवधि से होना चाहिए अथवा राष्ट्रीयकरण के पूर्व और पश्चात का दो अवधियों के रूप में विभाजित सूमचे वर्ष से) दो अवधियों के बीच लाभ के विनियोजन, सांख्यिकोय सारणियों सहित निर्देशकों की रिपोर्टों के कुछ पहलुओं की जांच कर ली जाय ।

(3) चूंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में, समवाय अधिनियम 1956 के उपबन्ध लागू नहीं होते, इसलिए लेखापरिक्षकों ने अपनी रिपोर्ट के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ बातें उठायी थीं और लेखापरीक्षा के पूरा किये जाने से पहले इनके विषय में निर्णय करना जरुरी था । अब इन बातों पर निर्णय हो चुका है ।

(4) इन बैंकों के अन्तिम लेखे अब लगभग तैयार हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने अभिरक्षकों को यह सलाह दी है कि इन्हें 31 दिसम्बर, 1970 से पहले पूरा करके प्रकाशित कर देना चाहिये । आशा है, सभी बैंकों की रिपोर्टें और लेखे इस तारीख से पहले-पहले प्रकाशित कर दिये जायेंगे ।

इंडियन एयरलाइन्स के लिए तीन बोइंग 737 जैट विमान

*677. **श्री मयाबन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्डियन एयरलाइन्स ने तीन अतिरिक्त बोइंग 737 जेट विमानों के लिए त्रियादेश देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अभी तक कोई निर्णय नही किया गया है । इंडियन एयरलाइन्स अपनी आवश्यकताओं की एक विस्तृत जांच कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अजन्ता के भिति चित्रों और एलौरा की मूर्तियों का परिरक्षण

* 678. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजन्ता के भित्ति-चित्रों तथा एलौरा की मूर्ति कला को छिद्रल चट्टानों से बहते हुए वर्षा के जल से तथा वहां लगातार रहने वाली सीलन से स्थाई रूप से क्षति होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि दर्शकों के जूतों के साथ बाहर से आने वाली काई से वहां गुफाओं की भी क्षति होती है ;

(ग) इन भित्ति-चित्रों और मूर्तियों का विशेषज्ञों द्वारा कितने कितने समय के पश्चात

निरीक्षण किया जाता है तथा उनकी सफाई की जी जाती है और उत्तराधिकार में मिली इस मूल्यवान सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्या व्यवाहरिक कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) तहकीकात से गुफाओं के अन्दर काई का पता चला है, जिसका कारण सील, वायुसंवाहन द्वारा धूल तापमान में घट बढ़ आदि है, किन्तु इसकी मात्रा इतनी नहीं है, जिससे चित्रों के लिए खतरा हो अथवा उन्हें हानि पहुंच सके ।

(ग) रसायन संरक्षण तथा परिरक्षण के कार्यभारी विशेषज्ञों द्वारा, चित्रों और मूर्तियों का, कम से कम एक मास में एक बार के हिसाब से अवसर निरक्षण किया जाता है और अमूल्य संस्कृतिक परम्परा के अनुरक्षण के लिए, आवश्यक कार्य किए जाते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

परीक्षा पद्धति में सुधार

*679. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई परीक्षा में सुधार करने सम्बन्धी उप-समिति ने परीक्षा पद्धति के सन्बन्ध में कुछ सुधारों की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली प्रशासन ने इस वर्ष परीक्षा पद्धति में सुधार करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये सुधार बोर्ड की सभी परीक्षाओं के ऊपर लागू किये जायेंगे ;

(घ) क्या सुधार सम्बन्धी उप-समिति द्वारा जिन सुधारों की सिफारिश की गई है उन में से किसी सुधार को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है ; और

(ड.) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने एक समिति की नियुक्ति की है जो परिक्षाओं के संबंध में वर्तमान स्थिति का परीक्षण करेगी तथा गलत तरीकों के प्रतिकार एवं निरीक्षकों तथा परीक्षाओं से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में सिफारिशे देगी । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ख) चूंकि समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है, अतएव समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली प्रशासन द्वारा सुधार लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग), (घ) और (ड). समिति की सिफारिशों प्राप्त हो जाने पर, उन्हें शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा बोर्ड की सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों, शिक्षा बोर्डो तथा देश के सभी विश्वविद्यालयों कों इस लिये भेजा जाएगा कि वे प्रत्येक राज्य में विद्यमान परिस्थितियों के लिये सर्वोत्तम प्रकाश में अनुकूल रूप में वे इन को अपनायें अथवा अनुकूलन करें

कोचीन शिपयार्ड का निर्माण

* 680. **श्री पी० विश्वमभरन:** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री, यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड के निमार्ण के लिए सब कार्य वाही पूरी हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस शिपयार्ड का निर्माण कब शुरू करने का है ?

संसद-कार्य और पोंतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). मैसर्स मित्सुविशि हैवी इंडस्ट्रीज, टोकयो द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित रिपोर्ट परियोजना स्वीकार की गयी थी तथा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अक्तूबर, 1969 में मन्जूरी दी गई थी। इसके पश्चात नकशों तथा विशिष्ठियों को तैयार करने के लिए तथा कोचीन में शिपयार्ड के निर्माण में परियोजना संगठन की तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार तथा मैसर्स मित्सुविशि हेवी इंडस्ट्रीज़ के बीच एक करार हुआ तथा वह पहली अक्तूबर,1970 से लागू हो गया है। शिपयार्ड के निर्माण के लिये एक परियोजना संगठन की स्थापना पहले ही कर दी गयी है।

2. भूमि अर्जन, भूमि सर्वेक्षण, टेलीफोन तथा टेलैक्स का लगाना अस्थायी वार्ड तथा चाहरदीवार अदि जैसे प्रारम्भिक कार्य प्राय: पूर्ण हो चुके है। स्थान की सफाई के लिये मंजूरी, शिपयार्ड निर्माण-स्थल के भाग का सुधार, परियोजना की सड़को का निर्माण, 70 फुट राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, अस्थायी बिजली तथा पानी की व्यवस्था, आवश्यक निर्वाणार्थ-उपस्करों की प्राप्ति आदि जैसे अन्य प्रारम्भिक कार्यो पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

3. परियोजना संगठन के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारी वर्ग की भर्ती करके अभिकलपों, नकशों तथा विशिष्टियों को तैयार करने का कार्य भारत में सुरू कर दिया गया है। गोदी बनाने के लिए तथा कीज मशीन के बड़े पदों तथा उपस्करों आदि के लिए अभिकल्प, नकशे तथा विशिष्टियों आदि मैसर्स मित्सुविधि हैवी इंडस्ट्रीज़ से अगले वित्तीय वर्ष के दौरान में प्राप्त होंगे। इस्पात तथा अन्य आवश्यक मशीन तथा उपस्कर प्राप्त करने के लिये भी कार्रवाही की जायेगी।

Improvement of National Highways with the Assistance of International Development Association.

*683. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have asked for a loan of 60 million dollars (about Rupees 45 crores) from the International Development Association for making improvements in some of their national highways ;

(b) if so, the success achieved so far in this regard ;

(c) the names of the States in which national highways will be built/improved upon ; and

(d) the nature of the machinery likely to be imported for this purpose ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) to (d) : Yes, Sir. Certain projects for the development of National Highways are under the consideration of the World Bank for I.D.A. Development Credit. The entire matter is, however, still in a discussion stage.

कर वापसी सप्ताह

*684. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में कर वापसी सप्ताह मनाया था ;

(ख) उक्त सप्ताह से पूर्व लोगों से एकत्र की गई कुल राशि तथा उक्त सप्ताह में उन्हें वापिस की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कारण है कि आयकर विभाग बहुधा कर की निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां। आयकर आयुक्तों के निम्नलिखित अधिकार क्षेत्रों में वापसी 'सप्ताह' मनाया गया था :-

आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र	जिस अवधि में वापसी सप्ताह मनाया गया वह अवधि	
	से	तक
1. पूना	14-9-1970	19-9-1970
2. पश्चिम बंगाल	14-9-1970	19-9-1970
3. पटना	21-9-1970	26-9-1970
4. केरल	10-8-1970	14-8-1970
5. मद्रास	23-11-1970	28-11-1970
6. दिल्ली, i, ii और iii-अधिकार-क्षेत्र	14-9-1970	19-9-1970
7. जयपुर	31-8-1970	5-9-1970
8. नागपुर	12-10-1970	24-10-1970
9. बंगलौर	10-8-1970	14-8-1970
10. भोपाल	14-9-1970	19-9-1970
11. असम	1-12-1970	7-12-1970
12. उड़ीसा	9-11-1970	16-11-1970
13. गुजरात	16-11-1970	23-11-1970
14. पटियाला	15-11-1970	21-11-1970
15. लखनऊ	27-9-1970	29-9-1970

आयकर आयुक्तों के निम्नलिखित अधिकार-क्षेत्रों में वापसी सप्ताह निम्नलिखित प्रकार से मनाने का प्रस्ताव है:—

	जिस अवधि में वापसी सप्ताह मनाया जाना है वह अवधि	
	से	तक
1. हैदराबाद	4-1-1971	11-1-1971
2. कानपुर	अभी तक तारीखें नहीं दी गयी हैं।	

कर वापसी के अनिवर्णीत दावों की संख्या बहुत कम होने के कारण निम्नलिखित आयकर-आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र में कर वापसी सप्ताह नहीं मनाया गया :-

1. बम्बई नगर अधिकार क्षेत्र
2. कलकत्ता सैन्ट्रल
3. दिल्ली सैन्ट्रल

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा सम्भव शीघ्र ही सभा पर रख दी जायगी ।

(ग) आयकर विभाग वो कर एकत्रित करता है जिनकी मांग कानूनन जारी की जाती है । बाद की घटनाओं के कारण तथा कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत, कभी-कभी वसूलियां अत्याधिक हो जाती हैं तथा उनकी वापसी करनी होती है । संक्षेप में, ये परिस्थितियां नीचे दिये अनुसार हैं :-

(1) पूरे किये गये पिछले कर-निर्धारण के आधार पर आयकर विभाग द्वारा अग्रीम-कर की मांग जारी की जाती है किन्तु कर-निर्धारिती को स्वयं अपना अनुमान पेश करने तथा एतदनुसार अदायगी करने का विकल्प प्राप्त है । यदि कर-निर्धारिती स्वयं अपना अनुमान दाखिल नहीं करता है तथा नियमित कर-निर्धारण करने पर, उसके द्वारा अदा किया गया अग्रिम कर देय रकम से बहुत ज्यादा पाया जाता है तो अधि-अदायगी की रकम की वापसी करनी होती है ।

(2) लाभाँशों, प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा अनिवासियों को दी जाने वाली कुछ अदायगियों पर निर्धारित दरों पर स्रोत पर ही कर की कटौती करना आवश्यक होता है । जिनमें व्यक्तियों को प्रतिभूतियों पर ब्याज अथवा लाभाँश मिलता है उनको अपनी आय के आधार पर कर की कटौती से पूरी छूट अथवा कम दर पर कटौती करने के लिये प्रमाण-पत्र पाने का अधिकार है । यदि प्राप्तिकर्त्ता इन प्रमाण-पत्रों का लाभ नहीं उठाता है तो कर की कटौति निर्धारित दर पर की जाती है तथा यदि कर-निर्धारिती को अपनी आय पर कम दर से कर की अदायगी करने का अधिकार है तो कर वापसी का प्रश्न उपस्थित होता है ।

(3) आयकर अधिकारी द्वारा किये गये आय के कर-निर्धारण के आधार पर जारी की गई माँग अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कम कर दी जाय । जिसके कारण अन्ततः कर की वापसी करनी पड़े । इसी प्रकार, कर-निर्धारणों में मूल सुधार करने अथवा संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाय, जिसके कारण भी कर की वापसी करनी पड़े ।

(4) प्रतिभूतियों के विक्रय पर सामान्य रूप में पूंजीगत लाभ कर लगा दिया जाये परन्तु विहित प्रतिभूतियों के अनुवर्ती क्रय पर, मूलतः अदा किये गये कर को धारा 54 क के अन्तर्गत वापस करना पड़े ।

(5) कर्मचारी को वेतन की बकाया अथवा अग्रिम वेतन प्राप्त होने पर उसके मामले में, पहले-पहल कुल रकम पर कर लगाया जा सकता है । धारा 89 के अन्तर्गत वह राहत पाने का हकदार होता है जिसके अनुसार उसकी वेतन आय को सम्बन्धित वर्षों पर फैलाया जा सकता है और इससे कर की वापसी करनी पड़ सकती है ।

भारत में तस्करी

*685. **श्री गु० च० नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में बढ़ी हुई तस्करीकी गतिविधियों के संबंध में "स्टेट्समैन" दिनांक 16 नवम्बर, 1970 में प्रकाशित खबर की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान इन बन्दरगाहों पर सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा कितना अवैध माल पकड़ा गया ;

(ग) क्या किन्ही अन्य देशों का इस प्रकार की गतिविधियों में हाथ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए हाल में कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिनांक 16 नवम्बर 1970 के "स्टेट्समेन" में प्रकाशित तस्कर व्यापार सम्बन्धी रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। रिपोर्ट में पश्चिमी समुद्र तट पर बड़े पैमाने में तस्कर आयात-निर्यात का उल्लेख किया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि इन गतिविधियों में विदेशी सरकारें ग्रस्त हैं।

(घ) निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये ये उपाय दिये गये हैं :—

सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्रतट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था। सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों में सीमा शुल्क के समाहर्ता, अपर समाहर्ता और सहायक समाहर्ता जैसे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्यरूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिये तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में सीमाशुल्क अधिनियम- 1962 में संशोधान करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। एकत्रित सूचना को ध्यान में रखकर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए समय समय पर स्थिति की समीक्षा भी की जाती है।

कपाडिया ब्रादर्स के बैंकर्स

686. **श्री जार्ज फरनैन्डीज** : क्या वित्त मंत्री कपाड़िया ब्रादर्स के बैंकर्स के बारे में 10 अगस्त, 1970 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2025 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपाड़िया ब्रादर्स का खाता यूनियन बैंक आफ इंडिया के अतिरिक्त किसी अन्य में भी है;

(ख) यदि हां, तो उनके अन्य बैंकरों के नाम क्या हैं और यूनियन बैंक आफ इंडिया बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा जिन प्रतिभूतियों पर रुपया दिया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे 69 पार्टियां जिनका कि रुपया बकाया है आय कर देती हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन ऋणों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में पूरी छानबीन कर ली है; और

(ङ-) यदि हाँ, तो उनकी छानबीन के क्या निष्कर्ष निकले तथा उन प्रतिभूतियों का ब्यौरा क्या है जिन पर उन्हें यह ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां :

(ख) मैसर्स मगनलाल छानलाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते, जिसके मालिक मैसर्स कपाड़िया ब्रादर्स है, इन बैंकों में हैं :

नाम	खाता	ब्यौरे
1. दि यूनियन बैंक आफ इंडिया	नकद जमा खाता	भूमि को छोड़ कर अन्य चल परिसम्पत्तियों को बन्धक रख कर तथा कच्चे माल को गिरवी रखकर और निदेशक की गारंटी द्वारा सुरक्षित ।
2. पंजाब नेशनल बैंक, फोर्ट और चैम्बर शाखाएं	चालू खाता	वे चालू खाते हैं, इसलिये कोई प्रतिभूति नहीं दी गई है।
3. देना बैंक	यथोपरी	
4. बैंक आफ बड़ौदा	यथोपरी	

(ग), (घ) और (ङ). जांच पड़ताल अभी चल रही है।

भारत में विदेशी पूंजी का विनियोजन

*688. **श्री रामवतार शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय निवेश केन्द्र के अध्यक्ष श्री जी० एल० मेहता के हाल के हुए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उपक्रमों के परिव्यय में विदेशी पूंजी का भाग 1967-68 के बाद कम हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) विदेशी पूंजी विनियोजन के मार्ग में विद्यमान बाधाओं को हटाकर भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने, भारतीय निदेश केन्द्र द्वारा जारी किया गया अध्यक्ष का वक्तव्य, 1969-70 देखा है, जिसमें 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में केन्द्रीय सहायता-प्राप्त प्रायोजनाओं की सामान्य शेयर पूंजी में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी नवेश के आंकड़े दिये गये हैं। इन आंकड़ों से विदेशी निवेश में कमी होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

(ख) : यदि उन प्रस्तावों को भी शामिल कर लिया जाय जो केन्द्र के माध्यम से प्राप्त नहीं होते तो यह पता चलता है कि सामान्य शेयरों में स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश की रकम 1967-68 में 20.70 करोड़ रुपये से घट कर 1968-69 में 9.60 करोड़ रुपये रह गयी थी किन्तु 1969-70 में बढ़ कर यह रकम 10.60 करोड़ रुपये हो गयी।

(ग) : विदेशी निवेश के बारे में सरकार का दृष्टिकोण अत्यन्त चयनात्मक है किन्तु एक बार किसी प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने पर विदेशी निवेशक पूंजी बाहर भेजने की सुविधा

सहित सभी आवश्यक सुविधाओं का पात्र हो जाता है। यह व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है और इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

तमिल न जानने वाले लोगों को तमिल सिखाने के लिए भाषा शिक्षक रिकार्ड

*689. **श्री मुरसोली मारन** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल न जानने वाले लोगों को तमिल भाषा सिखाने के उद्देश्य से भाषा-शिक्षक रिकार्ड तैयार करने के लिये वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). गैर-तमिल भाषियों की तमिल भाषा सिखाने के लिए भाषा शिक्षक रिकार्ड तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई भी विशेष प्रस्ताव अभि तक इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिये स्वच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता देने की इस मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत ऐसे उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

मैसर्स विपिन इंडस्ट्रीज के विरुद्ध की गई शिकायतों के सम्बन्ध में जांच

*690. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक संसद सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मैसर्स विपिन इंडस्ट्रीज तथा उसके साझेदारों द्वारा की गई स्टेनलैस के सामान की तस्करी और चोरी के मामलों के बारे में शिकायतों की प्रतियां लगाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फर्मों के विरुद्ध शिकायत की गई हैं और शिकायत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ). शिकायतें हाल ही में प्राप्त हुई थीं और जांचपड़ताल चल रही है। सफल जांच-पड़ताल के हित में, आरोपों के ब्यौरे इस समय प्रकट करना सम्भव नहीं है।

नासिक में मिग कारखाने के समीप बम्बई आगरा सड़क का मार्ग-परिवर्तन

4174. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नासिक में मिग कारखाने के समीप

बम्बई-आगरा सड़क का मार्ग-परिवर्तन करने का है क्योंकि इस समय सड़क उक्त कारखाने के क्षेत्र में से होकर जाती है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) क्या सरकार हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, नासिक, पर किये जाने वाले इस मार्ग-परिवर्तन से प्रभावित होने वाले लोगों को पुनः बसाने तथा उन्हें मुआवजा देने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

4176. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का यह मत है कि आम तौर पर भारत में मुख्यतः अनुकूल आर्थिक स्थिति के होते हुए भी साधन स्रोतों में विद्यमान कमियाँ विकास के मार्ग में बाधा बनी हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंक ने संदेह व्यक्त किया है कि भारत, करों द्वारा अपने स्रोतों को बढ़ाने के प्रभावी प्रयत्नों के बाबजूद अपनी विदेशी मुद्रा की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार ला सकेगा ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि औद्योगिक विकास, सरकारी योजनाओं में रखे गये लक्ष्यों से कम रहा है और उसमें तकनीकी तथा संचालन की अड़चनों और श्रमिक सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण बाधा पड़ती रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ). विश्व बैंक, भारतीय आर्थिक विकास औरउसकी संभावना के सम्बन्ध में अध्ययन करते समय, साधनों की उपलब्धि और विकास समवद्ध सम्बन्धी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखता है।

सरकार, निरन्तर दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाने के महत्व के बारे में जागरुप है। चौथी आयोजना के दीर्घ कालीन संभावना (दि लांग टर्म प्रास्पेक्टिव) नामक अध्याय में इस बात की ओर संकेत किया गया हैं घरेलू बचतों की मात्रा जो 1968-69 में 2530 करोड़ रुपया थी, उसे बढ़ा कर 1978-79 में 8800 करोड़ रुपया और 1980-81 में 10450 करोड़ रुपया करना होगा। इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट है कि केवल कर लगा कर आन्तरिक साधन जुटाने से विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार नहीं होगा और इस लिए सरकारी निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर भी जोर दिया गया है।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभी हाल ही में और औद्योगिक उत्पादन में जो 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वह आयोजना में कल्पित 8 से 10 प्रतिशत के स्तर से कम है और इसलिए सरकार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से कई उपाय कर रही है।

नगर तथा ग्राम आयोजन के बारे में भारतीय नगर आयोजक संस्थान द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी

4177. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नगर आयोजन संस्थान राज्य पर्यटन विभाग के सहयोग से उन्नीसवीं वार्षिक नगर तथा ग्राम आयोजन विचार-गोष्ठी का आयोजन नवम्बर, 1970 के प्रथम सप्ताह में श्री नगर में किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार गोष्ठी में क्या-क्या प्रमुख सिफारिशें की गई; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है, और यदि हाँ, तो उनके परिणाम निकले ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग). सेमिनार के निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ?

इंडियन एयरलाइन्स के सदस्यों द्वारा अमृतसर में विलास-सामग्री की तस्करी

4178. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के उन पांच सदस्यों के नाम तथा पद क्या हैं जिन्हें 29 सितम्बर, 1970 को अमृतसर में विलास सामग्री की तस्करी करते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया था ;

(ख) कितने मूल्य के तथा किस प्रकार के सामान की तस्करी की गयी और उन स्थानों के नाम क्या है जहां से तस्करी की गयी और सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ;

(ग) विमान में कौन से स्थानों पर तस्करी का सामान छिपाया हुआ था ; और

(घ) कारपोरेशन तथा केन्द्रीय सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). इण्डियन एयरलाइन्स के जो छः सदस्य 29 सितम्बर 1970 को अमृतसर में विलास-सामग्री के तस्कर व्यापार में अन्तग्रस्त थे, उनके नाम और पदनाम नीचे दिये गये हैं:—

1. श्री एम० दयाल, कप्तान ।
2. श्री एम० एल० दत्ता, फ्लाइट इंजीनियर ।
3. श्री बी० पी० मिश्र, पाइलट अण्डर चेक ।
4. श्री एम० एस० तलूजा, फ्लाइट पर्सर ।
5. श्री शमशोर, स्ट्युअर्ड ।
6. कुमारी पदमा शर्मा, वायुयान परिचारिका ।

ये व्यक्ति कपड़े, शीशे के सामान, ब्लैड, सूखे मेवे, टेप रिकार्डर, ह्विस्की आदि जैसी विलास-सामग्रियों के तस्कर आयात-निर्यात में अंर्तग्रस्त थे जिनका कुल मूल्य लगभग 1800 रुपये हैं । इन वस्तुओं को काबुल से चोरी-छिपे लाया जा रहा था । इन वस्तुओं को हवाई जहाज के

केबिन में फुट-बोर्ड के नीचे, गैलरी मार्ग के फर्श के नीचे तथा फर्श-बोर्ड के नीचे छिपा कर रखा गया था।

(घ) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत दण्डिक कार्यवाही करने के लिये, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की मारफत कर्मी-दल के संबंधित सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। इन मामलों का शीघ्र ही न्याय निर्णय किया जाएगा। सीमाशुल्क प्राधिकारियों का फैसला प्राप्त होने पर कर्मी दल के जिन सदस्यों को अपराधी पाया जाएगा, उनके विरुद्ध इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करेगा।

राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक धन निकाला जाना

4179. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें भारत में रिजर्व बैंक ने उनके द्वारा निर्धारित राशि से अधिक निकाली गयी धनराशि का 30 जून, 1970 तक निबटारा करने को कहा था ; और

(ख) अब तक केन्द्र सरकार ने कितनी राशि का निबटारा किया है तथा संबंधित राज्यों ने उसमें से कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बैंक ने जिन राज्यों की सरकारों से उनके द्वारा निर्धारित राशि से अधिक निकाली गई राशि चुका देने के लिए कहा था ये आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, मैसूर, राजस्थान और तमिलनाडु हैं।

(ख) इन राज्यों की सरकारों के लिए कुल 86.90 करोड़ रुपये के अर्थोपाय-अग्रिम मंजूर किये गये थे। इस रकम में से 75.28 करोड़ रुपये की रकम वसूल कर ली गयी है और बाकी रकम चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले वसूल की जानी है।

वित्त मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी द्वारा कथित जातिगत भेदभावपूर्ण व्यवहार

4180. **जगेश्वर यादव** :

श्री क० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री 6 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5217 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध जाति भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए संसत्सदस्यों, एक सामाजिक संस्था तथा एक कर्मचारी की ओर से 4 शिकायतें अलग अलग किस किस तारीख को प्राप्त हुई थीं;

(ख) क्या यह सच है कि तथ्यों का सत्यापन करने के लिए किसी भी गवाह से कोई भी बयान नहीं लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जांच को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अप्रैल 1968 से मई 1969 के बीच हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें आई थीं जिनमें हिन्दी अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया था कि वह जातीय भेदभाव बरतता है। जिस कर्मचारी ने अपनी शिकायत में अपने से सम्बन्धित एक घटना का उल्लेख किया था उसे आरोपों के समर्थन में साक्षी और प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए मौखिक और लिखित रूप से भी कहा गया था; उसने अभी तक

ऐसा नहीं किया है। अन्य शिकायतों में या तो इस कर्मचारी की इस शिकायत का या हिन्दी शाखा से किये गए कुछ स्थानान्तरणों का उल्लेख किया गया था अथवा उनमें जातीय भेदभाव के सम्बन्ध में कुछ सामान्य आरोप लगाए गए थे जिन्हें प्रारम्भिक जाँच में ही सारहीन पाया गया था।

गैर-सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा विमान परिवहन सुविधाओं का विस्तार

4181. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा असेवित मार्गों पर गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को अपनी सेवायें चलाने की अनुमति देकर विमान परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये रियायतें देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने गैर सरकारी मार्गों पर विमान परिवहन सुविधायें प्रदान करने के लिये व्यक्तिगत रूप में लागों से या निगमों से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं; और

(घ) किस-किस से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर कारपोरेशन अधिनियम तथा एयरक्राफ्ट नियमों में प्राइवेट पार्टियों द्वारा ऐसे स्थानों के बीच अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं का परिचालन करने के लिये व्यवस्था है जहां दोनों कारपोरेशन नियमित आधार पर परिचालन नहीं करते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दो प्राइवेट परिचालकों ने अनुसूचित विमान परिवहन सेवायें परिचालित करने के लिये अपनी मर्जी से परमिटों के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं। ब्यौरे अनुबन्ध में दिये गये हैं।

विवरण

1. **मैसर्स कैम्बाटा एविऐशन प्राईवेट लि०**
   (1) बम्बई/दमन/सूरत/अहमदाबाद/आब्बू रोड तथा वापस।
   (2) अहमदाबाद/भावनगर/दियू/केसोद/जामनगर/राजकोट अहमदाबाद।
   (3) बम्बई/दमन/सूरत/बरोदा/आब्बू रोड तथा वापस।
   (4) बम्बई/कोल्हापुर/गोआ तथा वापस।
2. **मैसर्स एरियल आपरेटर्स प्राईवेट लि०**
   (1) बम्बई/नासिक/अकोला/नागपुर गोंडिया तथा वापस।
   (2) बम्बई/कराद/कोल्हापुर/बेलगाम तथा वापस।
   (3) बम्बई/शोलापुर/नन्देद तथा वापस।

पाकिस्तानी छात्रों को दिये गये वीसा

4182. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में पाकिस्तानी छात्रों को कितनी संख्या में वीसा प्रदान किये गये;

(ख) वर्ष 1969-70 में भारत ने ऐसे पाकिस्तानी छात्रों पर कितनी राशि खर्च की;

(ग) क्या वर्ष 1969-70 में पाकिस्तान ने भी इसके बदले में भारतीय छात्रों को इतनी ही सुविधाये दी थी; और

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई द्विपक्षीय व्यवस्था नहीं हैं; जिसके अधीन पाकिस्तानी विद्यार्थी अध्ययन हेतु भारत आ सकें, अथवा भारतीय विद्यार्थी इसी प्रयोजन के लिए पाकिस्तान जा सकें। विवरण संलग्न है, जिसमें 1969 और 1970 वर्षों के दौरान, व्यक्तिगत मामलों में नवीकरण सहित, अल्पकालीन वीसा को दीर्घकालीन वीसा में बदलने से सम्बन्धित सूचना दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4559/70]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये धन की वसूली

4183. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये धन की वसूली (भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में) के लिये कोई कानून बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो बैंक सामान्य कानूनी कार्यवाही से दिये गये धन की वसूली कैसे कर सकते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) अग्रिम देते समय, बैंक, अन्य बातों के साथ साथ, ऋणकर्ता की साख और उसकी ऋण वापस करने की क्षमता को ध्यान में रखते हैं। जहां आवश्यक होता है; बैंक कुछ मूर्त जमानत लेते हैं। इन परिस्थितियों में, केवल कुछ थोड़े से मामलों में न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है।

नई दिल्ली स्थित अशोक होटल लिमिटेड में मंजूरी बोर्ड के एवार्ड की क्रियान्विति

4184. **श्री शशि भूषण** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित अशोक होटल लिमिटेड में मंजूरी बोर्ड के एवार्ड की क्रियान्वित के बाद बकाया धन राशि के रूप में एक व्यक्ति को कम से कम तथा अधिक से अधिक कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि मंजूरी बोर्ड ने जिन कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों को 205 रुपये का वेतन मान देने की सिफारिश की थी उन्हें 350 रुपये का वेतन मान दिया गया है जबकि कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों को 300 रुपये का वेतनमान देने की मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) ऐसी श्रेणी के पदों से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) अधिकतम 3,341.24 रुपये

न्यूनतम 1.01 रुपये

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पत्ति कर के निर्धारण के लिये अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन

4185. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अथवा सम्पत्ति कर प्राधिकारियों ने कितने मामलों में सम्पत्ति कर के लिये अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन, नई दिल्ली क्षेत्र में 1969 तथा 1970 के दौरान (अक्तूबर, 1970 तक) मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निश्चित मूल्यों से अधिक किया है;

(ख) मान्यता प्राप्त मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा मूल्यांकित मूल्यों को स्वीकार न करने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने आयुक्तों को कोई निदेश जारी किये हैं कि मान्यता प्राप्त मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा निश्चित सम्पत्ति मूल्य को आधार मान कर वे मूल्यों को उससे अधिक निर्धारित न करें; और

(घ) यदि नहीं, तो करदाताओं को तंग क्यों किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 43 मामले ।

(ख) सम्पत्तियों का मूल्य किसी मान्यता प्राप्त मूल्यांकन द्वारा प्रमाणित मूल्य की अपेक्षा अधिक मान लेने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) एक ही क्षेत्र में वैसी ही सम्पत्तियों का मूल्य अन्य निर्धारितियों द्वारा स्वयं अपेक्षाकृत अधिक दिखाया जाना ।

(ii) मूल्य निर्धारण तारीख के लगभग एक वैसी ही सम्पत्तियों की अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्य पर बिक्री ।

(iii) निर्धारिती द्वारा भूमि अथवा ऊपरी ढांचे के सम्बन्ध में लगायी गयी वास्तविक लागत की अपेक्षा मूल्य निर्धारण का कम होना ।

(iv) अपने कब्जे के भाग तथा किराये पर दिये गये भाग के बीच गलत बंटवारा ।

(v) सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण करते समय अत्याधिक मूल्य ह्रास का दावा किया जाना ।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त, ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां धन कर अधिकारियों द्वारा अपनाये गये अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्य निर्धारण को निर्धारिती द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) तंग किये जाने के कोई भी उदाहरण अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं लाये गये हैं ।

दमदम हवाई अड्डे पर तस्करी के सामान का पकड़ा जाना

4186. **श्री लताफत अली खां** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित दमदम हवाई अड्डे पर 9 सितम्बर/10 सितम्बर, 1968 को श्री भगवानदास डी० भारवानी नामक एक व्यक्ति से कुछ निषिद्ध माल पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये माल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 9/10 सितम्बर 1968 को दमदम हवाई अड्डे पर भगवानदास डी० भारवानी से (भारतीय बाजार मूल्य पर) लगभग 12,000 रुपये के कुल मूल्य की विदेशों में निर्मित विविध उपभोक्ता वस्तुएं (अर्थात् टेप्स, हेयर ड्रायर्स, फेस पाउडर, माइक्रोफोन, कार्डिगन, महिलाओं की पोशाकें, धूप के चश्मे, लिपस्टिक, कमीज़ का कपड़ा आदि) पकड़ी गई। वस्तुएं पूर्णतः जब्त कर ली गई हैं। श्री भारवानी पर 15,000 रुपये का वैयक्तिक दण्ड भी लगाया गया। दण्ड की रकम अभी तक वसूल नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों की शिकायतें

4187. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्री के पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय तथा कालेजों अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों से उनकी शिकायतों के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत का क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ से कोई बात-चीत नहीं हुई थी तथापि, उनकी समस्याओं की जानकारी के लिए शिक्षा मंत्री संघ के प्रतिनिधियों से 9 अगस्त, 1970 को कलकत्ता में तथा फिर 5 सितम्बर, 1970 को नई दिल्ली में मिले थे। इसके अलावा, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के एक अधिकारी भी पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा सचिव के साथ 22 अगस्त, 1970 को कलकत्ता में संघ के प्रतिनिधियों से मिले थे। इस बैठक में उठाए गए दो मुख्य विषय-ये थे अध्यापकों को वेतन देने में अनियमितता और अध्यापकों के कुछ वर्गों के वेतन का नए समाकलित वेतन मान में तत्काल वेतन-नियतन। उठाये गये विषयों की जांच पड़ताल हो रही है।

जादवपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलना

4188. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले जादवपुर कालेज के नाम से प्रसिद्ध जादवपुर विश्वविद्यालय की स्थापना श्री अरविन्द द्वारा की गई थी। जो कि इसके प्रथम प्रिंसिपल भी थे;

(ख) क्या उस महान सन्त तथा भारत के महान सेवक तथा क्रान्तिकारी के नाम में, उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर जादवपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल कर 'श्री अरविन्द जादवपुर विश्वविद्यालय रखने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) श्री अरविन्द ने बंगाल नेशनल कालेज की स्थापना की थी (जिसका उत्तराधिकारी जादवपुर विश्वविद्यालय है) और वह उसके प्रथम प्रिंसिपल भी थे।

(ख) और (ग). डा० कर्णसिंह ने, जो अब श्री अरविन्द शताब्दी के लिए राष्ट्रीय

समिति के संयोजक हैं, 1968 में यह सुझाव दिया था कि जादवपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल कर "श्री अरविन्द विश्वविद्यालय" रख दिया जाए। किन्तु विश्वविद्यालय ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, क्योंकि उनका यह अभिमत था कि श्री अरविन्द के नाम पर, किसी पीठ। प्रोफेसरी को प्रतिष्ठापित करना अधिक उपयुक्त होगा।

आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में अपील

4189. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार और इस वर्ष अक्तूबर, 1970 तक नई दिल्ली क्षेत्र में आयकर अधिकारियों ने आयकर संबंधी कितने मामले निबटाये;

(ख) उक्त अवधि में वर्षवार कितने करदाताओं ने उच्चतर स्तरों पर अपील की;

(ग) क्या अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से आयकर आयुक्तों ने आयकर अधिकारियों को करदाताओं की अधिक आय निर्धारित करने के निदेश दिये हैं जिससे जो करदाता उनके कर निर्धारण से संतुष्ट न हों वे इस बारे में अपील कर सके;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप अपील के मामलों में वृद्धि हो रही है; और

(ड.) यदि हां तो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क)

	पूरे किये गये कर निर्धारणों की संख्या
1967-68	94503
1968-69	163654
1969-70	192147
1970-71 (अक्तूबर, 70 तक)	75087

(ख)

	अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष दायर की गई अपीलों की संख्या
1967-68	11654
1968-69	13124
1969-70	14408
1970-71 (अक्तूबर, 70 तक)	9008

(ग) जी, नहीं।

(घ) पूरे किये गये कर निर्धारणों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण अपीलों की संख्या में वृद्धि हुई है। पूरे किये गये कर निर्धारणों के संदर्भ में दायर की गई अपीलों का प्रतिशत अनुपात, जो 1967-68 में लगभग 12% था, घट कर 1968-69 में लगभग 3% तथा 1969-70 में लगभग 7.1/2% रह गया है (1970-71 के प्रतिशत अनुपात के बारे में वर्ष समाप्त होने के बाद ही ठीक पता चल सकेगा)।

(ङ.) जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलों की संख्या में वृद्धि होना इस बात का द्योतक नहीं है कि अधिनिर्धारण में वृद्धि हुई है, फिर भी, कर निर्धारण अधिकारियों को पहले से ही इस आशय की हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि अनावश्यक रूप से अधिनिर्धारण नहीं किया जाय ।

मैसर्स फेड्डर्स लायड्स कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड

नई दिल्ली पर उत्पादन-शुल्क का लगाया जाना

4190. **श्री लतीफ अली खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स फेड्डर्स लायड्स कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली, से उत्पादन-शुल्क के रूप में 17,00000 रुपये की माँग की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त निगम से यह धनराशि वसूल कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी , हाँ । मैसर्स फैडर्स लायड्स कारपोरेशन (प्रा० लि०, नई दिल्ली के खिलाफ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 17,09,646.79 रुपये की रकम की मांग जारी की गयी थी । परन्तु, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता दिल्ली द्वारा 1-8-1968 को दिये गये अपील पर आदेश के अनुसार मांग की इस रकम में संशोधन करके इसे 2,35,848.82 किया गया था ।

(ख) जी, हां । इस रकम को पार्टी के वापसी संबंधी दावे के प्रति समायोजित करके वसूल किया गया था ।

(ग) ऊपर भाग (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उटता है ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

4191. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद के बारे में कोई ज्ञापन पत्र प्राप्त किया है :

(ख) क्या उस बारे में कोई जाँच करने का प्रस्ताव है; और

(ग) जाँच की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अवधि क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कुछ संसद सदस्यों के हस्ताक्षरों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा की गई भर्तियों, दैनिक मजदूरी पर अत्याधिक व्यक्तियों को नौकरी देने, अनुसूचित जातियों के लिए पदों के आरक्षण इत्यादि के विषय में शिकायतें की गई हैं ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री वटुक सिंह को इस मामले की जांच निम्नलिखित विचारार्थ विषयों पर करने के लिये नियुक्त किया गया है :

(1) शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद की जब से स्थापना हुई तब से लेकर इसके द्वारा अपनाई गई भर्ती की नीतियों तथा पद्धतियों का पुनरीक्षण करना और ऐसी नीतियों तथा कार्यपद्धतियों की सिफारिश करना जो परिषद के लिए अपने वर्तमान कार्य के संदर्भ में उपयुक्त हों ।

(2) कुछ संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को दिए गए अभ्यावेदन में निहित भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों की जांच करना और उस पर रिपोर्ट देना।

(ग) सरकार को यह रिपोर्ट तीन महीनों में प्राप्त होने की आशा है।

Loss of Life and Property of Pilgrims in tragedies of Alaknanda, Amarnath and Somnath

4192. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the details of loss of life and property suffered by the pilgrims in the recent tragedies of Alaknanda, Amarnath and Somnath ;

(b) whether Government have under consideration any scheme to provide more facilities to the pilgrims ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Information is being collected from the State Governments concerned.

(b) and (c). These arrangements are made by the State Governments within the limitations of their own resources. The Central Government also helps in places of tourist importance whenever possible.

पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन चलता-फिरता अस्पताल।

4193. **ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने देशबन्धु चित्तरंजन दास के शताब्दी समारोह के अवसर पर एक 50-बिस्तर वाला चित्तरंजन चलता-फिरता अस्पताल ; स्थापित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) देशबन्धु चित्तरंजन दास जन्म शताब्दी के राष्ट्रीय समारोहों के भाग के रूप में, 16 राज्यों में से प्रत्येक में एक, 50 बिस्तर वाला चलता फिरता अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका नाम "चित्तरंजन चलता-फिरता अस्पताल होगा। यह चलते फिरते अस्पताल, ने केवल रोगहर औषधि ही प्रदान करेंगे अपितु सार्वजनिक स्वास्थ्य वैयाक्तिक आरोग्य और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में भी सहायता करेंगे। इन अस्पतालों के 50 बिस्तरों में से 20 बिस्तर परिवार नियोजन के मामलों के लिये सुरक्षित होंगे। इन अस्पतालों के अपने एक्सरे उपस्कर व आपरेशन-थियटर होंगे और बिजली की पूर्ति जनित्री (जेनेरटर) द्वारा की जाएगी। प्रत्येक चलता फिरता अस्पताल राज्य में एक चुने हुए मैडिकल कालेज के साथ सम्बद्ध होगा। मेडिकल कालेज के चिकित्सा विशेषज्ञ और प्राध्यापक बारी बारी से इन चलते फिरते अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगे। एम० बी०-

बी० एस० के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थी और मेडिकल कालेज के गृह चिकित्सक (इटर्न्स) इन अस्पतालों में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंश के रुप में सेवा करेंगे और उनका खर्च राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन उस विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदान में से किया जायेगा जिससे वह मेडिकल कालेज सम्बद्ध हो। अस्पताल की गाड़ियों सहित मुख्य उपस्करों पर होने वाला अनुमानित 3.10 लाख रुपये का लागत खर्चा केन्द्रीय सरकार (शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय) करेगी और औषध तथा अनुरक्षण का खर्च राज्य सरकारें वहन करेगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह योजना स्वीकार कर ली है और उस राज्य में चित्तरंजन चलता फिरता अस्पताल का उद्घाटन 24 परगना जिले में, नियमित स्थान पर 5 नवम्बर, 1970 को हुआ।

Grade III Stenographers in C. S. S. S.

4194. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education & Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Grade III Stenographers of his Ministry who have sent their consent for continuing in the Central Secretariat Stenographer Services by the prescribed date of 31st July, 1970 as required in the Ministry of Home Affairs O. M. No. F. 14/24/70-CB-2, dated the 26th June, 1970 ;

(b) whether some employees of his Ministry have sent their names for continuing in the Central Secretariat Stenographer Services after 31st July, 1970 ; and

(c) if so, their number and the decision taken by Government in respect of such employees ?

The Minister of Education & Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a), (b) & (c). 38 Grade III Stenographers had sent their consent for continuing in the service by the prescribed date. Only one option was received after 31st July, 1970. However, according to a general decision of Government such employees who failed to exercise their options are deemed to have relinquished their claims in the Central Secretariat Clerical Service and opted for Central Secretariat Stenographers Service.

साम्य अंशों के धारण तथा प्रबन्ध के लिए एक पृथक व्यवस्था

4195. **श्री अदिचन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने तथा उन्हें बनाये रखने के उद्देश्य से लम्बी अवधि वाली संस्थाओं से सम्बद्ध एक पृथक व्यवस्था स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

छोटे तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के हितार्थ ऋण नीति

4196. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के लिए तथा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के छोटी-पालिसीधारियों के हितार्थ ऋण नीति का मूल्य निर्धारण करने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा गत एक वर्ष के दौरान क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री श्री (यशवन्तराव चह्वाण) : भारतीय जीवन बीमा निगम का वर्तमान क्रियाताप और संलग्न इस प्रकार का है कि यह निगम अपने आप ऋणदान के ऐसे कार्यों को हाथ में नहीं ले सकती जिसमें छोटी छोटी रकमें उधार दी जानी हों और उधार लेने वालों की संख्या कुल बढ़ी हो। निगम सीधे केवल अपने बीमाधारियों को उनकी पालिसियों के आधार पर और 'अपने घर के मालिक आप बनिये' योजना के अन्तर्गत ऋण देने के अलावा व्यक्तियों को और कोई ऋण नहीं देता। छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति इन ऋणों का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम का मुख्य योगदान अप्रत्यक्ष रूप से होता है अर्थात् उन संस्थाओं की मार्फत जो जीवन बीमा निगम से भारी मात्रा में साधन जुटाती हैं और उनको आगे व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों के लिये देती हैं। उदाहरण के लिए, केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंकों के ब्रांड खरीद कर, जीवन बीमा निगम छोटे—बड़े सभी प्रकार के कृषकों को भूमि विकास आदि के लिए लम्बी अवधि के ऋण प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार छोटे उद्योगपति राज्यों के वित्तीय निगमों से, जिनके ब्रांड जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे जाते हैं, मीयादी ऋण प्राप्त करते हैं। जीवन बीमा निगम निम्न और माध्यम आय वाले वर्गों के लिए मकान बनाने के वास्ते राज्य सरकारों ऋण देता है। जीवन बीमा निगम द्वारा केन्द्रीय सहकारी आवासन वित्त समितियों को दिये जाने वाले ऋणों पर भी यही बात लागू होती है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में, राज्यों के बिजली बोर्डों द्वारा जारी किये जाने वाले बाडों और लिये जाने वाले ऋणों में और जलपूर्ति तथा मल-निकासी योजनाओं के लिए नगरपालिकाओं द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में जीवन बीमा निगम द्वारा किये जाने वाले निवेश के मामले में यह सम्बन्ध कुछ दूर जा पड़ता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इन अभिकरणों द्वारा हाथ में ली जाने वाली विभिन्न योजनाओं और किये जाने वाले कार्यों से छोटी और मध्यम श्रेणियों के लोगों को लाभ पहुँचता है।

जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय तथा अन्य कर्मचारियों की माँगें

4197. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के जीवन बीमा निगम में नियुक्त क्षेत्रीय तथा श्रेणी II, III तथा IV के अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : वेतन तथा भत्तो में संशोधन के बारे में ऐशोसिएशन की मांगों पर भारत के क्षेत्रीय बीमा कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन (श्रेणी II के अधिकारियों) तथा जीवन बीमा निगम के बीच 25 सितम्बर 1970 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। यह समझौता 1-4-69 से 31-3-73 तक की चार वर्ष की अवधि के लिये वैध रहेगा। अन्य अनिर्णीत मुद्दों के सम्बन्ध में बातचीत शीघ्र ही शुरू की जायगी।

श्रेणी III तथा IV के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली चार यूनियनों तथा जीवन बीमा निगम के बीच इससे पहले एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। यह समझौता राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को जिसके सामने मांगों के न्याय निर्णय के संबंध में एक पत्र विचाराधीन था, इस प्रार्थना के साथ भेज दिया गया कि समझौते के अनुरुप एक

सहमति पंचनिर्णय प्रदान किया जाय। न्यायाधिकरण ने 13-7-70 को सहमति-पंचनिर्णय दे दिया।

यह समझौता 1-4-69 से 31-3-73 तक की चार वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।

मैसर्स टर्नर मोरिसन कम्पनी लिमिटेड पर भविष्य निधि की बकाया राशि

4198. **श्री देवेन सेन** : क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स टर्नर मोरिसन कम्पनी लिमिटेड को वर्ष 1964 में आरक्षित निधि कितनी थी और उसकी वर्तमान आरक्षित निधि कितनी है;

(ख) श्री मुंदड़ा ने कम्पनी के अंश कब खरीदे थे और उनके द्वारा खरीदे गये अंशों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या कम्पनी पर भविष्य निधि का एक करोड़ रुपया बकाया है;

(घ) क्या कम्पनी को पश्चिम बंगाल सरकार को स्वामित्व के रूप में 70 लाख रुपये देने हैं; और

(ङ.) यदि (ग) तथा (घ) का उत्तर हाँ में हो, तो क्या सरकार कम्पनी को अधिकार में लेने पर विचार कर रही है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ङ.). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत करदी जायेगी।

कलकत्ता में उपरि पुलों का निर्माण

4199. **श्री समर गुह** : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में ऐस्प्लेनिक श्याम बाजार, सियालदह, हावड़ा पुल आदि के महत्वपूर्ण चौराहों पर हर रोज दिन भर पैदल चलने वालों की अत्यन्त भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पैदल चलने वालों के सुरक्षित आवागमन के कलकत्ता महा-नगरीय जिला प्राधिकरण योजनाओं में इन चौराहों के साथ-साथ उपरि पुलों के निर्माण के कार्य को भी शामिल किया जायगा; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना पश्चिमी बंगाल की सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Construction of the Sindh Bridge between Bhind and Lahar in Madhya Pradesh

4200. **Shri Atam Das** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the time by which the construction of the Sindh bridge between Bhind and Lahar in Madhya Pradesh is likely to be completed ;

(b) whether the contractors of the said bridge Messrs Kaushal Construction, Company, ran away with a sizeable amount of public money leaving the construction work unfinished ; and

(c) whether any enquiry is being conducted in this regard and if not, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). Information is being collected from the Madhya Pradesh Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

Loans to Small Industrialists of East Nimar District (M. P.)

4201. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that inspite of nationalisation of banks, small industrialists of East Nimar District (Madhya Pradesh) are not being advanced loans on the pattern of other States;

(b) whether Government are also aware that loans are not being granted to the small weavers whose powerlooms are housed in rental buildings; if so, the reasons thereof;

(c) the action proposed to be taken by Government, to provide easy loans to the small scale industrialists;

(d) whether the powerloom weavers in East Nimar District are being given less amount of loans as compared to other States on the plea that they are producing coloured sarees whereas the number of powerloom weavers who weave coloured sarees is less and most of them do not produce coloured sarees; and

(e) if so, the reasons for this discriminatory treatment ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir. Under the schemes formulated by the nationalised banks, assistance is avilable on a uniform pattern all over the country.

(b) No, Sir. Loans can be obtained in such cases also.

(c) The nationalised banks are providing loans on liberal terms and have substantially increased their advances to small scale industrialists since nationalisation.

(d) and (e). No, Sir. According to the information available, though five of the nationalised banks operating in East Nimar District have so far not given loans the State Bank of India has assisted 136 units up to 31st March, 1970 and sanctioned 8.39 lakhs of rupees. The manufacture of coloured sarees is banned by the Textile Commissioner. This factor is hampering the banks in granting advance to such units not only in East Nimar District, but in other places also.

अशोक होटल लिमिटेड नई दिल्ली के प्रबन्धकों द्वारा की गई अनियमितताएं

4202. **श्री ईश्वर रेडी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल कर्मचारी संघ, नई दिल्ली, ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, के पास 22 मई, 1970 को अशोक होटल के प्रबन्धकों की विभिन्न अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक मामला दर्ज कराया था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। अशोक होटल कर्मचारी संघ ने अशोक होटल में कदाचार के कई आरोप लगाये हैं; जिनकी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों को मंहगाई भत्ते के बकाया का भुगतान

4203. **श्री वि० कु० मोडक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों को मंहगाई भत्ते का भुगतान करने के सम्बन्ध में सरकार का शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी बंगाल के बाढ़ से प्रभावित स्कूलों के छात्रों को फीसों की अदायगी

4204. **श्री वि० कु० मोडक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बाढ़ से प्रभावित पश्चिम बंगाल के स्कूलों के छात्रों को छः मास की फीस की अदायगी करने का निश्चय किया था ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उसकी अदायगी में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का उसके तत्काल भुगतान के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को समान महंगाई भत्ता तथा पेंशन देने सन्बन्धी योजना

4205. **श्री गणेश घोष** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को चौथी ग्रेड के सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता तथा पेंशन देने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा के बाढ़ सम्बन्धी राहत कार्यों के लिए सहायता

4206. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **वित्त मंत्री** देश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में 9 नवम्बर, 1970 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) इस बर्ष उड़ीसा को सहायतार्थ कितना धन दिया जाएगा; और

(ख) क्या कुछ दीर्घकालीन उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाढ़-सहायता के व्यय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता के लिए उड़ीसा सरकार से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने यह सूचित किया है कि राज्य में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं की एक बृहत्त आयोजन (मास्टर प्लान) तैयार की गयी है । इन योजनाओं में बाँधों को ऊंचा और मजबूत करना, नदियों को मोड़ने के लिए निर्माण कार्य करना और किनारों का टूटने से बचाव करना शामिल है ।

मणिपुर राज्य परिवहन के कर्मचारियों को लम्बे समय तक निलंम्बित किया जाना

4208. **श्री एम० मेघचन्द** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारियों का लम्बे समय तक निलम्बित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें छः मास तथा एक वर्ष से अधिक समय तक निलम्बित रखा गया ;

(ग) उन्हें इतना लम्बा अवधि तक निलम्बित रखे जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) निलम्बन सम्बन्धी मामलों को अन्तिम रूप से निपटाये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये ; और

(ङ) क्या यह सच है कि सभी निलम्बित कर्मचारियों के स्थान पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं ?

पोतपरीवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (ख) : सूचना मणिपुर सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर चलने वाला बसों का रखरखाव

4209. **श्री एम० मेघचन्द :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन आशय की जांच शिकायतों की है कि मणिपुर राज्य परिवहन ने उक्त राजपथ संख्या 39 पर चलने वाली बसों का समुचित ढंग से रखरखाव नहीं किया हैं तथा ये बसे रास्ते में ही खराब हो जाती हैं जिससे कि यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ; और

(ख) यदि नही, तो क्या मणिपुर सरकार ने बसों के रखरखाव के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). सूचना मणिपुर सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मुरादाबाद में व्यापारियों द्वारा आयकर का अपवंचन

4212. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय के । दिसम्बर 1966 के पत्र संख्या 155 आई० टी० सी० पी० एन० 66 के अनुसार आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन करने वाले आवेदन कर्त्ताओं द्वारा आय र के अपवंचन के बारे में एक सामाजिक कार्यकर्त्ता ने उनको तथा निरीक्षण निदेशक (अनुसन्धान, साख्यिकी तथा प्रकाशन) को कोई सूचना भेजी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) सूची के अनुसार आयकर दाता के रूप में पंजीकृत उन आवेदन कर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने वर्ष 1966-67 के दौरान आयकर की कितनी राशि अदा की ;

(घ) उन आवेदन कर्त्ताओं के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्हें आयकर की अदायगी तथा पंजीकरण से पूर्व अनुमति पत्र दिये गये ; और

(ड.) इस संबंध में जांच की कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) : वित्त मंत्रालय तथा निरीक्षण निदेशक (जांच पड़ताल) को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ।

(ख) और (ड.). 781 व्यक्तियों के बारे में शिकायत की गयी थी । लगाये गये आरोप सामान्य किस्म के थे । कुछ मामलों में की गई जाँच पड़ताल से पता चला कि आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

(ग) और (घ) : ब्यौरों के संकलन में लगने वाला श्रम उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

चीनी पर उत्पादन-शुल्क में कमी

4213. **श्री शंकर राव माने :**
श्री स० अ० अगड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी पर उत्पादन शुल्क घटाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). किसी भी वस्तु पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाना, बढ़ाना, घटाना अथवा उसे समाप्त करना एक ऐसा मामला है जिस के बारे में ऐसे किसी प्रश्न का सुनिश्चित रुप से उत्तर देना वांछनीय अथवा जनहित में नहीं होगा ।

Interim Relief to Central Government Employees

4214. **Shri Molhu Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the interim relief as recommended by the Third Pay Commission and accepted by Government is being paid to the Central Government employees; and

(b) if so, the amount of interim relief being paid to Central Government employees per month, Ministry-wise, Department-wise and category-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes. Sir.

(b) Information Ministry-wise and Department-wise is not readily available. The rates of Interim Relief are as follows :—

Pay Range	Interim Relief (per month)
Below Rs. 85	Rs. 15
Rs. 85-209	Rs. 25
Rs. 210-499	Rs. 30
Rs. 500-1250	Rs. 45

(with marginal adjustments)

The total annual cost to Government on account of Interim Relief has been estimated by the Pay Commission at about Rs. 102.9 crores. The details of the costs for various pay ranges are shown in Annexure 'D' to the Interim Report on interim relief of the Third Pay Commission, a copy of which has already been laid on the Table of the House.

भारतीय रुपये का परिचालन

4215. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपया की परिचालन गति तीन वर्ष पूर्व की गति के मुकाबले में बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना मुद्रा-पूर्ति की आय गति (इनकम वेलोसिटी) अर्थात् मुद्रा पूर्ति के प्रति राष्ट्रीय आय के अनुपात के संबंध में है। 1968-69 के लिए अर्थात् जिस वर्ष तक की सूचना उपलब्ध है यह अनुपात 5:3 बैठता है जो 1967-68 के 5:7 की तुलना में कम और 1966-67 के 5:1 की तुलना में अधिक था ।

परिचालन में धन

4216. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने मूल्य की मुद्रा परिचालन में है ;

(ख) भारत में अनुमानतः इस समय कितनी जाली मुद्रा परिचालन में है ; और

(ग) यदि कोई विदेशी मुद्रा इस समय भारत में परिचालन में है, तो वह कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क). अनुमान है कि 20 नवम्बर 1970 को जनता के पास कुल 6696 करोड़ रुपये की मुद्रा थी जिसमें 4121 करोड़ रुपया करेंसी के रुप में और 2575 करोड़ रुपया बैंकों में जमा के रुप में है ।

(ख) जाली मुद्रा बनाना और उन्हें चलाना ऐसे अपराध है जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता में इतना कठोर दन्ड दिये जाने की व्यवस्था है जिससे कोई व्यक्ति भविष्य में ऐसा काम न कर सके । इसलिए इस प्रकार की मुद्रा चलन में नहीं हो सकती और इस बारे में पुलिस अधिकारी बराबर सतर्क रहते हैं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि कानून के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा नहीं चल सकती ।

पटना में गंगा नदी पर सड़क का पुल

4217. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में गंगा नदी पर बनाया जा रहा पुल सड़क तथा रेल दोनों के लिए होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल राज्यीय परियोजना है तथा यह बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने केवल सड़क-पुल के निर्माण की योजना बनायी है । हाल ही में, उन्होंने पुल के लिए, जिसका निर्माणस्थल गुजरालवाग क्षेत्र में हैं, अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें मांगी हैं ।

नेफा में पुरातत्वीय वस्तुओं का पाया जाना

4218. **श्री भगवान दास** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : नेफा में हाल ही में पाई गई पुरातत्व वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा आयोजित (1) भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, (2) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, (3) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, और (4) भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण की संयुक्त खोज के परिणामस्वरुप भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के भाग लेने वालों द्वारा प्रस्तर युग के शिल्प-तथ्य और नवपाषाण युग के औजार खोजे गए थे ।

सरकार द्वारा मुख्य पत्तनों का विकास

4219. **श्री क० लकप्पा** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में किन किन मुख्य पत्तनो पर विकास कार्य आरम्भ किया है;

(ख) प्रत्येक पत्तन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी; और

(ग) उक्त परियोजनाएं अनुमानत: कब तक पूर्ण हो जाएगी ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में मंगलौर और तूतीकारिन पर दो नये बड़े पत्तनों का विकास और मौजूदा आठ बड़े पत्तनों, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम, कांडला, मारमांगाकी और पारादीप, का विकास शामिल है।

(ख) प्रत्येक मामले में आवश्यक विदेशी मुद्रा-राशि निम्न प्रकार है :—

	(रुपये करोड़ों में)
(1) कलकत्ता	0.52
(2) हल्दिया गोदी पद्धति	7.20
(3) बम्बई	7.75
(4) मद्रास	1.83
(5) कोचीन	5.65
(6) विशाखापत्तनम (आंतरिक हारवर)	2.55
(7) विशाखापत्तनम (वाह्य हारवर परियोजना)	6.09
(8) कांडला	1.58
(9) मारमूगाओं	5.38
(10) पारादीप	2.20
(11) मंगलोर हारवर परियोजना	1.98
(12) तूतीकारीन हारवर परियोजना	0.82
कुल योग	46.55

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों में शामिल बहुत अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूरा होने का निर्धारित समय नीचे दिया गया है :—

(1) हल्दिया परियोजना	1971
(2) बम्बई गोदी विस्तार और वलार्ड बेगसार विस्तार योजनाएं	1972

(3)	न्हावा-शवा में बंबई के एक सहायक पत्तन की स्थापना	बंबई पत्तन के विकास की मास्टर योजना पर सलाहाकार इन्जीनियर की रिपोर्ट के मिलते ही और सरकार द्वारा निवेश-निर्णय लिये जाने पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए समय अनुसूची तैयार की जाएगी।
(4)	मद्रास वाह्य हारवर परियोजना	1973
(5)	कोचीन तट गोदी परियोजना	1972
(6)	विशाखापत्तनम वाह्य हारवर परियोजना	1974
(7)	मारमुगाओ पत्तन विकास परियोजना	1973
(8)	तूतीकोरीन हारवर परियोजना	1972
(9)	मंगलोर हारवर परियोजना	1972

बड़े पत्तनों के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों में शामिल की गयी अधिकांश अन्य योजनाओं के चौथी योजना काल में ही पूरा होने की संभावना है।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पर्यटन समन्वय कार्यालय

4220. **श्री एन शिवप्पा** : क्या पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक पर्यटन समन्वय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). दक्षिण एशिया अथवा दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक नया पर्यटन कार्यालय स्थापित करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। पर्यटन विभाग का एक कार्यालय टोकियो में पहले ही स्थित है। पर्यटन से सम्बन्धित कार्यकलापों का समन्वयन करने के लिये निरंतर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बुकिंग तथा आरक्षण के लिये कम्प्यूटरों का प्रयोग

4221. **श्री रविराय** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स बुकिंग तथा आरक्षण कार्यों के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग शुरू करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका इण्डियन एयरलाइन्स में उक्त पद्धति को कब तक प्रारम्भ करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इण्डियन एयरलाइन्स 1974 के अन्त तक आरक्षण (रेजर्वेशन) कार्य में कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करने का इरादा रखती है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में विमान सेवाएं

4222. **श्री रविराय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में विमान सेवाओं को चालू करने के लिये विशेष ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सीमान्त क्षेत्रों के, इम्फाल, कूच बिहार, अमृतसर, जम्मू और भुज जैसे स्थान पहले ही विमान सेवाओं द्वारा जुड़े हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के कुल्लू, श्रीनगर, पन्तनगर (नैनीताल के लिए), बाग डोगरा (दार्जिलिंग के लिए), चंडीगढ़ (शिमला के लिए), कोएम्बेतूर (नीलगिरि के लिए), जैसे स्थान भी पहले ही विमान सेवाओं द्वारा जुड़े हुए हैं।

पर्यटकों की मांगों तथा सामाजिक एवं भौगोलिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए नए स्टेशनों को विमान सेवा क्षेत्र में समाविष्ट करने के लिए निरन्तर अध्ययन किए जाते हैं।

इंडियन एयरलाइन्स को विदेशी मार्गों पर विमान सेवाएं चालू करने की अनुमति

4223. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स को कुछ विदेशी मार्गों पर विमान सेवाएं चालू करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इण्डियन एयरलाइन्स नेपाल, अफगानिस्तान, लंका तथा बर्मा के लिये पहले ही अनुसूचित सेवायें परिचालित कर रहे हैं।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा दी गई सहायता

4224. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत ने कुल कितनी धनराशि की सहायता दी;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत भारत में विदेशों से देशवार कितने प्रशिक्षणार्थी आये ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि में कितने भारतीयों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत भारत ने 1967, 1968 और 1969 में क्रमश: 62.68 लाख रुपये, 45.26 लाख रुपये और 41.09 लाख रुपये की तकनीकी सहायता दी है।

भारत कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत नेपाल को आर्थिक सहायता भी देता है। नेपाल को 1967-1968 और 1969 के दौरान, दी गई इस प्रकार की सहायता की रकम क्रमश: 911.1 लाख रुपये, 897.0 लाख रुपये और 1027.5 लाख रुपये बैठती है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

1. 1967-1968 और 1969 में कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत भारत में आये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का देशवार ब्यौरा :—

	1967	1968	1969
अफगानिस्तान	35	30	36
आस्ट्रेलिया	—	—	—
बर्मा	6	7	13
कम्बोडिया	—	—	—
श्रीलंका	55	51	46
इण्डोनेशिया	7	23	13
ईरान	—	2	—
जापान	—	—	—
कोरिया	—	3	10
लाओस	—	4	1
मलयेशिया	35	96	39
मालदीव	4	5	2
नेपाल	120	92	95
न्यूजीलैंड	—	—	—
पाकिस्तान	—	—	—
फिलीपीन	20	32	33
सिंगापुर	1	5	3
थाईलैंड	24	31	23
वियतनाम	5	2	7
जोड़	312	383	326

II. 1967, 1968 और 1969 के दौरान प्रशिक्षित किये गये भारतीयों की संख्या

वर्ष	संख्या
1967	406
1968	234
1969	330
जोड़	970

पर्यटन पुलिस बल बनाने का प्रस्ताव

4225. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 28 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों से प्राप्त असंख्यक शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उनका मंत्रालय पर्यटक पुलिस बल बनाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस संबंध में राज्य सरकारें आवश्यक प्रबन्ध करती हैं।

पुरातन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन

4226. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 28 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या के 4371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पुरातन (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947, के प्रतिस्थापन के लिए हाल में प्रसारित तथा परिचालित पुरातन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) विधेयक 1970 के संबंध में इस बीच राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई और

(ख) यदि हां, तो इसे संसद के समक्ष कब लाया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). कुछ राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि, अब तक प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्रारूप अधिनियम के परिशोधन का काम पहले ही हाथ में है। ये सभी अवस्थाएं पूर्ण हो जाने पर विधेयक को यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

राजस्थान में सीमा सड़क परियोजनायें

4227. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री 14 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2805 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच राजस्थान की सीमा-सड़क परियोजनाओं में घोटाले का मामला केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इन्जीनियर को सोंप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और क्या कार्यवाही की है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राजस्थान सरकार की प्रार्थना पर इस मामले में जांच करने के लिये इस मंत्रालय के मुख्य अभियंता (सड़क) और मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) की एक कमेटी नियुक्त की गई है और जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Schemes for the Development of Tourism in Bihar

4228. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director of Tourism Department of Bihar had forwarded some scheme and suggestions in the begining of 1970 to the Central Government for the development of tourism in Bihar; and

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b). Several proposals have been received from time to time. After careful consideration, keeping in mind availability of resources, it has been decided to take up the following schemes only during the Fourth Plan in the Central sector.

			Estimated Cost (Rs. in lakhs)
(a)	Acquisition of land around the Mahabodhi temple at Bodhgaya	—	13.00
(b)	Tourist Service Centre at Bodhgaya	—	1.50
(c)	Tourist Cafeteria-cum-Information Centre at Nalanda	—	1.50
(d)	Tourist Cafeteria-cum-Information Centre at Rajgir	—	2.50
(e)	Tourist Reception Centre at Patna	—	10.00
		Total:	28.50

समुद्र में दुर्घटनाओं के कारण जहाजों का डूबना

4229. **श्री अब्दुलगनी डार** : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में वर्षवार समुद्र में दुर्घटनाओं के कारण कितने जहाज डूबे और इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग कुल कितनी हानि हुई;

(ख) प्रत्येक मामले में उक्त हानि के क्या कारण थे;

(ग) क्या उक्त हानि के बारे में किसी व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराया गया है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है तथा किन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) गत तीन वर्षों में समुद्री दुर्घटनाओं के कारण तीन भारतीय जहाज डूबे ।

वर्ष		जहाज का नाम	कुल हानि
1967		शून्य	शून्य
1968	(1)	एस०एस० पारवती जयन्ती	जहाज का बीमा 30 लाख रुपये मूल्य
		माल की हानि	992 रुई की गांठें । मूल्य मालूम नहीं ।
	(2) एम०वी०विश्व शान्ति	जहाज का बीमा मूल्य	210 लाख रुपये
		जहाज पर मूल्य	4137 टन चाय सामान्य माल आदि मूल्य मालूम नहीं
		जानी नुकसान	एक कार्मिक
	(3) एस०एस० भारत रत्न	पोत का बीमा मूल्य	59.05 लाख रुपये
		पोत पर लदा माल	220 टन नमक मूल्य मालूम नहीं
1969	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) तीनों मामलों में हतहत का कारण पोतों का भूमि में धस जाना था ।

(ग) और (घ). **एस० एस० पावर्ती जयन्ती** : व्यापार पोत अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्रारम्भ की जांच पूरी हो गई है और जांच पड़ताल अधिकारी की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

एम० वी० विश्वशान्ति : मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बंबई ने अक्तूबर/नवम्बर, 1968 में व्यापार पोत अधिनियम 1958 के अन्तर्गत औपचारिक जांच पड़ताल की । न्यायालय ने पोत के मास्टर की अनेक चूकें पाई और उसके मास्टर के दक्षता के प्रमाणपत्र को 10 जनवरी, 1969, न्यायालय के फैसला देने की तिथि, से दो वर्ष के लिये निलम्बित करने का आदेश दिया तदनुसार कार्यवाही की गई ।

एस० एस० भारत रत्न : अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बम्बई, ने अक्तूबर, 1970 में औपचारिक जांच पड़ताल पूरी की । औपचारिक जांच पड़ताल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

विदेशी मुद्रा का नियतन

4230. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष

1970-71 में अब तक अध्ययन सम्बन्धी यात्राओं, खिलाड़ियों, फिल्म कलाकारों और पर्यटकों के लिए अलग अलग कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी जा चुकी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान अर्थात् अप्रैल से अगस्त 1970 तक विदेशों में अध्ययन यात्राएं करने के लिए लगभग 22 लाख रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा दी गयी थी। चूंकि विदेशी मुद्रा दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्रश्न में उल्लिखित श्रेणियों, अर्थात् खिलाड़ियों, फिल्म कलाकारों आदि, के आधार पर नहीं रखी जाती, इसलिए उस आधार पर सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा। जहां तक पर्यटकों का सम्बन्ध है, सामान्यतः इस श्रेणी के लिए विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती पर विदेश यात्रा योजना के अधीन, एअरइंडिया, इण्डियन एअरलाइन्स और शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को मामूली प्रासंगिक खर्चों के लिए 100 डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का अधिकार है।

Memorandum submitted by Stock Exchanges

4231. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the various Stock Exchanges in the country had recently submitted any memorandum to him;

(b) if so, the main points thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir. A Memorandum dated the 7th November. 1970 was recently submitted by the Presidents of all the Stock Exchanges.

(b) In the Memorandum referred to above they have represented their point of view regarding :-

(i) conversion of loans given by the long term public financial institutions into equity capital of the assisted concerns and

(ii) exercise by commercial Banks of voting rights attached to shares pledged with them for raising bank finance.

(c) The matter is under consideration.

बम्बई का नगरीयकरण करने के लिये विश्व बैंकों द्वारा सहायता

4232. **श्री दंडपाणि : श्री नारायणन :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने यह अध्ययन करने के लिए कि बम्बई शहर का नागरीयकरण किस प्रकार किया जा सकता है एक विशेषज्ञ दल बम्बई भेजा है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस विशेषज्ञ दल, ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या विश्व बैंक द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। हाल ही में, विश्व बैंक के एक दल ने, बम्बई की शहरी विकास की कुछ समस्याओं का प्रारम्भिक अध्ययन करने के लिए वहाँ का दौरा किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूंकि अभी केवल प्रारम्भिक अध्ययन ही किया गया है, इसलिए अभी कुछ कहना सम्भव नहीं होगा कि विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलेगी या नहीं।

Shifting of Central School from Anisabad to Kankarbagh (Patna)

4233. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had taken a decision to shift the Central School from Anisabad in Patna to Kankarbagh Colony a few years back;

(b) if so, the action taken so far in this regard and the reasons for the delay; and

(c) the time by which this School is proposed to be shifted to the Kankarbagh Colony ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The plot of land allotted by the Government of Bihar in Kankarbagh Colony (Ram Manohar Lohia Nagar) in January, 1969 was found unsuitable for the Kendriya Vidyalaya, as the area was low-lying and prone to getting flooded during the rains. The State Government have been accordingly requested to provide some better alternative site.

(c) Further action will be taken after the State Government has taken a decision in the matter.

Conference of All India Federation of University and College Teachers Organisation

4234. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sixth Conference of All India Federation of University and College Teachers Organisation was held at Patna on the 2nd and 3rd November, last;

(b) if so, whether the resolutions adopted in the said Conference have since been received by him; and

(c) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto?

The Minister of Education & Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) According to the Press reports the Sixth annual conference of the All-India Federation of University and College Teachers' Organisation was held at Patna on 2nd and 3rd November, 1970.

(b) No, Sir.

(c) Do not arise.

Grant of Scholarships in various Cultural Fields

4235. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have selected certain persons for the grant of scholarships under the scholarship scheme for youths working in various cultural fields for the year 1969-70; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kiska) : (a) & (b). A statement is attached.

STATEMENT

Under the Scheme of Scholarships to Young Workers in different Cultural Fields, provision exists for award of 25 scholarships in different Cultural Fields. During 1969-70, the following candidates were selected:-

SUBJECT/FIELD	NAMES OF THE PERSONS
Hindustani Music (Vocal)	1. Kumari Ranjana Mookerjee
	2. Sri Maqbool Husain Khan
	3. Kumari Haimanti Sukla
	4. Kumari Geeta Mukherjee
Hindustani Music (Instrumental)	5. Sri Abhijit Kumar Majumdar (Tabla)
	6. Sri Dinesh Kumar Prabhakar (Violin)
	7. Sri Subhash Chandra Khanguwal (Shehnai)
Karnatak Music (Vocal)	8. Kumari S. Prema Kumari
	9. Sri T. N. Sesha Gopalan
	10. Kumari S. Jayamma
	11. Kumari C. K, Reetha
Karnatak Music (Instrumental)	12. Kumari G. Meenakshi (Veena)
	13. Sri H. K. Narasimha Murthy (Violin)
Rabindra Sangeet	14. Sri Gopal Chandra Patra
Folk Song	15. Smt. Sanchita Chatterjee
Western Music	16. Sri Surajeet Chatterjee
Odissi Dance	17. Sri Gangadhar Pradhan
Kathakali Dance	18. Sri C. V. Ramakrishnan
	19. Sri K. N. Narayanan Namboodri
Drama	20. Kumari Snaoli Mitra
	21. Sri Somendra Nath Guha
Painting	22. Sri Manubhai Jethabhai Parikh
	23. Sri Akhilendu Bhowmik

Sculpture

24. Sri Atul Chandra Borooah
25. Sri Jai Karan Singh Chhillar

Pending Cases of Income Tax

4236. **Shree Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state : (a) the total number of Income-tax cases at present pending with the Income Tax Officers in the country; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to dispose of these cases expeditiously?

The **Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) As on 30.9.1970 there were 34,05,528 Income-tax assessment cases pending for disposal in the Income-tax Offices all over India.

(b) It has been the endeavour of the Income-tax Department to eliminate delays and expedite the pace of disposal of assessments. Several legal and administrative measures have been taken in the past to expedite the disposal of assessments. Recently the monetary limit for the applicability of the Small Income Scheme has been raised. These measures are kept under periodic review so that further improvements can be made as and when neceseary for achieving the desired objective of expeditious disposal of assessments.

Dependence of Indian Institute of Public Administration on U. S. Aid.

4237. **Shri Meetha Lal Meena** :
Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the India Institute of Public Administration is dependent on the U. S. aid; and

(b) if so, whether Government have taken any steps for the removal of dependence of this Institute on the U. S. aid?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b) : The reference to the U. S. aid is apparently to the financial aid received by the I. I. P. A. from the Ford Foundation of America. The major share of the Institute's income is derived from Central Government grants and the Institute's own internal resources and the Ford Foundation's assistance has been used for supplementing the Institute's financial resources for specific projects. The Institute is, therefore, not dependent on foreign aid for its general activities.

बालासौर, उड़ीसा में सेन्ट्रल स्कूल

4238. **श्री स० कुन्दू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें एक संसद सदस्य ने उड़ीसा में बालासौर में एक सेंट्रल स्कूल स्थापित करने के बारे में लिखा है

(ख) यदि हां, तो उस पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या सरकार ने बालासोर में एक सैण्ट्रल स्कूल स्थापित करने का निश्चय कर लिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) . जी

हां, चूंकि केन्द्रीय विद्यालय मुख्यतया केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिये होते हैं, इस विषय में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को लिखा गया था; परन्तु उनके उत्तरों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि, बालासोर में केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारी काफी संख्या में है। जब कभी भी, केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय विशेष, इस स्थान की परम-अग्रता के आधार पर सिफारिश करेगा, तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी पर पुल के निर्माण के लिये ऋण

4239. **श्री स० कुन्दू** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्वर्ण नदी पर पुल बनाने के लिए ऋण की मंजूरी देने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर है और इस विषय पर कब सक निर्णय लिया जाएगा ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). जी, नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभ की दर में कमी

4240. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभ की दर में, विशेषकर जमा की जाने वाली धनराशि में भारी कमी हुई है :

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1970 के लिए जमा धनराशि का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) इस संबंध में क्या सफलता मिली है और उक्त कमी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में रकमें जमा कराने में होने वाली वृद्धि की दर में कमी हुई है। दिसम्बर 1969 के अन्तिम शुक्रवार और 13 नवम्बर, 1970 के बीच की अवधि में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जिनका जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, जमा रकमों में 46.4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 323.9 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, 1969 के मुकाबले 1970 में जमा रकमों में होने वाली वृद्धि में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) 1970 में जमा रकमों में वृद्धि के लिये कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। परन्तु बैंकों, को, अपनी जमा रकमों में वृद्धि करने के लिए पूरा पूरा जोर लगाने को कहा गया है।

राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निदेशक की नियुक्ति

4241. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली

के निदेशक पद के लिये डा० एन० आर० बनर्जी का नाम दिया गया था जिसको उनके मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सिफारिश को किस आधार पर अस्वीकार किया गया है।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) जी हां, क्योंकि हाल ही में एक निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय संग्रहालय के विज्ञान के क्षेत्र में एक विशिष्ट ख्याति के व्यक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए इस पद पर सुयोग्य व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए पद के ग्रेंड को बढ़ाना चाहिए नये सिरे से आवेदन पत्र मंगव ने चाहिए।

कलकत्ता विश्व विद्यालय के शिक्षकों के लिये नये वेतनमान

4242. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर 1970 में उप-कुलपति की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला था और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नये वेतनमान देने के मामले पर बातचीत की थी।

(ख) क्या उन्होंने योजना की क्रियान्विति के लिये उन्हें सभी सम्भव केन्द्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो नये वेतनमान कब से लागू किये जायेंगे और उसके लिये केन्द्र ने कितनी वित्तिय सहायता दी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कलकत्ता विश्वविद्यालय की वरिष्ठसभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल (कुलपति की अध्यक्षता में) तथा पश्चिम बंगाल कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल भी सितम्बर 1970 में मुझ से मिला था। उन्होंने मुझसे पश्चिम बंगाल के गैर-सरकारी सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों की कुछ समस्याओं पर विचार विमर्श किया और मैंने उनसे इन समस्याओं से सम्बन्धित विद्यमान स्थिति को स्पष्ट किया। बातचीत के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नया वेतन मान देने का कोई जिक्र नहीं था।

कलकत्ता विश्वविद्यालय की वरिष्ठ सभा सदस्यों का प्रतिनिधि-मण्डल वित्त मंत्री से भी मिला।

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणामों घोषित करने का अलग-अलग समय

4243. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक परिक्षाओं के परिणामों की घोषणा का समय-समय अलग-अलग है

(ख) क्या कई छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेषार्थ आवेदन पत्र देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता क्योंकि उनके परिणाम देर से घोषित किये जाते हैं।

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस आशय का पत्र लिखना उचित समझती है कि वे परीक्षा-परिणामों को घोषित करने के एक निश्चित समय पर सहमत हो जायें, ताकि छात्रों के सामने आने वाली कठिनाई दूर की जा सके; और

(घ) यदि हां,तो राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : (क) से (घ). उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने वाले स्कूलों और कालेजों द्वारा भारत में अनुपालन किया जाने वाला शैक्षिक वर्ष या तो अप्रैल/मई या नवम्बर/दिसम्बर में समाप्त होता है। मार्च/अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं के परिणाम साधारणतया मई या जून में और नवम्बर/दिसम्बर में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के फरवरी या मार्च में घोषित किए जाते हैं। कालेजों/विश्वविद्यालयों में दाखिला सामान्यतया प्रत्येक वर्ष जून/जुलाई में किया जाता है अतःविशिष्ट मामलों में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण परिणाम घोषित किए जाने के विलम्ब को छोड़कर, उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षाएँ पास करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालयों में आवेदन करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे मामलों में देर से दाखिले को अनुमति प्रायः दे दी जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विश्वविद्यालयों से कालेजों के पुनः खोले जाने की एक समान तिथि को अपनाने के प्रश्न पर पहले ही से विचार कर रहा है। एक बार इस बात पर समझौता हो जाने पर, स्कूल परीक्षाओं के बोर्ड लोक परीक्षाओं की तिथियों को व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि पर्याप्त समय रहते हुए ही परिणाम प्रकाशित किए जा सकें।

कर के ढाचें से सम्बन्धित भूतलिंगम प्रतिवेदन

4244. **श्री क० लकप्पा**: क्या **वित्त** मंत्री कर के ढांचे के सरलीकरण तथा युक्तियुक्तकरण से संबंद्ध भूतलिंगम प्रतिवेदन के हिन्दी रुपान्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त हिन्दी अनुवाद में पाई गई गलतियों, त्रुटियों और चूकों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त गलतियां किस प्रकार की हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

वित्त मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). कर के ढांचे के सरलीकरण तथा युक्तियुक्तकरण से सम्बद्ध भूतलिंगम प्रतिवेदन का हिन्दी में अनुवाद बहुत थोड़े समय में करना पड़ा था। इस कारण इस अनुवाद में कुछ अयथार्थताएं आ गयी हैं। कुछ स्थलों पर अनुवाद में सुधार करने की गुंजाइश भी थी। इन बातों का सम्बन्ध हिन्दी अनुवाद में पूर्णतः उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग न किये जाने तथा कुछ अंश छूट जाने से है।

इस अनुवाद के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को तथा इसी प्रकार का अनुवाद कार्य करने

वाले अन्य कर्मचारियों को उपयुक्त रुप से सावधान किया गया था और उन्हें यह हिदायत दी गयी थी कि वे काम के स्तर को सुधारने में आवश्यक सावधानी बरतें, चाहें वह काम थोड़े समय में ही पूरा किया जाना हो ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्तियां करने तथा छात्र वृत्तियां देने के मामलों में हरिजनों के साथ कथित भेदभाव

4245 . **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, नियुक्तियों तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने के मामलों में हरिजनों के साथ पूर्ण भेदभाव की नीति अपना रहा है, जैसा कि 10 नवम्बर , 1970 को कार्यकारी पार्षद श्री एस० एन० सरसुनिया ने उल्लेख किया ; और

(ख) यदि हां , तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार उन्हें श्री सरसुनिया से दिनांक 10 नवम्बर, 1970 का, हरिजनों के साथ भेदभाव सम्बन्धी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी सच यह नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय हरिजनों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति को अपना रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन एयरलान्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की विभिन्न पदों पर नियुक्तियां

4246. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कलकत्ता द्वारा हाल ही में अनेक मिस्त्री मेन्टेनेन्स इन्जीनियर आदि जैसे तकनीकी पदों की भर्ती के लिये इन्टरव्यू हेतु बुलाये गये आवेदकों में कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । कलकत्ता में एयरक्राफ्ट तकनीशियनों के पदों के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए गए थे । इन्जीनियरों के पदों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है तथा पात्र अनुसूचित जाति/ जनजाति कर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कलकत्ता में एयरक्राफ्ट तकनीशियन के पद के लिए अनुसूचित जाति के 29 उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजाति के एक उम्मीदवार से आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ थे ; और एयरक्राफ्ट संधारण इन्जीनियर II तथा एयरक्राफ्ट संधारण इन्जीनियर III के पदों के लिए अनुसूचित जाति के दो दो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

कूच विहार हवाई अड्डे पर कार्य कर रहे इन्डियन एयरलान्स के माल लादने वाले तथा अन्य चौथी श्रेणी के कर्मचारी

4247. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूच बिहार हवाई अड्डे पर कार्य कर रहे माल लादने वाले तथा चौथी श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को नैमित्तिक श्रमिक ही माना जाता है यद्यपि वे उक्त हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स के अधीन गत दो वर्षों से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) माल लादने वालों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनको प्रतिमास कितना वेतन दिया जाता है ;

(ग) क्या उन्होंने इस आशय के कई अभ्यावेदन दिये हैं कि उन्हें स्थाई संवर्ग में सम्मिलित किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा०कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख)

कुली	4
चपरासी	1
स्वीपर	2
रात का चौकीदार	1

रात के चौकीदार को 70/- रुपये प्रति मास (कुल मिलाकर) दिये जाते हैं तथा अन्य नैमित्तिक कर्मचारियों (केजुअल एम्प्लाईज) को 3·92 रुपये प्रति दिन की दर से दिये जाते हैं ।

(ग) और (घ). इण्डियन एयरलाइन्स को नैमिक कर्मचारियों से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और वह उनके विचाराधीन है ।

कूच विहार हवाई अड्डे के विश्राम-कक्ष को सजाने के लिए मंजूरी की गई धन-राशि

4248. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूच बिहार हवाई अड्डे के विश्राम-कक्ष को सजाने के लिए 7400 रुपयों की राशि मंजूर की गई थी किन्तु असैनिक उड्डयन के महानिदेषक द्वारा वह राशि

रोके रखी गई तथा उक्त हवाई अड्डा सुसज्जित नहीं किया गया; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) कूच-बिहार हवाई अड्डे को कब तक उचित रूप से सुसज्जित किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . कूच-बिहार विमानक्षेत्र पर यात्री-लौंज में नये फ़र्निचर की व्यवस्था करने कर लिये 7620 रुपये की एक राशि मंजूर की गयी है तथा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। एक निकट के स्टेशन से अस्थायी तौर पर वहाँ फर्निचर की व्यवस्था करने की संभावना की भी जांच की जा रही है।

कलकत्ता में सैंट्रल बैंक आफ इन्डिया के माल गोदाम के माल की जाँच पड़ताल

4249. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता में सैन्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया के माल गोदामों के माल की नियमित रूप से जांच पड़ताल नहीं की जाती;

(ख) क्या यह सच है कि सैंट्रल बैंक आफ इन्डिया के कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय तथा बहुबाजार कार्यालय के गोदामों से क्रमशः 50 लाख रुपयों और 30 लाख रुपयों की हाल में चोरी हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क). उपलब्ध सूचना के अनुसार, सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के गोदाम निरक्षक, सामान्यतः 3 से 4 महीनों के अन्तर से ऋणकर्ताओं के गोदामों का निरक्षण करते हैं। उक्त बैंक के कलकत्ता कार्यालय ने भी अप्रैल 1970 से यह व्यवस्था की है कि जिन ऋणकर्ताओं के लिए 3 लाख और उससे अधिक रकम की ऋण सीमा मंजूर की गयी हो, उनके उन स्टाकों का जिन पर बैंक का प्रचार हो, समय समय पर, अर्हता प्राप्त सर्वेक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाय।

(ख) फरवरी/मार्च 1970 में बैंक के कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय के दो खातों के संबन्ध में, उन स्टाकों में, जिन पर बैंक का प्रभार था 20 लाख रुपयों तक के मूल्य का स्टाक कम पाया गया था। चूंकि इन खातों के सम्बन्धित स्टाकों में जो कमी पायी गयी थी उसके लिये बैंक ने सांपार्श्विक/अतिरिक्त जमानत भी ले रखी थी इसलिए उसे इस सम्बन्ध में सामान्यतः कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है। अभी तक बैंक की बहू बाजार स्थित शाखा के किसी खाते के सम्बन्ध में स्टाक में कमी होने का पता नहीं चला है।

(ग) और (घ) . रिजर्व बैंक ने, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की छः शाखाओं के गोदामों का निरिक्षण करने के लिए अपने अधिकारियों को तैनात किया है और सम्बद्ध रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर खड़े फोकर फ्रैन्डशिप विमान के इंजन की दिल्ली में ओवरहालिंग

4250. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का फोकर फ्रैन्डशिप विमान कलकत्ते पर खड़ा है लेकिन उसके विमान इन्जनों की मरम्मत दिल्ली में की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कलकत्ते में इन्जनों की आपतकालीन मरम्मत के लिए इन्जीनियरों मकेनिकों और फालतू पुर्जो के दिल्ली से आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में ऐसी 24 घटनाएं हुई जब फोकर फ्रैन्डशिप विमान को दिल्ली से मरम्मत करके इन्जन प्राप्त करने के लिये अस्थायी तौर पर खड़े रहना पड़ा ;

(घ) क्या सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि फोकर विमान इन्जनों की आवश्यक ओवरहालिंग और मरम्मत के लिये तकनीकी क्षेत्र, कलकत्ते में नये इन्जन आवरहाल भवन का आधुनिकीकरण किया जाये; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त सुझाव के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां ।

(ख) : इण्डियन एयरलाइन्स का कलकत्ता बेस से (अड्डा) फोकर विमानों पर फिर हुए डार्ट इन्जनों की छोटी-मोटी मरम्मत करने के लिए पूर्ण रूप से सज्जित है । तथापि, बड़े मरम्मत कार्यो के लिए कलकत्ता एवं अन्य सभी बेसों को दिल्ली स्थित डार्ट इन्जन ओवरहाल बेस से सहायता लेनी पड़ती है ।

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

भूतपूर्व फ्रांसीसी प्रशासक के 'चन्द्रनगर' निवास स्थान का फ्रांसीसी सांस्कृतिक केन्द्र तथा संग्राहलय में बदला जाना

4251. **श्री ज्यातिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व फ्रांसीसी प्रशासक के निवासस्थान 'चन्द्रनगर' (पश्चिमी बंगाल) को सुरक्षित बनाये रखने तथा उसे फ्रांसीसी सांस्कृतिक केन्द्र तथा संग्राहलय के रुप में परिवर्तित करने का बचन दिया था । (जैसे कि विलय संधि से स्पष्ट होता है) ।

(ख, क्या उनके मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने 26 नवम्बर, 1966 को उक्त स्थल का दौरा किया था और उसके बारे में कुछ सिफारिशें की थी;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सचिव ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पास अपने अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 134- इ डयू(ए०सी०) दिनांक 24 दिसम्बर, 1967 के द्वारा कोई योजना भेजी थी; और

(घ) यदि हां तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी हां। किन्तु पत्र दिनांक 10 फरवरी, 1967 का था और न कि 24 दिसम्बर 1967 का।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार में अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से प्रस्वावित योजना पर आगे विचार किया गया था। वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस समय प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

Loss suffered by Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad and Nagari Pracharini Sabha, Banaras

4252. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Mintster of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Hindi Sahitiya Sammelan, Allahabad is running at a loss at present:

(b) whether the said loss is attributable to the mismanagement of the Sammelan;

(c) whether the mismanagement is also prevailing in the affairs of the Nagari Pracharini Sabha of Banaras; and

(d) whether Government propose to take steps to ensure that the institutions engaged in the propogation of Hindi do not suffer losses because of their internal mismangement?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) According to the information available in the Ministry, the Sammelan has not suffered any loss during the last three years. In fact, there was an excess of income over expenditure by Rs. 1.57 lakhs in 1967-68 Rs. 59,587/- in 1968-69 and Rs. 1,14,325/- in 1969-70.

(b) Does not arise.

(c) No complaint regarding any mismanagement in the affairs of the Nagari Pracharini Sabha, Varanasi has been received in this Ministry

(d) The institutions engaged in the propogation of Hindi are mostly Voluntary Organisations and the Government do not exercise any power to intrefere in their internal affairs. However, in cascs of such organisations as are given financial assistance by the Central Government for the propogation of Hindi, the Ministry ensures that the Government grants are not misused and are actually utilized for the purposes for which they are given.

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा बैंकों का निबटान

4253. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने नवम्बर, 1970 में कई दिनों तक चैकों का निबटान बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या थीं;

(ग) वाणिज्य कार्यों पर बैंकों के इस प्रकार के यदा कदा कार्यभंग का कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस दिशा में क्या सरकार कोई कदम उठाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) रिजर्व बैंक ने, उन छः केन्द्रों में जिनमें उसके कार्यालय थे, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की गयी हड़ताल के कारण, एक से लेकर तीन दिनों तक चैकों का निबटान बन्द कर दिया था ।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मुख्यः मांगे ये थीं कि स्वीकृत संशोधित वेतन मान पीछे की तारीख से अर्थात पहली अगस्त 1968 से लागू हों और उस तारीख से संशोधित वेतन मानों में उन्हें रखने के बाद उन्हें विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त वेतन-वृद्धि दी जाय ।

(ग) और (घ) सरकार का उद्देश्य सदा इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना हैं कि हड़तालों से कारोबार प्रभावित न हो ।

Shortage of Hotels and Tourist Homes in Madhya Pradesh

4254. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is shortage of hotels and tourist homes in Madhya Pradesh, keeping in view the increasing number of tourists there;

(b) the earnings from tourism during 1969 as compared with the earnings during 1968 in Madhya Pradesh:

(c) whether Government propose to advance loans for opening hotels and restaurants there in view of the difficulties being experienced in this regard; and

(d) if so, the total amount earmarked for the purpose?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Shortage of hotels and tourist homes has been noticed in places of tourist importance like Khajuraho in Madhya Pradesh.

(b) The Department of Tourism does not compile State-wise figures of earnings from tourism.

(c) & (d) Though no specific amount can be earmarked for any particular place, loans are available from the Hotel Development Loan Fund and from other financial institutions for setting up hotels.

Separate Circle of Archaeological Survey of India in Madhya Pradesh.

4255. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received from the Madhya Pradesh Government a request to open a separate circle of Archaeological Survey of India in Madhya Pradesh;

(b) if so, the main purpose behind the said request; and

(c) the decision taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Development of Tourist Centres In Madhya Pradesh

4256. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of the places in Madhya Pradesh, which have been selected for development as tourist centres;

(b) whether necessary facilities have been provided in all the tourist centres; and

(c) if so, the amount allocated for the development of these places?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) : In addition to the tourism schemes of the State Government, the Central Government propose to take up the following schemes during the Fourth Plan period in Madhya Pradesh :

(i) Development of Khajuraho for which a provision of Rs. 5 lakhs has been made by the Department of Tourism and of Rs. 20 lakhs by the ITDC for expansion of the Travellers' Lodge.

(ii) Kanha-Kisli National Park—it is proposed to provide additional transport and other facilities. Orders for the purchase of vehicles for use in the Park have been placed.

(iii) Sanchi-Augmentation of water supply on the hill-top for convenience of tourists,

Decrease in the Population of wild animals in Asigarh and Mandwa East Nimar District, Madhya Pradesh

4257. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the population of wild animals, particularly of panthers, tigers and lions, which were once found in abundant number in Asigarh and Mandwa area of East Nimar District in Madhya Pradesh, has considerably decreased now as a result of which the number of tourists to Asigarh has also gone down; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Department of Tourism is not aware of any wild life census in these areas.

(b) Does not arise.

आयकर कार्यालय, बम्बई में पंखों का लगाया जाना

4258. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के आयकर आयुक्त को विभिन्न व्यक्तियों से कई अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें उन्होंने यह अनुरोध किया है कि आयकर कार्यालय के बरामदों में, जहां कार्यालय में उपस्थित लोगों को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पंखे लगाये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) छः पंखों की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है और आयकर कार्यालय, बम्बई के गलियारे में जहां भी आवश्यक है, और अधिक पंखों की व्यवस्था की जा रही है।

अप्रैल 1970 में कम्बाटा एयरलाइन्स के हैलीकाप्टर को बम्बई से कुछ दूर समुद्र में गिरकर टूक - टूक होना

4259. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** अप्रैल 1970 में कम्बाटा एयरलाइन्स के हैलीकाप्टर का बम्बई से कुछ दूर समुद्र में गिरकर टूक-टूक हो जाने के बारे में 31 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 963 के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त दुर्घटना के बारे में जांच कर रहे अधिकारी के निष्कर्ष इस बीच प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं। दुर्घटना की अभी जांच हो रही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारत के पर्यटक मानचित्र में कानपुर शहर

4260. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पर्यटक मानचित्र में अभी तक भी कानपुर शहर को सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) . विशिष्ट रूप से कोई भी स्थान "पर्यटन मानचित्र" पर नहीं लाये गये हैं। पर्यटकों को, निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़ कर, जहां वे चाहें जाने की स्वतन्त्रता है। पर्यटन विभाग के अनुरोध पर किये गये नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 8% विदेशी यात्रियों (1969 में लगभग 2,000) ने कानपुर की यात्रा की। सीमित साधनों के कारण, भारत सरकार के लिए कानपुर में किसी भी पर्यटन योजना को हाथ में लेना संभव नहीं है।

असैनिक विमानों की आवश्यकता

4261. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए असैनिक विमानों की वर्तमान संख्या और किस्म पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस समय सिविल रजिस्टर पर 98 विभिन्न प्रकार के कुल 663 विमान हैं। विमानों के विभिन्न प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताएं समय समय पर बदलती रहती हैं। सरकार को, वाणिज्यिक परिवहन के सिवाय, विमानन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में विमानों की कमी की जानकारी नहीं है। दोनों कारपोरेशन अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के विषय में योजना बनाने के लिये यातायात के पूर्वानुमान लगाने के लिये अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० इस समय मध्यम प्रकार के परिवहन विमानों (एच०एस-748) का निर्माण कर रहे हैं तथा ऐसे कई विमान इण्डियन एयरलाइन्स के इस्तेमाल में हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० एक लाइट पिस्टन इन्जन वाले प्रशिक्षक विमान, पुष्पक, का भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि फ्लाइंग क्लबों के लिये उपयुक्त है। तथापि, वाणिज्यिक परिवहन के लिये बड़े जेट विमानों का आयात करना पड़ता है।

विदेश यात्रा के लिए नियमों को उदार बनाना

4262. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेश यात्रा सम्बन्धी नियमों को उदार बनाकर अधिक व्यक्तियों को विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

National Parks developed for Wild Life Tourism

4263. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of National Parks developed for wild life tourism in the country, State-wise;

(b) the annual expenditure being incurred thereon;

(c) the number of persons who visited these parks during the last three years, year-wise, and the number of foreign tourists among them; and

(d) the details of the income earned from these visitors during the last three years, year-wise?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Two National Parks i. e. Corbett National Park (Uttar Pradesh) and Kanha National Park (Madhya Pradesh) are included in areas selected by Department of Tourism for wild life tourism development.

(b) Maintenance is the responsibility of the State Governments concerned. The Department of Tourism has so far extended financial assistance of Rs. 482,000 and Rs. 52,500 respectively to these areas.

(c) & (d) The Department of Tourism only maintains figures of tourist arrivals on an all India basis. Data on the number of visitors to individual National Parks and income area-wise and year-wise therefrom is not maintained by Department of Tourism.

Madhyama, Shastri and Acharya Courses in Delhi University

4264. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in almost all the Universities in the country, arrangements exist for the teaching and examination in Madhyama, Shastri and Acharya courses of Sanskrit language;

(b) if so, the reasons for non-existence of facilities for these courses in the Delhi University;

(c) whether Government propose to make arrangements for these courses in the Delhi Universities also; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) to (d) The University of Delhi has already facilities for teaching of Sanskrit in B.A. (Pass), B.A. (Hons.) and M.A. Courses. There is, therefore, no proposal to start Madhyama, Shastri and Acharya Courses.

Publication of "Panchatantra" in India

4265. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government are aware that 'Pancha Tantra' a collection of unique stories which impart political as well as practical insight, has been published in foreign languages and its copies have been circulated among the people in lakhs;

(b) whether Government propose to take any steps to publicise this book in the country for the benefit of students in particular; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State for Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) : The 'Panchatantra' has been published in foreign languages and has had its impact on the development of folk tales and fables throughout the world. It has all along been very popular in India, particularly amongst students and as such no new publicity is now necessary.

भारत में विदेशों की रुपया निधियां

4266. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में देशवार विदेशों की रुपया निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन निधियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें मिली हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) भारत में अन्य देशों द्वारा रखी गयी रुपया-निधियां इन तीन किस्मों की है ।

1. भारत ने सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ, यूगोस्लाविया, रुमानिया, बल्गारिया, पोलैंड, लोकतंत्रीय जर्मन गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, उत्तरी कोरिया जैसे कुछ देशों के साथ दिव्पक्षीय व्यापार और भुगतान करार कर रखे हैं । इन करारों के अन्तर्गत, सभी लेनदेनों का भुगतान अपरिवर्तनीय रुपयों में किया जाता है और इस प्रयोजन से, इन देशों के विदेशी

व्यापार बैंकों के भारत में अपने रुपया खाते हैं। इन अपरिवर्तनीय रुपया राशियों का उपयोग भारतीय वस्तुओं की खरीद करने और गैर-वाणिज्यिक लेनदेनों के लिए, जिनमें राजदूतावासों से सम्बन्धित व्यय भी शामिल है, किया जाता है। सामान्य बैंककारी और राजनयिक कार्य-प्रणालियों के अनुसार, इन खातों में जमा रकमों को गोपनीय माना जाता है।

2. भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की जमा रुपया-निधियों के स्वरूप और मात्रा का ब्यौरा 27 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2633 के उत्तर में दिया गया था।

3. अन्य सभी देश भारत में अपने दूतावासों के व्यय के लिये, रुपयों में परिवर्तनीय अपनी मुद्रा राशि रुपया राशियां लाते हैं।

(ख) जी नहीं।

गांधी विद्या मंदिर कालेज, चर्खी दादरी, (हरियाणा) की इमारत का विस्तार

4267. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी विद्या मन्दिर कालेज, चर्खी दादरी (हरियाणा) से कालेज की इमारत का विस्तार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धन की मंजूरी के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कालेज से आवेदन पत्र की केवल अग्रिम प्रति प्राप्त हुई है। आयोग ने कालेज के प्राधिकारियों को सूचित किया है कि जब प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के जरिए उनको प्राप्त हो जाएगा तब उस पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा।

लघु उद्योग फैक्टरियों से उत्पादन-कर की वसूली

4268. **श्री इशहाक सम्भाली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69, और 1969-70 में राज्यवार और वस्तुवार लघु उद्योग फैक्टरियों से कितने केन्द्रीय उत्पादन कर की वसूली की गयी; और

(ख) उक्त अवधि में राज्यवार, वस्तुवार बड़े कारखानों से ऐसे कर की वसूल की गयी राशि के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन-पटल पर रख दी जायगी।

परीक्षाओं में गलत तरीके अपनाना और निरीक्षकों की सुरक्षा

4269. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षाओं में गलत तरीकों के प्रयोग को रोकने और निरीक्षकों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख): यह विषय प्राथमिकता राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों का है। फिर भी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस मामले की देख-भाल के लिये एक समिति नियुक्त की है। इस समिति की चार बैठकें हो चुकी हैं और उनमें इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा चुका है। उसकी रिपोर्ट को तैयार करने के हेतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में प्रस्तुत करने के लिये जनवरी, 1971 में उसकी अन्तिम बैठक होने की आशा है। यदि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने समिति की सिफारिशों को मान लिया, तो आगे की कार्यवाई के लिए उन पर विचार करने के लिए उनको राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों को भेज दिया जाएगा।

बीमा अधिनियम में संशोधन

4270. **श्री नारायणन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने बीमा अधिनियम, 1938 में एक संशोधन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम द्वारा अधिनियम में संशोधन किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल नहीं उठते।

राज्यों को विदेशी सहायता

4271. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी विदेशी सहायता मिली; और

(ख) क्या इस सहायता को लेने और इसे चुकाने के संबन्ध में सरकार किसी निश्चित नीति का पालन करती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सारी विदेशी सहायता भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है न कि राज्यों द्वारा यदि सहायता किसी एक राज्य की प्रायोजना के लिए भी होती है तो भी वह विदेशी सहायता भारत सरकार को ही दी जाती है। प्रायोजना के लिए रुपयों के रूप में वित्तीय आवश्यकताओं को आयोजना के लिए की गई सामान्य व्यवस्था में से ही पूरा किया जाता है। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें और ब्यौरा दिया गया है।

(ख) आयोजनाओं में जिस रूप में आर्थिक विकास की परिकल्पना की जाती है उसे पूरा करने के लिए आवश्यक, भारत के बाहरी साधनों की अनुपूर्ति करने के लिए ही विदेशी सहायता प्राप्त की जाती है। वापसी-अदायगी हर साल निर्यात आदि से होने वाली बाहरी प्राप्तियों से की जाती है।

विवरण

भारत सरकार को जो विदेशी ऋण प्राप्त होते हैं, उनमें से विभिन्न राज्यों की आयोजनाओं के लिये आवश्यक मशीनों और उपकरणों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा निर्धारित की जाती है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की इन आयोजनाओं में बिजली उत्पादन, सिंचाई, औद्योगिक और खनन प्रायोजनाएं आ जाती हैं जो पंचवर्षीय आयोजनाओं में सम्मलित होती हैं।

लेकिन कुछ मामलों में विदेशी सहायता विशेष प्रायोजनाओं के लिये प्राप्त होती है और 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में इन विशेष प्रायोजनाओं के लिये मिली विदेशी सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है --

नाम और प्रायोजना के ऋण का स्रोत	रकम करोड़ रुपयों में
कनाडा	
1. मैसूर स्थित इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी की शरावती प्रायोजना	3.82
2. केरल स्थित बिजली प्रायोजना	13.53
संयुक्त राज्य (आयात और निर्यात बैंक)	
इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी, मैसूर	1.50
अन्तर्राष्ट्रीय पुर्नानिर्माण और विकास बैंक	
उत्तर प्रदेश स्थित तराई बीज प्रायोजना	9.75
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	
गुजरात स्थित कदना सिंचाई प्रायोजना	26.25

Nutritions Meals to School Children in Madhya Pradesh

4272. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Centrally sponsored programme of serving lunch to the school children was started in 1962-63 under the Ministry of Education;

(b) if so, the total expenditure incurred by the Central Government in Madhya Pradesh during the last three years under the said programme and the number of children benefitted in Madhya Pradesh thereunder;

(c) whether it is also a fact that the Prime Minister in her last Budget speech, had announced a programme of giving special nutritious meals to the school children; if so, the number of school children in Madhya Pradesh who have benefitted under the programme?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. M. Kishu) : (a) Yes, Sir. The Mid-day meals programme for school children was introduced

in 1962-63 as a Centrally sponsored scheme. However, the programme was transferred to the State sector with effect from 1967-68 as a Centrally aided scheme. From 1969-70 the scheme is part of the State Plan.

(b) During the years 1967-68 and 1968-69 the total expenditure incurred by the Government of Madhya Pradesh on the implementation of the programme amounted to Rs. 13 lakhs and Rs. 17.99 lakhs respectively, 40% of which was contributed by the Government of India as central assistance. With effect from 1969-70 no separate grant is given by the Central Government for Mid-day meals programme as such. Central assistance for the purpose is included in the block grant given to the Government of Madhya Pradesh for development purposes.

The number of school children covered by the programme in Madhya Pradesh during the last three years is reported to be as follows:—

1967-68	—	2,20,000
1968-69	—	2,25,000
1969-70	—	2,25,000

(c) In the Memorandum "Towards Growth with Social Justice" which was placed before the Lok Sabha while presenting the last Budget, it was, **inter-alia**, stated that the School Feeding Programme which was already in operation will be continued. This is being done by the various States including Madhya Pradesh.

Imposition of Sales Tax on Cloth, Tobacco and Sugar in place of Excise Duty.

4273. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the names of the States and the Union Territories which suggested to the Central Government that Sales Tax should be imposed on cloth, tobacco and sugar in place of excise duty?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : Before the Fifth Finance Commission, which considered the question of continuance of the existing arrangements regarding replacement of sales tax by additional excise duty on textiles (other than silk fabrics), sugar and tobacco, the States of Jammu & Kashmir and Nagaland had urged that they were in favour of maintaining the existing arrangements. By and large the other States had expressed dissatisfactton with the working of the scheme.

भारतीय तथा विदेशी बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर

4274. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बैंकों (भारतीय तथा विदेशी) द्वारा ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर में कोई समानता है तथा उनका भारत के रिजर्व बैंक के साथ क्या सम्बन्ध है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : बैंकों (भारतीय और विदेशी) द्वारा ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दरों में कोई समानता नही है। ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की न्यूनतम दर के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा किये गये एक आन्तरिक करार के अनुसार बैंकों को, ऋणों पर बैंक-दर से 2 प्रतिशत अधिक की न्यूनतम दर से ब्याज लेना होता है किन्तु यह न्यूनतम दर 6 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं होती। रिजर्व बैंक ने निर्यात के सम्बन्ध में दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की अधिकतम दर 6 प्रतिशत निर्धारित की है तथा अन्य, तिलहन, वनस्पति तेल कच्ची रूई और कपास जैसी कुछ चुनी हुई वस्तुओं के बदले दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में देय ब्याज की न्यूनतम दरें निश्चित की हैं।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण का विनियमन

4276. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1970 को कलकत्ता में मर्चेन्ट्स चैम्बर आफ कामर्स के समक्ष भाषण देते हुए भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह टिप्पणी की थी कि यदि ऋण व्यवस्था को विकास में सहायक बनाना है तो इसका इस प्रकार विनियमन करना होगा जिससे कि यह मुद्रास्फीति का माध्यम न बन सकें; और

(ख) यदि हां तो विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये ऋण को विनियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों से अगस्त, 1970 में ही यह कहा कि वे अपनी परिसम्पत्तियों में वृद्धि करें जिससे नकदी और नकदी जैसी परिसम्पति का साविधिक अनुपात 27 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाय । इसके साथ साथ, नकदी और नकदी जैसी वास्तविक (नेट) परिसम्पति का न्यूनतम अनुपात, जिससे रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋणों की लागत निर्धारित होती है, 32 प्रतिशत से बढ़ा कर 33 प्रतिशत कर दिया गया । ऋण सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा करने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 10 नवम्बर 1970 को वाणिज्यिक बैंकों की जो बैठक आयोजित की थी, उसमें यह स्वीकार किया गया था कि मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि को देखते हुए, बैंकों को चाहिए, कि वे ऋण की राशि को सीमित करने की नीति अपनायें । रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह बताया कि रिजर्व बैंक की ऋण नीति का उद्देश्य यह होगा कि मुद्रास्फीति-कारी दबावों में वृद्धि किये बिना, सभी अत्यावश्यक जरूरतों का वित्त पोषण किया जाय ।

बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि उन्हें ऋण की अतिरिक्त मांगों की पूर्ति के लिए मुख्यतः अपने ही साधनों पर निर्भर रहना चाहिए और रिजर्व बैंक उन्हें केवल अन्तिम उपाय के रूप में और अल्पावधियों के लिए ही वित्त उपलब्ध करेगा । इसके अलावा, रिजर्व बैंकों को उनकी जरूरतों का ध्यानपूर्वक जायजा लेने के बाद और उनके द्वारा जमा की रकमें जुटाने के लिए किये गये उपायों को ध्यान में रख कर ही, विवेकानुसार ऋण सहायता प्रदान करेगा ।

रिजर्व बैंक ने उपयुक्त मार्जिन, उच्चतम सीमाएं और ब्याज की ऐसी न्यूनतम ऐसी दरें निर्धारित करके, जो बैंकों द्वारा इस प्रकार के ऋणों के सम्बन्ध में आमतौर पर लिये जाने वाले ब्याज की दरों से ऊँची हैं, अनाजों, तेलहनों और बनस्पति तेलों, और कच्ची रूई तथा कपास के एवज में दिये जाने वाले अग्रिमों का विनियमन करने के लिए चयनात्मक आधार पर ऋण-नियन्त्रण भी करता है । इन उपायों का उद्देश्य यह है कि जिन वस्तुओं की कमी है, सट्टेबाजी के प्रयोजन से उनकी जखीराखोरी करने के लिए बैंक-धन के उपयोग को निरूत्साहित किया जाय ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र की दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध है, वे उनसे सहायता चाहने वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए पर्याप्त सामान्य पूंजी का आधार होने पर बल देती रही हैं, ताकि उन प्रतिष्ठानों के प्रवर्तक विशेषतः बड़ी बड़ी प्रायोजनाओं के प्रवर्तक

कम सामान्य-पूंजी का आधार अपना कर और भारी मात्रा में संस्थागत वित्त का आश्रय लेकर, लाभ में अनुपात से अधिक हिस्सा प्राप्त न कर सकें।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् शाखाओं के विस्तार पर खर्च

4277. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों की *शाखाओं के विस्तार पर खर्च में वृद्धि हो रही है; और

(ख) क्या बैंक राष्ट्रीयकृत के पश्चात खोली गई *शाखाओं में धन जमा करने वालों के आकर्षित होने की बजाय नये ऋण की मांग का दबाव अधिक रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा विस्तार की गति, 1970 के पहले 9 महीनों में पिछले वर्ष की उसी अवधि की गति के मुकाबले तेज रही है जिसके परिणामस्वरूप शाखा विस्तार के कार्य पर खर्च में वृद्धि हो गयी है।

(ख) रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध जमा रकमों और अग्रिमों सम्बन्धी प्रारम्भिक आंकड़ों से यह पता चलता है कि नयी शाखाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की तुलना में जमा रकमों में अधिक वृद्धि हुई है।

भारतीय कर संस्थान

4278. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापार तथा कर विशेषज्ञों और सरकार के बीच सतत रूप से विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करने हेतु एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय कर संस्थान *स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान को कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस संस्थान के क्या कार्य होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) . श्री एन० के० पी० साल्वे, संसद-सदस्य ने भारत की सरकारी वित्त-व्यवस्था, राजस्व नीतियों और कर-प्रशासन का स्वतंत्र अध्ययन करने, देश के आर्थिक विकास में कराधान की भूमिका के बारे में और वित्तीय क्षेत्र में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में आधारभूत अनुसंधान करने, और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान और जानकारी का प्रसार करके लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से भारतीय कराधान संस्था (इन्डियन इन्स्टिट्यूट आफ टेक्सेशन) नामक संस्था की स्थापना करने की प्रस्थापना प्रस्तुत की है। सरकार इस प्रस्थापना पर विचार कर रही हैं।

राज्यों के परिवहन विभागों के सचिवों का अगरतल्ला में हुआ सम्मेलन

4279. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या पोतपरिहवन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के परिवहन विभागों के सचिवों का एक सम्मेलन 7 सितम्बर 1970 को अगरतल्ला में हुआ था,

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उनमें क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। ज्ञात हुआ है कि बैठक स्थगित हो गयी थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिमी बंगाल के कालेजों और स्कूलों के शिक्षकों की विभिन्न मांगों के बारे में विवाद

4280. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेजों और स्कूलों के शिक्षकों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में एक विवाद पश्चिमी बंगाल की सरकार के सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विवाद के सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विवाद को किस आधार पर सुलझाया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) . इस मामले में अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी बंगाल के कन्टाई सब डिवीजन में कलकत्ता और डिघा के बीच सम्पर्क मार्ग

4281. **श्री समर गुह** : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्टाई सब डिवीजन में कलकत्ता तथा समुद्रवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र डिघा के बीच एक नया सम्पर्क मार्ग बनाया जा रहा;

(ख) क्या इस मार्ग का निर्माण तामलुक तथा कांलिगार के समीप वाली नदियों पर पुल बनाने के पश्चात् ही पूरा हो सकेगा;

(ग) क्या उक्त दो पुलों पर निर्माण--कार्य प्रारम्भ हो गया है और उन्हें पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन दो पुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा; और

(ङ.) क्या इस नये मार्ग के बनकर चालू हो जाने पर कलकत्ता और डिघा के बीच की यात्रा पहले की अपेक्षा आधे घन्टे के समय में पूरी हो जायगी ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबार सिंह) : (क) से (ङ.) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सर्वे आफ इंडिया द्वारा पुराने तरीकों का उपयोग

4282. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वे आफ इन्डिया अभी भी पुराने घिसे-पिटे तरीकों का ही उपयोग करता है जबकि विकसित देश "आंकिकी मानचित्रकला" (डिजिटल कार्टोग्राफी) का उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या पुराने तरीकों का उपयोग करने के कारण नगर या कस्बे के मार्ग दर्शन मानचित्र बनाने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है जिसके परिणाम-स्वरुप वे पर्यटकों के लिए बेकार हो जाते हैं, जिनके लिये कि उन्हें छापा जाता है ;

(ग) क्या यह विभाग सिंचाई परियोजनाओं, इस्पात कारखानों रेलवे आदि को सहायता पहुँचाने के लिए सही माप देने वाले मानचित्र सप्लाई करने में अस्मर्थ हैं ;

(घ) क्या सर्वे आफ इण्डिया ने देश की रक्षा और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वयं को पर्याप्त रुप से सज्जित करने के लिये सरकार से दो करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की मांग की थी, पर वह स्वीकार नहीं की गई ; और

(ङ.) यदि हां, तो उपरोक्त मांग को न मानने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) हालांकि भारतीय सर्वेक्षण शीटों पर स्वच्छ ड्राइंग के लिए ड्राइंग के कागज और कलमों का उपयोग जारी रखे हुए हैं लेखन प्रणालियों का उपयोग शुरु किया जा चुका हैं। पूरे विभाग में नई प्रणालियां क्रमशः शुरु कर दी जाएंगी। विश्व के केवल कुछ ही देशों द्वारा आंकिकी मानचित्र कला अपनाई गई है और विकसित देशों में भी इस प्रणाली के आर्थिक पहलुओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) अभी हाल तक नगर और कस्बे के मार्ग दर्शक मानचित्रों को वर्गीकृत समझा जाता था। महत्वपूर्ण नगरों के लिए इन मानचित्रों को प्रत्येक दो वर्षों के बाद छापने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) सुरक्षा एवं अन्य सर्वेक्षणों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, भारतीय सर्वेक्षण विभिन्न विकास सम्बन्धी परियोजनाओं को सभी संभव सहायता दे रहा है।

(घ) और (ङ.) भारतीय सर्वेक्षण ने बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि

के लिए उसकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं 2 करोड़ रुपयों के लगभग है। विदेशी मुद्रा प्रत्येक वर्षार्ध के लिए निर्धारित की जाती है तथा विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी वशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो।

सर्वे आफ इंडिया द्वारा नैपाल का मानचित्र बनाना

4283. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964 में सर्वे आफ इंडिया ने नैपाल का मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी ली थी ;

(ख) क्या यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और उसमें नवीनतम रुकावट पर्याप्त विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण नक्सा छापने के उपयुक्त आयातित उपकरणों का उपलब्ध न होना है ;

(ग) क्या इस बीच नैपाल सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत से स्मरण पत्र भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां। कोलम्बो योजना सहायता के भाग के रुप में 1954 में नैपाल का सर्वेक्षण हाथ में लिया गया था।

(ख) नैपाल का वास्तविक सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है तथा शीटों का अधिकांश भाग छप भी गया है और नैपाल सरकार को भेज दिया गया है। शेष शीटें मुद्रण के विभिन्न स्तरों में हैं और शीघ्र ही पूर्ण कर दी जाएंगी। इस कार्य के दौरान कोई विशेष कठिनाई सामने नहीं आई है।

(ग) और (घ) : नैपाल सरकार ने काठमांडू में हमारी मिशन को कार्यक्रम के अनुसार इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुरोध किया है। इस ओर प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

यात्री के पेट से सोने के बिस्कुटों का पकड़ा जाना

4284. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स हैदराबाद जाने वाले उन तीन यात्रियों के नाम और राष्ट्रीयता क्या है, जो अपने पेट में 6000 ग्राम सोना छिपाये हुये थे और जो शान्ता क्रुज हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 20 सितम्बर, 1970 को गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों ने किस प्रकार से पता लगाया और उनसे किस प्रकार से प्राप्त किया ; और

(ग) इन तस्करों के विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बम्बई सीमा-शुल्क गृह के सीमा शुल्क अधिकारियों ने इण्डियन एयर लाइन्स के जिन तीन यात्रियों को, 4665 ग्राम सोना

ले जाने के आरोप में शांताक्रुज हवाई अड्डे पर 20 सितम्बर 1970 को गिरफ्तार किया था, उनके नाम नीचे दिये अनुसार है :--

(i) मोहन लाल रतनलाल पुरोहित

(II) बिहारी लाल उर्फ भेरुमल भूताजी

(III) बाबूलाल धुलकोजी सेठिया

गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक है ।

(ख) इस आशय की सूचना मिलने पर कि ये व्यक्ति अपने मलद्वार में सोना छिपाकर ले जायेंगे , उन्हें हवाई-अड्डे पर रोका गया तथा बाद में उन्होंने सीमा-शुल्क अधिकारियों तथा पंचों की उपस्थिति में उक्त सोना बाहर निकाला ।

(ग) इन तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में प्रत्येक को 5000 रुपयों की जमानत पर छोड़ा गया । आगे जांच-पड़ताल की जा रही है ।

एक हरिजन शोधकर्ता को काम दिलाना

4285. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक हरिजन शोधकर्ता, जिसे विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं मिल सका, को रोजगार देने के सम्बन्ध में बल देने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 100 छात्रों ने 12 नवम्बर, 1970 को विश्वविद्यालय परिषद् के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि शोधकर्ता के पास विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सभी आवश्यक योग्यताएं हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसे विश्वविद्यालय में कार्य न देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस मामले की जाँच करने के लिए किसी समिति की नियुक्ति की गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं । परन्तु उस दिन नारे लगाने वालों में कुछ बाहर के व्यक्ति थे । एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ने भी उसी दिन विश्वविद्यालय की इमारतों के पास भूख हड़ताल की थी ।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए चयन तुलनात्मक गुण और संविधिक प्रकरण समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है । भूख हड़ताल करने वाले शोधकर्ता को साक्षात्कार के लिऐ बुलाया गया था और क्योंकि वह प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम योग्यतायें रखता था ,उस पर अन्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया गया था ; तथापि चुनाव समिति द्वारा पद के लिए उसकी सिफारिश नहीं की गयी थी ।

(घ) जी, नहीं ।

ऋण चुकाना

4286. **श्री शंकर राव माने** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के सहायता कार्यक्रम से भारत के लिए ऋण चुकाने सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं और एक ऐसी स्थिति आ गई है जबकि निर्यात से प्राप्त आय के लगभग 30 % आय अधिकतर ऐसे ऋणों को चुकाने में खर्च की जायेगी जिनमें सशर्त लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस भार को कम करने तथा वित्तीय विकास में आत्म-निर्भर होने के लिए सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पिछले दो वर्षों में विश्व बैंक समूह से सहायता देने के नये वचन मुख्यता विश्व बैंक से संबन्द्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिले हैं जो नर्म शर्तों पर 50 वर्षों में अदा किये जाने वाले ब्याजमुक्त ऋण देता है परन्तु इन ऋणों पर केवल $\frac{3}{4}$ प्रतिशत सेवा प्रभार देना होता है। इस समय ऋण परिशोधन का ऊंचा स्तर होने का कारण। 1950-59 के दौरान और 1960-69 के कुछ पहले वर्षों में विश्व बैंक से भिन्न स्रोतों से कठिन शर्तों पर लिये गये ऋण हैं।

(ख) विदेशी सहायता की जरूरत को कम से कम करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थ और घरेलू उत्पादन में प्रोत्साहनात्मक वृद्धि आदि अनेक उपाय सरकार द्वारा पहले से ही किये जा रहे हैं।

दिल्ली में छोटे सिक्कों का पिघलाया जाना

4287. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे सिक्के विशेषकर एलूमीनियम के सिक्के दिल्ली में तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सिक्कों को पिघलाकर बर्तन तथा अन्य उपयोगिता की वस्तुऐं बनाई जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). हाल के महीनों में भारतीय रिर्जव बैंक की नयी दिल्ली स्थित शाखा के काउन्टरों पर, एल्यूमीनियम-मैंग्नेशीयम मिश्रित धातु के बने सिक्के कम मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। किन्तु, चूंकि इन सिक्कों का अंकित मूल्य, उनमें लगी धातु के बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ये सिक्के इसलिए लुप्त हो रहे हैं कि प्रश्न में उल्लिखत प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है सम्भवत: इन सिक्कों के धीमी गति से प्राप्त होने का वास्तविक कारण यह है कि तांबे-निकल के छोटे सिक्कों की उपलब्धि में उत्तरोत्तर कमी होने के कारण, जनता द्वारा अब इन सिक्कों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है।

विदेशी मुद्रा में बेइमानी

4288. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा में बेइमानी की समस्या को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) विदेशी मुद्रा में बेइमानी किस किस माध्यम के जरिए होती है; और

(ग) बेइमानी के इन माध्यमों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). आम तौर पर, विदेशी मुद्रा में हानि आयतित माल के बीजक में अधिक मूल्य दिखलाने और निर्यातित माल के बीजक में कम मूल्य दिखाने के कारण होती है । सेवाओं के बदले में विदेशी मुद्रा की आय का निर्धारित तरीके से हिसाब लगाने के कारण भी विदेशी मुद्रा की हानि हो सकती है। इन समस्याओं पर निरन्तर विचार किया जाता है और जहां आवश्यक होता है, सरकार समुचित कार्रवाही (वैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्य) करती है।

आयकर की वसूली

4289. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के निर्णय के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ऐसा कोई प्रपत्र जारी किया गया है जिसमें आयकर कार्यालयों से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 220 (6) के अन्तर्गत उन मामलों की बकाया राशि को पहली अपील के निर्णय तक वसूल न करने के लिए कहा गया है जिनमें आयकर निर्धारण विवरण पत्र में दी गई राशि के दुगुने से भी अधिक पर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रपत्र का पाठ क्या है ;

(ग) कलकत्ता आयुक्त के क्षेत्राधिकार में कितने मामलों में उक्त प्रपत्र की शर्तों के अनुसार वसूली रोकने की अनुमति दी गई तथा कितने मामलों में उनको अनुमति नहीं दी गई तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या परामर्शदात्री समिति के उक्त निर्णय को सब मामलों में लागू किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मंत्रालय की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति द्वारा की गई सिफारिश को देखते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सभी आयकर आयुक्तों को इस आशय की उपयुक्त हिदायतें जारी की हैं कि जब कर निर्धारण करते समय निश्चित की गई आय विवरिणी में दिखायी गई आय की अपेक्षा बहुत अधिक हो अर्थात् विवरिणी में दिखायी गई आय की रकम से दुगनी अथवा उससे भी अधिक हो तो अपील के फैसले तक विवादास्पद कर की वसूली स्थगित कर दी जानी चाहिए बशर्ते कि निर्धारितियों की ओर से कोई चूक नहीं हुई हो।

(ग) तथा (घ) . अपेक्षित सूचना कलकत्ता के आयकर आयुक्तों के सभी अधिकार क्षेत्रों से संबंधित सभी कर-निर्धारण रिकार्ड देखने के बाद ही एकत्रित की जा सकती है और इसमें

बहुत अधिक समय तथा श्रम लगेगा । आयकर अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी मामलों में बोर्ड की हिदायतों का पालन करेंगे ।

Branches of Various Banks in Rae Bareli District of U. P.

4290. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the present number of branches of various banks in Rae Bareli, District of Uttar Pradesh, including the locations thereof; and

(b) whether there is any proposal to set up additional branches of Banks in Rae Bareli during 1970-71 and if so, the proposed locations thereof?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) As on October 31, 1970, there were 11 offices of the commercial banks functioning in Rae Bareli district as indicated below:-

State Bank of India	Rae Bareli and Salon.
Central Bank of India	Bachhrawan
Bank of Baroda	Tiloi, Maharajganj, Unchahar and Dalmau
Dena Bank	Lalganj
Union Bank of India	Rae Bareli
Allahabad Bank	Rae Bareli
Benaras State Bank Ltd.	Jais

(b) Reserve Bank has issued licences to Bank of Baroda, which is the lead bank for the district, to open 4 more offices at Semeri, Jais, Rae Bareli and Didaur. Plans for opening more offices are expected to be drawn up after the lead bank survey, for identifying centres in need of banking facilities, is completed.

Disposal of Smuggled Articles.

4291. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of the smuggled articles category-wise seized by the Central Customs Department during the year 1969-70; and

(b) the total income earned from the sale of the various types of the said articles?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The value of articles seized by the Customs authorities during the year 1969-70 is given below :-

	(Value Rs. Crores)
Gold (at international monetary rate)	4.90
Others (at Indian market price)	18.76

(b) Information in this regard is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Hotel for Visitors at Chitrakut, U. P.

4292. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no big and suitable hotel exists for lodging of visitors at Chitrakut, (Uttar Pradesh) which is a great pilgrimage centre of the Hindus and is visited by lakhs of pilgrims; and

(b) whether Government propose to start a big and suitable hotel in Chitrakut in the public sector or the private sector for providing facilities to visitors there?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There is no hotel approved by the Department of Tourism at Chitrakut.

(b) In view of paucity of funds it is not possible for Government to build a hotel in Chitrakut. If a private party wants to start a hotel he can apply for a loan from the Hotel Development Loan Fund.

मनीपुर में सहायक प्रधानाध्यापकों का वेतनमान

4293. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में हाई स्कूलों के सहायक प्रधानाध्यापकों को वही वेतन मिलना चाहिए था जो कि आसाम के सहायक प्रधानाध्यापकों को, क्योंकि मनीपुर में अपने कर्मचारियों को वही वेतन और भत्ते दिये जाते हैं जो कि आसाम में;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर और आसाम के सहायक प्रधानाध्यापकों के वेतनमानों में अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मनीपुर में हाई स्कूल के सहायक प्रधानाध्यापकों को 200-500 रुपए का वेतनमान ही दिया जाता है जबकि आसाम में उनका वेतनमान 250-700 रुपए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो मनीपुर सरकार और केन्द्रीय सरकार मनीपुर के वेतनमानों की आसाम के वेतनमानों को बराबर करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों को, इस परिशोधन से भी पहले प्रचलित समीकरणों के आधार पर, असम के समान वेतनमानों के 1-4-1964 से परिशोधित किया गया था। हाई स्कूलों के सहायक प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के पद के वेतनमान को, इसके विद्यमान समीकरण को दृष्टिगत रखते हुए, असम के समान वेतनमान में 1-4-1964 से 200-500 रु० में परिशोधित किया गया था, तथापि मनीपुर सरकार ने, हमको सूचित किया है कि इस मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

मनीपुर में गृह विज्ञान के विद्यार्थियों को स्नातकोतर छात्रवृत्ति देना

4294. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने गृह विज्ञान पढ़ रहे विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति देने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं; और

(ग) यदि सरकार ने अनुदान की राशि निश्चित कर दी है तो कितने विद्यार्थियों को उक्त छात्रवृत्ति मिल रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आसाम में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर बस सेवा का प्रभावित होना

4295. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर दीमापुर से 41/42 वे मील के पत्थर पर भारी भू-स्खलन के परिणामस्वरूप नियमित बस सेवा प्रभावित हुई थी,

(ख) यदि हाँ, तो वह सड़क कितने सप्ताह के लिये उस स्थान से सामान्य बस यातायात के लिये बन्द थी, और सड़क पर यायायात पुनः कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) सड़क की मरम्मत में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण है और सड़क की रुकावट के कब तक हटा दिये जाने की संभावना है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में डिघा जिले का विकास कार्यक्रम

4296. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **पोतपरिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में डिघा के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो कि समुद्र तटीय स्वास्थ्य-लाभ और पर्यटक केन्द्र है, सरकार उड़ीसा के बालासोर जिले में हुगली स्थित चन्दनेश्वर शिव मंदिर को डिघा से, पश्चिमी बंगाल सीमा से शिव मंदिर तक दो मील लम्बी मोटर चलने लायक सड़क बनकर, जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

(ख) क्या उड़ीसा सरकार इस मामले में कोई रुचि लेती रही है,

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में इस प्रकार की सड़क बनाये जाने की लम्बे समय से महसूस की गई आवश्यकता का क्या भविष्य है, और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार, बताग्राम में उड़ीसा तटीय नहर पर पुल बना कर जालेश्वर रेलवे स्टेशन को डिघा से जोड़ने और बताग्राम से चन्दनेश्वर तक की 8 मील लम्बी पी० डब्लू० सड़क में तथा चन्दनेश्वर शिव मंदिर से पश्चिम बंगाल सीमा की 2 मील लम्बी गांव की सड़क में सुधार करने में भी कोई रुचि ले रही है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन

4298. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपेक्षित परिवर्तनों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के कब तक नियुक्त करने का विचार है ? और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति नियुक्त किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) (ख). शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर सरकार का संकल्प 1968 में जारी किया गया था और इसे चौथी पंचवर्षीय योजना- जो 1969 में आरम्भ हुई थी -- के आधार के रुप में स्वीकार किया गया था । संकल्प के पैरा 7 में कहा गया है कि, " भारत सरकार प्रति पाँच वर्ष होने वाली प्रगति की समीक्षा भी करेगी तथा भावी विकाश के लिए मार्ग-दर्शन सुझाएगी । " तदनुसार, सरकार का प्रस्ताव 1972-73 में इस नीति के परिपालन को विस्तृत समीक्षा करने का है जबकि,संयोग से, पाँचवी पंचवर्षीय योजना की तैयारी भी हो रही होगी ।

Reserved Quota for S. C. & S. T. for posts of Post Graduate Teachers in Delhi Administration

4299. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4387 on the 28th August, 1970 regarding reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts of Post Graduate Teachers in Delhi Administration and state :

(a) whether the necessary information has since been collected from the Delhi Administration;

(b) if so, the details thereof;

(c) the names of the candidates appointed on ad hoc basis and of those appointed on regular basis, separately among them; and

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the resons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) Delhi Administration have intimated that all the qualified candidates belonging to the Scheduled Castes who were placed on the panel of selected candidates have been appointed. There are, however, no Sceduled Tribe candidates.

Subject-wise details are as under:—

SUBJECT	MALE	FEMALE
Chemistry	2	—
Physics	1	—
Biology	2	—
Commerce	—	—
Agriculture	1	—
History	1	—
Mathematics	—	—
Political Science	1	1
Hindi	1	—
Economics	1	—
English	1	—
Sanskrit	—	—
	11	1

(c) The necessary information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

(d) Does not arise.

Plan for construction of National and State Highways for the period 1961-81 chalked out at the conferance of State Chief Engineers

4300. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1958 the Chief Engineers of the various States had chalked out a 20-year plan for the period 1961-81 under which a target of construction of 2,52,000 miles of National and States Highways and 4,05,000 miles of other roads was fixed; and

(b) if so, the total expenditure incurred State-wise, under the above plan and the details of the progress so far made in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The plan suggested by the Chief Engineers in their report was published for information only to provide as a broad guide to the Centre and State Governments for formulating their successive Five Year Plans. Actual programmes were to be governed basically by the availability of funds. The question of giving any account of any expenditure incurred under the Chief Engineers plan by various States does not, therefore, arise.

समवाय-कार्य विभाग के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को भारतीय समवाय संचिव संस्थानों में नियुक्ति

4301. **श्री बूटा सिंह :** क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय-कार्य विभाग के कुछ प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को भारतीय समवाय सचिव संस्थान में पद आफर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन नियुक्तियों के लिये पूर्वानुमति दे रखी है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आफर किये गये पदों के लिए निर्धारित योग्यता और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की योग्यता का ब्यौरा क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). यह अवबुद्ध है कि संस्थान ने इस विभाग के चार प्रति नियुक्ति पर गये हुए कर्मचारियों को अपने कार्यालय के कुछ पदों पर स्थाई रुप से संविलीन करना आफर किया है चूँकि उन्होंने अभी तक इस आफर के लिये अपने प्रत्युत्तर का संकेत नहीं दिया है, अतः संस्थान ने कोई नियुक्ति नहीं की है । यदि वह इस आफर को स्वीकार करने के लिये तैयार होते हैं, तो उन्हें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा । एवं उस स्तर पर, उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ग) यह अवबुद्ध है कि प्रतिनियुक्ति पर गये हुये कर्मचारियों को आफर किये गये पदों के लिये, संस्थान द्वारा कोई विशिष्ट योग्यता विहित नहीं की गई है । प्रतिनियुक्ति पर गये हुये संबन्धित कर्मचारियों की योग्यतायें प्रत्येक के सामने नीचे दिखाई गई है :--

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान धारित पद	योग्यतायें	आफर किया गया पद व वेतन का ग्रेड
1-	श्री एन० एस० संथानम	उच्च श्रेणी लिपिक	एस० एस० एल० सी०	अधीक्षक 350-900 रु०
2-	श्री आर० पी० सेठी	निम्नश्रेणी लिपिक	बी० ए०	सहायक 210-530 रु०
3-	श्री एम० एम० वाही	निम्न श्रेणी लिपिक	मैट्रिक	उच्च श्रेणी लिपिक/ रोकड़ी 130-280 रु० तथा रोकड़ों के कार्य के लिये 20 रु० विशेष वेतन
4-	श्री पी० एन० भल्ला	निम्न श्रेणी लिपिक	मैट्रिक	उच्च श्रेणी लिपिक 130-200 रु०

मैसर्स नरुला फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध जाँच

4302. **श्री बूटा सिंह** : क्या वित्त मंत्री मैसर्स नरुला फाइनेन्स, प्राइवेट लिमिटेड के बारे में 16 मार्च, 1970 के आतारांकित प्रश्न संख्या 3152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कम्पनी के एक निदेशक से बकाया 568 रुपये वसूल कर लिये गये हैं;

(ख) क्या कम्पनी के निदेशकों ने वर्ष 1966-67 का तथा उसके बाद का सम्पत्ति कर का विवरण दे दिया है;

(ग) क्या मैसर्स नरुला फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध जाँच पूरी हो गई है;

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और उसके पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या सरकार ने कम्पनी के विरुद्ध बकाया कर की वसूली का नोटिस जारी किया है और यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है तथा उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी के 4 निदेशकों में से 2 निदेशकों अर्थात् श्रीमती कमला नरुला तथा स्वर्गीय श्री वी० पी० नरुला के मामलों में, कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 तथा उसके बाद के वर्षों की धन-कर विवरणियां दाखिल कर दी गई हैं। अन्य दो निदेशकों अर्थात् श्री के० एस० चावला तथा श्री एम० पी० चावला के मामलों में धन कर विवरणियां अभी तक नहीं दाखिल की गई हैं।

(ग) जांच-पड़ताल अभी भी जारी है।

(घ) जांच-पड़ताल में विलम्ब का कारण यह है कि जो बही-खाते सरकारी परिसमापक के कब्जे में थे, उनकी जांच के लिये उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी थी। उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने पर, मामले मार्च 1970 के लिये नियत किये गये थे। सरकारी परिसमापक सभी नोटिसों का अनुपालन नहीं कर सका है और न ही आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत कर सका है। इन अनिर्णीत कर-निर्धारणों को पूरा करने के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण तथा साक्ष्य पेश करने के लिये उसे कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों से सम्पर्क स्थापित करना है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, कर-निर्धारण पूरा होने में कुछ समय लगा रहा है।

(ङ.) इस मामले में वसूली सरकारी परिसमापक की मारफत की जानी है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 178 (2) के अन्तर्गत, सरकारी परिसमापक के पास 2, 31, 291 रुपयों की दावा पेश किया गया है।

गुजरात के निकट पकड़े गये तस्कर व्यापारी

4303. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री मीठा लाल मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण गुजरात के पास खुले समुद्र में कुछ अरब राष्ट्रिकों के एक जहाज में बहुत सा निषिद्ध माल ले जाया जा रहा था;

(ख) क्या भारतीय सीमाशुल्क अधिकारियों और अरबी तस्कर व्यापारियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसमें दोनों ओर से गोली चली थी; और

(ग) क्या तस्कर व्यापारियों को अन्त में पकड़ लिया गया था और यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने पहली/दूसरी नवम्बर 1970 की रात में दमन के सामने समुद्र में दुबई नमदल रजाकी से आने वाले एक अरब जलयान को रोका और (लगभग) 12 लाख रुपये मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा।

(ख) और (ग) : गोलियां दोनों ओर से नहीं चलाई गयी थीं। सीमाशुल्क की तीव्र-गामी नौका ने उस जलयान का दो घंटे तक पीछा किया और जलयान पर काबू पा लेने तक सीमा शुल्क अधिकारियों ने हवा में तथा भाग निकलने वाले जलयान पर 28 राउंड गोलियां चलाई। जलयान पर कोई अरब राष्ट्रिक सवार नहीं था। कर्मी दल के नौ सदस्य गिरफ्तार किये गये, जो भारतीय राष्ट्रीयता के हैं। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

भाड़े में सामान्य वृद्धि

4304 **श्री नन्द कुमार सौमानी :**

श्री ओंकार लाल बेरवा ?

क्या **पोत-परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस पोत-परिवहन सेवा ने हाल ही में भाड़े में 15 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि का सुझाव दिया है,

(ख) क्या अखिल भारतीय पोत-परिवहन परिषद् ने हाल ही में भारत सरकार से प्रस्तावित वृद्धि को स्वीकार न करने का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघरामैया) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) : इस विषय की अभी तक सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

4305 : **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या हाल ही में कार्यालय समय में बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन न किये गये थे;

(ख) क्या उन प्रदर्शनों के फलस्वरूप जनता को बहुत असुविधा हुई थी।

(ग) इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितनी हानि हुई; और

(घ) इस प्रकार के प्रदर्शनों में भाग लेने वाले बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) प्रदर्शनों का कारण बैंकों के सामान्य कार्य पर प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के ग्राहकों को असुविधा हुई।

(ग) इन प्रदर्शनों से राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो हानि हुई उसका मूल्यांकन करना कठिन है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में बिक्री कर अधिकारियों द्वारा आन्दोलन

4306. **श्री क० हाल्दर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन हेतु किये गये आन्दोलन के परिणामस्वरूप जून, 1969 में बिक्री कर राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(ख) क्या सरकार द्वारा उस सिफारिश को कार्यान्वित करने का आश्वासन देने के परिणामस्वरूप वह आन्दोलन वापस ले लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस आश्वासन की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). 1969 में पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक कर अधिकारियों का आन्दोलन वेतन आयोग की सिफारिशों के सिलसिले में नहीं था, जिनकी पहली किस्त केवल 31 दिसम्बर 1969 को प्रस्तुत की गयी थी। आन्दोलन, राज्य सरकार के यह आश्वासन देने पर वापस ले लिया गया था कि वाणिज्यिक कर अधिकारियों में प्रवर्तमान श्रेणी-विभाजन को समाप्त करने की यदि वेतन आयोग ने सिफारिश की तो श्रेणी विभाजन को समाप्त कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

पश्चिम बंगाल में जून 1969 में बिक्री-कर से प्राप्तियां जून 1968 में हुई प्राप्तियों के मुकाबले कम थीं। परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष 1969-70 की प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 1 68-69 के मुकाबले अच्छी थीं।

वाणिज्यिक टैक्स अधिकारियों के वर्गीकरण को समाप्त करना

4307. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार अपने वाणिज्यिक टैक्स अधिकारियों के वर्गीकरण को समाप्त करने के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के लिए अग्रिम रूप से वचनबद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस वचन का अभी तक पालन क्यों नहीं किया गया है ?

वित्त मंत्रायय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायगी।

राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय

4308. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली के लिये राजौरी गार्डन में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो भवन का निर्माण करने और जनता के हित के लिए पुस्तकालय चालू करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां—दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी की एक शाखा के रूप में।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भवन का एक भाग बन जाने की आशा है और पुस्तकें देने की सेवा संभवतः उस समय तक आरम्भ हो जायेगी।

नजफगढ़ रोड और दिल्ली छावनी के मध्य रिंग रोड के भाग का विद्युतीकरण

4309. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पोत-परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नजफगढ़ रोड और दिल्ली छावनी के मध्य रिंग रोड के भाग का विद्युतीकरण करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पोत-परिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) कार्य को शीघ्र ही शुरू करने की सम्भावना है तथा उसके 9 महीने में समाप्त होने की आशा है।

विश्वविद्यालयों द्वारा कोठारी आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

4310. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन विश्वविद्यालयों के नाम, राज्य-अनुसार क्या हैं जिन्होंने कोठारी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है ;

(ख) सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). डा० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग (1964-66) ने काफी संख्या में सिफारिशें की हैं। आयोग की रिपोर्ट विचारार्थ एवं कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को भेज दी गई है। उपलब्ध निधि के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों को यथासंभव कार्यान्वित कर रहे हैं। फिर भी, इसके बारे में बिल्कुल सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों का नाम तथा उनके स्थापना-स्थल

4311. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों के नाम क्या हैं और वे किन स्थानों पर हैं ;

(ख) प्रत्येक होटल में कितने व्यक्ति ठहर सकते हैं ;

(ग) देश में कितने व्यक्तियों को ठहरने के लिए स्थान की आवश्यकता हैं ;

(घ) इस अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ड.) देश में इस समय होटलों की संख्या क्या है और वे किन स्थानों पर हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ड.). पर्यटन विभाग होटलों का उनकी विदेशी पर्यटकों के लिये उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए अनुमोदन करता है। अनुमोदित होटलों की संख्या 179 है ; इनकी एक सूची, जिसमें यह दिखाया गया है कि होटल

किस स्थान पर स्थित है और उसमें कमरों की गणना के अनुसार कितना स्थान है, संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4560/70]

(ग) 1973 तक देश में लगभग 10,000 कुल कमरों की आवश्यकता होगी।

(घ) सरकार ने पहले से ही होटल उद्योग में पूंजी-निवेश को आकृष्ट करने के लिए काफी प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इनमें कर और माली राहतें देना; होटल उद्योग की आवश्यकताओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करना ; दिल्ली क्षेत्र में होटल निर्माण के लिये सरकारी भूमि को रियायती शर्तों पर बेचना तथा होटल विकास ऋण योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। सरकारी क्षेत्र में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा पर्यटन महत्व के स्थानों पर अनेक होटल स्थापित करने का, तथा बम्बई में एयर-इण्डिया द्वारा दो होटल स्थापित करने की योजना है।

दिल्ली में सेन्ट्रल स्कूल

4312. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में अब तक खोले गए सेन्ट्रल स्कूलों/(केन्द्रीय विद्यालयों) की संख्या क्या है ;

(ख) इनमें से स्कूलों की संख्या क्या है जो किसी इमारत में न होकर तम्बुओं में स्थित हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें अधिकतर स्कूल पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेलकूद सुविधाओं से युक्त नहीं हैं ; और

(घ) इन स्कूलों को उपयुक्त सुविधायें तथा निर्मित आवास देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है जिससे कि ये स्कूल अच्छे स्कूलों के स्तर के बन सकें ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) पांच

(ख) टैगोर गार्डन और गोल मार्केट स्थित, दो केन्द्रीय विद्यालय तम्बुओं में है। रामाकृष्णापुरम स्थित, केन्द्रीय विद्यालय आंशिक रूप से भवन में और आंशिक रूप से तम्बुओं में हैं। केन्द्रीय विद्यालय, एंडरुज गंज का प्राथमिक विभाग भी तम्बुओं में हैं।

(ग) जी नहीं। केवल टैगोर गार्डन और गोल मार्केट स्थित दो विद्यालयों में छतदार स्थान की कमी के कारण पूरी प्रयोगशाला, पुस्तकालय और खेलों की सुविधायें विद्यमान नहीं हैं।

(घ) टैगोर गार्डन और गोल मार्केट स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को स्थायी आधार पर जमीन आवंटित करने के मामले पर, सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत की जा रही है। इन स्कूलों को समुचित रूप से सुसज्जित किया जायगा और संगठन को स्थायी आधार पर पर्याप्त जमीन आवंटित होते ही भवनों की व्यवस्था की जाएगी।

Grant of Scholarships to student players of Delhi

4313. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that scholarships, in the form of financial assistance, are granted to those student-players of Delhi who are awarded gold, silver or copper medals and special merit certificates by Government, in order to encourage them;

(b) if so, the amount of scholarships and the name of the department which grants these scholarships; and

(c) the details of the scholarships granted to the school children of Delhi during the last year?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) Delhi School students, who showed distinction in the school National meet held at Delhi in 1968-69 were granted scholarships by the Directorate of Education, Delhi as under;—

1st Prize - Rs. 75/- p. m. per winner and Rs. 25/- p. m. per participant in the team for one year.

2nd Prize - Rs. 60/- p. m. per winner and Rs. 15/- p. m. per participant in the team for one year.

3rd Prize - Rs. 25/- p. m. per winner and Rs. 10/- p. m. per participant in the team for one year.

(c) No scholarships were granted during 1969-70.

त्रिपुरा में स्त्री शिक्षा

4314. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु, 1970-71 वर्ष की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है ;

(ख) त्रिपुरा में 1967, 1968 और 1969 के अन्त में स्त्रियों में साक्षरता की प्रतिशतता क्या थी और इसकी अखिल-भारतीय प्रतिशतता की तुलना में क्या स्थिति थी ; और

(ग) त्रिपुरा में स्त्री शिक्षा हेतु 1971-72 वर्ष के लिए कितनी वित्तीय व्यवस्था की माँग की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी बंगाल में व्यस्क शिक्षा केन्द्र

4315. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में 31 मार्च, 1970 तक कार्यरत व्यस्क शिक्षा केन्द्रों की संख्या क्या है और उन केन्द्रों से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या क्या है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान खोले जाने वाले नये केन्द्रों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार के केन्द्रों को ग्रामवार खोलने तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का सरकार का कोई निर्णय है ; और

(घ) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समर्पित छुट्टियों के बदले "छुट्टी का वेतन" का दिया जाना

4316. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन था कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस बात की अनुमति दी जाये कि वे अपनी जमा छुट्टी के एक भाग का समर्पण करके इसके बदले में "छुट्टी का बेतन" प्राप्त कर लें ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां । 2-3-1970 को श्री जी० वाई० कृष्णन् तथा श्री राँज देव सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 1149 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ख) यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्णय कब तक किया जा सकेगा क्योंकि यह मामला इस समय संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् के सामने है, और इस मामले पर तृतीय वेतन आयोग भी विचार कर रहा है जिन्होंने अपनी प्रश्नावली में, अन्य बातों के साथ साथ, इस विषय पर भी राय मांगी है ।

मैसूर तथा उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

4317. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर तथा उड़ीसा में चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोलने का विचार है ;

(ख) पहले से ही कितनी शाखायें खोली जा चुकी हैं; और

(ग) प्रत्येक शाखा किस स्थान पर है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, अप्रैल और अक्टूबर, 1970 के बीच की अवधि के दौरान, मैसूर में 58 और उड़ीसा में 12 कार्यालय खोले हैं । अब तक रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये लाइसैंसों के आधार पर इन बैंकों द्वारा आने वाले कुछ महीनों में, मैसूर में 73 और उड़ीसा में 18 नए कार्यालय खोले जाने की सम्भावना है । इस समय, यह बताना सम्भव नहीं है कि चालू वित्त वर्ष के अन्त तक इनमें से कितने कार्यालय खोल दिये जायेंगे ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4561/70]

राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण देने की नयी नीति

4318. **श्री ईश्वर रेडडी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई नीति प्रतिपादित करने वाली योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

रिजर्व बैंक क्रेडिट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ़ इंडिया द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र

4319. **श्री ईश्वर रेडडी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1970 में रिजर्व बैंक क्रेडिट गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये ;

(ख) कितने आवेदन पत्रों की जांच की गई और मंजूरी दी गई ;

(ग) कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत हैं तथा अस्वीकृत कर दिये गये ;

(घ) आवेदन-पत्रों की जाँच करने और उन पर निर्णय लेने में कितना समय लगता है ; और

(ङ.) क्या यह सच है कि कर्जों की मंजूरी देने में यह शर्त नहीं रखी गई है कि पुराना अनुभव होना चाहिए ?

वित्त मन्त्री : (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क). भारतीय स्टेट बैंक की, नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित शाखा स्थानीय मुख्य कार्यालय है । ऋण के आवेदन पत्र शाखाओं में प्राप्त होते हैं । अन्य अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों की तरह भारतीय स्टेट बैंक ने भी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार कर रखा है जिसके अन्तर्गत इसके द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले सारे के सारे ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं । मई, 1970 में बैंक के दिल्ली स्थित स्थानीय मुख्य कार्यालय के अधीन शाखाओं को 176 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ।

(ख) 176 आवेदन पत्रों की जांच की गई और 171 आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई थी ।

(ग) 4 आवेदन पत्र विचारार्थ पड़े हैं और 4 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं ।

(घ) किसी आवेदन पत्र की जांच करने और उसे स्वीकार करने में कितना समय लगेगा, यह इस बात पर निर्भर होता है कि प्रायोजना अथवा उद्योग का स्वरूप क्या है ; आम मामलों

में केवल दो से तीन सप्ताह तक का समय लगता है लेकिन यदि प्रायोजना खास किस्म की हो तो उसमें दो से तीन महीने तक का समय लग सकता है।

(ङ.) बैंक इस बात की तसल्ली कर लेता है कि उद्यमकर्त्ता प्रायोजना को क्रियान्वित करने की स्थिति में है।

नेशनल यूनियन आफ सीफेयर्ज आफ इंडिया द्वारा पोतों के कर्मी दल के सदस्यों के रूप में हस्ताक्षर करने से इंकार

4320. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या पोत-परिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल यूनियन आफ सीफेयर्ज आफ इन्डिया द्वारा यात्रा प्रारम्भ करने वाले पोतों के कर्मी दल के सदस्यों के रूप में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने, नामावलियों पर हस्ताक्षर न करने और पत्तन पर आए पोतों से न उतरने के परिणाम स्वरूप देश की कितनी हानि हुई ;

(ख) नेशनल यूनियन आफ सीफेयर्ज आफ इण्डिया की इस कार्यवाई के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसद्कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) भारतीय नाविकों के राष्ट्रीय संघ, बम्बई और भारतीय नाविकों के राष्ट्रीय संघ, कलकत्ता ने अक्तूबर 1970 जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन के 55 वें (समुन्द्री) अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधियों मंडल के कामगर-दल के गठन विरोध के रूप में जहाजों का बहिष्कार किया।

(ग) आई० ऐल० ओ० के संविधान के अनुच्छेद 3(5) के अनुसार कामगर-प्रतिनिधियों और सलाहकारों का मजदूर लोगों के अत्यधिक प्रतिनिधि संगठन की सहमति से नामित करना होता है। तदनुसार सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की नामों की एक संमत सूची भेजने के लिये लिखा जाता है। संगठनों में सहमति न होने पर अत्यधिक प्रतिनिधि संगठन से प्राप्त नामांकन स्वीकार किये जाते हैं। अतः यह ट्रेड यूनियन संगठनों पर है कि वे आपस में सहमत हों और नामों की एक सम्मत सूची भेजें। तदनुसार आई० ऐल० ओ० के 55 वें (समुन्द्री) अधिवेशन में कामगरों के प्रतिनिधि मंडल का चयन किया गया और उसका प्रत्य पत्र आई० ऐल० ओ० के प्रत्यय पत्र समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

मंगलौर बंदरगाह परियोजना का पूरा होना

4321. **श्री लोबो प्रभु** : क्या पोत-परिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से अक्तूबर तक की निर्धारित अवधि में विभागीय ड्रेजर के कार्य न कर

सकने के परिणामस्वरूप मंगलौर बंदरगाह परियोजना के पूरा होने की अवधि को कब तक के लिये स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) ड्रेजिंग का वर्तमान कार्य-क्रम क्या है और यह कार्य किन ड्रेजरों से किया जाना है ;

(ग) क्या उर्वरक कारखाने ने शिकायत की है कि बिलम्ब के कारण उसे पत्तन के ड्रेजिंग से मिलने वाले रेत के स्थान पर स्वयं अपने रेत का प्रबन्ध करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा ।

(घ) क्या कुद्रमुख लौह परियोजना भी इसी बिलम्ब के कारण ठप्प पड़ी है ; और

(ङ.) इसका क्या कारण है कि जब गोवा और कोचीन में ठेके के ड्रेजरों लगाया गया है, मंगलौर बन्दरगाह परियोजना के सम्बन्ध में भेद-भाव क्यों किया गया है ?

पोत-परिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मंगलौर हारबर परियोजना का चालू होना विभागीय निकर्षक अप्रैल से अक्तूबर 1970 तक काम न करने के कारण स्थगित होने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) एम. ओ. टी. निकर्षक ने परियोजना पर निकर्षण कार्य शुरू कर दिया है । केन्द्रीय निकर्षण संगठन के दो निकर्षकों को 1971 के अंत तक काम पर लगाने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) जी नहीं ।

(ङ.) प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की लक्षय तिथियों तथा समय अनुसूची, आवश्यक निकर्षण की मात्रा तथा प्रकार, निकर्षकों के उपलब्ध होने की तिथियों और उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मंगलौर और विशाखापत्तनम् परियोजनाओं को अपने निकर्षक आवंटित किये हैं और मारमुगाओ और कोचीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में संविदा—निकर्षक को इजाजत दे दी है । भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता ।

परिचालन में हुण्डी ऋण

4322. **श्री म० सुदर्शन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय परिचालन में गैर-सरकारी हुण्डी ऋणों की राशि क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

बम्बई के लिए मात्सर/वतिराना जल परियोजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक को अभ्यावेदन

4323. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई के लिये मात्सर/अपर वतिराना जल परियोजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक को कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का स्वरूप क्या है ; और

(ग) सरकार को परियोजना के कब तक पूरा होने की आशा है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). जल पूर्ति प्रायोजना का तकनीकी और आर्थिक सम्याव्यता संबंधी अध्ययन करने के लिए, बम्बई नगर निगम के सलाहकार नियुक्त किए हैं। प्रयोजना को वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के सामने पेश करने के प्रश्न पर, सलाहकारों की रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद विचार किया जायगा।

(ग) भटसई नदी पर बांध बनाने के पहले दौरे के अन्तर्गत निर्माण कार्य किया जा रहा है और मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार यह काम 1973 के अंत तक पूरा हो जायगा। आशा है कि जल पूर्ति प्रायोजना का सारा काम, जिसमें वितरण सेवाओं और अन्य सहायक सेवाओं से संबंधित काम भी शामिल है, 1974-75 तक पूरा हो जायगा।

प्राइमरी तथा प्राथमिक स्कूल अध्यापक कल्बों को अनुदान

4324. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना लागू की गई है जिसके अनुसार प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूल अध्यापकों कल्बों को सहायक अनुदान दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन कल्बों के नाम क्या हैं जिन्हें अनुदान दिये जाते हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) और (ख). जी हाँ। जिन कार्यकलापों के लिये वित्तीय सहायता दी जा सकती है उनमें अध्यापक कल्बों के भवन निर्माण को सम्मिलित करने के लिये स्वेच्छिक शैक्षणिक संगठनों की सहायता की योजना को हाल ही में संशोधित किया गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार, दिल्ली में अध्यापकों के लिये एक राष्ट्रीय कल्ब की स्थापना के हेतु लागत के हिस्से के रूप में 2,50,000 रुपये तक और अन्य प्रादेशिक राजधानियों में प्रत्येक क्लब के लिये 1,00,000 रुपये तक दिये जाएंगे।

(ग) अभी तक कोई भी अनुदान नहीं दिया गया हैं क्योंकि राज्य सरकारों के जरिये आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

तामिलनाडु में भूमि जल संसाधनों के संबर्द्धन हेतु प्रस्ताव

4325. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार से राज्य में भूमि जल संसाधनों के संबर्द्धन के उपाय सुझाने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन को अनुरोध करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां। संयुक्त राष्ट्र विकास

कार्यक्रम के इस मिशन द्वारा इस समस्या का सर्वेक्षण कराने के लिए तामिलनाडु सरकार का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उस पर सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों के विचार प्राप्त करके तामिलनाडु सरकार को भेज दिए गये हैं। अब राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद ही इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जायगी।

तामिलनाडु में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई बढ़ाने का प्रस्ताव

4326. **श्री मुरासौली भारन** : क्या **पोत-परिवहन तथा परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु में राष्ट्रीय राज्यों की लम्बाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पोत-परिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). जी हां। परन्तु चौथी योजना के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति जिसके अंतर्गत और राज्यों के अलावा तामिलनाडु भी आता है में नई सड़कों के शामिल करने का संपूर्ण प्रश्न अभी विचाराधीन है।

महालेखापाल कार्यालय, त्रिवेन्द्रम (केरल) के कर्मचारियों की मांगे

4327. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1970 के प्रथम सप्ताह में महालेखापाल कार्यालय, त्रिवेन्द्रम (केरल) के 7000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर थे, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) कर्मचारियों की मांग क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों को पूरी करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

बित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक ऐसे एस० ए० एस० लेखाकार के अधिक्रमण के प्रश्न को लेकर, जिस विभागीय पदोन्नति समिति ने लेखा अधिकारी के रुप में पदोन्नत किये जाने योग्य नहीं समझा, महालेखाकार, केरल के कार्यालय के लगभग 1400 कर्मचारियों ने उसी कार्यालय के दो कर्मचारी संघों के आह्वान पर 27 अक्टूबर 1970 को कार्य बन्द आन्दोलन शुरु किया।

(ख) संघों ने यह मांग की थी कि अधिक्रमण कर्मचारी को तत्काल लेखा अधिकारी के रुप में पदोन्नत किया जाना चाहिये।

(ग) और (घ) कर्मचारी का अभ्यावेदन नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक को भेजा गया था जिन्होंने 4 नवम्बर 1970 को महालेखाकार को यह सूचना दी कि उसके अभ्यावेदन पर इस दृष्टि से विचार किया जा रहा है कि उसके मामले पर अगले वर्ष शीघ्र ही समीक्षा करने की व्यवस्था

की जायगी तथा उन्होने कर्मचारियों से कार्य शुरु करने की अपील भी की है। महालेखाकार ने कर्मचारी संघों को इस बात की सूचना दे दी और आन्दोलन 7 नवम्बर 1970 के सवेरे वापिस ले लिया गया।

महालेखापाल कार्यालय, मद्रास में कर्मचारियों की मांगे

4328. **श्री उमानाथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्टूबर, 1970 को महालेखापाल कार्यालय, मद्रास के कर्मचारियों द्वारा दिये गये कथित धरने की ओर दिलाया गया है और, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) वहां के कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) महालेखाकार, तामिलनाडु, मद्रास के कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने, उस कार्यालय के सामने 3 नवम्बर 1970 को तथा उसके बाद के दिनों में धरना दिया तथा नारे लगाकर प्रदर्शन किया।

(ख) वे, उन ग्यारह कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की माँग कर रहे थे जिन्हें महालेखाकार का, उनके कर्यालय में 2 नवम्बर 1970 के अपराह्न में घेराव करने में भाग लेले के बाद, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के पश्चात् उसी दिन से मुअत्तिल कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों में, उक्त व्यतियों के विरुद्ध पुलिस के मामले वापस लिये जाने की भी माँग की।

(ग) कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के आश्वासन देने पर कि वे प्रशासन के साथ अपनी समस्याओं की चर्चा करने में शान्त तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखेंगे, महालेखाकार ने उक्त ग्यारह कर्मचारियों को फिर से बहाल कर दिया है। महालेखाकार, राज्य सरकार को उपपुक्त रीति से स्थिति समझाने के बाद, पुलिस के मामले भी वापस लिये जाने का प्रयास कर रहे हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Money Deposited in Nationalised Banking Institutions

4329. **Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Finance be pleased to state :**

(a) the total amount of money deposited in the nationalised banking institutions during the last three months upto the 31st October, 1970;

(b) the month-wise details of deposits in respect of each of those institutions; and

(c) whether the deposits registered an increase or decrease after their nationalisation and the percentage of such increase or decrease?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) : A statement is laid on the Table of the House.

(c) Between July 18, 1969 and November 13, 1970 the latest date for which figures are available, deposits of the 14 nationalised banks have increased from Rs. 2625.8 crores to Rs. 3140.9 crores i. e. by Rs. 515.1 crores or 19.6%.

STATEMENT

Deposits of 14 Nationalised Banks (Excluding Inter-Bank Deposits)

(IN CRORES OF RUPEES)

NAME OF BANK	As on 31.7.70	28.8.70	25.9.70	As on 30.10.70	Increase of Deposits for on 30.10.70 over 31.7.70
1. Central Bank of India	507.92	509.19	508.73	511.72	3.80
2. Bank of India	401.52	406.51	409.74	414.55	13.03
3. Punjab National Bank	408.81	411.31	416.65	418.47	9.66
4. Bank of Baroda	327.34	331.07	332.86	337.75	10.41
5. United Commercial Bank	229.87	229.54	229.77	230.12	0.25
6. Canara Bank	180.03	182.80	185.99	190.58	10.55
7. United Bank of India	169.94	171.63	174.68	176.32	6.38
8. Dena Bank	142.13	144.77	145.25	146.02	3.89
9. Syndicate Bank	136.37	136.48	141.08	142.73	6.36
10. Union Bank of India	137.86	140.67	136.31	144.57	6.71
11. Allahabad Bank	123.00	123.44	128.62	129.99	6.99
12. Indian Bank	87.38	88.23	90.10	90.83	3.45
13. Bank of Maharashtra	92.01	92.71	94.25	96.54	4.53
14. Indian Overseas Bank	76.39	78.03	79.99	80.26	3.87
TOTAL	3020.57	3046.38	3074.02	3110.45	89.88

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को सीधे दिये जाने वाले ऋण

4330. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को सीधे दिये जाने वाले ऋण में संतोषप्रद प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को शीघ्र और पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने को सुनिश्चत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जून 1969 और अगस्त 1970 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में किसानों के ऋण की संख्या 171, 880 से बढ़कर 7, 86, 415 हों गयी और इन खातों के अन्तर्गत बकाया रकम 38.02 से बढ़कर 175.26 करोड़ रुपए तक पहुँच गयी । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये सीधे ऋणों में इस वृद्धि को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं है कि इस दिशा में कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को पर्याप्त एवं समय पर ऋण देने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है

और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विस्तृत रुप-रेखा संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

(1) देहाती क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रथम उपाय के रुप में चालू वर्ष के लिए शाखा विस्तार का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें देहाती क्षेत्रों में शाखाएं खोलने पर विशेष जोर दिया गया है। इससे बैंक किसानों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

(2) कुछ बैंक परीक्षण के तौर पर चलती फिरती शाखाएं, उपकार्यालय ग्राम अंगीकरण योजनाएं और क्षेत्रीय सम्पर्क जैसे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं।

(3) बैंकों द्वारा भावी ग्राहकों का पता लगाने, उनकी सही-सही आवश्यकताएं जानने के लिए उनसे मिलने, नियमित प्रस्ताव तैयार करने आदि कार्यों के लिए क्षेत्र-अधिकारी नियुक्त किए गये हैं।

(4) ऐसे जिलों में जहां केन्द्रीय सहकारी बैंक कमजोर हैं, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्त पोषण करने के लिए एक योजना तैयार की है, यद्यपि वहां प्राथमिक समितियां अपने आप में मजबूत और समर्थ है। यह योजना पांच राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, मैसूर और उत्तर प्रदेश के 50 चुने हुए जिलों में प्रयोग के तौर पर शुरु की गयी हैं। वाणिज्यिक बैंक इन जिलों में लगभग 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्त पोषण कर रहे हैं।

(5) रिजर्व बैंक ने समाज के कुछ चुने हुए वर्गों, जिनमें छोटे किसान भी शामिल हैं, के लिए ब्याज की अलग दरों के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है

(6) किसानों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर किये जाने में विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने निम्नलिखित उपाय अपनाये हैं :—

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी हैं जिनके अन्तर्गत शाखा प्रबन्धक अपने प्रधान कार्यालय के साथ लिखापढ़ी किए बिना ही किसानों के लिए ऋण मंजूर कर सकते हैं।

(दो) रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनायें और उनके लिए अपनी योजनाओं तथा आवेदन पत्रों की प्रतियां समझ आने योग्य प्रादेशिक भाषा में तैयार कराके सुलभ करें।

(तीन) रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा सितम्बर 1969 में दस्तावेजों और साम्यमूलक बन्धकों के पंजीकरण, अतिदेय बकाया रकमों की वसूली आदि की प्रतिक्रियाओं को सरल बनाने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से जो विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की गयी थी, उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत

की जायगी । आशा है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को लागू करने से किसानों के लिए ऋण की शीघ्रता से मंजूरी देने में सहायता मिलेगी ।

तामिलनाडु में तंजावुर जिले में पंचायत के चुनावों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई धन राशि का प्रयोग

4331. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को उधार दी गई/धन राशि का तामिलनाडु में तंजावुर जिले में पंचायत के चुनावों के लिये प्रयोग किये का जाने पता लगा था ;

(ख) क्या यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि रिजर्व बैंक ने कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को इसलिए फटकारा था कि कृषकों को दिये जाने वाले ऋण की प्रगति धीमी थी तथा आवेदकों को नेकनीयती सत्यापित किये बिना ही ऋण दे दिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त शिकायत की जांच करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की तथ्यों से पुष्टि नहीं होती ।

(ख) तंजावुर जिले में काम करने वाले सातों राष्ट्रीयकृत बैंकों ने स्वयं किसानों को काफी मात्रा में ऋण दिये थे । इसलिए किसी बैंक को फटकारने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के ऋणकर्ता को ऋण देते समय बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे सुरक्षा को सामान्य शर्तों में से किसी एक के बारे में ढील नहीं देंगे जिससे उनके हितों को खतरा पैदा हो जाय या उसकी वसूली कठिन हो जाय । सामान्यतः वे भावी ऋण कर्ताओं की आवश्यकता के विषय में और उधार दी गयी रकम के अन्तिम उपयोग के विषय में पूरी तसल्ली कर लेते हैं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

जीवन बीमा निगम से गृह निर्माण के लिये कर्जा

4332. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 अक्टूबर 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एन० आई० सी० " रेड-टेप : दी आन-योर-होम ड्रिल " शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने अपनी "आन-योर-होम" (अपना घर बनाओ) योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969--70 में 953 पालिसीधारियों के लिये केवल 2·88 करोड़ रुपये मंजूर किये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तरावचव्हाण) : (क) जी, हां । सरकार तथा जीवन बीमा निगम, इस आलोचना से अवगत हैं कि "अपनी मालिकी का घर बनाओ" योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने की कार्यविधियां जटिल है । जब कि इस प्रकार के लेन--देन में, निवेश की सुरक्षा का

इतमीनान करने के लिये कुछ न्यूनतम औपचारिकताओं का पालन आवश्यक है, जीवन बीमा निगम ने अनुभव के आधार पर, फार्मों तथा कार्यविधियों का सरलीकरण करने के लिये, समय समय पर उपाय किये हैं। हाल ही में, आवेदन कातओं की पूरी जानकारी के लिये निगम ने मार्ग-दर्शक सिद्धान्त भी जारी किये हैं।

(ख) जी, हां।

मैसूर का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटक

4333. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने विदेशी पर्यटकों ने मैसूर राज्य का दौरा किया ; और

(ख) बर्ष-वार सरकार को कितनी आय हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग पृथक्-पृथक् राज्यों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के आंकड़े नहीं रखता।

(ख) ये आंकड़े राज्यवार आधार पर एकत्रित नहीं किए जाते।

Arrears of Income Tax outstanding against Begum Sheikh Abdullah

4334. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any amount of Income-tax is outstanding against the wife of Sheikh Abdullah;

(b) if so, the year-wise details thereof; and

(c) the time by which Government propose to realize the said amount?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. As a matter of fact there is no evidence to show that she has taxable income. She is not an existing assessee.

(b) & (c) Do not arise.

महाराष्ट्र में कृषि परियोजनों के लिए विश्व बैंक की सहायता

4335. **श्री शंकरराव मान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 62.44 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच कृषि परियोजनाओं की स्वीकृति देने और इन परियोजनाओं की क्रियान्विति में विश्व बैंक की सहायतार्थ इन परियोजनाओं को उसे भेजने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव पर, जो अगस्त 1970 में प्राप्त हुआ था, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करते हुए विचार किया जा रहा है ताकि वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के सामने पेश किए जाने के लिए उपयुक्त प्रायोजना-प्रस्ताव तैयार किये जायें।

महालेखापाल, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध कार्यालय के कर्मचारियों को स्थायी किया जाना

4336. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालेखापाल, वाणिज्य निर्माण तथा विविध कार्यालय नई दिल्ली में । अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद में भर्ती किए गये कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) विभिन्न केडरों में इस समय कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, नई दिल्ली के कार्यालय तथा मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी, निर्माण, आवास तथा पूर्ति, नई दिल्ली के संगठन, के बीच संवर्गों को अलग-अलग करने के प्रश्न के विचाराधीन होने तक महालेखाकार, बाणिज्य, निर्माण तथा विवध के कार्यालय में । अप्रैल 1955 को अथवा उसके बाद भरती किए गये कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है । जो व्यक्ति अर्द्ध स्थायी घोषित किए जाने के हकदार है तथा उसके उपयुक्त हैं । उनको वह रुतबा प्रदान किया गया है ।

जब । अप्रैल, 1955 से मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी का संगठन बनाया गया था, तब भूतपूर्व महालेखाकार, खाद्य, पुनर्वास तथा पूर्ति के कार्यालय के कर्मचारियों को, लेखा-परीक्षा तथा लेखा-संगठन के बीच- कर्त्तव्यानुसार वितरित किया गया था । चूंकि लेखा-परीक्षा से भुगतान तथा लेखांकन कर्त्तव्यों का बिलगाव प्रयोगात्मक आधार पर किया गया था, इसलिए संवर्गों को अलग-अलग करने के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व, कुछ समय तक यह देखना आवश्यक था कि योजना किस प्रकार कार्य कर रही है ।

जब उक्त दो कार्यालयों के बीच संवर्ग को अलग-अलग करने का कार्य हाथ में ले लिया गया तो, मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी के कार्यालय में कार्य कर रहे 1955 से पूर्व भरती किए गये कर्मचारियों ने उस कार्यालय के पदों पर अपने स्थायीकरण के खिलाफ जनवरी 1969 में रिट-याचिका के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की । इसलिए रिट-याचिका पर फैसला होने तक, संवर्गों को अलग-अलग करने के सम्बन्ध में अगली कार्यवाही स्थगित रखनी पड़ी । न्यायालय ने जुलाई, 1970 में फैसला दिया । अब संवर्गों को पृथक करने के उपाय किए जा रहे हैं तथा यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में मामले को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ।

(ग) महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, नई दिल्ली के कार्यालय में 8 दिसम्बर 1970 को विभिन्न संवर्गों में रिक्त ड्यूटी पदों की संख्या निम्नानुसार दी गई थी :—

राजपत्रित अधिकारी	कुछ नहीं

अधीनस्थ लेखा सेवा (एस० ए० एस०)	2
उच्च श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक	66
निम्न श्रेणी लिपिक	12
चतुर्थ श्रेणी	6

Expenditure Incurred on a day's sitting of Parliament

4337. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Parliamentary Affairs be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by Government on a day's sitting of Parliament;

(b) whether any thought has been given to the question of making the maximum use of the time of the House; and

(c) if so, the time by which it is likely to be implemented?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Raghuramaiah) : (a) There is no standard basis for arriving at the total expenditure incurred by Government on a day's sitting in Parliament as the expenditure incurred would not only include the expenditure of the two Secretariats of Parliament and the Department of Parliamentary Affairs but also a portion of expenditure of the Central Ministries whose machinery is almost entirely geared to Parliamentary work during the days the Parliament is in session. The labour involved in arriving at any rough estimate will not be commensurate with the results to be achieved.

(b) & (c) . Government have been giving serious thought to the question of making the maximum use of the time of the House. In this connection the following recommendation of the Seventh All India Whips Conference held at Madras in September, 1969 may be mentioned.

(i) the Government Chief Whip may seek the assistance of Opposition Whips as well as those interested in the legislative measures in the expeditious and fruitful disposal thereof by organising periodical meetings with the Ministers-in-charge of Bills;

(ii) time allotted by the House to Bills may be strictly adhered to; and

(iii) controversial Bills may be referred to Select/Joint Committees without or with a brief discussion.

Constant efforts are made by Government on the lines suggested in theabove recommendation.

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने के बारे में मैसूर के मुख्य मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

4338. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मैसूर के मुख्य मन्त्री द्वारा 21 अक्तूबर, 1970 को राज्य विधान परिषद् में दिए गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतनमानों को बढ़ाये जाने के एकतरफा निर्णय का इस आधार पर विरोध

किया था कि राज्यों से परामर्श किए बिना ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाकर प्रभाव राज्य सरकार के कर्मचारियों की मनोदशा पर पड़ेगा ।

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर करने के लिये केन्द्रीय सहायता की माँग की है ; और

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों ने ऐसी सहायता की मांग की है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). सरकार को कुछ समय पहले केरल तथा उत्तर प्रदेश सरकारों से पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की गई थी जिससे राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को अन्तरिम राहत का लाभ प्रदान कर सकें । ऐसे व्यय के लिये किसी प्रकार की सहायता देने में केन्द्रीय सरकार की असमर्थता के बारे में खेद व्यक्त करते हुए उन्हें उत्तर भेज दिये गये हैं । राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की परिलब्धियों के स्तर के संबंध में जो भी निर्णय करें वह निर्णय उनकी परिलब्धियों में किसी वृद्धि के औचित्य तथा साधनों की उपलब्धि इन दोनों के संदर्भ में अपने सम्यक विवेक के आधार पर करना होता है ।

राजस्थान विश्वविद्यालय में परा-मनोवैज्ञानिक विभाग

4339. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री गंगानगर से परा-मनोविज्ञान संस्थान को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में एक मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा परा-मनोवैज्ञानिक विभाग कब और क्यों खोला गया था ;

(ख) इस विभाग को खोलने से पूर्व क्या बाते ध्यान में रखी गई थी :

(ग) इस विभाग को खोलने से पूर्व क्या कोई विशेषज्ञ से सलाह ली गई थी; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा इस विभाग पर कितना व्यय किया गया ; और

(ङ) जिन अधिकारियों ने इस विभाग को खोलने के लिये जिसे बेकार पाया गया, सलाह दी जिसके कारण कि विश्वविद्यालय को अन्ततोगत्वा उसे बन्द करना पड़ा, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्शन-शास्त्र विभाग में परा-मनोविज्ञान एकक परा-मनोविज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान और सम्बन्ध विषयों पर अनुसंधान करने के लिये अक्तूबर 1963 में आरम्भ किया गया था । इसे एक प्रयोगात्मक आधार पर शुरू किया गया था ताकि इस योजना को स्वतन्त्र और पूर्ण अवसर दिया जा सके कि वह शैक्षिक महत्व के ठीक विषय और विश्वविद्यालय में एक उपयुक्त कार्य कलाप के रूप में अपने दावे को न्याय संगत सिद्ध कर सके । इस एकक की स्थापना के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था और जून 1963 में विद्या परिषद द्वारा इसे स्वी-

कृत तथा अभिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। विश्वविद्यालय से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1964 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी जिसने विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और इस प्रकार के एक एकक की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था। निरीक्षक समिति की सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एकक के कर्मचारियों तथा अन्य कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चे के एक भाग को वहन करने के लिये अनुदान दिया।

(घ) 1963-64 से 1968-69 तक 2,39,062/- रुपये, 1969-70 के आँकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कुछ अग्रिम अदायगियों का समायोजन किया जाना अभी बाकी है।

(ङ.) इस एकक को प्रयोगात्मक आधार पर आरम्भ किया गया था बशर्ते कि इसके लिए निधि उपलब्ध हो, नवम्बर 1969 में इस एकक को बन्द कर दिया गया था क्योंकि विश्वविद्यालय चौथी योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता के अनुपात में धन उपलब्ध करने में, और उसके बाद एकक को बनाये रखने में असमर्थ था।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

4340. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के बनने के बाद से अब तक गत 16 वर्षों से राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठता निर्धारण करने के बारे में दिये गये बहुत से अभ्यावेदन दीर्घविधि से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1957 में पुनर्वास मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुशासन योजना, शिक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित की गई थी। 15 सितम्बर, 1959 को इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुशासन योजना विदेशालय की स्थापना की गई थी और एक नवम्बर, 1965 में इसको राष्ट्रीय स्वास्थता कोर विदेशालय से पुनः नामांकित किया गया। क्षेत्रीय निदेशको, पर्यवेक्षकों तथा बरिष्ठ अनुदेशकों ग्रेड की वरिष्ठता सूचियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। वरिष्ठ पर्यवेक्षकों तथा वरिष्ठ अनुदेशकों ग्रेड—2 की वरिष्ठता सूचियों का प्रारूप तैयार कर दिया गया है और उसके सम्बन्धित अधिकारियों में परिचालित कर दिया गया है। इन सूचियों को यथा शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। ग्रेड-एक और दो के वनिष्ठ अनुदेशकों की वरिष्ठता सूचियां तैयार की जा रही हैं।

इस मंत्रालय के एक अधिकारी जिनका राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय से कोई सम्बन्ध नहीं है को लिपिक वर्गीय स्टाफ के सभी वर्गों की वरिष्ठता सूचियों को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदनों को देखने के बाद अन्तिम रूप देने का कार्य सोंपा गया है। वरिष्ठता की अन्तिम सूची शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा आय नीति

4341. **श्री हिम्मतसिंह का** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पटना अधिवेशन में किये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई समन्वित राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा आय नीति निर्धारित की है और इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की नीति तथा कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है: और यदि नहीं, तो ऐसा कार्यक्रम बनाने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली है कि राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी तथा अन्य नीतियां इस प्रकार की होनी चाहिये और उनका इस प्रकार समन्वय किया जाना चाहिए जिससे सम्पत्ति और आमदनियों में अधिक समानता लाई जा सके। वित्तीय और अन्य नीतियों को बनाते समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है।

विनिमय सम्बन्धी दर नीति

4342. **श्री हिम्मतसिंह का** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकोशिया में हुई राष्ट्रमंडलीय वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन की बैठक में विनिमय सम्बन्धी दर नीति में परिवर्तन करने पर कोई चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का वास्तविक स्वरूप क्या है और विशेषकर भारतीय करेन्सी के सम्बन्ध में उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड की, कीपनहेसन में 21-25 सितम्बर, 1970 को हुई वार्षिक बैठक में "अन्तर्राष्ट्रीय अदायगियों के समायोजन में विनिमय-दर की भूमिका" के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कार्यकारी निर्देशकों द्वारा तैयार किए गए और गर्वनरों के बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये अन्तरिम अध्ययन पर विचार-विमर्श किया गया था। इस सन्दर्भ में जिन विशिष्ट पहलुओं पर विचार किया गया, वे ये हैं; (क) उपयुक्त मामलों में सम-राशियों का शीघ्र समायोजन; (ख) सम-राशि से संबंधित 'मार्जिनों' में मामूली सा विस्तार किया जाना; और (ग) सम-मूल्य संबंधी दायित्वों में अस्थायी हेर-फेर की व्यवस्था मैंने सम।मूल्य प्रणाली को, जिसके कारण पिछले 25 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान की व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त हुई है, जारी रखने के लिए अपनी तरजीह प्रकट की और यह कहा कि हम इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के करार-पत्र के मौजूदा उपबन्धों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते। यह रिपोर्ट एक अन्तरिम रिपोर्ट है क्योंकि निर्देशकों का विचार है कि अभी इस विषय का अध्ययन जारी रखा जाय ताकि गवर्नरों के सम्मुख विशिष्ठ सिफारिशें पेश की जा सकें। इसलिए इस विचार-विमर्श से भारतीय मुद्रा को सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकालने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रमंडल के वित्त मन्त्रियों की निकोसिया में हुई बैठक में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई।

विश्व बैंक द्वारा सहायता देने तथा ऋण चुकाने सम्बन्धी अध्ययन किया जाना

4343. **श्री हिम्मतसिंह का** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने बिना शर्त सहायता उपलब्ध कराने, ऋण चुकाने तथा विशेष प्रकार के ऋणों और विकास के मध्य सम्पर्क स्थापित करने के सम्बन्ध में अध्ययन आरम्भ करने का हाल ही में निश्चय किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त कार्य के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है और यह अध्ययन कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(ग) चालू वर्ष में विश्व बैंक से बिना शर्त सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में नवीनतम संभावनायें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और विश्व बैंक की वर्ष 1970 की वार्षिक बैठकों में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष श्री राबर्ट ऐस० मेवजामारा ने अपने समापन वक्तव्य में यह कहा था कि विश्व बैंक सदस्य देशों की ऋण-समस्या का अध्ययन करेगा। उन्होंने यह पेशकश भी की कि विश्व बैंक विशेष आहरण अधिकारों और विकास वित्त के बीच के सम्बन्धों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा किए जाने वाले किसी अध्ययन में और विकासशील देशों द्वारा द्विपक्षीय सहायता को बन्धन मुक्त करने के लिए व्यवस्थित करने के काम में सहायता देगा। इस समय यह कहना कठिन है कि ये अध्ययन कब हाथ में लिये जायेंगे और कब पूरे होंगे।

(ग) चालू वर्ष अर्थात् 1970-71 में अब तक विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ से 19.25 करोड़ डालर (144.4 करोड़ रुपये) की कुल राशि की नयी सहायता के वचन प्राप्त हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय और पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों से जिन आयातों की व्यवस्था की जाती है उनके बारे में यह शर्त नहीं है कि वे आयात किसी देश विशेष से ही किये जाये ; वे आयात विश्व बैंक के किसी भी सदस्य देश और स्विट्जरलैंड से किये जा सकते हैं।

उत्तर बिहार में विमान सेवा

4344. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार में विमान सेवा प्रारम्भ करने का है;

(ख) क्या सरकार काठमाण्डु के लिए उड़ान करने वाले वायुयानों के सहरसा अथवा बीरपुर में रुकने का प्रबन्ध कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स की, और एच० एस०-748 विमान प्राप्त हो जाने के बाद, पटना और मुजफ्फरपुर के बीच विमान सेवा परिचालित करने की योजना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण

4345. **श्री पु० न० सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिए गये ऋणों की राशि क्या है ; और

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कितना ऋण दिया गया है ;

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि बकाया ऋणों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है :—

मोटे तौर पर लगाये गये अनुमानों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिए गये बकाया ऋणों की कुल रकम जून, 1969 के अन्त में 120 करोड़ रुपये थी और अप्रैल, 1970 के अंत में, 150 करोड़ रुपये थी।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिए गये ऋणों की अनुमानित बकाया रकम जून, 1969 में 2200 करोड़ रुपये और अप्रैल, 1970 के अन्त में 2410 करोड़ रुपये थी।

Conversion of Aligarh Muslim University into Islamic University

4346. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether any deputation met him during September-October, 1970 to press their demand for converting the Aligarh Muslim University into a perfect Islamic University;

(b) the names and status of the persons comprising the deputation and its other demands; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

भारत में विदेशी पर्यटकों के सम्मुख आने वाली बाधाएं

4347. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशांत क्षेत्रीय संघ तथा पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में आयोजित की गई एक गोष्ठी में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के सम्मुख आने वाली बाधाओं का जिक्र किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो गोष्ठी में बताई गई विदेशी पर्यटकों द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). प्रशांत क्षेत्र यात्रा संगठन के अनुसंधान कार्यक्रम के भाग के रूप में हाल ही में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। विचार-विमर्श के दौरान भारत के सम्बन्ध में लालफीताशाही, भाषा समस्या, वैयक्तिक सुरक्षा का अभाव, जनता द्वारा अभद्र व्यवहार, गरीबी आदि जैसे कुछ प्रतिकूल तत्वों की ओर संकेत किया गया। परन्तु अनेक प्रतिनिधि इस मूल्यांकन से सहमत नहीं थे।

(ग) अवतरण (लैंडिंग) परमिट जारी करने की औपचारिकताओं के सरलीकरण, पारस्परिक आधार पर बीजा आवश्यकताओं की समाप्ति, गाइडों को अनेक भाषाओं में प्रशिक्षण देने, स्वास्थ्य तथा आप्रवासन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक ही अवरोहण-पत्र (डिसेम्बार्केशन कार्ड) को प्रारम्भ करने, स्वागत सेवा के संगठन तथा प्रेस में एक व्यापक अभियान के आयोजन के द्वारा जनसाधारण को भी पर्यटकों आदि के स्वागत में भागीदार बनाने की दिशा में सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बाहरी छात्रों का पंजीकरण तथा परीक्षा

4348. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बिश्वबिद्यालय ने बाहरी छात्रों के पंजीकरण तथा परीक्षाओं के लिये आवश्यक अधिनियम तथा अध्यादेश तैयार किये हैं ; और

(ख) क्या उनकी एक-एक प्रति संसद सदस्यों को प्राप्त कराई जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) "बाहरी विद्यार्थियों" के पंजीकरण तथा निरीक्षण के लिए कानूनों और अध्यादेशों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध की जा रही है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिए गये निर्यात सम्बन्धी ऋण

4349. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिये गये निर्यात सम्बन्धी ऋणों की कुल राशि क्या है ;

(ख) प्रत्येक स्टेट बैंक द्वारा कितनी धन राशि दी गई है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे ऋण कितने व्यक्तियों को दिए गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). 19 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गये निर्यात सम्बन्धी ऋण का राज्यवार ब्यौरा, पार्टियों की संख्या सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	निर्यात पैकिंग ऋण और लदान के बाद की वित्त व्यवस्था	भुनाई गई मांग और पूर्ति हुण्डियां	पर्यटकों की संख्या
		(लाख रुपयों में)	
आंध्र प्रदेश	56,23	38,57	62
असम	—	4	3
बिहार	9	2,28	55
दिल्ली	44,21	5,21	20
गुजरात	3,96	2,56	61
जम्मू और काश्मीर	22	—	4
केरल	12,52	10,55	34
मध्य प्रदेश	40	50	4
महाराष्ट्र	36,89	48,64	99
मैसूर	66	62	16
उड़ीसा	—	13,25	4
पंजाब	2,27	1,48	46
राजस्थान	—	1	1
तामिलनाडु	37,96	26,75	49
उत्तर प्रदेश	3,12	7,21	90
पश्चिम बंगाल	84,77	98,36	292
संघीय राज्य क्षेत्र	25,28	23,05	8
जोड़	3,07,78	2,79,08	848

मालाबार तट पर चोरी से लाये गये माल का पकड़ा जाना

4350. **श्री ई० के० नायनार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कोचीन तथा अन्य मलाबार तटीय क्षेत्रों से सीमा शुल्क अधिकारियों तथा केन्द्रीय उत्पादन- शुल्क अधिकारियों द्वारा कितनी मात्रा में चोरी से लाया गया माल पकड़ा गया ; और

(ख) तस्कर व्यापार सम्बद्ध कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 31 अक्तूबर, 1970 को

समाप्त होने वाले पिछले छः महीनों में कोचीन के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा मालाबार तटीय क्षेत्रों से जो तस्कर आयात-निर्यात की वस्तुएं पकड़ी, उनकी मात्रा तथा मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

मद	मात्रा	भारतीय बाजार दर पर मूल्य
सोना	31283 ग्राम	541,103/- रु०
कलाई घड़ियां	22 अदद	3,380/- रु०
संश्लिष्ट कपड़ा	530 मीटर	18,300/- रु०
भारतीय मुद्रा		86,397/- रु०
विदेशी मुद्रा		15,370/- रु०
वाहन	15	153,200/- रु०
अन्य वस्तुएं		454,508/- रु०
	जोड़	1272,258/- रु०

(ख) तस्कर आयात-निर्यात में ग्रस्त 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखायें

4351. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये कितने कर्मचारियों की भरती की गई है,

(ख) क्या यह सच है कि इन बैंकों के नये उत्तरदायित्वों और नई भूमिका को निभाने के लिये पर्याप्त कर्मचारी अब तक नियुक्त नहीं किये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो बैंकों की नई भूमिका को निभाने के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जून 1969 से जून, 1970 की अवधि में, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की कुल संख्या में 15343 अर्थात् 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिये जाने से उनकी कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। अतिरिक्त कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी भर्ती तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी नीतियों में तालमेल बैठाया जा रहा है। विभिन्न बैंकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों को दिये गये ऋण तथा सहायता

4352. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों को जिनके पास 10 एकड़ से कम जमीन है; दी गई सहायता तथा ऋण का स्वरूप क्या है,

(ख) क्या ये बैंक ऋण देने के पूर्व गारन्टी लेने पर आग्रह करते हैं,

(ग) कुछ राज्य इस योजना के कार्यान्वयन में बैंकों को होने वाली हानि की 50 से 100 प्रतिशत तथा पूर्ति करने के लिये सहमत हुये हैं परन्तु इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि समाज के निर्धन वर्गों की सहायता करने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों को ऋण देने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अल्पावधिक और मध्यावधिक दोनों प्रकार के ऋण छोटे किसानों को दिए जाते हैं। अल्पावधिक ऋण, कृषि सामग्री जैसे बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं आदि खरीदने के लिए दिया जाता है। ये अग्रिम मजदूरी और सिचाई खर्च आदि का भुगतान करने के लिए भी दिये जाते हैं। अग्रिम की मात्रा का निश्चय इन बातों को देखकर किया जाता है कि किसान के पास अपनी कितनी भूमि है उसे कौन सी फसल बोनी है और खेती किस ढंग से की जायगी।

मध्यावधिक ऋण पम्प सेट जैसे कृषि यंत्रों की खरीद, भूमि विकास, छोटी सिचाई आदि के लिए दिये जाते हैं।

(ख) बैंक ऐसे दो व्यक्तियों की गारन्टी लेते है जो उन्हें मान्य हों।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को सहायता देने के लिए योजनाएं तेयार की गयी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोटे किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता किये जाने के विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित समिति अध्ययन कर रही है जिसके अध्यक्ष डाक्टर आर० के० हजारी हैं। अन्य बातों के साथ साथ यह समिति इस बात की जांच करेगी कि छोटे किसानों को ब्याज की कम दरों के अलावा और क्या क्या रियायतें दी जा सकती हैं। किसानों को और विशेषकर छोटे किसानों को कम लागत पर ऋण प्राप्त करने में मदद देने के उद्देश्य से अनेक राज्य सरकारों ने हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋणों के मामलों में स्टाम्प शुल्क और रिजिस्ट्रेशन शुल्क में कुछ रियायतें दी हैं।

भारत सरकार ने वणिज्यिक बैंकों द्वारा सुविधाएं प्रदान किये जाने और उनके द्वारा कृषकों, को जिनमें छोटे कृषक भी आ जाते हैं, ऋण दिये जाने से कानूनी बाधाओं को दूर करने की

आवश्यकता के प्रति राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों का ध्यान आकृष्ट किया है।

छोटे ऋण कर्त्ताओं के लिए शीघ्र ही एक ऋण-गारन्टी निगम की स्थापना करने का निर्णय किया गया है। इससे छोटे ऋण कर्त्ताओं को जिनमें छोटे किसान भी शामिल हैं बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो जायगी।

केवल छोटे किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए छोटे किसानों के विकास अभिकरण स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। ये अभिकरण छोटे किसानों को ऋण देने में होने वाली जोखिमों को उठाने के लिए सहकारी ऋण-संस्थाओं को अनुदान देकर उन्हें छोटे किसानों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथी आयोजना के दौरान इस प्रकार के 45 अभिकरण स्थापित करने का विचार है।

महिलाओं में साक्षरता

4353. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 के पश्चात से महिलाओं की साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है,

(ख) पुरुषों की साक्षरता में हुई वृद्धि की तुलना में तत्संबंधी स्थिति क्या है, और

(ग) देश की जनसंख्या में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या के अनुपात में महिला शिक्षा में भी प्रगति हो, इस बात के ध्यान में रख कर सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) 1951 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं में साक्षरता 7.9% थी जो 1961 में बढ़ कर 12.9% हो गई।

(ख) पुरुषों की साक्षरता 1951 में 24.9% से बढ़कर 1961 में 34.4% हो गई। साक्षर महिलाओं की संख्या 1951 में 1.36 करोड़ से बढ़कर 1961 में 2.75 करोड़ हो गई अर्थात 101.5% की वृद्धि हुई। पुरुषों में साक्षरों की संख्या 1951 में 4.56 करोड़ से बढ़ कर 1961 में 7.78 करोड़ हो गई, अर्थात् 70.6% की वृद्धि हुई।

(ग) स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की केन्द्रीय सरकार की एक योजना है।

(2) सरकारों ने राज्य सरकार के सहयोग से, लड़कियों की शिक्षा पर एक मार्ग दर्शी परियोजना का कार्यक्रम भी इस दृष्टि कोण से प्रारम्भ किया है ताकि लड़कियों/स्त्रियों की शिक्षा की समस्या का अध्ययन किया जा सके और सुधार के उपाय और साधनों की खोज की जा सके।

(3) लड़कियों को विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के निमित्त राज्य सरकारों की कई योजनाएं हैं।

(i) लड़कियों के लिए उन कक्षाओं में निशुल्क शिक्षा जिनमें शिक्षा शुल्क वसूल किया जाता है।

(ii) विशेष छात्र वृत्तियां।

(iii) छात्रावास सुविधाऐं ।

(iv) अध्यापिकाओं के लिए आवास की व्यवस्था करना ।

(v) बालिका विद्यालयों तथा सह-शिक्षा- विद्यालयों में (पृथक) सफाई प्रखण्ड व्यवस्था

(vi) लड़कियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा वर्दी प्रदान करना ।

(vii) बालिका विद्यालयों के लिए भवन निर्माण को प्राथमिकता देना ।

(viii) विद्यालय में भाइयों की नियुक्ति

(ix) बालिका विद्यालयों के लिए बसों की व्यवस्था करना ।

(4) राज्यों में वयस्क महिलाओं के लिए साक्षरता-कक्षाओं का भी संचालन होता है ।

(5) स्त्री शिक्षा की गति अधिक तीव्र करने के उपाय और साधनों पर सलाह के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद का गठन किया है ।

नारी शिक्षा

4354. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कक्षा दस उत्तीर्ण, स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यवसायिक तथा डाक्टरी डिग्री प्राप्त शिक्षित नारियों की संख्या क्या है ;

(ख) देश में केवल नारियों के लिये ही कितने शिक्षा संस्थान है, और

(ग) भारतीय नारियों की सुशिक्षा के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिससे वे राष्ट्रीय कार्यों में सफलता के साथ अपना कार्यभार उठा सकें ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) 1961 की जनगणना के अनुसार, मैट्रिक और उससे ऊपर के स्तर की शिक्षित महिलाओं की कुल संख्या 1,275, 000 थी ।

(ख) 31 मार्च, 1966 को 1, 81, 238

(ग) शिक्षा एक राज्य विषय है । लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये, राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों ने विभिन्न उपाय किये हैं । उनमें से निम्नलिखित हैं :-

(i) लड़कियों के लिए उन कक्षाओं में निशुल्क शिक्षा जिनमें शिक्षा शुल्क वसूल किया जाता है ।

(ii) विशेष छात्र वृत्तियां ।

(iii) छात्रावास सुविधाऐं ।

(iv) अध्यापिकाओं के लिए आवास की व्यवस्था

(v) बालिका विद्यालयों तथा सह शिक्षा विद्यालयों में (पृथक) सफाई प्रखंड व्यवस्था ।

(vi) लड़कियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा वर्दी प्रदान करना ।

(vii) बालिका विद्यालयों के लिए भवन निर्माण को प्राथमिकता देना ।

(viii) विद्यालय में भाइयों की नियुक्ति ।

(ix) बालिका विद्यालयों के लिए बसों की व्यवस्था करना ।

भारत सरकार, लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को भवन आदि के निर्माण के लिए अनुदान देकर सहायता करती है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी प्राध्यापकों की नियुक्तियों के पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

4355. **श्री सूरज भान** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 200 हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और उक्त हिन्दी शिक्षकों में से केवल एक ही शिक्षक अनुसूचित जाति के है :

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को, दिल्ली विश्वविद्यालय प्राधिकरण पर अनुसूचित जाति विरोधी विचारधारा का आरोप लगाते हुए, भूखहड़ताल का नोटिस दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों को न्याय प्रदान करने का आश्वासन देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में पिछले तीन वर्षों में दो आचार्य चार उपाचार्य और दो प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई है । इनमें से कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विश्वविद्यालय ने पहले ही निर्णय किया है कि अन्य बातें ध्यान होने पर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य जो दिल्ली विश्वविद्यालय से अध्यापन पद के लिए आवेदन देते हैं उस पर यथाचित ध्यान दिया जाए और सम्बन्धित प्रवरण समिति अध्यापन पद की नियुक्ति की सिफारिश इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करें ।

बैंक आफ इंडिया, लन्दन के विरुद्ध आरोप

4356. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बैंक आफ इंडिया, लन्दन के विरुद्ध 12 सितम्बर, 1970 के ' ब्लिट्ज ' में प्रकाशित आरोपों की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बैंक के लेन-देन की उचित जांच करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन स्थित बैंक का निरीक्षण करने आफ इंडिया की शाखाओं के लिए पहले से ही अपने अधिकारी भेजे हुए हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में करेंसी नोट गिनने के लिए कलेक्शन चार्ज

4357 **श्री प० गौपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों में 100 रुपये से छोटे नोटों के गिनने के लिये 10 पैसे प्रति गड्डी कलेक्शन चार्ज लिये जाने की ओर दिलाया गया है ,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार की इस कार्यवाही के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों में खातेधारियों में फैले असन्तोष के बारे में पता है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस आदेश को वापस लेने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने अपनी शाखाओं को ये हिदायतें जारी नहीं की हैं कि छोटे मूल्य के नोटों को गिनने के लिए ग्राहकों से कुछ प्रभार लिया जाय। लेकिन दो बैंकों के मुख्य कार्यालयों को कुल इक्का दुक्का शिकायतों का पता चला है जिनमें यह कहा गया है कि शाखाओं ने ड्राफ्ट जारी करने और डाक अन्तरण आदि के लिए उन ग्राहकों से, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में छोटे नोट दिये थे अतिरिक्त मेहनत किये जाने के कारण अपेक्षाकृत ऊंची दरों पर कमीशन लिया है।

(ग) और (घ) . कमीशन की दरें प्रत्येक बैंक द्वारा स्वतन्त्र रुप से निर्धारित की जानी है। लेकिन, ऊपर उत्तर में उल्लिखित दो राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक बैंक से सम्बन्ध शाखा को, ड्राफ्ट जारी करने, डाक--अन्तरण आदि के लिए, छोटे नोटों को गिनने के लिए कोई प्रभार न लेने की हिदायत की है। दूसरे सम्बद्ध बैंक ने सम्बद्ध शाखा को इन मामलों में एक–समान दर पर कमीशन लेने की सलाह दी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण लिए जाने के सम्बन्ध में एक ऋण समन्वय समिति का स्थापना

4358. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में एक ऋण समन्वय समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह समिति कब तक स्थापित हो जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। पर, क्षेत्र के सभी बैंकों की एक समन्वय समिति नवम्बर, 1969 से कार्य

कर रही है जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सम्बद्ध आपसी हितों के सभी मामलों पर जिनमें कृषि संबन्धी वित्त-व्यवस्था भी मामिल हैं, विचार बिमर्श किया जाता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

सलेम में हवाई अड्डा

4359. **श्री के० रमानी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से सलेम में हवाई अड्डा बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके समर्थन में क्या कारण दिये गये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार द्वारा दिये गये कारणों से सन्तुष्ट है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने येरकूड तथा होगेनक्कल में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित "स्टील प्लांट" तथा पर्यटक अवकाश-ग्रहों के निर्माण की ओर निर्देश किया है, और विचार व्यक्त किया है कि प्रत्याशित यातायात संभावना से वहां पर एक विमान क्षेत्र के निर्माण का औचित्य सिद्ध होता है।

(ग) और (घ) मामले की जांच की जा रही है ।

कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के मध्य समझौता

4360. **श्री भगवान दास** : क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के मध्य महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या सरकार ने समझौते की शर्तों की पूर्णतया क्रियान्विति करने की दिशा में कोई कार्यवाही की हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी के कर्मचारियों तथा प्रबन्धक के बीच 4-4-1964 को महंगाई भत्ते के बारे में त्रैवार्षिक करार पर हस्ताक्षर हुए है। इस करार के अन्तर्गत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुछ वृद्धि की गई थी जिससे मजदूर को निर्वाह सूचक 455 अंक तक और मध्य वर्ग निर्वाह सूचक 505 अंकों तक निष्प्रभावी हो जाय। यह भी सहमति हुई कि जितनी अवधि तक यह करार चालू रहेगी तब तक महंगाई भत्ता निर्वाह खर्च सूचक से स्वयं ही जुड़ा होना चाहिए और अगले वर्ष का महंगाई भत्ता 1.25 रुपये प्रति 5 अंकों की दर से पिछले वर्ष के निर्वाह-सूचक

की औसत वृद्धि पर आधारित होना चाहिए इस शर्त के मातहत कि यदि किसी वर्ष का निर्वाह खर्च सूचक 40 अंक बढ़े अथवा घट जाय तो करार के संबंधित खंड के कार्यकरण को और आगे समीक्षा की जाएगी।

(ख) कंपनी के उस समय के प्रबंध ने करार की सभी व्यवस्थाओं को कार्यान्वित किया सिवाय खंड 11 और 12 के जो अमल के पद क्रमों और वेतनमानों की असंगतियों को दूर करने से और यातायात आय में वृद्धि होने पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और वृद्धि करने से संबंधित थी। जुलाई 1967 में इस करार का प्रवर्तन बन्द हो गया। इस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार, जिसने उस महीने में कंपनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया, न 1969 में महंगाई भत्ते में दो बार दस दस रुपये की तदर्थ वृद्धियों की और 1970 में 10 रु० की और वृद्धि की। कलकत्ता ट्रामवे कंपनी के प्रबंध ने कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि करने तथा कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने (करार के खंड 11 और 12 में मूल बातें) योजनाएं पैकज डील के रूप में भी बनायी परन्तु कर्मचारियों ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी का राष्ट्रीयकरण

4361. **श्री गणेश घोष** : क्या पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी का 1971 में उस प्रयोग की अवधि समाप्त होने होने के बाद, राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रहे है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के प्रश्न पर विचार कर रही है। उन्होंने इस प्रयोजन से एक वार्ता समिति बनाई है।

बोल्गा रेस्तोरां द्वारा आय को छिपाये जाने के कारण उसके विरुद्ध जांच

4362. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोल्गा रेस्तोरां, नई दिल्ली के मालिक के विरुद्ध अपनी बहुत ज्यादा आय को छिपाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मेसर्स बोल्गा रेस्तोरां तथा उसके भागीदार श्री मदनलाल लाम्बा के विरुद्ध कर अपवंचन की शिकायत मिली है।

(ख) तथा (ग) आरोपों की जांच पड़ताल की जा रही है। 5 वर्षों से संबंधित कर निर्धारण के मामलों को फिर से उठाया गया है। 2 वर्षों से सम्बन्धित कर निर्धारण पहले ही पूरे किए जा चुके हैं तथा बतायी गयी आय में भारी वृद्धियां की गई हैं। वृद्धियों के विषय में अपीलें की गई है।

एयर इण्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स को खाद्य-पदार्थों की सप्लाई

4363. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि एयर इण्डिया इन्टरनेशनल तथा इण्डियन एयरलाइन्स को खाद्य पदार्थ सप्लाई करने का टेका बोल्गा रेस्तोरां, नई दिल्ली को दिया गया है हालांकि इसके मालिक के विरुद्ध अपनी बहुत अधिक आय को छिपाने के मामले की जांच की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : एयर इन्डिया का अपनी नई दिल्ली से होकर जाने वाली उड़ानों के लिए भोजन लेने के लिए नई दिल्ली के मैसर्ज बोल्गा रैस्टोरैंट के साथ एक ठेका था। यह ठेका 20 मई, 1970 को जब पालम पर एयर इण्डिया के अपने फलाइट किचन ने काम करना शुरू कर दिया, खत्म कर दिया गया।

इण्डियन एयरलाइन्स का मैसर्ज बोल्गा रैस्टोरैंट के साथ कोई ठेका नहीं है। सारा प्रमुख भोजन एयर इण्डिया के फलाइट किचनों से लिया जाता है और अन्य अल्पाहार सामग्री (रिफरेशमेंट) की व्यवस्था इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा एयरपोर्ट पर उनके अपने खान-पान संस्थान से की जाती है। परन्तु इण्डियन एयरलाइन्स की फलाइटों में विलम्ब हो जाने या बाधा पड़ जाने की स्थिति में यात्रियों की भोजन व्यवस्था बोल्गा के एयर पोर्ट रैस्टोरैन्ट में की जाती है।

मलयेशिया, श्रीलंका और थाइलैंड में इण्डियन ओवरसीस बैंक की शाखाओं का बन्द किया जाना

4364. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया, श्रीलंका और थाइलैंड में इण्डियन ओवरसीस बैंक की शाखाएं शीघ्र ही बन्द की जा रही हैं क्योंकि इन देशों में राष्ट्रीयकृत विदेशी बैंकों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कई विदेशी शाखाओं को बन्द किए जाने से इण्डियन ओवरसीस बैंक 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में सब से छोटा हो जाएगा ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इण्डियन ओवरसीस बैंक को स्टेट बैंक आफ ट्रावनकौर में विलय करने या उसे स्टेट बैंक आफ इण्डिया का एक नया सहायक बैंक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) चूंकि विदेशी बैंकों को, श्रीलंका और थाइलैंड में काम करने की मनाही नहीं है इसलिए इन देशों में स्थित भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को बन्द करने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। मलयेशिया बैंकिंग अध्यादेश 1958 के अनुसार किसी भी सरकारी या सरकार द्वारा नियन्त्रित कम्पनी को मलयेशिया में कारबार करने की मनाही है। इण्डियन ओवरसीस बैंक के अतिरिक्त दो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् इण्डियन बैंक और और यूनाइटेड कमर्शल बैंक की मलयेशिया में शाखायें हैं। मलयेशिया में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के भावी ढांचे के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) से (घ). जमा रकमों और दिए गए अग्रिमों की रकमों के अनुसार किए हैं वर्गीकरण के अनुसार चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में, इण्डियन ओवरसीस बैंक का स्थान, अन्तिम तीन बैंकों में हैं । इण्डियन ओवरसीस बैंक की की मलयेशिया में पांच शाखायें हैं। 25 सितम्बर, 1970 की स्थिति के अनुसार, इन शाखाओं के पास 10.14 करोड़ रुपये की रकम जमा थी तथा इनके द्वारा 6.43 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था जबकि भारत में, इण्डियन ओवरसीस बैंक के पास 79.99 करोड़ रुपये की रकम जमा थी तथा उसके द्वारा 53.59 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था । यदि मलयेशिया स्थित इण्डियन ओवरसीस बैंक की शाखाओं के पास जमा रकमों तथा उसके द्वारा दिए गये ऋणों की रकमों को जोड़ भी दिया जाय तो भी उक्त बैंक के पास जितनी रकम जमा है, तथा उसने जितनी रकम के ऋण दे रखे हैं, उसे देखते हुए यह एक सत्तम-एकक के रूप में काम कर सकता है। इसलिये इस बैंक को स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोम के साथ मिलाने या इस भारतीय स्टेट बैंक का सहायक बैंक बनाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

इन्डियन ओवरसीस बैंक के परिदीक्षाधिकारी

4365. **श्री यमुनाप्रसाद मंडल :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ओवरसीस बैंक के परिदीक्षाधिकारियों के परिदीक्षा-काल के प्रथम और द्वितीय वर्ष में केवल क्रमशः 50 रुपये और 500 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके पांच साल के बंध-पत्र और 2000 रुपये की नकद प्रतिभूति की अपेक्षा की जाती है जबकि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में परिदीक्षाधिकारियों की भर्ती के सम्बन्ध में ऐसा कोई नियम नहीं है ;

(ग) क्या इण्डियन ओवरसीस बैंक के परिदीक्षाधिकारियों को कम वेतन दिया जाता है और उनकी सेवा शर्तें बहुत कठोर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी वृतिका में वृद्धि कर तथा बंध-पत्र और नकद प्रतिभूति की शर्तों को समाप्त कर इन अधिकारियों को राहत पहुँचाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों में केवल इण्डियन ओवरसीस बैंक ही ऐसा बैंक नहीं है जो परिदीक्षाधीन अधिकारियों से बांड भरवाता है और जमानत के लिए रकम मांगता है। इण्डियन ओवरसीस बैंक द्वारा परिदीक्षाधीन अधिकारियों से जो रकम ली जाती है और उसकी सेवा की जो शर्तें है वे ऐसी ही अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शर्तों के समान ही हैं।

(घ) और (ङ). परिदीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करना बैंक के निर्देशक मंडल का काम है ।

कन्नानोर में स्टेडियम बनाने के बारे में ज्ञापन

4366. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में कन्नानोर में एक स्टेडियम बनाने के लिए सहायता हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कन्नानोर नगरपालिका को इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हाँ। कन्नानोर जिला खेलकूद परिषद ने कन्नानोर में एक स्टेडियम के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) : नियमाधीन, ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता के अनुरोध संबंधित राज्य खेलकूद परिषदों के जरिये ही आते हैं। अतः प्रार्थियों को राज्य खेलकूद परिषदों के द्वारा निर्धारित फार्म में अपने आवेदन पत्र भेजने की सलाह दी गई थी। राज्य खेलकूद परिषद के जरिए आवेदन पत्र के आने पर भारत सरकार अनुरोध पर विचार करेगी।

पोलिटेकनिक के कार्य का सर्वेक्षण

4367. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के पोलिटेकनिकों के कार्य का कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया हैं ;

(ख) क्या मैसूर सरकार वहां के पोलिटेकनिकों को बन्द करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या पोलिटेकनिकों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई सलाहकार समिति या अन्य कोई निकाय नियुक्त किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पोलिटेकनिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं विकास के लिए विचारार्थ निम्नलिखित विषयों के साथ एक विशेष समिति नियुक्त की गई हैं :—

(i) मध्यम स्तर के तकनीकों के लिए उद्योग की आवश्कतायें तथा इसके पुनर्गठन और विकास के लिए एक दस-वर्षीय योजना तैयार करने की तुलना में पोलिटेकनिक शिक्षा की पूरी पद्धति का निरीक्षण।

(ii) रैंड बिच पाठ्यक्रम, शिशू प्रशिक्षण और विषयक्षेत्रों के विविधकरण के विशिष्ट संदर्भ के साथ पोलिटेकनिक और उद्योग में सहयोग के जरिये डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के व्यावहारिक विषयों में सुधार लाने के लिए साधनो की सिफारिश करना।

(iii) पोलिटेकनिक शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं पर रिपोर्ट करना।

समिति की जनवरी, 1971 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है

(ख) राज्य सरकार के प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अभी तक कोई भी पोलिटेकनिक बंद नहीं हुआ है. किन्तु नगरेतर क्षेत्रों में प्रवेश और पिछड़े जिलों में स्थित कुछ पोलिटेकनिकों में प्रवेश पाने वालों की संख्या में गिरावट हुई है। राज्य सरकार स्थिति का निरीक्षण ध्यानपूर्वक कर रही है तथा उन पोलिटेकनिकों के भविष्य पर विचार करेगी।

(ग) पोलिटेकनिकों और मानक के अनुरक्षण सहित तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा इसकी क्षेत्रीय समितियां राज्य सरकारों को सलाह दे रही हैं।

गोयन्का समाचारपत्र समूह द्वारा ऋण के दुरुपयोग का समाचार

4368. **श्री भोगेन्द्रझा** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के समाचारपत्र कर्मचारी संघ ने गोयन्का समाचारपत्र समूह द्वारा ऋणों को प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली और उनका दुरुपयोग करने के बारे में नवम्बर, 1969, में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

समवाय कार्यमंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार को, गोइन्का समूह की कुछ कम्पनियों की बाबत, धन के दुरुपयोग सहित, अनेक आरोपों से युक्त, संसद सदस्यों के नाम भेजे गये, आन्ध्र प्रदेश न्यूजपेपर एम्पलाईज यूनियन से होने के आशययुक्त, ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई है।

(ख) मैं० आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटिड, मैं० एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स मद्रास, मैं० इन्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड तथा मैं० इन्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्राइवेट लिमिटेड, के लेखे की किताबो का, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरिक्षण किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट परीक्षान्तर्गत है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को दिये गये निर्देश

4369. **श्री तेन्नेटी विश्वनाथम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7 (1) के अधीन रिजर्व बैंक को केन्द्रीय सरकार ने क्या-क्या निदेश दिये हैं, और

(ख) क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण). (क) और (ख) . केन्द्रीय सरकार ने अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 7 (1) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को कोई निर्देश नहीं दिया है।

रिजर्व बैंक के निदेशकों को व्यापार हित

4370. **श्री तेन्नेटी विश्वनाथम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8 (1) (ख) तथा 8 (1) (ग) के अधीन नामजद लिए गये रिजर्व बैंक के निदेशकों तथा स्थानीय बोर्डों के सदस्यों के व्यापार हित क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अपेक्षित विवरण अनुबन्ध एक से तीन तक में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०4562/70]

प्रबन्धक अभिकरण प्रणाली का समाप्त किया जाना

4371. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **समन्वय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन, कपड़ा' रुई, सिमेंट तथा चीनी कम्पनियों को छोड़कर उन कम्पनियों में जिन का आरम्भ 1966 में हुआ था, प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस मामले में क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है ; और

(ग) क्या समवाय संशोधन अधिनियम, 1969 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया गया है।

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1969 के लागु होने पर, सम्पूर्ण कम्पनियों से प्रबन्ध अभिकर्ता/सचिव व कोशाध्यक्ष प्रणाली, अप्रैल 1970 के तृतीय दिवस, से समाप्त हो गयी है।

(ख) कोई हानिपूर्ति देय नहीं है। प्रबन्ध अभिकर्ताओं को, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित ढंग से तथा साधारण बैठक के समक्ष रक्खे गये कम्पनी के वार्षिक लेखे को संगमना के अनुसार, कम्पनी के वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ के पश्चात, वर्ष के मध्य की गई उनकी सेवाओं की अवधि के लिए यथानुपात आधार पर, अनुभवे पारिश्रमिक दिया जायेगा।

(ग) वह कम्पनियां जिनका प्रबन्ध पहले अभिकर्ताओ द्वारा होता था, अब प्रबन्ध का विकल्प रूप अपना रही है।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा क्रेडिट वाउचर स्वीकार करना

4372. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन भारत सरकार के कुछ विभागों को "क्रेडिट वाउचर" नहीं दे रहा अथवा उनसे स्वीकार नहीं कर रहा और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . इन्डियन एयरलाइन्स भारत सरकार के सभी विभागों को "क्रेडिट सुविधायें प्रदान करते हैं। तथापि, कुछ मामलों में जब अदायगी में चूक हुई हो, तो 'क्रेडिट' सुविधाओं को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाता है परन्तु जब हिसाब साफ हो जाता है तो उन सुविधाओं को पुनः चालू कर दिया जाता है।

विदेश स्थित भारतीय राज दूतावासों के लेखा-परीक्षा कार्य का हस्तांतरण

4373. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा पत्र प्राप्त किया है जिसमें देश-विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों के लेखा परीक्षा के कार्यों को लन्दन को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो ;

(ख) क्या इस हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी ;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि की ; और

(घ) क्या वित्त मंत्रालय का नियंत्रक तथा महा लेखा-परीक्षक को उक्त हस्तांतरण करने की अनुमति देने का विचार है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यूरोप स्थित भारतीय दूतावासों की लेखापरीक्षा और लेखा की व्यवस्था के केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन राजस्व के महा लेखाकार कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारी-संघ से प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) . जी नहीं। इस कार्य की पुनर्व्यवस्था के निमित्त लदन कार्यालय में कोई नया पद नहीं बनाया गया है और किसी अतिरिक्त बजट व्यवस्था की भी आवश्यता नहीं है।

(घ) नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा असैनिक विभागों की लेखा-परीक्षा और लेखा कार्य का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

— — — —

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ट्रकों तथा बसों के टायरों की अत्यधिक कमी

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : Sir, I call the attention of the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

> "The reported acute shortage of truck and bus tyres in the country due to hoarding by dealers".

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :

(1) विगत सप्ताह में देश में विभिन्न भागों में टायरों की कमी विशेष रुप से ट्रक तथा ट्रैक्टर के टायरों की सख्त कमी के बारे में अनेक सूचनाएं तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनके वितरण में गोल माल तथा अनियमितताओं के बारे में भी कहा गया है।

(2) मोटर गाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों का उत्पादन 1966 में 25.8 लाख टायरों सेकाफी बढ़कर 1969 में 40 लाख टायरों से भी अधिक हो गया है, 1970 के दस महीनों में उत्पादन 32.7 लाख ही हुआ है। इसका मुख्य कारण मे० प्रीमियर टायर्स लि० तथा मै० सिस्ट टायर्स लि० के

कारखानों में हड़ताल का होना है, इसका दूसरा कारण उत्पादन करने वाले तीन अन्य कारखानों में श्रमिक-प्रबन्धक समस्याओं का होना भी है। इसके फल स्वरूप अनुमानित मांग के मुकाबिले उत्पादन में कुछ कमी आने की संभावना है, यद्यपि आशा है कि आगामी कुछ सप्ताहों में स्थिति सम्भल जाएगी। जहां तक ट्रक के टायरों का संबन्ध है वास्तविक उत्पादन मांग से कुछ हद तक कम है, उत्पादन इस समय तेजी से हो रहा है, जिससे सम्मरण की स्थिति शीघ्र काफी सुधर जाएगी।

(3) जहां तक ट्रैक्टर टायरों का प्रश्न है, इसका उत्पादन 1966 में 90.233 था और उससे बढ़कर 1970 के पहले 10 महीनों में 1.46 लाख टायर हो गया है। ऐसी आशा की जाती है कि इस प्रकार के टायरों की 1970 की 1.8 लाख टायरों की अनुमानित मांग को इस वर्ष के कुल उत्पादन से पूरा किया जा सकेगा। हां, कुछ साइजों के ट्रैक्टर टायरों की कुछ कमी हो सकती है। कुछ विशेष प्रकार के ट्रैक्टर टायरों जिनका देश में उत्पादन नहीं होता उनका राज्य व्यापार निगम और सम्बन्धित राज्यों के कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से आयात करने की भी अनुमति दी जा रही है।

(4) इस समस्या के दीर्घकालिक हल के लिए टायरों विशेष कर भारी किस्म के टायरों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना वांछनीय है। ऐसा अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक टायरों की मांग 72 लाख तक बढ़ जाएगी। जबकि अब तक की कुल अधिष्ठापित अथवा अधिष्ठापित की जा रही क्षमता और लाइसैंस प्रदत्त क्षमता 55.8 लाख है। इसके अतिरिक्त 24 लाख टायरों। ट्यूबों के उत्पादन के लिए 8 नए एककों को आशय पत्र स्वीकृत कर दिए गए हैं इस अतिरिक्त क्षमता से आगामी वर्षों में आवश्यकता की पूर्ति भली भांति की जा सकेगी। इस अन्तरकाल में अधिष्ठापित क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करना ही आवश्यक नहीं है अपितु प्रभावी वितरण व्यवस्था भी आवश्यक है।

(5) विभिन्न प्रकार के आटोमोबाइल टायरों की जिनकी कमी होने की आशंका है के उत्पादन में वृद्धि करने के अभ्युपायों पर विचार करने और वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए उपयुक्त उपाय ढूंढ निकालने तथा गोल माल करने वाले अथवा अनियमितताएं बरतने वाले व्यापारियों ' (डीलरों) ' के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए टायर उत्पादकों की एक बैठक कल हुई। निर्माताओं ने अपनी वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का आश्वाशन दिया है और इस विषय में उठाये जाने वाले पग निश्चित किए जा रहे हैं, जिनकी घोषणा इसी सप्ताह किये जाने की सम्भावना है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के आधीन राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टायरों के सम्मरण और वितरण को नियमित करने तथा कुछ शर्तों के अनुरुप उनका मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकार (यथा आवश्यक) प्रत्यायोजित किए गए हैं। दिल्ली प्रशासन ने गत वर्ष पहले ही कुछ विशेष प्रकार के आटोमोबाइल टायरों ट्यूबों का सम्मरण और वितरण नियमित करने तथा अन्य सभी प्रकार के टायरों और ट्यूबों की कीमत निर्धारित करने के लिए एक आदेश जारी किया है। अन्य राज्य सरकारें भी यदि आवश्यक समझें तो ऐसा कर सकती हैं।

इस समय इस मामले पर सरकार टायर उत्पादकों और राज्य प्राधिकारियों के साथ विचार कर रही है तथा जो भी मात्रा वितरण के लिए विद्यमान है अथवा जिसका उत्पादन हो

रहा है उसके यथा सम्भव समान वितरण के सुनिश्चय के लिए हर सम्भव उपाय किए जाएंगे।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, may I know that since when the Minister knows that there is shortage of tyres, the number how many telegrammes he has received in this connection and how many co-operative transport companies have represented. What are the reasons for this shortage? May I know whether Government will control it, and whether there is sufficient technical know-how for the manufacture of tyres in the country?

Is it a fact that the foreign companies have created artificial scaracity as these applications for increasing the production have been turned down by the Government?

श्री मं० र० कृष्ण : श्रीमान यह सच है कि सरकार को टायरों की कमी के बारे में जनता से तथा संसद सदस्यों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। टायरों की कृत्रिम कमी का कारण मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि कारखानों में हड़ताल के कारण उत्पादन कम हुआ और टायरों की कमी हुई है। अभ्यावेदनों में विशेष रूप से यह शिकायत की गई है कि टायरों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं। इस सम्बन्ध में उत्पादकों से साथ कल और आज बैठकें हो चुकी हैं और उनमें कुछ निर्णय लिए गए हैं जिनके परिणामस्वरूप टायर उचित मूल्य कर मिलने लगेंगे जहां तक तकनीकी जान कारी का सम्बन्ध है देश में टायर निर्माण के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त है।

श्री बे० कु० दास चौधरी (कूच बिहार) : श्रीमान्, पहले तो में यह कहना चाहता हूँ कि आज वक्तव्य 12 बजे से दो-चार मिनट पहले ही हमें मिला है जबकि यह वक्तव्य कम से कम आध घंटा पहले मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।

श्री बे० कु० दास चौधरी : मैं भी महोदय द्वारा दिये गये लम्बे वक्तव्य में यह नहीं बताया गया है कि टायरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। बसों और ट्रकों के टायरों के प्रश्न को तो मंत्री महोदय बड़ी चतुरता से छोड़ गये हैं।

मैं समझता हूँ कि कारखानों की उत्पादन क्षमता 58 लाख है परन्तु अब तक उत्पादन केवल 32 लाख हुआ है और इसी प्रकार उत्पादन रहा तो वर्ष के अन्त तक उत्पादन केवल 40 लाख हो पायेगा। इससे पता लग जाता है कि यह कमी अवश्य बनी रहेगी।

वर्ष 1962-63 में सरकार ने 12 लाख टायरों की क्षमता बढ़ाने के आशय-पत्र उत्पादकों दिये थे। किन्तु किसी ने भी टायर का उत्पादन नहीं बढ़ाया सरकार ने अब पुनः टायर का उत्पादन बढाने के जो लाइसेंस दिये हैं, क्या वे उन्हीं उत्पादकों को दिये गये हैं जो 1962-63 में टायरों का उत्पादन बढाने में असफल रहे थे 1 फरवरी 1970 में श्री फखरूदीन अली अहमद ने एक वक्तव्य में यह भी बताया था कि टायर के नये कारखाने देश के पिछड़े भागों में लगाये जायेंगे अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये कारखाने किन किन स्थानों पर लगाये जायेंगे क्या पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में कोई ऐसा कारखाना लगाया जायेगा ?

श्री मं० र० कृष्ण : इस समय 41 लाख टायरों की मांग है और 15 लाख की कमी है। टायरों के कारखानों में हड़ताल के कारण यह कमी पैदा हुई थी और मैं आशा करता हूँ कि एक-दो महीनों में यह कमी दूर हो जायेगी उत्पादकों ने यह आश्वासन भी दिया है कि जहां कहीं

कमी होगी वहीं शीघ्रता से माल भेजा जायेगा ताकि बसों के मालिकों को असुविधा न हो। उत्पादन में यथा संभव अधिक वृद्धि की जायेगी और टायरों की सप्लाई में भी वृद्धि की जायेगी जिससे यह कमी दूर हो सकें। व्यापारियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा कि वे टायरो को एक राज्य से दूसरे राज्य में न ले जायें। इससे मूल्यों में उतार चढ़ाव रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जिनके पास अपनी दस गाडियाँ होगी अब उन्हें सीधे टायर दिये जा सकेंगे सहकारी समितियों को भी टायर सप्लाई किये जायेंगे। ये कुछ उपाय किये गये हैं जिनसे स्थिति सुधर जायेगी। यदि व्यापारी निर्धारित मूल्यों पर टायर नहीं बेचेंगे तो उन्हें व्यापारी नहीं समझा जायेगा। साथ ही सरकार ने चौथी योजना काल में टायरों की मांग को देखकर टायरों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि कर दी है।

श्री बे० कृ० दास चोधरी : मैंने यह भी पूछा था कि 1962-63 में जिन निर्माताओं को आराम पत्र दिये गये थे उनको ही दोबारा लाइसेंस दिये गये हैं।

श्री मं० र० कृष्ण : जहां तक नई फर्मों को लाइसेंस देने का सम्बन्ध है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उत्पादन में तत्काल वृद्धि के लिए हमने क्षमता विस्तार के लाइसेंस विद्यमान उत्पादकों को ही दे दिये हैं क्योंकि नये उत्पादक शीघ्र ही उत्पादन शुरु नहीं कर सकते। हमने कुछ नये कारखानों की स्थापना के लिए भी लाइसेंस दिये हैं। अभी तक पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम, गुजरात राज्य औद्योगिक विकास निगम तमिलनाडु राज्य औद्योगिक विकास निगम, रुबी रबर वर्क्स लिमिटेड केरल तथा उडीसा तथा आन्ध्र प्रदेश की पार्टियों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं। पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे कारखानों की स्थापना के बारे में जो पार्टियां पेशकश करेंगी उनका हम स्वागत करेंगे।

श्री चेंगल राया नायडू : मैं यह बताना चाहता हूँ कि टायरों की चोर बाजारी व्यापारियों के स्तर से शुरू न हो कर उत्पादक कम्पनियों के डिस्ट्रिक मेनेजरों के स्तर से शुरू हुई है। ये लोग कुछ कम्पनियों को उनसे चोरी से धन लेकर अधिक टायर दे देते हैं और उन्हें चोर बाजारी करने को प्रोत्साहित करते हैं। क्या सरकार उत्पादकों से यह कहेंगी कि वे अपने जिला मेनेजरों पर कड़ा नियंत्रण रखें जिससे वे टायर केवल कुछ व्यापारियों को न देकर सबको दें। क्या सरकार की ओर से सब व्यापारियों को ऐसे अनुदेश दिये जायेंगे कि वे टायरों के भंडार के तथा टायर के मूल्यों के बारे में पूर्ण विवरण अपनी दुकानों पर जनता के लिए रखें और क्या सरकार ऐसा न करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? क्या नये लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को दिये गये हैं जिन्हें टायरों के बारे में पर्याप्त तकनीकी जानकारी है और जो विदेशी सहयोग की अपेक्षा नहीं करते हैं ? क्या सरकार लघु उद्योग में उन लोगों को प्राथमिकता देगी जो ट्रक अथवा बस के टायर बनाना चाहते हैं ? क्या टायरों के आयात और निर्यात दोनों पर ही प्रतिबन्ध लगाया जायेगा जिससे टायर सम्बन्धी समस्या सुलझ सके।

श्री मं० र० कृष्ण : विदेशी सहयोग की अनुमति केवल उसी समय दी जाती है जबकि ऐसा आवश्यक होता है अथवा जब किसी निर्यात की मांग पूरी करनी होती हैं। अधिकतर नये कारखाने सरकारी क्षेत्र में बनाये जा रहे हैं।

संभवतः यह पहला अवसर है जबकि किसी सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि चोर बाजारी के लिए उत्पादक एक्को के डिस्ट्रिक मेनेजर जिम्मेदार हैं। गड़बड़ करने वाला चाहे व्यापारी हो अथवा डिस्ट्रिक मेनेजर सभी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जहां तक लघु

उद्योग क्षेत्र में ट्रक और बस के टायरों के उत्पादन का सम्बन्ध है, यदि कोई पार्टी इस क्षेत्र में आगे आयेगी तो हम उसकी सहायता अवश्य करेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, I have written to you that the Private Secretary to the Prime Minister is persuading the Members of Legislative Assembly of Uttar Pradesh to topple the Ministry there. On the other hand she wants to enact a law to check the defection.

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टायम) : श्रीमान् बी० एस० एल० परियोजना के 20,000 कर्मचारी अन्तरिम सहायता के लिए हड़ताल कर रहे हैं । मैंने इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था । उसे आप स्वीकृति देने की कृपा करें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इन्डियन एयरलाइन्स का काम प्रायः बन्द हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मंत्री महोदय एक वक्तव्य देने वाले हैं ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION

(श्री मोरारजी देसाई)

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : मैंने 28 नवम्बर को आपको एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने यह बताया था कि श्री शशि भूषण संसद सदस्य ने 26 नवम्बर 1970 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछते हुए मेरे पुत्र पर यह आरोप लगाया था कि 24 नवम्बर को मेरठ से आते हुए उनको तस्करी के स्वर्ण के साथ पकड़ा गया था और प्रवर्तन निदेशालय के श्री श्रीवास्तव ने इस मामले को दबाया । मेरा पुत्र 24 नवम्बर को बम्बई में था । अतः उस दिन उसके मेरठ से दिल्ली आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । यह आरोप सरासर झूठ और बेहूदा था जो मेरे पुत्र और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बदनाम करने के लिए उस पर लगाया गया था । इस प्रकार श्री शशि भूषण ने संसद सदस्य के अधिकार का दुरुपयोग किया है । मैं समझता हूँ कि यदि वह ऐसी बात संसद से बाहर कहते तो उन पर न्यायालय में मान हानि का मुकदमा चलाया जा सकता था । मैं उस समय सभा में तो था किन्तु मैंने उनकी यह बात नहीं सुनी थी इसलिए मेरा उस समय न बोलना स्वभाविक था । चूंकि यह आरोप गलत है इसलिए श्री शशि भूषण को संसद में ही इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : पहले श्री शशि भूषण एक सप्ताह के लिए बाहर चले गये थे वापस आने पर उन्होंने कुछ दस्तावेज मुझे दिये थे । किन्तु उन्होंने यह कहकर उन्हें वापस ले लिया कि उनके आधार पर एक वयक्तव्य तैयार किया जायेगा इस पर मैंने वे दस्तावेज उन्हें वापस लेने की अनुमति दे दी थी ।

श्री मोरार जी देसाई ने अपना पत्र पढ़ लिया है श्री शशि भूषण भी पढ़ लें ।

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : Sir, on 26th November, while speaking on the call Attention notice I mentioned the name of Shri Morarji Desai but I have not levelled any personel allegation against him. On that day I put some facts before the House. Now I want that a further enquiry may kindly be instituted in regard to B.O.A.C. gold scandle of Rs. 45 lakhs gold scandle at Dodsal Co., so that fulfacts may come to light. But no enquiry has yet been instituted by Government into these incidents. If the facts put by me before the House will be found false then I will apologise.

डा० राम सुभग सिंह : आप मानवीय सदस्य से कहें कि वह माफी माँगे, क्योंकि उनके आरोपों का कोई आधार नहीं है ।

श्री मोरारी जी देसाई : अगर मेरे पुत्र के विरुद्ध कोई आरोप हैं और सरकार उनकी जांच करना चाहती है, तो ऐसा करने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है । इस सम्बन्ध में यहाँ चर्चा भी हो चुकी है और आरोपों का खण्डन भी किया जा चुका है । प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि आरोप गलत था ।

अब, यह विशिष्ट आरोपोंपूर्णतः गलत है इसलिए उन्हें माफी माँगनी चाहिए । मेरे पुत्र ने इस बारे में आप को एक पत्र भी लिखा है कि वह बम्बई में थे ।उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री और उप प्रधान मंत्री का पुत्र इसमें अन्तर्ग्रस्त था । यह कहने का क्या मतलब हैं ? इस प्रकार से मुझ पर भी लांछन लगाया गया है, वह मेरे पुत्र का श्री श्रीवास्तव का नाम ले सकते थे । इसलिए उन्हें माफी माँगनी चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I rise on a point of order. Shri Shashi Bhushan is passing his responsibility on the government, regarding the charges levelled by him... **(Interruptions)**

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : Mr. Speaker. He is abusing and saying "Morarji Ke Bachche"...**(Interruptions)**

Shri Kanwar Lal Gupta : It has been proved now that Shri Kanti Bhai Desai was present in Bombay on that day and had not gone out of Bombay for the last two months. He has levelled a baseless charge. Now there is no other course for the member except to apologise.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : अगर आप एक सदस्य को दूसरे सदस्य को गाली देने से नहीं रोकेंगे, तो गाली का जबाब गाली से दिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्या कहा यह मुझे सुनाई नहीं दिया ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली): श्री शशि भूषण द्वारा लगाये गये आरोप की सच्चाई के बारे में हम चर्चा कर रहे थे । इसी बीच एक सदस्य ने अन्य सदस्य को गाली दी । हम आप से यह अनुरोध करते हैं कि आप उनसे शब्द वापस लेने के लिए कहें । अन्यथा, हम भी ईंट का जबाब पत्थर से देंगे ।

श्री नि० मो० बिस्वास : मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी । मैंने यह कहा था कि मामला " मोरारजी के बच्चे " के खिलाफ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी बात की अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : You should not allow one member to abuse others. He has abused and now sitting silently.

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : When a discussion is going on in the house it should go on according to certain prescribed rules and procedure. He was interrupting

in between the discussion. When another member replied, he said, "Tum Morarji Desai Ke Bachche". It is an abuse which could not be borne.

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है । आप को अपने शब्द वापस लेने होंगे ।

श्री नि० मो० विस्वास : उनका आरोप सच नहीं है । मैंने उन्हें यह कहा ही नहीं है, यदि कहा हो, तो मैं वापस लेने को तैयार हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने यह कहा था ?

श्री नाथ पाई : हमने सुना है ।

श्री कँवर लाल गुप्त : हम सबने सुना है ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : जब एक सदस्य कहता है कि उसने एक बात नहीं कही, तो आप को मानना चाहिए ।

Shri Prakash Vir Shastri : We have heard it.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Just now Shri Kanwar Lal Gupta said that as the charges levelled by Shri Shashi Bhushan have been refuted by Shri Morarji Desai, he should apologise. Shri Shashi Bhushan has said nothing against Shri Morarji Desai. Shri Morarji Desai is an M. P. but Shri Kanti Bhai Desai is not an M. P. **(Inaerruptions).** An impartial committee might be set up to enquire into this matter. Member of Parliament can not be asked to apologise to an outsider. No body was asked to apologise when charges were levelled against the brother of Shri Kanwar Lal Gupta **(Interruptions).** If Shri Shashi Bhushan is asked to apologise today, on another occasion another Member might be asked to apologise to Tatas, Birlas and their agents.

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : It means that mud-throwing may go on here without any check.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabawki) : Shri Shashi Bhushan had levelled his charges and furnished the facts on 26th November, 1970, but Shri Morarji Desai has given his statement today **(Interruptions).** He has not furnished the facts even after so many days. When allegations are levelled, matter should be enquired into and Government should take the necessary action and the person concerned should be punished.

Shri Maharaj Singh Bharti : The Government should enquire in the matter. **(Inter ruptions).**

Shri J. M. Biswas : This should certainly be gone into. **(Interruptions)**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जोलाट) : इस मामले में दो प्रश्न मुख्य रूप से अन्तर्ग्रस्त हैं । पहला तो यह कि श्री कान्ति भाई के नाम का उल्लेख करने से श्री मोरारजी देसाई भी अन्तर्ग्रस्त होते हैं अथवा नहीं । जब 27 नवम्बर को श्री शशी भूषन ने आरोप लगाया था तो अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि ' भूतपूर्व उपप्रधान मन्त्री और वित्त मंत्री के पुत्र श्री कान्ति भाई देसाई' अन्तर्ग्रस्त थे । इस वक्तव्य का स्पष्ट आशय श्री मोरार जी देसाई की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाना था । दूसरे, श्री शशी भूषण ने कुछ निश्चित आरोप लगाये थे, अब वह उन्हें साबित करने में असफल रहे हैं । अब अगर अध्यक्ष के रूप में आप संतुष्ट हैं, तो आप उन्हें फटकार सकते हैं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जो प्रश्न यहां पर उठाया गया है, उस पर हमें शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिए । संसद के कार्य करने की प्रक्रिया की सख्त आलोचना हुई है । अभी हाल में कुछ व्यक्तियों को फटकारने अथवा भर्त्सना करने की भी प्रतिकूल आलोचना हुई है । लोगों में यह

भावना है, भले ही वह गलत या सही हो, कि संसद नागरिकों के अधिकारों की बजाय अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक जागरुप है।

एक मामले में संसद सदस्य अन्तर्ग्रस्त हो सकता है और दूसरे में एक नागरिक। जहां तक श्री मोरार जी देसाई का संबन्ध है, सदस्य को अपने आरोप को सिद्ध करने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् आप संतुष्ट हैं कि आरोप को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है। सदस्य और सदन की प्रतिष्ठा को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस बारे में आप हमारे प्रथम मार्ग दर्शक हैं।

दूसरे मामले में, जांच पड़ताल की मांग की गई है आशा है कि मेरा सुझाव माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे। मेरा सुझाव यह है कि सदन में बाहरी व्यक्ति के बिरुद्ध आरोप न लगाये जायें, क्योंकि यहां हम सुरक्षित हैं। हमें अन्य कार्य एक नागरिक के रुप में करने चाहिए। परन्तु यह उचित ही होगा कि माननीय सदस्य इस सदन के मंच का उपयोग कर चुकने के पश्चात् उस आरोप को सदन के बाहर दोहरायें। संसद सदस्य का बिशेषाधिकार यह नहीं होना चाहिए कि उन व्यक्तियों पर आरोप लगाये जायें, जो अपना बचाव यहां नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य ने आरोप लगाया तो मैंने उसे श्री मोरार जी देसाई और उनके पुत्र के विरुद्ध आरोप के रुप में लिया मेरा भी यही विचार है कि इस सदन के सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाते समय हमें सतर्क होना चाहिए और हमें मान्य प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।

इस विशिष्ट मामले में दो नामों का उल्लेख किया गया है -- इस सदन के सदस्य और एक नागरिक था। मैंने उनसे पूछा कि इस सदन के किसी सदस्य के नाम का उल्लेख करने से पहले उन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं ली ? अगले दिन मुझे एक पत्र उनसे मिला जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि वह बाहर जा रहे हैं और एक सप्ताह पश्चात् आकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। मुझसे मिलने पर मैंने उन्हें बताया कि मेझे कुछ दस्तावेज सबूत के रुप में चाहिए। वह मेरे समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत न कर सके और वह मुझसे कल फिर मिले। मैंने उन्हें बताया कि मुझे श्री मोरार जी देसाई से दो पत्र मिले हैं। वह मेरी अनुमति से वक्तव्य भी देना चाहते थे। जब मैं सदन में आ रहा था, तो मुझे एक पत्र और मिला। इसमें उन्होंने सदस्य और नागरिक के बीच अन्तर किया है और श्री मोरार जी देसाई के नाम मेरी अनुमति के विना उल्लेख करने के लिए खेद प्रकट किया है।

श्री मोरार जी देसाई : उन्होंने कोई खेद प्रकट नहीं किया है। उन्होंने केवल पूर्ण अनुमति न लेने के लिये ही खेद प्रकट किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा कि उनके वक्तव्य में श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध कोई बात नहीं है। मेरे विचार में उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई भी बात नहीं है। (व्यवधान)

अन्य किसी बात को उन्होंने वापस नहीं लिया है। इस प्रकार की स्थिति में जबकि एक नागरिक के विरुद्ध आरोप लगाया जाय, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए—यह सोचने के लिए आप मुझे मौका दें।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे नाम का उल्लेख क्यों किया गया, जबकि मेरे विरुद्ध कोई आरोप ही नहीं था ? इसके लिए खेद प्रकट किया जाना चाहिए ।

उन्होंने एक पत्र भी आपको लिखा है, जो उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करें अथवा बाहर समाचार पत्रों में वक्तव्य दें, जिससे मामला अदालत में ले जाया जा सके ।

Shri Shashi Bhushan : I have already given in writing that I have nothing against Shri Morarji Desai. If he has taken it ill, I express my regrets, but so far as Kanti Bhai is concerned, matter should be enquired into.

अध्यक्ष महोदय : जब नागरिकों और अधिकारियों के नाम का यहां उल्लेख हो, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए । नागरिकों और अधिकारियों ने अध्यक्ष और सदस्यों को इस आशय के अभ्यावेदन भेजे हैं कि उन्हें सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है और वे अपनी स्थिति किस प्रकार स्पष्ट करें । हमें एक सामान्य प्रक्रिया बनानी चाहिए और मैं इस पर विचार कर रहा हूं । (व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सेंट्रल इलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सभी जनसंख्या लेखापरीक्षित लेखें और केन्द्रीय सड़क परिवाहन निगम लिमिटेड के लेखापरीक्षित लेखें ।

संसद-कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ ।—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4545/70]

(दो) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 4546/70]

(2) उपर्युक्त मद 1 (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी०—4547/70]

(3) चौथी लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण :—

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या 30	दूसरा सत्र 1967
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 23	तीसरा सत्र 1967
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 29	चौथा सत्र 1968
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 23	पांचवां सत्र 1968
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या 16	छटा सत्र 1968
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या 21	सातवां सत्र 1969
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या 11	आठवां सत्र 1969
(आठ)	अनुपूरक विवरण संख्या 9	नौवां सत्र 1969
(नौ)	अनुपूरक विवरण संख्या 10	दसवां सत्र 1970
(दस)	अनुपूरक विवरण संख्या 1	ग्याहरवां सत्र 1970

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4548/70]

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1926 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 4549/70]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 79वां संशोधन नियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 1970, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1922 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 80वां संशोधन नियम, 1970, जो भारत के राज्यपत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1923 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 4550/70]

(3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1925 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 1970, में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 4551/70]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे

पोत-परिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम के वर्ष 1968-69 के कार्य का सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या 4552/70]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

(एक) कि राज्य सभा 9 दिसम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1970 को पास किये गये संसद् अधिकारियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक, 1970 से बिना कोई संशोधन सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा 9 दिसम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1970 को पास किये गए टी डिस्ट्रिक्टस एमिग्रेंट लेबर (निरसन) विधेयक, 1970 से, बिना कोई संशोधन, सहमत हुई है।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पास किए गए तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) कृषि उपज उपकर (संशोधन) विधेयक, 1970

(दो) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1970

उपाध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में

HEALTH OF THE DEPUTY SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : मैं लोक सभा के उपाध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा सलाहकार, भारतीय उच्चयोग, लन्दन से 9 दिसम्बर, 1970 को इरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) पर प्राप्त संदेश की सूचना सभा को देना चाहता हूँ :-

"पूर्णतः संतोष जनक और एक सप्ताह के अन्दर अस्पताल छोड़ देने की सम्भावना।"

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

131वां प्रतिवेदन

श्री क० ना० तिवारी (बितिया) : मैं वित्त मत्रालय-व्यय की कतिपय मदों के लिए बजट व्यवस्था का अन्तरम के बारे में प्राक्कलन समिति का 131 वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) प्रस्तुत करता हूँ ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी प्रतिवेदन
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

बारहवां प्रतिवेदन

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन और खाद तथा धातु मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए गोहाटी तेलशोधक कारखाने में आरक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ

औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ को चिकित्सा एवं विक्रम प्रतिनिधियों पर लागू किए जाने के बारे में याचिका
PETITION RE-APPPICABILITY OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT. 1947 TO MEDICAL AND SCALES REPRESENTATIVES

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की चिकित्सा एवं विक्रय प्रतिनिधियों पर लागू किये जाने के बारे में श्री एम० आई० के० मुथालाली, त्रिवेन्द्रम तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ ।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों के निरन्तर आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE-SITUATION CREATED BY THE AGITATION OF INDIAN AIR LINES PILOTS

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): 7 दिसम्बर को मैंने इस सदन के समक्ष इण्यिन एयरलाइन्स के कुछ विमान-चालकों द्वारा, जिनका कि प्रतिनिधित्व भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ द्वारा किया जा रहा है, उत्पन्न की

गयी परिस्थिति के विषय में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था । सदन को स्मरण होगा कि 2 दिसम्बर को प्रबन्धक वर्ग ने मुख्य श्रम आयुक्त के सामने की गयी समझौते की कार्यवाही के दौरान उक्त संघ के साथ एक करार किया था जिसके अनुसार संघ अपने उस आदेश को, जिसमें उसने अपने सदस्यों को बोइंग प्रोजेक्ट से संबन्धित और आगे प्रशिक्षण में भाग लेने से रोका था, वापस लेने तथा विमान सेवाओं को अपने सामान्य रुप में पुनः परिचालित करने के लिए सहमत हो गया था । एवं प्रबन्धकवर्ग संघ के विमानचालकों में से एक के विरुद्ध जारी किये गये निलम्बन आदेशों को वापस लेने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था । प्रबंधकवर्ग तथा संघ सेवा की शर्तों, वेतन-मानों इत्यादि के बारे में द्विपक्षीय बातचीत पुनः प्रारंभ करने के लिए भी सहमत हो गये थे । मैं उक्त करार की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख रहा हूँ ।

2. इस क़रार को दृष्टि में रखते हुए आशा की गई थी कि विमानचालक अपने समस्त कार्यकलाप को पुनः सामान्य रुप से चालू कर देंगे । परन्तु, बम्बई क्षेत्र के विमानचालकों ने सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली खराबियां बताते हुए एच० एस-748 विमानों को उड़ाने से इन्कार करने का अपना आग्रह जारी रखा । इण्डियन एयरलाइन्स के विमान- बेड़े के 14 एच० एस-748 विमानों में से छः विमान बम्बई में हैं और बंबई क्षेत्र के विमानचालकों ने प्रथमतः दो विमानों में नुक्स निकाले, परन्तु उन्होंने उक्त सभी विमानों में से किसी की भी उड़ान करने से इन्कार कर दिया । प्रबंधकवर्ग को विश्वास था कि ये विमान वस्तुतः सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतया संतोषजनक हैं तथापि मामले को सर्वथा संदेश-रहित करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड-जो कि भारत में इन विमानों के निर्माता हैं - के साथ परामर्श करके एच० ए० एल० के परीक्षण विमानचालक द्वारा इनकी जांच की व्यवस्था की गयी । 5 तारीख तक दो विमानों की जांच-उड़ान की जा चुकी थी और परीक्षण विमान चालक द्वारा निम्नलिखित हस्ताक्षरित रिपोर्ट दे दी गई थी :-

> "एच० ए० एल० के परीक्षण-विमानचालक द्वारा किये गये उड़ान-परीक्षणों से प्रकट होता है कि विमान के कार्य-निष्पादन के संबंध में सुरक्षात्मक मानकों का संतोषप्रद रीति से निर्वाह किया जा रहा है ।
>
> विमान के कार्यकलाप के अन्य पहलुओं, जिनसे सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, की भी जांच कर ली गई है, तथा इसके परिणामों पर विचार किया जा रहा है । "

बाद में, 6 तारीख तक दो और विमानों की जांच-उड़ान की गयी तथा वही परिणाम निकला ।

3. इन सर्वथा स्पष्ट जांच परिणामों को दृष्टि में रखते हुए कि एच० एस-748 सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतया संतोषजनक विमान हैं, प्रबंधक वर्ग को विश्वास था कि विमानचालक अब सेवाओं का परिचालन पुनः प्रारंभ कर देंगे । परन्तु अभाग्यवश वे इन्हें उड़ाने से अब भी इंकार कर रहे हैं । इंडियन एयरलाइंस के एक प्रवर अधिकारी को एच० ए० एल० के परीक्षण-विमान चालक तथा नागर विमानन विभाग के, जो कि सिविल विमानों के उड़न-योग्यता के प्रमाणन के लिए उत्तरदायी हैं, तकनीकी अधिकारियों की उपस्थिति में विमानचालकों के साथ विचार-विमर्श के लिए बंबई भेजा गया । किन्तु विमानचालक फिर भी अपने दुराग्रह पर अड़े रहे ।

4. इन परिस्थितियों में प्रबंधकवर्ग के पास उचित अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। बम्बई क्षेत्र के 34 और मद्रास क्षेत्र के 7 एच० एस- 748 विमानचालकों को निलम्बित कर दिया गया है और उन्हें आरोप-पत्र भी जारी कर दिये गये हैं। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विमानचालक सेवाओं को पुनः प्रारम्भ करने के इच्छुक हों तो निलम्बन-आदेश वापस ले लिये जायेंगे, परन्तु आरोप-पत्र वापस नहीं लिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवा संधारण अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस ने 2 विमान-चालकों को गिरफ्तार कर लिया है।

5. परंतु अब देश भर में एच०एस-748 से भिन्न प्रकार के विमानों से परिचालित सेवाओं को भी विमान चालकों ने ऐसे तुच्छ बहाने बनाकर जैसे अचानक बीमारी अथवा विमान में ऐसी मामूली खराबियों के कारण जिनका उसकी सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गम्भीर रुप से अस्त-व्यस्त कर दिया है। कल कलकत्ता क्षेत्र में विमानचालकों ने तत्काल हड़ताल कर दी और मद्रास क्षेत्र में भी सेवाएं बुरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दी गई हैं।

6. सदन को यह जानना अभीष्ट होगा कि भारत में निर्मित एच०एस०-748 विमान का एक शानदार दुर्घटना-रहित सेवा रिकार्ड रहा है। इन्हीं विमानचालकों के परिचालन के अन्तर्गत इन विमानों के हज़ारों घंटों की वाणिज्यिक उड़ान पूरी की है और अब यही विमानचालक इन विमानों की, जिन पर कि स्वयं इन्होंने अनुसूचित उड़ानों के दौरान हज़ारों बार आरोहण तथा अवरोहण किया है, कार्य-निष्पादकता पर सँदेह कर रहे हैं। नागर विमानन के महानिदेशक ने प्रमाणित कर दिया है कि इन विमानों की कार्य-निष्पादकता अनुमोदित उड़ान नियमावली तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित न्यूनतम उड़न-योग्यता आवश्यकताओं के स्तर से काफी ऊपर है। अतः इसका केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि एच०एस-748 के बारे में विमानचालकों ने जो कठिनाई उत्पन्न की है उसका एक मात्र अभिप्राय प्रबधकवर्ग पर अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव डालना है।

7. मुझे पूरा विश्वास है कि स्थिति को पुनः सामान्य बनाने के लिए यह सदन हमारे प्रयत्नों का पूर्ण समर्थन करेगा। मैं इसके प्रति सजग हूँ कि विमानचालकों के एक वर्ग द्वारा अपनाये गये नितान्त अनुचित रवैये के परिणामस्वरुप हज़ारों व्यक्तियों को अत्यधिक असुविधा का का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पूरी आशा है कि राष्ट्रीय हित में यह अविवेकपूर्ण कार्यवाही वापस ले ली जायेगी तथा सामान्य सेवाएं तुरन्त पुनः प्रारम्भ कर दी जायेंगी।

इण्डियन एयर लाइंस के प्रबन्धकों और इंडियन कमर्शल पायलट्स एसोसियेशन के मध्य 2 दिसम्बर, 1970 को हुआ समझौता

नई दिल्ली में 2 दिसंबर 1970 को मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इण्डियन एयर-लाइन्स के प्रबन्धक-मण्डल और इण्डियन कमर्शल पायलट्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ किये गये विस्तृत विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित समझौता किया जाता है:—

(1) 'दि इण्डियन कमर्शल पायलट्स एसोसियेशन वर्तमान नियमों के अन्तर्गत तत्काल ही उड़ान सेवायें फिर से सामान्य करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देगा ;

(2) एसोसियेशन अपने निदेश सं० कैल/जी० एस०/562-70 दिनांक 23 नवम्बर, 1970 को वापस ले लेगा और बोइंग-737 प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रबन्धकों के साथ सहयोग करेगा ।

(3) प्रबन्धक-मण्डल कैप्टन निगम की मुअतिली को तत्काल समाप्त करने पर विचार करेगा ;

(4) प्रबन्धक-मण्डल यथासम्भव शीघ्र ही बोइंग-737 प्रशिक्षण के लिए दो सम्बद्ध विमान चालकों के बारे में विचार करेगा ।

(5) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को प्रेसित विवाद के साथ-साथ 9 मई, 1970 के समझौते के क्रियान्वयन के बारे में यूनियन के मामले पर यथा सम्भव शीघ्र ही समझौता करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की जायगी ।

इण्डियन एयरलाइंस
ह०/- बी० इसरानी
सहायक महा प्रबन्धक

इण्डियन कमर्शल पायलट्स एसोसियेशन
ह०/- एस० एल० बागची

ह०/- (ओ० वेंकटाचलम)
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

नई दिल्ली
2 दिसम्बर, 1970

साक्षी :

1. ह०/-
2. ह०/-

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 4553/70]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मनीपुर) 1970-71

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS 1970-71 (MANIPUR)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में वर्ष 1970-71 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ :—

श्री अ० कु० किस्कू के विरुद्ध आरोपों के बारे में

RE. ALLEGATIONS AGAINST SHRI A. K. KISKU

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : श्री कार्तिक उरांव द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में मेरी याचिका के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई

अध्यक्ष महोदय : वह मामला समाप्त कर दिया गया है।

श्री कार्तिक उंराव (लोहर डगा) : कृपा मेरी बात सुने।

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके और कोई कड़वी बात नहीं कहना।

श्री कार्तिक उंराव : दुर्भाग्य से मैं रोमन कैथोलिक मिशन, रांची के आर्च बिशप को अपनी ओर से साक्ष्य देने के लिये राजी नहीं कर सका इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह धनराशि प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ***

श्री अ० कु० किस्कु : मैं आरोप का पूर्णतया खण्डन करता हूँ। मैं इस बारे में आपसे तथा सदन् से संरक्षण चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि सदन् का शान्तिपूर्ण वातावरण बिगड़े। आप दोनों इस मामले को अब समाप्त कर दीजिये।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : आगामी सप्ताह के कार्य के बारे में तो अब कुछ कहा ही नहीं जाना हैं। सत्रावसान 18 को हो रहा है।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : मैं हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी विधेयक का स्वागत करता हूँ लेकिन मनीपुर, त्रिपुरा, मेघालय और दिल्ली के बारे में भी विधेयकों के साथ-साथ चर्चा कर उन्हें पारित किया जाना चाहिये।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : लोकपाल तथा लोक आयुक्त विधेयक के बारे में माननीय मंत्री ने उत्तर देने का आश्वासन दिया था लेकिन इस बारे में अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

क्या सरकार उक्त विधेयक को चुनाव से पहले पारित करेगी? इस बारे में एक निश्चित उत्तर दिया जाना चाहिये। कार्य सूची में तेलंगाना का विषय भी शामिल किया जाना चाहिये।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में सरकार को यथा शीघ्र वक्तव्य देना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने 'जे एण्ड के मैन्यूफैक्चररज लिमिटेड,' कानपुर के कपड़ा कारखानों में तालाबन्दी के बारे में ध्यान दिलाने सम्बन्धी सूचना दी थी। जे एण्ड के मैन्यूफैक्चररज लिमिटेड किसी भी मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तालाबन्दी के कारण 10,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। कानपुर में जे० के० उद्योग समूह में पूर्ण हड़ताल है। इस मामले का केन्द्रीय सरकार से सीधा सम्बन्ध है।

माननीय मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the Chair

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : An officer of the Prime Minister Secretariat is giving encouragement to defections in Lucknow. I want that the Prime Minister should make a statement in this regard.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : A statement regarding the use of Atomic energy for peaceful purposes should be given. On last Friday also I raise this matter.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Government should make a statement regarding the two important projects of Bihar Gandak and Son River.

Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The hon. Home Minister should make a statement regarding the allegations made against Shri Yashpal Kapoor in the U. P. Legislative Assembly.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : On every friday I am requesting that all the documents concerning the death of Shri Lal Bahadur Shastri should be placed on the Table of the House but it has not been done yet. Secondly I want that the Government should also take a decision regarding defectors. Some rules of conduct should be made in this regard, with the consent of all political parties.

Thirdly I want that an opportunity should also be given for the discussion on All India Radio because it is being used as a propoganda measure for only one party.

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : बात सत्र में विधि मंत्री ने चुनाव संबन्धी विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वह हमारा परामर्श इस संबन्ध में लेंगे । एक सलाहकार समिति नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है । समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिये मैंने दलों के नेताओं से नाम मांग लिये हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : संभवतया लोक सभा के चुनाव फरवरी तथा मार्च में होने वाले हैं । मैं इस बारे आश्वासन चाहता हूँ कि इस विधेयक में संशोधन चुनाव से पहले कर लिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि हम समिति की बैठक बुलायेंगे और इस बारे में विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं चाहता हूँ कि समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जाये बेरोजगारी की समस्या पर भी इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व चर्चा की जानी चाहिये । देश के सब राजनीतिक दल उक्त समस्या पर चर्चा करने के इच्छुक हैं ।

श्री शिव नारायण : सत्र की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

श्री कार्तिक उरांव (लोदरदगा) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 को पारित करने का आश्वासन दिया गया था । लेकिन उसको अभी तक पारित नहीं किया गया है । माननीय मंत्री को इसको पारित करने के बारे में निश्चित आश्वासन देना चाहिये ।

संसद् कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचार मैं सबद्ध मंत्रियों तक पहुँचा दूंगा ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधेयक

STATE OF HIMACHAL PRADESH BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : श्रीमान मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उक्त विधेयक का स्वागत करता हूँ। जब तक इन अनियमितताओं को दूर नहीं किया जायेगा इस विधेयक से हिमाचल प्रदेश के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी। सरकार ने विधेयक को प्रस्तुत करने की बहुत सी अनियमितताएं की हैं। नियम 69(2) में यह व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से किये गये खर्चे को मोटे अक्षरों में मुद्रित किया जायेगा। क्या इस बारे में आपकी अनुमति ली गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि सब ठीक हो जायेगा। इस सम्बन्ध में अनुमति दे दी जायेगी और सब अनियमितताओं को दूर कर दिया जायेगा। प्रश्न यह है "कि हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याहन भोजन के लिये 2 बज कर 45 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till quarter to three of the Clock

---

मध्याहन भोजन के पश्चात लोकसभा 2 बजकर 48 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at forty eight minutes past fourteen of the Clock

[श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुई]

[Shrimati Sushila Rohatgi in the Chair]

पश्चिम बंगाल (हिंसक क्रियाकलाप निवारण) अधिनियम, 1970 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTIONS RE : WEST BENGAL (PREVENTION OF VIOLENT ACTIVITIES) ACT, 1970 AND WEST BENGAL MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER ACT, 1970.

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : साम्यवादी मार्क्सवादी दल के हिंसात्मक शासन के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। सर्वप्रथम साम्यवादी मार्क्सवादी दल ने बड़ानगर में एक आदमी को मारा था। (**अर्तबाधायें**) इसके परिणामस्वरूप हिंसात्मक गतिविधियां हुई।

किसी भी नेता चाहे, वह लेनिन ही हो, के चित्र पर गोलियां चलाये जाने को क्षमा नहीं किया जा सकता। परन्तु इस पर विचार अवश्य करना चाहिए कि मार्क्सवादी कम्युनिस्टों ने क्या किया है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक रूप से प्रसिद्ध प्रत्येक महापुरुष को उन्होंने परच्युत एवं अपमानित किया गया है।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : C.P.M. has not desecreted the Statues ***

श्रीमती इलापाल चौधरी : मार्क्सवादियों ने नहीं तो नक्सीलयों ने तो ऐसा किया है और वह उनके बच्चे हैं (**अर्न्तबाधाएं**)

सभापति महोदय : सच्चाई हमेशा चुभन उत्पन्न करती है। माननीय सदस्य ने कुछ कहा और उससे किसी को आघात पहुंचा है। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि ऐसी कड़वी बातें न कहें।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : मेरा अनुरोध है कि इन शब्दों को कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया जाये।

सभापति महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया है।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष पीठ की व्यवस्था है कि किसी दल की विचारधारा तथा नीतियों पर टीका टिप्पणी हो सकती है न कि उसके दल के कार्यों पर।

सभापति महोदय : ऐसी कोई रूलिंग नहीं दी है।

श्रीमती इलापाल चौधरी : उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया है जिस बात को संसार का कोई भी देश सहन नहीं कर सकता है। मेरा मत यह है कि यदि शांति तथा सुरक्षा के वातावरण में लोगों को अपना निर्णय बताने का अवसर प्रदान किया जायेगा तो वह इस उग्रवादी दल के पक्ष में कभी भी अपना मत नहीं देंगे। इस अधिनियम के द्वारा कानून तथा व्यवस्था की उस स्थिति में कुछ सुधार आयेगा जो हिंसा की कार्यवाहियों के कारण बिगड़ चुकी है। (**अर्न्तबाधाएं**)। इन व्यक्तियों ने स्वंय तो पुलिस का संरक्षण प्राप्त कर लिया है परन्तु यहां प्रस्ताव द्वारा पुलिस की निन्दा करना चाहते हैं। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करती हूँ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय इस सदन के सम्मुख लाये गये यह दोनों अधिनियम यह दर्शाते हैं कि सरकार ने इस बात को चाहे देर से ही स्वीकार कर लिया है कि बंगाल में कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। बंगाल की यह स्थिति नई बात नहीं है। मैंने दो वर्ष पूर्व इस सदन में कहा था कि यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति अनियंत्रित हो जायेगी और वस्तुतः यह स्थिति आ रही है।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair.

इस स्थिति के कारणों पर गम्भीरता से विचार करें तो पता चलता है कि आर्थिक असन्तोष के साथ कुछ अन्य गंभीर बातें हैं जो इसके कारण हैं। इस स्थिति को पैदा करने के लिए उत्तरदायी दलों तथा शक्तियों का यह विचार है कि इस देश में वे जिस प्रकार की क्रांति चाहते हैं उसके लिए उन्होंने बंगाल को आधार बनाना है। उस उद्देश्य के लिए वे बंगाल में अराजकता पैदा कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं और पुलिस को हतोत्साहित कर रहे हैं, लोगों के दिलों में आतंक की भावना पैदा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में उनका ध्येय वहां साम्यवादी शासन स्थापित करना है फिर चाहे वह शासन चीन का हो अथवा रूस का हो और इसी कारण दक्षिण पंथी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्टों के बीच आपसी विवाद है। उनके मध्य इस झगड़े के दो रूप हैं। एक ओर हो यह संविधान, जनतंत्र तथा कानून एवं व्यवस्था के विरुद्ध झगड़ा है और दूसरी ओर बंगाल के नियंत्रण के लिए आपस का झगड़ा है।

इस स्थिति को सुलझाने में सरकार असफल रही है। क्योंकि यह दोनों दल सरकार के समर्थक हैं। यद्यपि मार्क्सवादी दल के साथ सरकार की इस समय बिगड़ भी चुकी है पर फिर भी उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जा पाती क्योंकि दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट ऐसा नहीं चाहते। उनका ऐसा न चाहने का कारण केवल यही है कि चाहे आपस में उनके बीच झगड़ा हो परन्तु उनका अन्तिम ध्येय एक ही है और वह है अराजकता फैला कर अपना शासन स्थापित करना। स्वर्गीय पंडित नेहरू के कन्धों पर चढ़ कर ऐसा करने के उनके प्रयास तो असफल रहे परन्तु अब वह वर्तमान प्रधानमंत्री के कन्धों पर चढ़ कर ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधान-कार्य का समय हो गया है। आप अपना भाषण दूसरे रोज जारी रख सकते हैं।

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते विधेयक 1970

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS BILL, 1970

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों संबंधी विधि का समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक को प्रास्थापित करने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों संबंधी विधि का समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूँ। यद्यपि इस विधेयक के द्वारा मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों को सीमित किये जाने की बात है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : विधेयक की प्रस्तावना अवस्था पर उसके गुण-अवगुण पर विचार नहीं हो सकता।

श्री नारायण दांडेकर : पहले तो मैंने अभी विधेयक पेश नहीं किया। मैं विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांग रहा हूँ। क्या इस स्थिति में इस प्रकार की चर्चा हो सकती है ?

दूसरे वेतन तथा भत्तों के संबंध में उचित अवसर पर संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं

और मैं उन पर विचार करने को सहमत हूँगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों संबंधी विधि का समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री नारायण दांडेकर : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

स्टाक एक्सचेंज (शासी निकाय में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व) विधेयक, 1970

STOCK EXCHANGES (REPRESENTATION OF THE EMPLOYEES IN GOVERNING BODIES) BILL, 1970

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the representation of the employees of Stock Exchanges in the country on their Governing bodies.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि देश के स्टाक एक्सचेंजों के शासी निकायों में उनके कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

चलचित्र–प्रक्षेपक चलचित्रों का प्रदर्शन विधेयक, 1970

EXHIBITION OF CINEMATOGRAPH FILMS BILL, 1970

Shri George Ferandes : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the setting up of a Film Distribution Authority for distributing Cinematograph Films and requiring the Cinema Theaters to exhibit such Films.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र प्रक्षेपक चलचित्रों के वितरण तथा चलचित्र गृहों में ऐसे चित्रों का प्रदर्शन कराने के लिए चलचित्र वितरण प्राधिकार की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1970

(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(Amendment of the Seventh Schedule)

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1970

(अनुच्छेद 174 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(Amendment of Article 174)

Shri Om Prakash Tyagi : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमती दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970

(अनुच्छेद 348 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(Amendment of Article 348)

Shri Om Prakash Tyagi : Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदय श्री नाथ पाई आ गये हैं।

सभापति महोदय : क्या आप अपना विधेयक प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक 1970

(धारा 2 तथा 15 का संशोधन)

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL, 1970

(Amendment of Articles 2 and 15)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री नाथ पाई : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

व्यक्तियों को उपाधियों से विभूषित करना (उत्सादन) विधेयक, 1970 जारी

CONFERMENT OF DECORATIONS ON PERSONS (ABOLITION) BILL, 1970. CONTD.

सभापति महोदय : अब हम श्री कृपलानी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार करेंगे। श्री यमुना प्रसाद मंडल अपना भाषण जारी रखेंगे।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : Titles and Decorations are two different things, but it does not become clear from the Bill whether it refers to Titles or Decorations. There is a reference to Titles at certain places and certain other places refer to Decorations. We have done away with the Titles in the Constitutions but Decorations have not been touched. We do not confer Titles but confer decorations only and this practice is not against the Constitution, It would be much better if the Bill is withdrawn but if it is not done then the mover should bring forward an amendment regarding conferment of Titles in the Bill.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The system of confering decorations such as 'Padma Bhushan' 'Padma Shri and 'Bharat Ratna' is not good, because the procedure for confering these decorations does not appear to be correct. In pre-independence India Titles were conferred on those who supported British Government. It was done with the aim of strengthening British Imperialism in India. But after independence our attitute should have changed. The way and number of conferring these decorations raises doubts in the minds of people. We have to march towards Socialism and Society needs certain

incentives to move towards progress, but the incentives could be in some form other than these Decorations. These Decorations make us believe that the Government is conferring these decorations on those who are its supporters.

In Russian Society also those people who helped in increasing production, productivity, etc. were called "stecknomite" and similarly the term "sabomite" was also used for those persons who contributed in the development of Society. We should also evolve some similar barometer through which we could accord due respect to those who contributes towards development of Society.

The way these decorations are being conferred gives rise to the feeling that rather a lottery could be drawn for conferment of these decorations. This whole process should be stopped forthwith. with these words I support the Bill.

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : I also feel that Titles and Decorations are two different things. Before independence Rajas and Nawabs were cenferred Titles. But our leaders did not thought it proper to include these in the Constitution as these created gulf between a man and a man. But these Decorations are conferred on those who are worthys who have served the Society in different spheres. I feel there is nothing improper in this. There may be examples where it might have been conferred on any wrong persons but that does not mean that we should stop it.

I would request it would be much better if the Bill is withdrawn. With these words I oppose this Bill.

श्री सरदार अमजद अली : मैं श्री कुरैशी के इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि कुछ व्यक्तियों को शासक दल द्वारा इस प्रकार उपाधियों से विभूषित करना, समाजवाद, प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति व्यक्ति में भेद किया जाता है जो कि हमारे संविधान के विरुद्ध है। विदेशों में इस प्रकार उपाधियां देना उपयुक्त नहीं समझा जाता है। यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा चलाई परम्परा का अनुकरण मात्र है। अंग्रेजों के, जलियां वाला हत्याकाण्ड के समय भी निष्ठावान समर्थक विद्यमान थे जिन्हें राय साहब, खान साहब, खान बहादुर आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता था। हमारी समाजवाद और प्रजातन्त्र की समर्थक सरकार को इसका निश्चित रूप से समर्थन करना चाहिए।

संविधान की धारा 18 और संविधान सभा के कार्यकाल से यह स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार मैं यह उपाधियां देना अवैध मानता हूँ। इससे एक विशेष वर्ग पैदा होता है जो अपने को सर्वसाधारण से ऊंचा समझने लगता हैं। आप बहु संख्या के बल पर इन प्रथाओं को सदा के लिए बनाये रखना संविधान के आशय के विरुद्ध है।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Sir, there used to be some titles before we achieved Independence. But when became free there are some others titles. I feel that these titles should remain but at the same time I suggest that these should be awarded to right persons. Bharat Ratna, should be awarded to a farmer, to a scientist. What I understand is that these titles are conferred on the advice of State Governments. They should be given necessary directions in this matter so that they can act likewise.

*श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : अंग्रेजी राज्य में स्वतन्त्रता विरोधी व्यक्तियों को राय बहादुर, खान बहादुर आदि उपाधियां दी जाती थीं। आज सरकार कांग्रेस समर्थकों को उपाधियाँ दे रही है।

* मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर

* Summerised Translated version based on English Translation Speech delivered in Malayalam.

सरकार का लक्ष्य प्रजातान्त्रिक ढंग से समाजवाद लाने का है परन्तु समाजवाद में उन उपाधियों के लिये कोई स्थान नहीं।

केरल में 1959 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी। अब श्री मन्नाय पद्नामत के प्रयत्नों से वहाँ कांग्रेस समर्थक सरकार की स्थापना हो गई है। उस व्यक्ति को पद्मभूषण तथा भारत रतन की उपाधियाँ दे दी गई।

उपाधियां देश पर बलिदान होने वालों को दी जानी चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए इस विधेयक को समर्थन करना कठिन नहीं होना चाहिए। यदि कोई तकनीकी कठिनाई हो तो भी उसे संयुक्त प्रयत्नों द्वारा दूर किया जा सकता है।

अंग्रेजों ने 400 वर्षों में हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने के यत्न किये हैं और उनके जाने के बाद इस सरकार ने उनकी चलाई उपाधियां वितरण करने की परम्पराओं को जारी रखा।

मैं समझता हूँ कि सेना के क्षेत्र में उपाधियों के वितरण का कुछ औचित्य हो सकता है। अन्यथा इस प्रकार की उपाधियों का दिया जाना सिद्धांतक बुरा है।

उपाधियों के वितरण में इतना पक्षपात बरता जाता है कि बहुधा उच्च स्तर के लेखकों, कलाकारों एवं वैज्ञानिकों को उससे निराशा ही होती है। मुझे उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना जिनको सरकार से ऐसी उपाधियां मिली है।

खेल जगत में श्री विजय को 1959 में "पद्मभूषण" दिया गया था जबकि श्री के० नायडू को पद्मश्री दिया गया। खेल जगत में विजय की ख्याति एवं दोनों को देखते हुए उसे ऊँचा पदक देना उपयुक्त था। हर सूचीं के प्रकाशन के समय ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी सूचिया प्रायः सरकार के सचिवों, अतिरिक्त सचिवों द्वारा तैयार की जाती हैं। एक सचिव के सेवानिवृत्त होने पर उसे पद्मविभूषण 'पदक' दिया गया जबकि एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक को पद्मभूषण दिया गया। सरकार बिना कारण ही ऐसी उलझनें क्यों पैदा करती है। उसे ऐसा सोच-समझ कर करना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य कृपलानी ने एक आवश्यक मामला रखा है। क्या हम यह चाहते हैं कि जो लोग आज संसद में बैठे हैं वही उसका तथा देश का संचालन करते रहें सरकार के हाथ में ऐसी शक्तियां क्यों दी जाती हैं जिसका वे दुरुपयोग कर सकें। देश के लिए अपना सर्वस्व समाप्त कर देने वालों के पथ में प्रलोभ में बने नहीं बिछाया जाना चाहिये। यदि हमें लोगों की सेवाओं और प्रतिभाओं को महत्व देना है तो ऐसा करने के लिए अन्य कई रास्ते हैं।

हमारे राष्ट्रीय नेताओं को जनता ने उपाधियां प्रदान की है जैसे "महात्मा" देश बन्धु अथवा "नेताजी" आदि। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता।

मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Acharya Kripalani has served the nation in so many ways and by introducing this Bill he is serving the Nation now also. Acceptance of this bill will be in a way recognition of his services.

Our Government talk too much of socialism but inpractice it encurages capitalism. Our Constitution has forbidden for the grant of Titles. The intention of the opponents of this Bill is that the constitution has not forbidden in decorations. We find such people being decorated who did not deserve to be. How strange it is that you give Title and decorate a person and also institute an enquiry against the very person.

We award Titles in the army but that is done after thorough investigations. We have not received any complaints in this regard. There can be various instances where apparently discrimination has been used by the Government in the award of Titles and decorations of civilians. Why the labourers who do better service and do it seriously are not awarded Titles or decorations.

I feel that Shri Kripalani deserve to be awarded the Title of "Bharat Ratna". But that would never happen as he can never act as a yes man to any regime.

Admittance of the bill brought by him would also be a honour to the Great man.

With these words I suggest that it may be approved.

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) यह सच है कि संविधान की धारा 18 में उपाधियों का देना वर्जित किया गया है । उस समय संविधान बनाने वाले अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली उपाधियों से काफी प्रभावित थे । मैं आचार्य जी का संमान करता हूँ । परन्तु यह संमान पद आधारभूत रूप से भारतीय है ।

रूस में अब भी इस प्रकार सम्मानार्थ पदक दिये जाते हैं । गैरीगन को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था । यह लोगों को अपने क्षेत्र में सिद्धहस्तता प्राप्त करने में उत्साहित करने के लिये हैं ।

यदि उनका जनता में दुरुपयोग किया गया हो तो मैं आचार्य जी के साथ चल सकता हूँ ताकि उसको रोका जा सके ।

यह कहा गया है कि इससे भेदभाव बरता गया है । समानता पूर्ण समानता नहीं होती । सभी लोग कानूनी दृष्टि से समान हैं परन्तु उनमें गुणों और उनकी समाज की दोनों में अन्तर होता है । इस प्रकार का भेद कानूनन भेदभाव नहीं है ।

अतएव मैं ऐसी विधेयक लेने में औचित्य कोई नहीं समझता और इसका विरोध करता हूँ ।

श्री समर गुह (कंटाई) : सभापति महोदय ? मुझे आश्चर्य है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्ति ने भी उपाधि और सम्मान देने की व्यवस्था पर कैसे अपनी सहमति दी । सम्भवतः ऊँचे घराने में उत्पन्न होने के कारण ही वह भावी पीढ़ी की कठिनाइयों को नहीं दे सके ।

मेरे विचार से यह नई पीढ़ी, जीवन के नये दृष्टिकोण तथा समाजवाद के आधारभूत

विचार की प्रतिष्ठा के प्रति अपमान है। सम्भवतः स्वयं नेहरू जी को भी ध्यान में यह बात नहीं आई कि इन उपाधियों के बनाने वालों ने उनको भारत रत्त की उपाधि देकर उनका ही अपमान किया है। भारत रत्न की उपाधि कला, साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए विशिष्ट कार्य किये जाने तथा उच्चतम स्तर की सामाजिक सेवा के लिये दी जाती है। पंडित नेहरू के भारत रत्न की उपाधि दिये जाने के समय राष्ट्रपति ने 'नियमों के अपवादस्वरूप' शब्दों का उल्लेख किया था। अतः राष्ट्रपति ने उन्हें 15 जुलाई, 1955 को जीवन-भर राष्ट्र की सेवा करते रहने तथा मानवमात्र की शांति के लिये साहसिक प्रयत्न करते रहने के लिए भारत रत्न की उपाधि नियमों के अपवादस्वरूप दी थी। क्या यह पंडित नेहरू का अपमान नहीं है ? पंडित नेहरू ने 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' तथा अपनी आत्मकथा नामक पुस्तकें नहीं लिखी तथा क्या इन पुस्तकों को पूरे विश्व ने मान्यता प्रदान नहीं की ? अतः मेरे विचार से 'नियमों के अपवादस्वरूप' से पंडित नेहरू का भी अपमान किया गया हैं।

परिचालित पुस्तक में उन्होंने पुरातन संसार की गाथा सुनाने का प्रयत्न किया है। किन्तु उन दिनों राजा महाराजा एक दूसरे की भूमि पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में करने का प्रयत्न करते थे और उस काल में जो जितना शक्तिशाली होता था उतना ही बड़ा राजा होता था। उसके पश्चात मुगल काल के राजा और नवाबों की श्रेणी आई। किन्तु इसके पश्चात भी यह प्रथा राय साहब, नवाब साहब, और खान बहादुर आदि के रूप में चली। इन पदवियों को देकर सरकार प्रजातंत्र और समाजवाद के दिनों में साम्राज्यवाद और राजतंत्र की विरासत को ले आयी तथा उसे इस बात के लिये कोई लज्जा अनुभव नहीं हुई। मैं इतना जानता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया है उन्होंने संविधान में उल्लिखत आशय का विरोध किया है।

वास्तव में सरकार इन उपाधियों और सम्मानों के सहारे समस्त प्रशासन को भ्रष्ट करना चाहती है। वह सरकारी कर्मचारियों के, सचिवों, राज्यपालों तथा अन्य अधिकारियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है क्योंकि उन्हें भी यह उपाधियाँ लेने का अधिकार है।अतः वे इन उपाधियों के प्रलोभन में सत्तारूढ़ सरकार की चापलूसी करते रहेंगे। भविष्य में कोई भी दल सत्तारूढ़ हो सकता है अतः यह प्रक्रिया अनुचित और अनुपयुक्त हैं।

मैंने ग्रंथालय में जाकर भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्तियों की सूची देखी तो पाया कि 1954 से 1966 तक जिन 14 व्यक्तियों को भारत रत्न की पदवी दी गई है उनमें से केवल चार ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनका साहित्य में विशिष्ट योगदान है अथवा जो दार्शनिक हैं। शेष 10 व्यक्ति केवल राजनीतिक दलों के नेता हैं और राजनीतिज्ञ हैं। मैं इस सूची को सभा-पटल पर रख दूंगा और जो यह जानकारी प्राप्त करना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पद्म भूषण और पद्म श्री पाने वाले में 80 प्रतिशत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं। (व्यवधान) अतः सरकार का ध्येय यही है कि व्यक्तियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाया जाय और यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक है।

संविधान के अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक विदेशों से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

इस वर्ष हमारे देश के 22 व्यक्तियों को नेहरू पुरुस्कार दिया जाता है जिसके अन्तर्गत 8,000 से 5,000 रुपयों तक का इनाम मिलता है तथा दो सप्ताह के लिये रूस की मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। मेरा निवेदन है कि वही व्यक्ति हैं जो रूस-समर्थक हैं तथा रूसी विचार धारा का प्रचार करते हैं।

सोवियत लैंड नेहरू पुरुस्कार उन्ही व्यक्तियों को दिये गये थे जिन्होंने विशेष राजनीतिक विचारधारा में योगदान दिया और रूस की साम्यवादी विचारों का प्रचार किया। 'लेनिन मात्रा' और 'बुक ऑन बोल्शेविज्म आदि पुस्तकें इसका प्रमाण है।

सलाहकार समिति में मैंने सरकार का ध्यान भारतीय प्रैस पर विदेशी धन के प्रभाव के बारे में दिलाया तथा श्री गुजराल इस बात के लिये सहमत भी हो गये तथा सात-सूत्रीय कार्य-क्रम बनाया गया जिसे गृह कार्य मंत्रालय को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए सोपा गया जिसके आधार पर सदन में एक विधेयक लाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि चाहे कोई भी देश क्यों न हो उसे महात्मा गांधी, नेताजी या नेहरू के नाम पर पुरस्कार देने के अधिकार नहीं होना चाहिये। रूस आदि देश इस प्रकार के पुरस्कार देकर हमारे देश में अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार कर रहे है तथा अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब नेहरू पुरस्कार विदेशियों को दिया जा सकता है तो लेनिन पुरस्कार हमारे देश के व्यक्तियों को क्यों नहीं दिया जा सकता !

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : किन्तु हमारे संविधान में व्यवस्था यह है कि भारत वासियों को ये पुरस्कार स्वीकार नहीं करने चाहिये।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि वे श्री समरगुह के भाषण में व्यवधान न डालें।

श्री समर गुह : इसके अतिरिक्त कलाकार, साहित्यकार अथवा वैज्ञानिक या संगीतकार की प्रतिमा की जांच करने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार के सचिव ही हैं। वही लोग मन्त्री महोदय के पास चुने गये व्यक्तियों की सूची भेजते हैं...

श्री क० नारायणराव (बोब्बिली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री समर गुह ने अनुच्छेद 18 के आधार पर सरकार के रवैये की अलोचना की है किन्तु अनुच्छेद 18 (4) में कहा गया है :

राज्य के आधीन लाभ-पद या विश्वास पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या के आधीन किसी रुप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार न करेगा। अतः यह प्रतिबन्ध केवल सरकार के आधीन कार्य करने वाले के ऊपर है इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में यह भी शर्त है कि राष्ट्रपति की सम्मति के बिना यह पद नही लिये जा सकते। अतः अनुच्छेद 18 (4) केवल सिविल सर्वेंट्स के ऊपर लागू होता है आम जनता के ऊपर लागू नहीं होता।

श्री समर गुह : माननीय सदस्य ने संविधान के आशय को नहीं समझा है। मेरा आशय यह था कि विदेशों द्वारा यह पुरस्कार या उपाधि दिये जाने पर हमारे देश के व्यक्तियों में अपने

देश के प्रति देश भक्ति को क्षति पहुंचती है।

मैं विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, दार्शनों, खिलाड़ियों आदि को अपने देश द्वारा या किसी अन्य देश द्वारा पुरष्कार दिये जाने के पक्ष में अवश्य हूँ। किन्तु यह पुरष्कार सरकार की मशीनरी के माध्यम से नहीं दिये जाने चाहियें यह पुरष्कार केवल पुरष्कार या कलिंग पुरष्कार ही की तरह से दिये जाने चाहिये। पुरष्कारों के लिये व्यक्तियों का चयन भी देश के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिये।

श्री रंगा (श्रीशकुलम) : मैं इस इस विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि सरकार भी इस विधेयक का दलगत भावनाओं का त्याग करके समर्थन करेंगी। इस संबंध में केवल ब्रिटेन को ही दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के व्यक्तियों की बहुत पहले से इन उपाधियों और पदवियों के पीछे भटकने की आदत रही है। यह प्रथा हिन्दू राजाओं के समय में भी थी मुस्लिम शासकों के काल में भी विद्यमान थी। अंग्रेजों ने यह बुराई हमारे ऊपर भी लाद दी और अब हम इससे ग्रसित हैं। यद्यपि संविधान में यह स्पष्ट कर दिया कि हम इन उपाधियों को प्राप्त नहीं कर सकते फिर भी यह बुराई हमारे यहाँ फिर उत्पन्न हो गई

श्री साल्वे या अन्य विधि विशेज तो यह कह सकते हैं कि वास्तव में यह उपाधियां नहीं हैं किन्तु वास्तविकता यही है कि जिन व्यक्तियों को ये अलंकरण प्राप्त हुये हैं वे उनका उपयोग अपने नाम के पीछे करते हैं।

मैं समझता हूँ कि इस व्यवस्था को समाप्त करने का यह उपयुक्त समय हैं। इससे कोई लाभ भी नहीं हैं। जहाँ तक सैनिकों का सम्बन्ध है इस बारे में संविधान में अपवाद स्वरूप इसकी व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व सरकार ने भी निन्दा की थी और अब भी निन्दा की जा रही है। भविष्य में इस व्यवस्था की ओर भी निन्दा होगी। अतः मेरा अनुरोध है कि सभा इस विधेयक के बारे में सहमति दें।

कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि आचार्य कृपालानी भी भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों से किसी रूप में कम नहीं हैं किन्तु उन्हें यह उपाधि अब तक क्यों नहीं दी गई। इससे सरकार के रवैये का पता चलता है। यदि आज कांग्रेस सरकार है तो कल कोई और सरकार हो सकती है और आने वाली सभी सरकारें इस सम्बन्ध में त्रुटियाँ करेंगी। अतः भावी त्रुटियों को टालने के लिये इस विधेयक का समर्थन किया ही जाना चाहिए।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Madam, I rise to support this Bill. I feel the hangover of the British imperialism and their mentality have not gone altogether from India. We are often forced to act and think in the manner in which they treated the common people.

In the present circumstances when the country is facing many-fold problems the common people of the country feel that their representatives are still giving undue importance to the titles and awards. It is also felt that these titles play considerable part in getting licences and permits by particular persons. Therefore, people make every kind of efforts to seek titles and awards and make themselves the stooges and puppets of the ministers. It has also been observed that these titles and decorations are conferred upon the big

capitalists irrespective of their ability to these titles only for having heavy amounts in donation by any political party.

It was the policy of the British Government to corrupt the people of our country morally and to have their blind support. But it is quite surprising that why the Government of free India should follow that policy.

My third point is that the prevailing corruption in the politics is polluting the whole envournment of the country and awarding titles is playing a dangerous part in that. In this point of view I demand that conferring titles must be stopped. I request the Hon. Members that they should think over the merits and demerits of this system seriously and then decide honestly. I feel they would certainly find it pernicious and perfidious. With these words I support the Bill brought by Acharya Kripalani.

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : I rise to oppose this Bill, introduced by Achary Kripalani. Shri Shastriji has just now said that some ill-intentions are working behind the system of conferring of titles. In my view there is no country in the world which is not honouring its distinguished citizens by conferring some titles on them as a recoginition of their exceptional service. By doing that a feeling will be created in the country that their services are recognised and honoured by the nation, therefore, in my view, the genius intellectuals, the poets and such others should be honoured for their distinguished services to the country. Shri Kripalani himself has rendered distinguished service to the nation. Therefore, he also should be honoured by conferring appropriate title on him. In countries like U.S.S.R., U.K., U.S.A. and Japan eminent citizens are honoured. What I want to say is that whatever title is given it is on the basis of the merit possessed by the particular individual to whom it is given. Therefore I am of the view that eminent citizens of our country should be given some recognition. On that ground, I would oppose this Bill.

Shri Shrichand Goyal (Chandigarh) : All most all the Hon. Members, except a few flatters of this Government, have expressed their views that by giving these titles to some individuals, the character of the society is being spoiled. I would like to cite one example from Haryana, in this context, where some individuals were honoured by giving some titles on the ground that they are big Iudustrialist and that they promoted industry in Haryana, whereas the fact is that even a small industry was not set-up by these people. But they were honoured because they are the real financiers of the Chief Minister of Haryana. Therefore, what the Government does is that those people, who finance the ruling party, are given various titles. I would support the Bill of Shri Kripalaniji, in principle. The people who have done distinguished service to the nation, will be honoured by the people and for them no official recognition is needed. On the other hand, those people, on whom these titles are conferred now-a-days are viewed with the same contempt they deserve, by the people. They are stooges, and flatters of the ruling class. What is the use of such titles? Those who are eally genius, and have done valuable service to the country, will be loved by the people. Therefore, I request that all the parties should support this Bill. I hope that they will respond to the call of their conscience and vote for this Bill. The name of Acharyaji will be written in golden letters in the pages of history, because he tried to need out vice from our social life.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : आचार्य कृपलानी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें यह मांग की गई है कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, आदि पदवियां समाप्त की जायें। विधेयक के उद्देश्य और कारण में बताया गया है कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 18 में पदवियां समाप्त की गई हैं, फिर भी ये चोर दरवाजे से फिर से लाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ये पदवियां योग्यता के आधार पर नहीं दी जा

रही है। अतः उनका सुझाव यह है कि लोकतंत्र और समाजवाद को सुदृढ़ बनाने के लिये ये पदवियां समाप्त की जानी चाहिये।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

उन्होंने दो कारणों से इसका विरोध किया है। पहला संवैधानिक कारण है। दूसरा यह है कि पदवियां योग्यता के आधार पर नहीं दी जा रही हैं। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करने या उन्हें पुरस्कार देने के प्रश्न पर 1948 में पहली बार एक समिति ने विचार किया था जिसका अध्यक्ष संविधान सलाहकार श्री बी० एन० राय था। संविधान के प्रारूप में, जो उस समय विचाराधीन था, एक उपबन्ध यह रखा गया था कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी पदवी नहीं दी जानी चाहिये। समिति ने इस उपबन्ध पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि यह जरूरी नहीं है कि पदवी शब्द के अन्दर सब प्रकार के सम्मान और विभूषण आ जाए। अन्य देशों के संविधानों में भी पदवियों और सम्मान या विभूषण का स्पष्ट अन्तर बताया गया है। सोवियत रूस के संविधान में भी इसका स्पष्ट अन्तर बताया गया है। अतः जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा, 'पदवियों' और विभूषणों में स्पष्ट अन्तर है।

भारत रत्न, पद्म भूषण आदि पुरस्कार वस्तुतः 'पदवी' नहीं है। अतः श्री आचार्य जी की यह धारणा कि पुरस्कार और विभूषण देना संविधान के विरुद्ध है, ठीक नहीं है।

यह भी पूछा गया था कि क्या अमरीका तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार की पदवियां दी जाती है। मैंने सोवियत रूस के बारे में कहा। अमरीका में कांग्रेशनल मेडल आफ आनर' या 'डिस्टिंग्यूइड सर्विस क्रांस आदि पदवियां दी जाती हैं। सोवियत रूस में समाजवादी श्रम नायक' या 'सोवियत संघ के नायक' आदि पदवियां दी जाती हैं फ्रांस में भी 'लिजियन आफ आनर' की पदवी दी जाती है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि भारत भूषण या भारत रत्न की पदवी लोकतंत्र और समाजवाद की भावना के विरुद्ध है। आचार्य कृपलानी के इस कथन के संबंध में कि पुरस्कार योग्यता के आधार पर नहीं दिया जाता है सरकार योग्यता की उत्तम निर्णायक नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा पुरस्कार के लिये सिफारिशें मांगती है और इन सिफारिशों की विस्तृत जांच की जाती है। उसके बाद योग्यता के आधार पर व्यक्तियों का चयन किया जाता है। इन मामलों बहुत अधिक सावधानी बरती जाती हैं। इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है कि योग्य व्यक्तियों का नाम ही अंतिम सूची में शामिल किया जाये। इसमें सरकार का अपना उत्तरदायित्व है। पुरस्कार पाने वालों को अपने नाम के साथ पदवी को जोड़ने का अधिकार नहीं है। पुरस्कार पदकों के रूप में दिये जाते हैं, जो वे विशिष्ट अवसरों पहन सकते हैं।

यह सरकार कर्तव्य है कि वह क्या सार्वजनिक सेवा, साहित्य, खेल-कूद तथा उन्हें सम्बन्धित क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त नागरिकों को मान्यता दे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : वे जो अपने अन्तःकरण को सरकार को बेच देंगे और स्वयं उसकी कठपुतली बनेंगे ।

श्री रामनिवास मिर्धा : अगर माननीय सदस्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों की सूची देखने का कष्ट करेंगे, तो पता चलेगा कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही पुरस्कार दिया गया है ।

श्री समर गुह : मैं केवल उनके चयन के तरीके का विरोध करता हूँ ।

श्री रामनिवास मिर्धा : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने अब मान लिया कि पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों में कई लोग ऐसे हैं जो पुरस्कार मिलने के योग्य हैं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : पद्म विभूषण जैसे श्रेष्ठ पुरस्कार कई अयोग्य व्यक्तियों को मिला है । यह दुख की बात है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : इस संबंध में दो रायें हो सकती हैं । उन लोगों को जिन्होंने देश की विशिष्ट सेवा की है पुरस्कार मिलना है । केवल इस कारण से कि माननीय सदस्य कुछ व्यक्तियों को पुरस्कार देने के पक्ष में नहीं हैं पुरस्कार देने की प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : पुरस्कार देने की प्रथा को उचित ढंग से चलाया जाना चाहिए । जांच समिति में बाहर के लोगों भी शामिल किया जाना चाहिए ।

श्री रामनिवास मिर्धा : आचार्य कृपालानी के वक्तव्य में कुछ गलतियां आ गई हैं । उन्होंने वक्तव्य में कहा है कि सर्वश्री जगजीवन राम टी० टी०कृष्णमाचारी, देशमुख जैसे उस समय के के मंत्रिमण्डल के सदस्यों से की गई पूछ-ताछ के परिणामस्वरूप पता चल गया कि पुरस्कार देने की प्रथा के संबंध में कोई प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सम्मुख नहीं रखा गया था । यह सच नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल की कई बैठकों में इन मंत्रियों ने भाग लिया था । जहां इस विषय पर चर्चा की गई थी ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : क्या तत्संबंधी विवरण सभापटल पर रखा जायेगा ।

श्री रामनिवास मिर्धा : मेरे पास तत्संबंधी तिथियां हैं ।

श्री जी० भा० कृपालानी : आप के पास शायद तिथियां होंगी । परन्तु मैं चाहता हूँ कि विवरण सभापटल पर रखा जाए ।

श्री रामनिवास मिर्धा : श्री जगजीवन राम ने मंत्रिमंडल की आठ बैठकों में, से छः बैठकों में श्री चिन्तामणि देशमुख ने पांच बैठकों में और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने चार बैठकों में भाग लिया था ।

श्री जी० भा० कृपालानी : सम्बन्धित रिकार्ड सभापटल पर रखा जाना चाहिए ।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं बैठकों की तिथियां सभापटल पर रख सकता हूँ, जिनमें कथित मंत्रियों ने भाग लिया था ।

श्री जी० भा० कृपालानी : मैं जानना चाहता हूँ कि यह मंत्रिमंडल का निर्णय था या नहीं ।

श्री रामनिवास मिर्धा : यह मंत्रिमंडल का निर्णय था।

खैर, श्रीसाल्वे ने कहा है कि पुरस्कार दिये जाने का आधार सुस्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि उचित मानदंड निश्चित किया जाना चाहिए। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि भारत रत्न की पदवी उन लोगों को दी जाती हैं जिन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में विशिष्ट तथा उच्च स्तर की सार्वजनिक सेवा की है, जबकि पद्म विभूषण की पदवी उन्हें दी जाती है " जिन्होंने सरकारी सेवा सहित सभी क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा की है। इन दोनों का अन्तर बहुत स्पष्ट है।

प्रो० समर गुह ने अपने भाषण में कहा है कि पं० जवाहरलाल नेहरू को जब भारत रत्न की पदवी दी गई तो सामान्य प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन कर उनका अपमान किया गया। इस में अपमान की कोई बात नहीं है सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को योग्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश देते हैं। चूँकि पं० नेहरूजी स्वयं प्रधानमंत्री थे, अतः राष्ट्रपति ने सामान्य प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन कर स्वयं सुझाव दिया कि नेहरू जी को भारतरत्न की पदवी दी जाए। सदन में कुछ व्यक्तियों के नाम का जिक्र किया गया और कहा गया कि ये लोग पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हैं। ये बातें सदन में कई बार उठाई गई हैं। मैं उन व्यक्तियों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। श्री रिट्विक घटक ने जिन्हें पदवी दी गई, कहा कि उन्होंने अत्यधिक मानसिक तनाव के फलस्वरूप कुछ बातें कही है ...

पुरस्कार निस्संदेह कलात्मक गुणों वाले व्यक्ति को दिया गया था। यदि वह यह कहते हैं कि उन्होंने मानसिक तनाव की स्थिति में कुछ कहा है तो हमें इसे मान लेना चाहिये।

श्री गुजरमल मोदी के नाम का उल्लेख किया गया था और अर्थ बहुत सी बातें कही गई थी कि जब उन्हें पुरस्कार दिया गया था तो मोदी नगर में श्रमिकों में अशान्ति व्याप्त थी, श्री मोदी को पुरस्कार दिये जाने का सुझाव पहले पहल उत्तर प्रदेश के दो मुख्य मंत्रियों श्रीमती सुचेताकृपालानी और श्री चरण सिंह की ओर से दिया गया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ।

गणतन्त्र दिवस के 1968 दिन दिये जाने वाले पुरस्कारों की सूची में श्री गूजरमल मोदी नाम सम्मिलित करने से पहले राष्ट्रपति के सचिव ने प्रधानमंत्री के सचिव और गृह-सचिव से उक्त मामले पर चर्चा की थी। जब राष्ट्रपति के सचिव ने गृह-सचिव से कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह से दोबारा पूछ कर यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने पहले जो सिफारिश की हैं- क्या वह अपनी उन सिफारिशों पर कायम हैं। गृह सचिव ने मुख्य मंत्री से परामर्श किया और उन्होंने पाया कि मुख्य मंत्री अपनी सिफारिशों पर कायम हैं।

यह भी कहा गया है कि सी० के० नायडू को पद्मश्री की उपाधि दी गई थी जबकि विजी को पद्म भूषण की उपाधि दी गई है। यह सही नहीं है। दोनों को पद्म भूषण से ही अलंकृत किया गया था। उपाधि श्री नायडू को 1956 में तथा विजी को 1958 में दी गई थी।

अन्य बहुत सी बातें कही गई हैं जिन्हें विस्तार पूर्वक कह कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। मैं श्री कृपालानी से अत्यधिक विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव पर

जोर न दें। इन उपाधियों के कारण विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और कभी कभी व्यक्ति विशेष के बारे में एक से अधिक राय हो सकती है परन्तु जहां इन पदकों को प्रदान करने की बुनियादी वैधता का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि यह राज्य का उत्तरदायित्व है और राष्ट्रीय प्रयासों के विभिन्न प्रक्रमों पर विशिष्टता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अलंकृत करने का कर्त्तव्य भी राज्य का ही होता है।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मेरे विचार से इस विधेयक के विरोध में भाषण देना उचित नहीं था। मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें शांतिपूर्वक सुनी जाये।

मैं इस विधेयक को लाया हूँ और मैं ही इसके लिये उत्तरदायी हूँ श्रीमति कृपालानी के उस समय सरकारी पक्ष में होने से उन्होंने सरकार की नीति का अनुसरण ही किया था। चाहे सरकार किसी व्यक्ति को जो योग्यता नही रखता हो अलंकृत नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु मंत्री महोदय यदि मुझे यह स्मरण करायें कि आपकी पत्नी ने किया तो उसका कोई लाभ नहीं है। जिस किसी ने भी ऐसा किया वह गलत किया है।

मेरी पत्नी को उपाधि देने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। राजेन्द्र बाबू मौलाना आजाद को उपाधि देने गये तो मौलाना ने भी उसे ग्रहण करने से इन्कार कर दिया।

प्रख्यात पत्रकार श्री चेलापति राव को उपाधि देने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु उन्होंने यह कह कर कि मेरी सम्पादक के रूप में स्वतन्त्रता समाप्त हो जायेगी और लोग समझेंगे कि सरकार के लिए लिख रहा हूँ। उसको लेने से इन्कार कर दिया।

श्री श्रीप्रकाश ने भी कहा है कि विशिष्टायें, अलंकरण तथा उपाधियाँ सब एक ही बात हैं। इनमें कोई अन्तर नहीं है। व्यक्तियों को अलंकृत करने का निर्णय मंत्रीमंडल द्वारा किया गया निर्णय नहीं है। इसे कार्यकारी कार्य के रूप में किया गया था। इन पदकों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा इनका अपने नामों के पहले तथा पीछे प्रयोग होता रहा है। जब सरकार ही किसी व्यक्ति को सम्मान देने में इनका प्रयोग करती है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि ये उपाधियां नहीं हैं।

सरदार पटेल ने कहा था कि इन उपाधियों तथा अलंकरणों से हमारी जनता ने अपने को गिराया है। उन्होंने कहा था कि उपाधि वितरण से सरकार के सामने बहुत ही कठिनाइयाँ आ जायेगी और इसीलिए इनकी व्यवस्था नही की जानी चाहिए। लोकतन्त्र में सरकारें बदलती रहती हैं और प्रत्येक सरकार अपने कत्यों को उपाधियां देकर उनको अपने वश में करके उनके चरित्र को गिरा सकती है। परन्तु अलंकरणों के समर्थकों का ऐसा कहना था कि उपाधियों से हमारी जनता का चरित्र कभी भी नहीं गिरेगा।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि ये पदक सरकार द्वारा उचित निर्णय लेने पर ही दिये जाते हैं। गांधी जी की निन्दा करने वाले कलाकार को पदक दिया गया है। जब ऐसे लोगों ने देखा कि गांधी जी की निन्दा करने वाले व्यक्ति को पदक दिया गया है तो उन्होंने गाँधी जी की मूर्तियों, पुस्तकों और साहित्य को नष्ट करना आरंभ कर दिया और उन्होंने रविन्द्रनाथ

टैगोर, सी० आर० दास तथा सुभाष बोस जैसे नेताओं का भी अपमान किया। मैं सरकार को इन महान् व्यक्तियों की मूर्तियों के विनाश के लिए उत्तरदायी ठहराता हूँ जिसने ऐसे कलाकार को उपाधि से अलंकृत किया।

यह सरकार ऐसी परिपाटी बना रही है जो उसके स्वयं के मार्ग में बाधा बनेगी। वह सोचती है कि उसे हमेशा-हमेशा के लिए बना रहना है। परन्तु वह आखिर साँस ले रही है, उसके दिन गिने चुने रह गये हैं। उसको केवल साम्यवादी तथा कुछ जातिवादी दलों द्वारा अन्त समय में थोड़ी सहायता मिल रही है। सरकार सोचती है कि सभी सरकारें चाहे यूरोप में हों अथवा अफ्रीका में, वे असफल हो जाती हैं परन्तु उसे सदैव बना रहना है। अतः वह उस परिपाटी को दूषित कर रही है जो परिपाटी हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे देश में डाली गई है।

मैंने कहा था कि यदि प्रधान मंत्री इस विधेयक को नहीं चाहती है तो मै उसे वापस ले लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके पास बहुमत है और मैं किसी दल का न होने के कारण इसे पास नहीं करा सकता हूँ।

आज कान्शैन्स की बात कही जाती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कान्शैन्स का प्रयोग ही सर्वोत्तम है। अतः मेरा भी यही कहना है कि आप अपने कान्शन्स का प्रयोग करें तो अच्छा होगा।

मैं आशा करता हूँ कि आप में से बहुत से व्यक्ति उपाधियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि साधारणतया संसद सदस्यों को ये उपाधियां नही मिलती हैं। केवल एक संसद सदस्य को जो बनी थे छोटी सी उपाधि दी गई थी

(व्यवधान) मेरे भाषण में बाधा मत डालिये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार अपनी जानकारी के आधार पर ये उपाधियां देती हैं। इस बात का औचित्य तो इसी बात से जाना जा सकता है कि ये उपाधियाँ एक ओर शराब बनाने वालों को प्रदान की जाती है जबकि सरकार दूसरी ओर मद्य निषेध करने की शपथ ग्रहण होती है।

यदि मेरा विधेयक अस्वीकार होगा तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि इसमें मेरी हार नहीं है। सरकार समाजवाद और प्रजातन्त्र की बात करती है परन्तु विश्व जानता है कि सरकार ने बहुत से ऐसे कार्य किये हैं जो समाजवाद तथा प्रजातन्त्र के विपरीत है। जब इस विधेयक को अस्वीकार किया जायेगा तो वह कार्य सरकार के विनाश के लिये अन्तिम कार्य होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसी उपाधियां प्रदान किये जाने की प्रथा का अन्त करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

(लोक–सभा में मत विभाजन हुआ)

(THE LOK SABHA DIVIDED)

पक्ष में	61	विपक्ष में	115
Ays	61	Noes	115

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 32 और 226 का संशोधन)

श्री तेन्नेटी विश्वनायम (विशाखापटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में विचार किया जाये ।"

जब यह विधेयक पहली बार पेश किया गया था तब इसके सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा की गई थी । फिर इसे प्रवर समिति के पास विचार के लिये भेजा गया था और इसके प्रवर समिति को भेजे जाने का सरकार ने भी समर्थन किया था ।

विधेयक का बहुत ही सीमित अभिप्राय है । अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि इस भाग में गारंटी किये गये किसी भी मूल अधिकार को लागू कराने के लिये उच्चतम न्यायालय के पास जाने का अधिकार भी स्वयं मूल अधिकार है । वर्ष 1964 में निर्णीत कुछ मुकदमों में न्यायाधीश राजगोपाल आयंगर ने लिखा है कि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत न्यायालयों में जाना नागरिकों का मूल अधिकार है । संविधान में दिये गये अधिकारों से अधिक कोई भी अधिकार न्यायालयों को प्राप्त नहीं है । अतः न्यायालयों के विवेक क्षेत्राधिकार को सांविधानिक दायित्व के साथ समानता लाने के लिये कुछ न्यायाधीशों द्वारा प्रयास करना गलत बात है । यही बात न्यायाधीश आयंगर ने भी कही है संविधान द्वारा थोपे गये कर्त्तव्य की विवेक सम्बन्धी शक्तियों से तुलना नहीं की जा सकती है । इस न्यायालय के कई निर्णयों में कहा गया है कि संविधान द्वारा इस न्यायालय पर संविधान के भाग III के अन्तर्गत मूल अधिकारों को संरक्षण देने और लागू करने का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।

सभापति महोदय : वह अपना भाषण अगले सत्र में जारी रख सकते हैं ।

इण्डियन टुबैको कम्पनी द्वारा अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन के बारे में **
Re : production beyond installed Capacity by Indian Tobacco Company **

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरी मुख्य मांग यह है कि समस्त सिगरेट उद्योग की जांच की जानी चाहिये । इस उद्योग में भारतीय तथा विदेशी एकाधिकार, इसके स्वामि

** आधे घंटे की चर्चा
** Half an hour discussion

त्व पूंजी ढांचे तथा पारिवारिक नियंत्रण अथवा कुछ व्यक्तियों के नियंत्रण ; उपभोक्त के हित को ध्यान में रखकर लागत ढांचे ; तम्बाकू उत्पादकों के हित; और तैयार माल के निर्यात की सम्भावना का पता लगाने के लिये जांच की जानी चाहिये। इस समस्त उद्योग का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

गोल्डन टुबैको कम्पनी एक भारतीय फ़र्म है जिस पर एक ही परिवार के लोगों का स्वामित्व हैं, मुझे पता चला है कि इनकी 28 लाख रुपये की पूंजी है। इस पर एक परिवार का अधिकार है। इनमें 14 व्यक्तियों में से प्रत्येक के पास 20 लाख रुपये हैं। एकाधिकार को निरोत्साई करने के लिये इस मामले की भी जांच की जानी चहिये। इण्डियन टुबैको कम्पनी, वज़ीर सुल्तान टुबैको कम्पनी और इण्डियन लीफ़ टुबैको कम्पनी का भी परस्पर निकट सम्बन्ध है। भारतीय लाइसेंस नीति जांच समिति ने पृष्ठ 113 पर लिखा है कि इम्पीरियल टुबैको कम्पनी का मूल देश इंगलैंड है और इस पर नियन्त्रण टुबैको मेन्युफेक्चरर्स (इण्डिया) लिमिटेड का है। वज़ीर सुल्तान कंपनी पर रैले इन्वैस्टमैंट कम्पनी लिमिटेड का नियंत्रण है और इसका मूल देश इंगलैंड है। उपर्युक्त कम्पनी के विवरण पत्र में लिखा है कि 31 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 140 करोड़ रुपये से अधिक उत्पादन होना चाहिये और कराधान से पूर्व लगभग 7 करोड़ रुपये का लाभ होना चाहिये। इसमें वज़ीर सुल्तान कम्पनी लिमिटेड का 30 करोड़ रुपया और जोड़ लिया जाये।

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : कोरम के लिये घंटी बज रही है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कोरम पूरा हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इण्डियन टुबैको कम्पनी को लाइसेंस प्राप्त क्षमता प्रति वर्ष 188600 लाख सिगरेट बनाने की है 30 मई 1969 को मंत्री महोदय ने कहा था कि इण्डियन टुबैको कंपनी के लाइसेंस-प्राप्त क्षमता 242400 लाख है और वज़ीर सुलतान टुबैको कम्पनी की 88800 लाख है। उन्होंने 4 अगस्त, 1970 को इसकी फिर पुष्टि की थी परन्तु 10 नवम्बर को श्री दिनेश सिंह ने प्रश्न संख्या 216 के उत्तर में बताया था कि लाइसेंस प्रोविज़न 1969 में इंडियन टुबैको कंपनी की 30 3000 लाख प्रति वर्ष और वज़ीर सुल्तान टुबैको कंपनी की 111000 लाख प्रति वर्ष क्षमता है। यह बड़ी हैरानगी की बात है। उपर्युक्त क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि किस आधार पर की गई है और इसका क्या औचित्य है ?

पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 27 अक्तूबर, 1966 को भारत सरकार ने अनुसूचित औद्योगिक उपक्रमों को नई वस्तुओं अथवा लाइसेंस वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिये छूट दी थी इसमें शर्त यह थी कि वर्तमान लाइसेंस क्षमता या पंजीकृत क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक उत्पादन नहीं होना चाहिये। 18 जुलाई 1970 को अधिसूचना जारी करके उपर्युक्त छूट को समाप्त कर दिया गया था। यह अधिसूचना विदेशी या उनकी सहायक कंपनियों पर लागू होती थी। मैंने सिद्ध कर दिया है कि उपर्युक्त दोनों कम्पनियां विदेशी हैं। उसमें यह भी लिखा था कि 5 करोड़ रुपये से अधिक आस्तियों वाली कम्पनियों पर भी अब वह छूट लागू नहीं होगी।

इन दोनों कम्पनियों की आस्तियां भी 5 करोड़ रुपये से अधिक हैं जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने इम्पीरियल टुबैको कम्पनी आफ़ इण्डिया लिमिटेड अब इण्डिया टुबैको कम्पनी लिमिटेड को टुबैको मेन्युफ़ेक्चरर्स (इन्डिया) लिमिटेड, यू० के० की सहायक कम्पनी घोषित कर दिया है जिसकी आस्तियां 34 करोड़ रुपये से अधिक है, वजीर सुलतान टुबैको कम्पनी रैले इन्वैस्टमैंट कम्पनी लिमिटेड, यू० के० की भारतीय सहायक कम्पनी बताया गया है जिसकी आस्तियां 6 करोड़ रुपये से अधिक हैं । सरकार को स्पष्ट रुप से बताना चाहिये कि उन्हें लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन की अनुमति कैसे दी गई थी । विदेशी एकाधिकार वाली इम्पीरियल टुबैको तथा वजीर सुलतान कम्पनी हर स्थान पर परस्पर संबद्ध है । इण्डियन लीफ़ टुबैको डेवलपमेंट कंपनी की प्रदत्त पूंजी 180 लाख रुपये है जबकि उसने एक वर्ष अर्थात 1968 में 210 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है । भारत में इसकी कुल आस्तियाँ 1966 में 12 करोड़रुपये से अधिक थीं जो 1969 में 23 करोड़ रुपये की हो गई थी । उनका एकाधिकार है और वे तम्बाकू अथवा सिगरेट खरीदने या बेचने के कार्य में मनमर्जी करते हैं और अपनी शर्तें मनवाते हैं । उन्होंने तंबाकू की खेती करने वाले किसानों पर तथा मूल्यों में कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा रखे हैं ।

भारत में सर्वोत्तम किस्म का तंबाकू पैदा होता है जिसका विश्व के उत्पादन में तीसरा स्थान हैं। इंडियन टुबैको कम्पनी में 1969 में 25000 कर्मचारी थे जिन्हें 1970 में घटाकर 19000 कर दिया गया है । ब्रिटिश अमेरिकन टुबैको कम्पनी लिमिटेड, लन्दन, इम्पीरियल टुबैको कम्पनी लिमिटेड, (अब इण्डियन टुबैको कम्पनी लिमिटेड) और वजीर सुलतान टुबैको कम्पनी लिमिटेड का भारत में सिगरेट उद्योग पर संयुक्त रूप से एकाधिकार है । इनके 55 देशों में 150 कारखाने हैं । यह अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार उपक्रम हैं । इण्यिन लीफ टुबैको डेवेलपमेंट का तम्बाकू खरीदने और बेचने पर नियन्त्रण है । क्या यह सच है कि वजीर सुलतान टुबैको कम्पनी के लाभ में 50 प्रतिशत या 70 लाख रुपये की वृद्धि हुई है जबकि इसके उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1969 में कमी हुई थी ? इन्डियन टुबैको कम्पनी की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी । क्या यह सच है कि सिगरेट निर्माण में विदेशी हिस्सा 1957 में 76 प्रतिशत से घट कर 1969 में 68 प्रतिशत रह गया था और 1969 में 68 से बढ़कर फिर 80 प्रतिशत हो गया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? विदेशों में उन्हीं कम्पनियों को अच्छा तम्बाकू कम मूल्य पर मिलता है जो उससे अपने देशों में अत्यधिक लाभ अर्जित करती हैं जबकि भारत में उन्हीं कम्पनियों को अधिक मूल्य पर तम्बाकू मिलता है । यह कार्य विदेशी मुद्रा की निकासी के बराबर है । सिगरेट के पेकेट पर प्रापर्टी आफ डबल्यू० एच० ओ० बिल्स आफ ब्रिस्टल, लन्दन लिखा होता है । इसी बहाने वे उनको धन भेजते हैं । इण्डिया किंग के एक सिगरेट का मूल्य 16 पैसे है । इसमें से सरकार उत्पादन शुल्क के रूप में 8 या 9 पैसे लेता है परन्तु एक सिग्रेट में एक पैसे से अधिक मूल्य का तम्बाकू नहीं होता है । अतः एक पैसे वाले सिगरेट पर हमें 8 या 9 पैसे देने पड़ते हैं । फिर यह धन सरकारी खजाने में भी नहीं जाता । इसके अतिरिक्त गरीब किसानों को विदेशी एकाधिकारवादियों की इच्छानुसार कार्य करना पड़ता है । अतः इस उद्योग की जांच की जानी चाहिए सरकार को इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए जिससे

उत्पादक, उपभोक्ता तथा सरकारी खजाने को लाभ पहुँचे ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : George Bernard Shaw used to say that smoking is a nasty habit. Gandhiji was also of the same view. The Government to-day acts against the views of these great men. Their policy is to see that the production of tobacco and cigarette is stepped up.

I would like to ask questions against this background. Sometime back, tea was served free by the tea companies in order to promote its consumption. I remember that in 1942, during the freedom struggle, we were told to have tea and then go to the Jail. Similarly, everywhere, tea was supplied to people free of cost. We see that in every Budget, tax on tea and cigarette is sought to be increased. We also want that the consumption of these things goes down, that people consume less cigarettes in the country. But we find that it is increasing by leaps and bounds. Is it the policy of the Government to augment the consumption of cigarettes just in the way the consumption of tea was encouraged? If so, may I know the details of the policy? I would also like to know how much money was sent out by these foreign cigarette companies by way of profit during the last three years.

If the Government does not act in accordance with the views of such great men as Bernard Shaw and Ghandhi ji and intend to expand the tobacco industry, is there any scheme to set up a cigarette factory in North Bihar; if so, what are the details of that plan and, if not, what are the reasons thereof ? The question of beedi also is connected with that of cigarette. May I know how much amount is earmarked in the Fourth Five Year Plan to develop the beedi and cigarette industries?

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Mr. Chairman, Sir, many issues are raised in the House, but there are few occasions when our party could agree with the views expressed by the party represented by Shri Jyotirmoy Basu. Whenever they raise important matters of national interest, we support them. This issue is a matter in which national interest is involved.

I would not like to involve myself in the controversy as to whether smoking is good or bad. The people smoke cigarettes and the Government gets revenue by way of excise duty. I want that the income earned by these companies should remain in India and the people of this country should be benefited by that money. Whatever propaganda they may unleash, there cannot be be two opinions that the Indian Tobacco Company is a foreign Company. Shri Basu has quoted figures regarding the amount flowing out of the country through these companies by way of dividend etc. Whether the cigarette industry is good or bad, I want that profit earned by these companies should not be allowed to go out.

I would like to know from the Minister whether it is a fact that the production in the Indian Tobacco Company is far in excess of its licensed capacity, and may I know what is the reason for that? Are the Indian Companies in the country working in accordance with their capacity? If not, what is the reason for that?

The Indian Leaf Development Company, a subsidiary of Indian Tobacco Company, purchases the entire tobacco produced by the peasants of Andhra Pradesh and North Bihar and exports it to the United Kingdom on consignment basis. There is no account as to the price on which the consigned tobacco is sold there. Does the Minister know on what prices this Company purchases the tobacco and sells it in the United Kingdom? It is said that this Company sells tobacco at a lower price and thus transfers the entire profit there.

It is said that some businessmen transfer illegal foeign exchange to foreign countries through over-invoicing and under-invoicing. This Company evades the payment of income-tax and causes us loss of foreign exchange through certain tricky methods. This company purchases tobacco at higher price and sells it to its sister concern in the United Kingdom at lower price. Although this matter is not connected with this Ministry, the Minister may at least recommend to the Finance Ministry that they should investigate the magnitude of loss suffered by us by way of foreign exchange and Income tax.

The Commerce Ministry is considering cost accounting of manufacturers and monopoly houses in the country. May I know whether cost-accounting is conducted in the cigarette industry also? Had the Government made any effort to assess the cost of manufacture of cigarettes? If not, will they make arrangement to do so?

The monopolistic hold of this company is very strong. Its sister companies are manufacturing carton, cases foils for cigarettes. I would request the Minister to make effort to check the monopoly of this company in manufacturing the carton, cases, paper etc., of cigarettes and entrust this work to indegenous firms.

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : Mr. Chairman, Sir. I am not concerned whether this company belongs to Britain or Peking. May I know from the Minister whether it is a fact that the Government gave permission to the Wazir Sultan Tobacco Company for expanding its capacity as per recommendations of the Government of Andhra Pradesh? May I know whether the Government can turndown any positive recommendation made by the State Covernment? As Shri Beni Shanker Sharma pointed out, these companies send the money out of India through over-invoicing and under invoicing. I want a probe to be made into this, Thorough investigation should be made into these matters and any company found guilty should be punished, whether it is Golden Tobacco Company or Imperial Tobacco Company.

We are a free country now and our traders want to carry on trade with other countries. We should not therefore do anything which may create such mentality in those countries also. So far as I know, the Government of Andhra Pradesh has given on undertaking to the Central Government that all foreign shares of the Wazir Sultan Company will be Indianised.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : श्री एम० आर० कृष्ण ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि भारतीय सरकार की घोषित नीति भारतीय स्वामित्व वाली फ़र्मों द्वारा सिग्रेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की है। इण्डिया टुबैको कम्पनी तथा एक अन्य प्रतिद्वन्द्वी कम्पनी भारत में विदेशी पूंजी के साथ कार्य कर रही हैं और लाभ अर्जित कर रही हैं। हमारा धन विदेश जा रहा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था। कि कम तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाये जाते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कोई जांच नहीं की गई है। क्या सरकार वास्तव में विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना चाहती है। और क्या वे इन कम्पनियों में भारतीय शेयर बढ़ायेंगे जिससे इन कम्पनियों का पूर्ण रूप से भारतीयकरण हो जाये। इस समय सरकार के कार्यक्रमों तथा नीति का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : सिग्रेट उद्योग में एकाधिकार होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि चाय उद्योग की तरह यह भी एक प्राचीन उद्योग है। इस देश में संभवतः वर्ष 1888 में सिग्रेट बेचना आरम्भ हुआ था। वर्ष 1908 में इस देश में सिग्रेट बनने शुरू हुए थे। उस समय भी एक विदेशी कम्पनी

ने यह कार्य आरम्भ किया था। वे इस देश से तम्बाकू खरीदते थे और विदेशों को निर्यात करते थे और इस प्रकार काफी लाभ अर्जित करते थे। जहां तक कुछ कम्पनियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किये जाने का संबंध है, यह सच है कि ब्रिटिश प्रबंध वाली तथा भारतीय प्रबंध वाली कम्पनियों दोनों ने ही सरकार के उस परिपत्र का लाभ उठाया था जिसमें लिखा था कि यह कम्पनियाँ अपनी लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से अपना उत्पादन 25 प्रतिशत अधिक बढ़ा सकती है। उसमे एक अन्य बात स्पष्ट की गई थी और वह यह थी कि भारतीय कम्पनियां अपनी क्षमता को किसी भी रूप में 25 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं और वे किसी अन्य वस्तु का भी निर्माण कर सकती हैं जबकि विदेश नियंत्रित कम्पनियां केवल उसी उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि कर सकती थीं। हम चाहते हैं कि इन कम्पनियों में विदेशी सहयोग कम से कम हो। वी० एस० टी० ने जब विस्तार करने की मांग की थी तो यह शर्त रखी गई थी कि उन्हें विदेशी सहयोग को इतना कम करना होगा कि उनके शेयर कम रह जाये। आई० टी० सी० जैसी शतप्रतिशत ब्रिटिश स्वामित्व वाली कम्पनी में 49 प्रतिशत शेयर रखने के लिए लिए प्रयत्न किये जायें तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। यदि सभा प्रत्येक उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है तो वह किया जा सकता है परन्तु यह कार्य इतना सरल नहीं हैं।

तीन वर्षों में लाभ के रूप में 3.5 करोड़ रुपये की राशि सम्बन्धित देशों को भेजी गई है। इन्हीं कम्पनियों ने 31 करोड़ रुपये का निर्यात भी किया है। लाभ की राशि को कम करने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वी० एस० टी० के विस्तार की ही मांग नहीं का थी बल्कि राज्य सरकार वी० एस० टी० में अपने शेयर बढ़ाने पर विचार कर रही हैं जो इस समय पूंजी नियोजन में उनका शेयर लगभग 8-9 प्रतिशत हैं। इसी का अर्थ विस्तार है। हम इन कम्पनियों में भारतीय सहयोग को प्रोत्साहित करने और विदेशी सहयोग को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गोल्डन टुबैको कम्पनी ने कुछ ब्रिटिश कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता की है और बहुत प्रगति की है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए, हम शतप्रतिशत भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें 25 प्रतिशत तक अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति दी गई हैं जबकि विदेशी कम्पनियाँ केवल अपने उत्पादक में वृद्धि कर सकती है।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : क्या सरकार अन्य उद्योगों की तरह इस उश्रोग की निर्माण लागत की भी जांच कर रही है ?

श्री मं० र० कृष्ण : इस सम्बन्ध में मैं बाद में जानकारी दे सकूंगा। हम ने इन कम्पनियां से कई बातें पूछी हैं और उन्हें उन सबका उत्तर देना पड़ेगा। उपयुक्त जानकारी प्राप्त होने के बाद यथावश्यक सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे। आजकल विदेषी तथा भारतीय नियन्त्रण कम्पनियों का उत्पादन सीमा से अधिक है यदि किसी कम्पनी ने 25 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। हमने इस क्षेत्र में अन्य

कम्पनियों को लाने के लिये दो एककों को पहले ही लाइसेंस दिये हैं और चारे एककों की आशय-पत्र दिये हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ छोटे एकक स्थापित हों और हम उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहेंगे जिससे विदेशी एकाधिकार को रोका जा सके। हमने कुछ वर्तमान कम्पनियों में भारतीय सहयोग बढ़ाने के लिये कार्यवाही की है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पहले विदेशों को लाभ की अधिक राशि भेजी जाती थी और अब उसको रोकने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने कहा था कि इन कंपनियों को अपनी क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में लगाई गई दो शर्तों में से एक यह थी कि जिन कम्पनियों की कुल सम्पत्ति 5 करोड़ अथवा 6 करोड़ रुपये से अधिक होगी उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। इन दोनों कम्पनियों की आस्तियां उपयुक्त सीमा से अधिक है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे ?

श्री मं० र० कृष्ण : यह सभा तथा माननीय सदस्य सब तथ्यों को जानते हैं। यदि माननीय सदस्य को किसी बात की जानकारी नहीं हो तो मैं बताने के लिये तैयार हूँ हम किसी भी बात को छिपाना नहीं चाहते हैं।

इसके पश्चात लोक - सभा सोमवार, 14 दिसम्बर 1970/23 अग्रहायण 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई हैं।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock, on Monday, 14th December 1970/Agrahayana 23, 1892 (Saka)

———

Ashoka Printing Works, Modinagar